खण्ड-243, अंक-6
गुरूवार, 21 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(12 दिसम्बर, 1963 ई0)

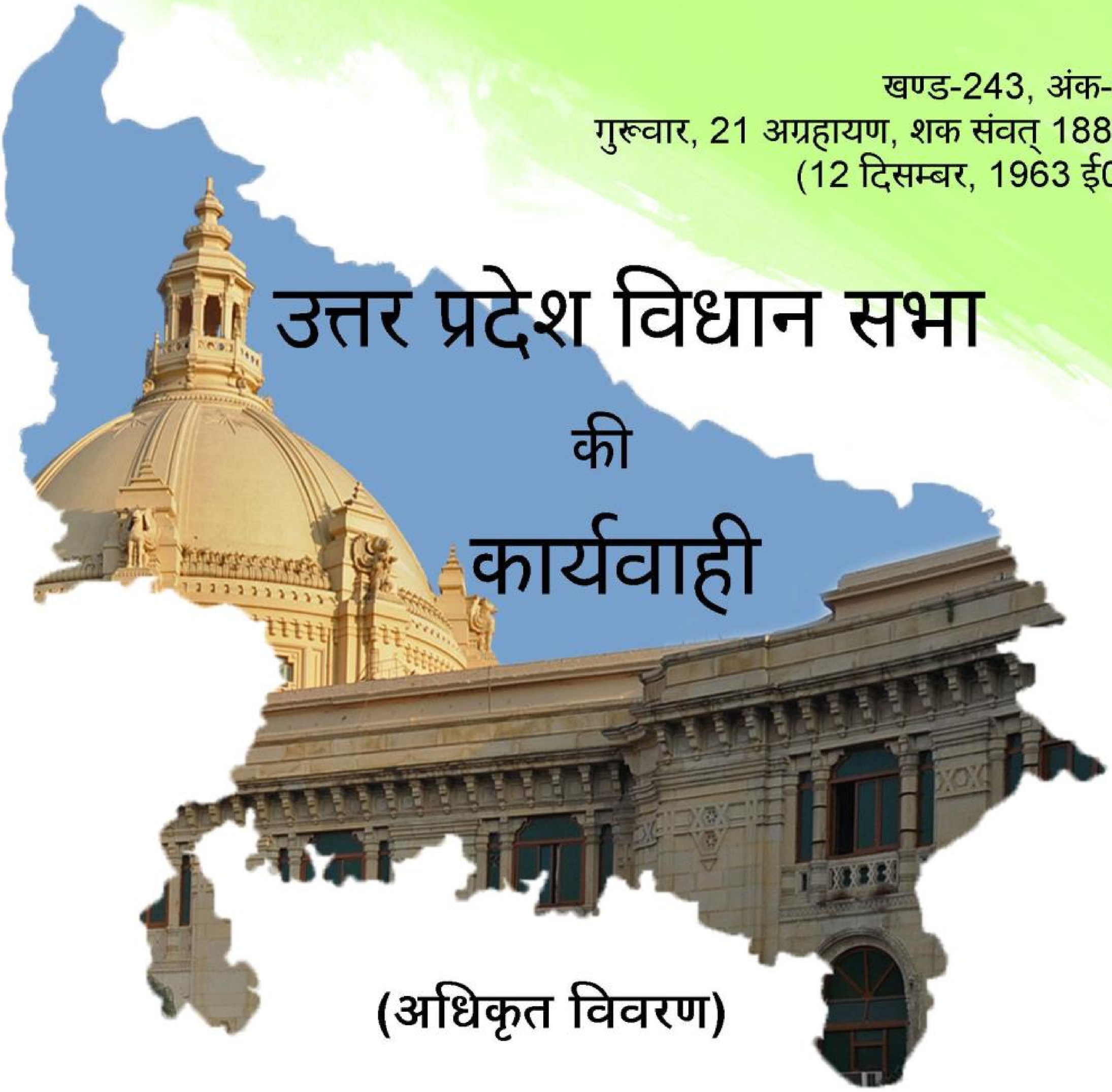

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७४१–७४५
प्रश्नोत्तर	७४५–८२९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	८२९–८३०
विधान परिषद् सदस्य कुंवर ज्योति प्रसाद का घर शाहजहांपुर में पुलिस द्वारा घेरे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	८३१–८४२
२१ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न ६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	८४२
२६ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	८४२–८४३
१९६३–६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	८४३–८८१
१९६३–६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर मतदान–अनुदान संख्या ७–निबन्धन (स्वीकृत)	८८१
अनुदान संख्या ८––राज्य विधान मंडल (स्वीकृत) ..	८८१–८८२
अनुदान संख्या ९––सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	८८२
अनुदान संख्या १०––आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	८८२
अनुदान संख्या १४––पुलिस (स्वीकृत)	८८२
अनुदान संख्या १५––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	८८२–८८३
अनुदान संख्या १६––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्याकलाप (स्वीकृत) ..	८८३
अनुदान संख्या १७––शिक्षा (स्वीकृत)	८८३
अनुदान संख्या १८––चिकित्सा (स्वीकृत)	८८३
अनुदान संख्या १९––जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत)	८८४
अनुदान संख्या २०––कृषि संबंधी विकास (स्वीकृत)	८८४
अनुदान संख्या २२––पशुपालन और मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	८८४
अनुदान संख्या २३––सहकारिता (स्वीकृत)	८८४
अनुदान संख्या २४––उद्योग (स्वीकृत)	८८५
अनुदान संख्या २५––नियोजन और एकीकरण (स्वीकृत) ..	८८५
अनुदान संख्या २६––श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत) ..	८८५
अनुदान संख्या २७––सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	८८५
अनुदान संख्या २९––समाज कल्याण (स्वीकृत)	८८६
अनुदान संख्या ३०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	८८६
अनुदान संख्या ३१––सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	८८६
अनुदान संख्या ३४––विद्युत योजनायें अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	८८६–८८७
अनुदान संख्या ३५––सार्वजनिक निर्माण-कार्य (स्वीकृत) ..	८८७
अनुदान संख्या ३६––संचार साधनों का सुधार स्वीकृत) ..	८८७
अनुदान संख्या ३७––सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	८८७

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३९—परिवहन (स्वीकृत)	८८८
अनुदान संख्या ४४—वन (स्वीकृत)	८८८
अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण (स्वीकृत)	८८८
अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (स्वीकृत) ..	८८८
अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	८८९
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	८८९
अनुदान संख्या ५०—विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	८८९
अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	८८९–८९०
अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत) ..	८९०
अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	८९०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपरक) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	८९०–८९६
केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव को निर्धारित करने के सम्बन्ध में सूचना	८९६
सिकन्दराबाद विकास क्षेत्र को अन्य विकास क्षेत्रों से ऊंचा स्तर प्राप्त होने के विषय में नियम ५० के अतर्गत चर्चा	८९६–९००
नत्थियां	९०१–९३६

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

बिहार विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १२ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—(३५९)

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पान्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

बेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराम, श्री,
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
ठल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री

दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पान्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पान्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पान्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पान्डेय, श्री
बंशधिर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री

बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह, वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह , श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन, जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्रशर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर

राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे , श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराम, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार , श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पान्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण , श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर

अध्यक्ष प्रदेश सभा

सीताराम डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कान्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट——गृहमंत्री श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थिति थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १२ दिसम्बर, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१–२——श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)——

[हटा दिये गये ।]

गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने के लिये अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*३——श्री ऊदल (जिला वाराणसी)——

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने के लिये जो १,२०० एकड़ जमीन ली जा रही है उसके संबंध में २७ जून, सन् १९६३ को मुआवजे के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं वन विभाग के सचिव, श्री राम सहाय के बीच ३,००० रुपये एकड़ देने का फैसला और खुटहन जंगल में भूमि भी देने का फैसला हुआ था ? यदि हां, तो उस फैसले को आज तक क्यों नहीं लागू किया गया ? क्या इस संबंध में यह भी तैय हुआ था कि आधी रकम, उर्वरक संस्थान या केंद्रीय सरकार तथा आधी राज्य सरकार देगी ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)——

गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना के लिये ली जाने वाली भूमि के संबंध में जन प्रतिनिधियों एवं वन विभाग के सचिव श्री राम सहाय के बीच ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था । हां, २७ जून, १९६३ को जन प्रतिनिधियों की सभा में वन सचिव ने इतना अवश्य कहा था कि विस्थापितों को उनकी भूमि के बदले में वर्तमान बाजार भाव पर उचित मुआवजा दिया जायेगा । भूमि अधिगृहण कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्य है और इस समय मुआवजे की दर निर्धारण का कार्य चल रहा है । जैसे ही मुआवजे का एवार्ड घोषित हो जायेगा भुगतान कार्य होने लगेगा ।

अधिगृहीत भूमि का आधा मुआवजा प्रदेशीय सरकार और आधा फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा दिया जायेगा ।

*४—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि २६ अक्तूबर, १९६३ से मानीराम क्षेत्र के निवासियों का पुनः आन्दोलन फैसले को न लागू करने के संबंध में होने जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है।

श्री ऊदल—

क्या सरकार बतायेगी कि २७ जून, १९६३ को जन प्रतिनिधियों और वन विभाग के सचिव से जो बात हुई थी उसमें कहा गया था कि बाजार भाव से मुआवजा दिया जायगा, उसके संबंध में क्या निश्चय किया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बाजार भाव वह होता है कि जो बाजार का रेट होता है। उसमें कहा था कि जो ज्यादा से ज्यादा लिबरल रेट्स दिये जा सकें वह दिये जायेंगे ऐसा तय हुआ था।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जिस सभा में यह फैसला हुआ था उसमें वन विभाग के अधिकारियों ने साफ-साफ जन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था, जिसमें माननीय नरसिंहनारायण आदि सदन के सदस्य भी मौजूद थे, कि जिनकी भूमि ली जा रही है उनको उसके बदले में वन विभाग से भूमि दी जायगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। यह किसानों की मांग थी कि हमको जंगल के पास की जमीन रहने के लिये दी जाय और मुआवजा दिया जाय। लेकिन आखिरी मांग यह थी कि ३ हजार रुपया फी एकड़ मुआवजा दे दिया जाय तो जमीन की आवश्यकता नहीं है और वह जमीन छोड़ देंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराके सदन की मेज पर रिपोर्ट रखेंगे कि २७ जून, १९६३ को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मंत्रियों तथा विधायकों को सूचना देकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बुलाया था कि रामसहाय जी जांच में आ रहे हैं और वह चाहते हैं कि किसानों और सरकार के बीच में सद्भावनापूर्वक यह मामला तय हो सके और इसमें निश्चय हुआ था कि किसानों को ३ हजार रुपया फी एकड़ मुआवजा दिया जायगा और बसाने के संबंध में कहा गया था कि खटहन के जंगल में उनको बसाया जायगा और उसकी प्रोसीडिंग्स अखबार में भी छापा हुयी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि काश्तकारों की मरजी यह थी कि ३ हजार रुपया एकड़ मुआवजा जमीन का दे दिया जाय तो इसी पर विचार कर रहे हैं। एवार्ड होने वाला है जैसे ही तय होगा दे देंगे। यदि काश्तकारों को तकलीफ है तो वे हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं और सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

सरकार जो काश्तकारों से जमीन ले रही है और जरूरी काम के लिये लेना भी चाहिये, गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी कि अन्य सरकारों को देखते हुए हमारी सरकार कुछ कम कीमत किसानों को देती है इसलिये क्या सरकार इस पर दुबारा विचार करेगी कि सही कीमत जमीन की दी जाय?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

बाजार भाव यानी आसपास की जमीनों का जो भाव होता है उस भाव से उनको जमीन का मुआवजा दिया जाता है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १,२०० एकड़ जमीन लेने के बाद किन-किन गांवों के कितने किसान प्रभावित हुए हैं ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

इसकी सूचना तो नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के मुताबिक यह जमीन ली जा रही है, उसी के मुताबिक किसानों का एवार्ड बनेगा, तो बहुत पुराना ऐक्ट है, उसके मुताबिक लेने से बाजार रेट का मुआवजा नहीं बन सकता, क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी कि जो वहां स्थानीय बाजार रेट है उस पैमाने पर मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो बाजार रेट की बात कही जाती है तो जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ उस दिन से बाजार भाव का मतलब है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस वक्त यह २७ जून की मीटिंग हुई उसमें एक समझौता लिखित हुआ था जिसके ऊपर जन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं और सरकार की तरफ से श्री राम सहाय के हस्ताक्षर हैं उसमें कहा गया था कि या तो किसानों को जमीन दी जायगी या बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दिया जायगा, तीन हजार के रेट से ? क्या सरकार ने उसूलन तीन हजार के रेट को स्वीकार कर लिया है, या अगर सरकार उस हिसाब से नहीं देगी तो जंगल की जमीन प्राप्त करके किसानों को देगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने जैसे पहले निवेदन किया यह किसानों की मांग थी कि तीन हजार रुपया प्रति एकड़ हमको दिया जाय। वन सचिव ने यह विश्वास दिलाया कि अधिक से अधिक उनको रेटबाजार भाव के रेट से दिलायेंगे। उन्होंने जमीन लेना पसन्द नहीं किया। अब अवार्ड आ जायगा उसके बाद बिचार किया जायगा कि उनको मुनासिब मिला है या नहीं।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती में प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति

*५—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुरानी बस्ती, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (बस्ती) के "टर्नर और फिटर" ब्रांच के सब प्रशिक्षार्थियों को वजीफा बराबर-बराबर जिस दिन से उनकी भर्ती हुई थी, उसी दिन से मिल रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

(क) सम्बन्धित केन्द्र में टर्नर क्राफ्ट में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

[श्री शिव प्रसाद गुप्त]

(ख) इस समय फिटर कक्षा के सभी प्रशिक्षार्थियों को जिनकी संख्या १९ है, वजीफा मिल रहा है। इनमें से १५ को जिस दिन से वे भर्ती हुए थे उस दिन से तथा बाकी दो को दिनांक १-१२-६२ तथा १-१-६३ से वजीफे उपलब्ध होने पर मिले। सर्वश्री सूर्यप्रकाश, ओंकारनाथ यादव तथा मुरारीलाल को जुलाई १९६३ की परीक्षा में असफल हो जाने के कारण अगस्त तथा सितम्बर, १९६३ का वजीफा नहीं दिया गया।

*६—श्री सोहनलाल बुसिया तथा श्री गंगाप्रसाद—

अभी तक उन प्रशिक्षार्थियों को किस माह तक का वजीफा मिल चुका है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अक्तूबर, १९६३ तक का वजीफा दिया जा चुका है।

श्री सोहनलाल बुसिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९६२ से जिन लड़कों का एडमिशन हुआ सब मिला कर १८ थे, १५ को जुलाई से स्कालरशिप दिया गया और बाकी दो लड़के बचे, उनमें एक को दिसम्बर, १९६२ में और एक को जनवरी, १९६३ को दिया गया, ऐसा क्यों किया गया ? इसके लिये कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं या आफिसर्स की मनमानी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह लड़के फेल हो गये थे। कायदा यह है कि पास हो जायं तो फिनल इम्तहान में तब मिलता है। जब अक्टूबर में इम्तहान लिया गया उसमें पास हुए जिहाजा दिसम्बर से जारी कर दिया गया।

श्री सोहनलाल बुसिया—

क्या मैं जान सकता हूं कि जो लड़के फेल करार दे दिये गये थे उनको या उनके अभिभावकों को इत्तला दी गयी थी या बचने के लिये यह जवाब दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने नियम बता दिया, उनको नहीं देते।

श्री सोहनलाल बुसिया—

नहीं श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

एक बात मेरी सुन लीजिये। आपने पूछा कि क्या उनके अभिभावकों को इत्तला दी गई। तो फेल हो जाने पर जो प्रोसेस है वह चलता है।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लड़कों का किस सन् में चुनाव हुआ था और तब से अब तक वजीफा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इनको तो वजीफा अक्तूबर तक का दे दिया गया है। नवम्बर का बिल बन रहा है, वह भी मिल जायेगा। मैंने यह कहा कि जुलाई, ६३ की परीक्षा में वह फेल हो गये थे इसलिये वजीफा नहीं दिया जा सका। अक्तूबर में दोनों लड़के पास हो गये, तो उनको दे दिया गया है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रशिक्षण केन्द्र में कितने-कितने दिनों में इम्तहान लिये जाते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, यह सूचना तो मेरे पास नहीं है। टर्मिनल इम्तहान होते हैं।

डी० आई० जी० पुलिस का सीतापुर जाना

*७—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ अक्तूबर, १९६३ को श्री एस० ए० टामस, डी० आई० जी० पुलिस सेंट्रल रेंज किसी जांच के सिलसिले में सीतापुर गये थे ? यदि हां, तो उनके साथ कौन-कौन पुलिस अधिकारी थे और यह जांच किस थाने के अन्तर्गत थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, यह सही है। उनके साथ उप पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन सी० आई० डी०, कानपुर भी थे। जांच थाना महोली के अन्तर्गत थी।

*८—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त तिथि को डी० आई० जी० महोदय जांच हेतु सीतापुर स्वयं गये थे या किसी उच्च अधिकारी के आदेश पर ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सरकार द्वारा कुछ ग्रामीणों की शिकायत के संबंध में जांच कराने के आदेश पर डी० आई० जी० स्वयं सीतापुर गये थे।

*९—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस मामले की जांच हेतु डी० आई० जी० सीतापुर गये थे वह मामला अदालत में चल रहा है और इनके जाने के कारण जिले के अधिकारी अपना कार्य सुचारुरूप से करने में असमर्थ हो रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जांच के दौरान डी० आई० जी० को पता चला कि इस सिलसिले में एक केस ग्राम चौकीदार, सीतापुर ने अदालत में दायर किया है जो न्यायालय के विचाराधीन है अतः उन्होंने अपनी जांच रोक दी। यह कहना सही नही है कि उनके जाने से जिले के अधिकारी अपना कार्य सुचारुरूप से करने में असमर्थ हो रहे हैं।

श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या माननीय मंत्री जी बतने की कृपा करेंगे कि डी० आई० जी० महोदय वहां किस सिलसिले में जांच करने गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह तो उत्तर में बतला दिया गया है कि ग्रामीणों की तरफ से एक दरख्वास्त आयी थी कि गांव में जाकर के दरोगा और कुछ सिपाहियों ने लोगों को मारा है, उसके लिये डी० आई० जी० भेजे गये थे।

श्री अवधेशकुमार सिन्हा—

मान्यवर यह उत्तर में तो दिया नहीं है .....

श्री अध्यक्ष—

खैर, अब तो आपको बता दिया, आप प्रश्न कीजिये।

श्री अवधेशकुमार सिन्हा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि डी० आई० जी० साहब के जाने के पहले जिले के किसी अधिकारी ने इस मामले की जांच की थी या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह दरख्वास्त मेरे पास आयी। उस पर मैंने डी० आई० जी० को कहा कि आप जाकर जांच कीजिये। किसी ने उसके पहले जांच की या नहीं की, यह मैं नहीं जानता।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब डी० आई० जी० वहां पहुंचे उससे पहले अदालत में मुकदमा जा चुका था या उसके बाद में गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरा ख्याल यह है कि जब दरख्वास्त मेरे पास आई तो थानेदार को यह मालूम हो गया कि लखनऊ, गांव के लोग गये हैं, तो शायद मेरा अपना सन्देह यह है कि थानेदार ने खुद चौकीदार से यह इस्तगासा दायर करा दिया जिससे कि इसकी जांच न हो सके।

श्री रामायणराम—

थानेदार के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चूंकि मुकदमा सब-जुडिस है इसलिये फिलहाल नहीं कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह यह कह रहे हैं कि सबजुडिस है इसलिये इस समय नहीं कर रहे हैं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

पुलिस मंत्री महोदय का ध्यान मैं एम० सी० देसाई की इस संबंध में तीन साल के अन्दर दी गई एक रूलिंग की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने ऐसे केसेज में यह किया है कि अगर कोई इस्तगासा से डिपार्टमेंटल कार्यवाही से बचने के लिये तो डिपार्टमेंटल कार्यवाही चलेगी और इस्तगासे की कार्यवाही रोक दी जायगी। तो क्या माननीय पुलिस मंत्री जी उस रूलिंग को मंगवाकर उस पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही करायेंगे और इस्तगासे की कार्यवाही रुकवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, उस रूलिंग का अभी तक मुझे ज्ञान नहीं था। अब आप बतलाते हैं तो उसको पढ़कर जरूर ऐसी कार्यवाही करूंगा।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले अनुभव के आधार पर किसी पुलिस थानेदार की शिकायत की जायं, किसी अन्य अधिकारी द्वारा (इस विभाग के बाहर के अधिकारी द्वारा) कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इन सब संबंधित मसलों पर मैं विचार कर रहा हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बुलन्दशहर जिले में हरिजन कल्याण पर व्यय

*१—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में हरिजन कल्याण विभाग से अक्तूबर, १९६१ से ३१ मार्च, १९६३ तक प्रत्येक ब्लाक में हरिजन उत्थान के विभिन्न कार्यों के लिये कितना रुपया अलग-अलग दिया गया है और उसमें कितना रुपया ब्लाकों में खर्च होने को बाकी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

विवरण संलग्न* तालिका एक और दो में दिया गया है ।

*२—श्री जसरामसिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर सन् १९६१ से ३१ मार्च, १९६३ तक प्रत्येक ब्लाक में जो धनराशि हरिजनों के लिये दी गई है, उसमें से जिला बुलन्दशहर के ब्लाकों ने उक्त धनराशि के वितरण की स्वीकृति किन-किन तारीखों में दी तथा संबंधित व्यक्तियों को उनका भुगतान किन तारीखों को दिया गया ? उसमें कितने काम पूरे हो गये और कितने अभी अधूरे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सूचना †तालिका तीन में दी गयी है ।

श्री जसरामसिंह—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ६ मदों में कूप निर्माण, गृह निर्माण, गृह उद्योग, कृषि उत्थान आदि की उन्नति के लिये २,४९,९६३ रुपया सरकार द्वारा दिया गया और उसमें से केवल ३५,४१६ रुपये व्यय हुआ और २,१४,५४७ रुपया शेष है जो उनके पास पड़ा हुआ है तो यह रुपया किस अधिकारी की लापरवाही के कारण पड़ा हुआ है यह बतलाने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो अनुदान मांगा जाता है उस अनुदान की प्रथम किस्त दी जाती है । जब प्रथम किस्त का कार्य समाप्त हो जाता है और उसकी कार्यवाही समाप्त हो जाती है तब दूसरी किस्त दी जाती है । यह हो सकता है कि प्रथम किस्त तक लेने वाले प्रार्थी ने प्रथम कार्य पूरा न किया हो । यह सूचना जिला परिषद् से मालूम की जा सकती है ।

---

* † छापी नहीं गई ।

श्री जसराम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी की यह जानकारी है कि जिला बुलन्दशहर में जो दूसरी किस्त आपने भेजी है वह अभी तक पड़ी हुई है ? पहला रुपया ही विभिन्न योजनाओं में नहीं खर्च किया जा रहा है और बड़ी लापरवाही वहां पर की जा रही है ? तो इस स्थिति को देखते हुये क्या इस वितरण की योजना में मंत्री जी कोई संशोधन करने का विचार कर रहे हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

पहली की योजनाओं के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में १९ ब्लाक्स के लिये २,८०,००० रुपया स्वीकार हुआ था। उसमें से जिले की कमेटी ने १ लाख ५४ हजार रुपया उन ब्लाक्स को रिलीज कर दिया है। ब्लाक ने उस रुपये को विभिन्न नामों में दिया है जो सूची नम्बर २ में है। १ लाख ६ हजार रुपया ब्लाकों के पास उसी तरह से अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है। सरकार विचार कर रही है कि किस तरह से शीघ्रातिशीघ्र उस रुपये को यूटिलाइज किया जाय।

श्री जसराम सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्लाकों के द्वारा जो ग्रान्ट दी जाती है उसके वितरण में संशोधन करने का विचार है यानी जैसे पहले ग्रान्ट बांटी जाती थी उसी तरह से इसको मंत्री जी बांटने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--

यह सारे प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मंत्री जी यह देखते हुये कि यह एमाउन्ट अनयूटिलाइज्ड रह जाता है क्या अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश देने की कृपा करेंगे कि वे जहां जहां इस अनुदान का रुपया दिया जाता है वहां जा कर लोगों को इसके बारे में बतलायें और प्रथम चरण पूरा करने के लिये उनको हिदायतें दें ?

डाक्टर सीताराम--

क्षेत्रीय कमेटियां यह धन वितरित करती हैं और उनके साथ इस सदन के माननीय सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे ब्लाक्स कमेटियों की मीटिंग बुलायें और लोगों को समझा कर रुपया खर्च करावें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मंत्री जी ने बतलाया कि सभी प्रश्न विचारधीन हैं। यह क्षेत्रवाइज वितरण का सुझाव स्वीकृत किया गया था इस आधार पर कि सभी क्षेत्रों की समान रूप से उन्नति हो सके तो फिर। अब इस वितरण की प्रणाली को परिवर्तित करने का क्या आधार है ?

डाक्टर सीताराम--

डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम में सभी क्षेत्रीय समितियों में यह रुपया पड़ा हुआ है लेकिन इस विधान सभा के बहुत से सदस्यों ने लिख कर यह शिकायत शासन से की है कि क्षेत्र समितियों को दिया गया यह रुपया ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसलिये रुपये के वितरण के लिये पुरानी पद्धति ही अपनायी जाय और उनका यह सुझाव शासन के विचाराधीन है।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि ब्लाक वाइज रुपया बांटने की पद्धति में हरिजनों को उनका काम अरसे तक पूरा हो जाने पर भी दूसरी किस्त का रुपया नहीं दिया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम—

ऐसी शिकायतें तो शासन के पास नहीं आयी हैं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मंत्री जी के सामने जो सारे प्रश्न विचाराधीन हैं उन पर अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो धन अब तक खर्च नहीं हुआ है वह दूसरी मदों में ट्रान्सफर कर दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

इसका प्राविधान नहीं है ।

गोरखपुर जिले में लघु उद्योगों के लिये अनुदान

*३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की करेंगे कि गोरखपुर जिले में लघु-उद्योग स्थापित करने हेतु सन् १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में कितने लोगों को किस-किस कार्य हेतु अनुदान दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०१ पर ।)

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कितने व्यक्तियों ने उपरोक्त अनुदान का उपभोग किया तथा कितनों ने नहीं किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२७ इकाइयों ने अनुदान का पूर्णतया उपभोग कर लिया है, ३ ने आंशिक धन का उपभोग किया तथा ६ ने उपभोग नहीं किया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जिन लोगों ने धन का आंशिक उपयोग किया और जिन्होंने नहीं किया उसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसके कारण तो उन्हीं को मालूम होंगे । जिन लोगों ने धन का उपयोग नहीं किया उसकी वसूली के लिये जिलाधीश को लिख दिया गया और कुछ ने रुपया जमा भी कर दिया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

वह ६ कौन कौन सी फर्म्स हैं जिन्होंने अभी तक धन का उपयोग नहीं किया और क्या यह भी सूचना सरकार को है कि उनमें बहुत सी फर्म्स फर्जी हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उनके नाम हैं—(१) अमृतलाल (२) सुबोध कुमार (३) मेसर्स हस्तकला सहकारी समिति, गोरखपुर (४) करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, (५) गुड़ तथा खांडसारी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, तथा (६) तेलघानी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इनको कुल कितना अनुदान दिया गया और क्या इनमें कोई फर्म फर्जी भी थी ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने नाम आपको बता दिये, अब कौन फर्जी है यह आप बता दीजिये और उसके बारे में प्रश्न आप कर सकते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

कुल कितना रुपया लगा है यह बता दीजिये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

६,७५० रुपये का अनुदान दिया गया है ।

श्री रामायणराय—

जिन लोगों ने अनुदान का आंशिक उपयोग किया या बिलकुल ही नहीं किया, क्या उसका कारण यह भी था कि जो रुपया जिस काम के लिये उनको मिला था वह बहुत कम था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह हम कैसे कह सकते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जो लोग धन लेकर उसका उपयोग नहीं करते क्या उनसे सरकार केवल रिकवरी ही न करके, कोई और आर्थिक दंड भी देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यही व्यवस्था है कि उनसे एक मुश्त रकम वसूल कर ली जाती है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन उद्योगों में रुपये का उपयोग न होने का कारण यह है कि जिन उद्योगों के लिये १० हजार रुपये की जरूरत होती है उनको एक हजार या ५०० ही दिये गये ? तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि ऐसे लोगों को या तो रुपया दिया ही न जाया करे, या उतना रुपया दिया जाय जितना कि उस उद्योग को सेट अप करने के लिये आवश्यक हो ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह मुनासिब बात है, इस पर सरकार जरूर विचार करेगी ।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या यह सही है कि लघु उद्योग में रुपया लेकर निजी कार्यों में लगाया जाता है क्योंकि वह कम ब्याज पर मिलता है ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कोई विशेष मामला बतावें तो जांच कराई जा सकती है ।

डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन, मुरादाबाद

*५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वीवर्स कोआपरेटिव यूनियन, मुरादाबाद को पिछले तीन साल में सेल डिपो, मुरादाबाद और काशीपुर के नाम कितना रिबेट मिला और उस रकम को कहां रखा गया और उसका क्या हिसाब है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

गत तीन वित्तीय वर्षों में कथित यूनियन को कुल १४,०१९ रुपया ३० नये पैसे रिबेट के रूप में दिए गए। इस धनराशि में से ४,२०६ रुपये रिजर्व डिपाजिट में हैं। शेष रकम यूनियन के वर्किंग कैपिटल में चली गई।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि इस यूनियन में फर्जी बिल और वाउचर बनते हैं और उसी कपड़े को बार-बार बिलों और वाउचरों में दिखा कर रिबेट हासिल किया जाता है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इसका स्पेशल आडिट करावेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यदि माननीय सदस्य कोई लिख कर शिकायत दें तो करा लिया जायगा।

पुलिस विभाग के कार्यालयों में लिपिकों का वेतन

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के जिला कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों का वेतन-क्रम क्या है तथा कलेक्टरी, प्लानिंग, सप्लाई कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०२–९०३ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान उस सूची की ओर गया है जिसमें मुख्य पुलिस कार्यालय, जिला पुलिस कार्यालय, रेलवे पुलिस और रेलवे पुलिस जंकशन के कार्यालय के प्रधान लिपिकों के वेतन में ७० और १०० रुपये का अन्तर है, उस फर्क को मिटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आपदकालीन स्थिति में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उसी सची में कलेक्टरी कचेहरी, प्लानिंग आफिस और सप्लाई विभाग के प्रधान लिपिकों के वेतन में भी अन्तर है। अब चूंकि सरकार आपदकालीन स्थिति का बहाना कर चुकी है तो क्या उसके बाद इन वेतनों में समानता लाई जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस सम्बन्ध में के० के० दास साहेब की कमेटी ने कुछ सिफारिशें जरूर की हैं और वह इस आधार पर कि चूंकि इनकी संख्या अधिक है, संख्या कम करके उसे बचे रुपये से बाकी का वेतन बढ़ा दिया जाय। संख्या कम नहीं की जा सकती, कुछ और वृद्धि की आशा है, तो इस पर कोई विचार नहीं हो सकता है।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संकटकालीन स्थिति छोटे कर्मचारियों पर ही ज्यादा मार करती है तो क्या बड़े बड़े अधिकारियों के भत्ते में से काट कर इस महंगाई के जमाने में छोटे कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

छोटे कर्मचारियों की संख्या ९२, ९३ फीसदी है, तो ८ परसेंट से काट कर ९२ परसेंट की पूर्ति नहीं की जा सकती।

स्वर्ण नियंत्रण कानून का प्रभाव

*७—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सोने के नियंत्रण कानून बनने से कितने आदमियों के मृत्यु के समाचार सरकार को प्राप्त हुये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सोने के नियंत्रण कानून बनने से जो बेकारी प्रदेश में सोने से संबंधित व्यापार करने वालों की हुई, उन बेकारों को सरकार की ओर से कितने धन की किस किस रूप में सहायता दी गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह आगामी सत्र में जरूर आ जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप इस हाउस में आश्वासन दे चुके हैं कि जो सवाल एक बार सूचना के लिये स्थगित किया जाय दूसरी बार उसका उत्तर जरूर आना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

चूंकि गोल्डस्मिथ्स बहुत ज्यादा नम्बर बताते हैं और हर जिले में उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी तक १७००० को आइडेंटीटी कार्ड्स ईश्यू हुए हैं और चूंकि पूरी इन्फार्मेशन नहीं थी, इसलिये सूचना एकत्रित करने का उत्तर दिया गया है।

पिटीशन्स आफिसर की नियुक्ति पर आपत्ति

*९—श्री रामायणराय तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ समय पहले तक विधान भवन में एक "पिटीशन आफिसर" की जगह थी ? यदि हां, तो उस जगह पर किन-किन व्यक्तियों ने काम किया और उनको क्या वतन मिलता रहा ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां। पिटीशन्स अफसर के पद पर निम्नलिखित व्यक्तियों ने समय-समय पर कार्य किया और उन्हें उनके भाग के सम्मुख अंकित वेतन मिलता रहा—

(१) श्री गोविन्द वल्लभ उप्रेती—

कुछ समय तक ११०० रु० प्रति मास पेन्शन सहित। कुछ समय तक पेंशन के अतिरिक्त २५० रु० प्रति मास का कम्पेन्सेटरी एलाउन्स तथा आय में १ रु० प्रति मास का नामिनल वेतन और २५० रु० प्रति मास का कम्पेसेंटरी एलाउन्स।

(२) श्री त्रिभुवन नाथ माथुर—

४७५—४०—६७५ रु० के वेतन क्रम में विशेष तथा व्यक्तिगत वेतन सहित कुछ समय तक ८३९ रु० प्रति मास तथा बाद में ९२५ रु० प्रति मास।

(३) श्री मदन गोपाल अग्रवाल—

कुछ समय तक ४७५—४०—६७५ रु० के वेतन क्रम में तथा बाद में ८००—५०—९०० के वेतन क्रम में।

*१०—श्री रामायणराय तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि 'एमरजेंसी' लागू होने पर यह जगह "इकोनामी कमेटी" द्वारा खत्म करने की सिफारिश की गई थी और समाप्त कर दी गई थी ? यदि हां, तो अब वह जगह फिर से क्यों भरी गई है, जबकि एमरजेंसी अब भी लागू है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इकोनामी कमेटी ने इस आशय की कोई संस्तुति नहीं की थी। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*११—श्री रामायणराय तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आज कल इस जगह पर कौन "पिटीशन आफिसर" काम कर रहा है ? सेक्रेटेरियट सर्विस में उनका क्या स्थान तथा वेतन है तथा अब उनको पिटीशन आफिसर की जगह का वेतन दिया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्री राम गोकुल सिंह। सेक्रेटेरियट सर्विस में उनका कोई स्थान नहीं है क्योंकि पिटीशन्स अफसर का पद किसी काडर में शामिल नहीं किया गया है। पिटीशन्स अफसर के पद पर उनका मासिक वेतन ४५० रु० है।

श्री रामायणराय--

मौजूदा पिटीशन्स अफसर कब लोअर डिवीजन क्लर्क हुए, इस पद पर आने के पूर्व कभी उन्होंने गजेटेड पोस्ट होल्ड की ? यदि की, तो किस वेतन पर ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

एल० डी० सी० के लिये नोटिस चाहिये। इससे पहले वे मुख्य मंत्री के निजी सचिव और प्रैस अटैची थे और गजेटेड थे।

श्री रामायणराय--

इन्हें इस पद पर कब रखा और कमीशन से लिखा पढ़ी हुई, इनका कोई प्रोबेशन है, क्या इस पद पर नियुक्त करते ही इन्हें कन्फर्म कर दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह एक अकेली पोस्ट है और कमीशन को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये सीधे इनका एप्वाइंटमेंट हो गया।

श्री रामायणराय--

एक लोअर डिवीजन क्लर्क को अचानक इस गजेटेड पोस्ट पर रखने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ये जब मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव और प्रेस अटैची थे, उस समय श्री मदन गोपाल अग्रवाल इस पद पर काम करते थे, उस वक्त यह अपग्रेडेड पोस्ट ८००-५०-९०० की थी। उसके बाद उस समय के भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह सोचा कि पिटीशन आफीसर का कार्य मुख्य मंत्री के पी० ए० और निजी सचिव मिल कर कर लें। पी० ए० ने अधिक काम होने के कारण अपनी असामर्थता प्रकट की लेकिन श्री राम गोकुल सिंह ने पिटीशन आफिसर का कार्य दो साल तक बड़ी सफलतापूर्वक चलाया। इसके लिये उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी केवल कुछ एक्स्ट्रा एलाउन्स मिलता था।

श्री रामायण राय--

क्या पिटीशन आफीसर के पद के लिये किसी निश्चित शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है ? और इनकी योग्यता क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने बताया कि एक अकेली पोस्ट है। इसके लिये कोई क्वालीफिकेशन फिक्स्ड नहीं है। आपने यह भी देखा कि २ वर्ष तक ये बड़ी सफलतापूर्वक इस स्थान पर कार्य करते रहे।

श्री झारखण्डे राय--

जहां तक मुझे याद है यह पद भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता जी के जमाने में ही क्रियेट हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय ऐसी कौन-सी विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी थी जिसके कारण यह नया स्थान क्रियेट करना पड़ा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बात बिलकुल गलत है कि ऐसा पहले कोई स्थान नहीं था। इस स्थान पर पंडित पंत के जमाने से ही काम करते चले आये हैं। उस समय ८००-५०-९०० की एक सीनियर पोस्ट थी। गुप्ता जी के जमाने में नयी पोस्ट नहीं क्रियेट की गयी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिटीशन आफीसर की नियुक्ति के बाद ही उसका कन्फरमेशन भी हो गया, ऐसा क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कन्फरमेशन की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इन सज्जन की शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस पद पर वे सफलतापूर्वक दो वर्षों से कार्य कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी योग्यता है । शैक्षिक योग्यता के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

इनके पूर्व जो तीन व्यक्ति थे उनकी योग्यता क्या थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये नोटिस चाहिये । श्री उप्रेती रिटायर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी थे ।

श्री रामायण राय—

मैं इस पर बहस मांगता हूं, नियम ५० के अन्तर्गत मैं डिबेट इस पर चाहूंगा और आप के पास लिख कर भेज दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप जो जरा सा भ्रम है नियम ५० में नोटिस की यहां जरूरत नहीं है आप लिख कर अलग भेज सकते हैं ।

श्री रामायणराय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ....

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न खत्म हो गये ।

गोंडा जिले के गन्ना विभाग में धांधली

*१२—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार गोंडा जिले में गन्ना विभाग द्वारा ट्यूबवेल्स तथा खरीदारी मशीनरी में की गई धांधलियों के बारे में जो गत दो वर्ष के भीतर जांच की गई थी, उस रिपोर्ट को सदन में रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

गोंडा जिले में ट्यूबवेल्स तथा मशीनों की खरीदारी में की गई धांधलियों के बारे में अभी विभागीय जांच-पड़ताल पूरी नहीं हो पाई है । हां, उस जांच की प्रारम्भिक रिपोर्ट को माननीय सदस्य कमरे में देख सकते हैं ।

*१३—श्री ईश्वर शरण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर, केन यूनियन द्वारा की गई धांधलियों की जांच में जो व्यक्ति अपराधी पाये गये, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

इस मामले में वैभागिक कार्यवाही अभी जारी है—अतः यह प्रश्न अभी नहीं उठता है।

*१४—श्री ईश्वरशरण (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि श्री हीरा लाल श्रीवास्तव जो उस समय केन यूनियन, तुलसीपुर में सी० डी० आई० के पद पर काम कर रहे थे और जो तुलसीपुर केन यूनियन जांच में अभियुक्त करार किये गये थे, सरकार ने उनको तरक्की देकर एस० डी० आई०, शाहगंज, जिला जौनपुर में मुकर्रर किया है ?

डाक्टर सीताराम—

जब श्री हीरा लाल श्रीवास्तव की पदोन्नति की गई थी उस समय तक उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था इसलिये अन्य सी० डी० आई० के साथ उनकी भी पदोन्नति ज्येष्ठता तथा चरित्र पंजी के आधार पर अस्थायी रूप से कर दी गई।

स्वर्णकार सत्याग्रही

*१५—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि सितम्बर, १९६३ तक गिरफ्तार किये गये स्वर्णकार संघ के सत्याग्रहियों को जेल में नाना प्रकार की यातनायें दी जा रही हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस समय जेल में कोई सत्याग्रही नहीं हैं। जिस समय वे जेल में थे उस समय भी इनको किसी प्रकार की यातनाएं नहीं दी गई थी।

*१६—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि ११ अगस्त, १९६३ को ३९ सत्याग्रहियों को रात को २ बजे लखनऊ से ४० मील दूर पर छोड़ा गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१२ अगस्त, १९६३ को रात्रि ९-३० बजे के करीब तत्कालीन मुख्य मंत्री के निवास स्थान के दरवाजे को स्वर्णकार सत्याग्रहियों ने घेर कर सड़क के यातायात और आने जाने के रास्ते रोक दिये थे। इन सत्याग्रहियों की संख्या ४५ थी। चूंकि यह मजमा अवैध था अतः सिटी मैजिस्ट्रेट ने इसे वहां से हटाने का आदेश दिया। जब मजमे ने यह नहीं माना तो उन्हें वहां से हटाने के लिये दो लारियों में बैठाया गया और सुल्तानपुर रोड पर भीखा नामक स्थान पर, जो यहां से लगभग ३८ मील दूर है, उतार दिया गया।

मेसर्स मेहरा सिल्क मिल्स, वाराणसी को जापानी सिल्क का कोटा

*१७—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेसर्स मेहरा सिल्क मिल्स, वाराणसी को इम्पोर्टेड जापानी सिल्क का कोटा उनके रजिस्टर्ड पावर लूम्स पर उत्पादन हेतु सन् १९६२ तक दिया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां ।

*१८--श्री भानुप्रतापसिंह (अनुपस्थित)--

क्या उक्त फर्म को प्योर सिल्क और आर्ट सिल्क पर भी पावर लूम चलाने की स्वीकृति थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां ।

*१९--श्री भानुप्रतापसिंह (अनुपस्थित)--

क्या उक्त फार्म ने कोई जाली परमिट बनाकर उस किस्म की सिल्क लेने का प्रयत्न किया जिसको लेने के लिये उसके पास नियमानुसार कोई परमिट नहीं था ? यदि हां, तो इस जालसाजी के लिये उक्त फर्म के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर राज्य से सुरक्षा कोष में सोना

*२०--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) तथा श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)(अनुपस्थित)--

क्या यह सत्य है कि जिलाधीश गोंडा से बलरामपुर राज्य की ओर से सोना सुरक्षा कोष में दान देने का वादा किया गया था, किन्तु बलरामपुर राज्य की महारानी साहिबा के निजी सचिव की कार्यवाहियों से नहीं प्राप्त हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ?

एस० डी० एम०, ललितपुर के पास तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

*२१--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि एस० डी० एम०, ललितपुर, श्री बाबवानी के पास ऐसी शिकायतें आई थीं कि जिन लोगों ने चन्दे की शिकायतें की हैं उन्हें तहसीलदार नुकसान पहुंचाने की कार्यवाहियां कर रहे हैं और उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में ७ अगस्त को एक प्रतिनिधि मण्डल ब्लाक प्रमुख, महरोनी व प्रश्नकर्ता के साथ एस० डी० एम०, ललितपुर से मिला था ? यदि हां, तो अब तक तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना अभी एकत्र हो रही है ।

कानपुर जिले में टीन व लोहे की चादरों का वितरण

*२२--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६३ तक जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर ने टीन, लोहा और चादरों की कितनी दरख्वास्तें शहर में

और कितनी दरख्वास्तें जिले में औद्योगिक कार्यों के हेतु स्वीकृत कीं और कितनी अस्वीकृत की ? और इस प्रकार कितनी मात्रा में शहर एवं देहात को अलग-अलग वस्तुयें दी गयीं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी--

१ सितम्बर, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६३ तक जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर ने टीन, (सफेद नालीदार चादर) लोहा और चादर (काली एवं सफेद, सपाट चादर) की क्रमशः ८८,३१ और ६२ दरख्वास्तें शहर में और ३ सफेद नालीदार चादर और ९ काली एवं सफेद सपाट चादरों की दरख्वास्तें देहात में औद्योगिक कार्य हेतु सिफारिश के साथ उद्योग निदेशक को भेजी और शहर की ६ नालीदार चादर तथा ३७ काली एवं सफेद सपाट चादरों और देहात की १ सफेद नालीदार चादर की दरख्वास्तों को सिफारिश योग्य नहीं समझा। इस प्रकार शहर में कुल १४-१० टन और देहात में ०.७० टन सफेद नालीदार चादर दी गई।

खोई हुई जायदाद की वापसी

*२३-श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जैसा एनुअल रिपोर्ट आफ दी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश १९६१-६२ वाल्यूम के पृष्ठ संख्या १७ पर जो लिखा है कि ५७९ (पांच सौ उन्नासी) लोगों को उनकी खोई हुई जायदाद वापस की गई तो १९६१-६२ में कुल जायदाद के खोने की संख्या क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

सूचना अभी तक एकत्रित नहीं हो पायी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, यह एक बार स्थगित हो चुके हैं।

श्री रामायणराय--

यह मेरा सवाल कई मास बाद आया है और सारे स्थगित सवालों के जवाब नहीं आये हैं। आप उनको चेतावनी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

लिखकर देंगे तो देखा जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

थोड़ा डांट दें तो अच्छा है।

चन्दौली तहसील में आग लगने की घटनायें, हाटमपुर गांव में कथित हत्या

*२४--श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील के थाना बलुआ व थानापुर क्षेत्र में सन् १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कुछ ऐसी भी घटनायें हुयी हैं कि रात में सोये हुये लोगों को कत्ल कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसी कितनी घटनायें हैं और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उक्त अवधि में उक्त क्षेत्रों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि रात में सोये हुये लोगों को कत्ल दिया गया हो। कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२५--श्री राजनारायणसिंह--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्षों में तथा उक्त स्थानों के अन्तर्गत आतिशजनी (आग लगाने की) कितनी घटनायें हुयीं ? क्या-क्या और किन लोगों का जला तथा इसमें क्या कार्यवाही की गई है और क्षतिग्रस्त लोगों को क्षतिपूर्ति के लिये कितनी सहायता की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

आतिशजनी की घटनाओं की सूचना संलग्न तालिका म दी हुई है। क्षतिपूर्ति के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९०४--९०५ पर)

श्री राजनारायणसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना घानापुर क्षत्र में हाटमपुर गांव में श्री उपाध्याय पर जो अपने खलियान में सोये थे ऐसा प्रहार किया गया कि उनको कत्ल कर दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने उत्तर में कहा कि ऐसी किसी घटना की सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि इस तरह के प्रश्न नहीं आना चाहिये कि थाना बलुआ व घानापुर क्षेत्र में सन् १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कुछ ऐसी भी घटनायें हुयी हैं। सीधा प्रश्न पूछते कि यह पर्टिकुलर घटना हुई या नहीं।

श्री राजनारायणसिंह--

थाना घानापुर के अन्तर्गत पिछले साल जून में उपाध्याय नाम के आदमी का जो कत्ल हुआ तो क्या उस कत्ल की सूचना विभाग को नहीं है ?

श्री हरगोविंदसिंह--

ऐसे किसी कत्ल की सूचना नहीं है लेकिन आप कहेंगे तो मालूम कर के बताया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

प्रश्न साफ है कि जब इतना बड़ा कत्ल हुआ तो क्या ऐसी लम्बी चौड़ी वारदात की उनको सूचना नहीं है, रिपोर्ट हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा और उन को सूचना ही नहीं.....

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य की मंशा यह है कि वह किसी विशेष घटना के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं तो यह उचित है कि वह उस विशेष घटना का उल्लेख कर दें ताकि सरकारी पक्ष को मालूम हो जाय कि किस चीज का उत्तर देना है, यह गलत है कि एक बड़ा प्रश्न कर दिया और उसमें से फिर चुनकर क्रास-एग्जामिन करें। आइन्दा में बताये देता हूं कि इसी प्रकार से प्रश्न स्वीकृत होंगे।

श्री केदारनाथ गुप्ता, प्रधानाचार्य द्वारा बहजोई थाने में रिपोर्ट

*२६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं), श्री सूरजपाल सिंह यादव, श्री बिशनलाल यादव तथा श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार को इस प्रकार की सूचना मिली है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल, बहजोई, जिला मुरादाबाद के प्रधानाचार्य जी को विद्यालय के मैनेजर तथा मैनेजर के घर वालों ने लगभग ८ घंटे अपने घर में बन्द रक्खा और रिवाल्वर दिखा कर मारने की धमकी देकर बलपूर्वक प्रधानाचार्य से त्याग-पत्र लिखा लिया ? वहां से छूटने पर प्रधानाचार्य ने थाने में रिपोर्ट लिखाई ? इस पर मैनेजर तथा उनके घर वालों के विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो क्यों ? क्या पुलिस शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दिनांक १६-९-६३ को सायंकाल ८ बजकर १५ मिनट पर श्री केदारनाथ गुप्ता, प्रधानाचार्य, हायर सेकेन्डरी स्कूल, बहजोई ने थाना बहजोई में इस आशय की एक रिपोर्ट लिखाई थी। इस सम्बन्ध में धारा ३४२/५०४/५०६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया है जिसकी जांच हो रही है।

*२७—सर्व श्री सुरेन्द्रविक्रम, जुगलकिशोर, सूरजपालसिंह यादव, बिशनलाल यादव तथा श्री हेतराम सिंह—

क्या सरकार मैनेजर तथा उनके घर वालों के विरुद्ध प्रिंसिपल को ८ घंटे तक बन्द रखने तथा रिवाल्वर से मारने को डराने के सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र सी० आई० डी०, क्राइम ब्रांच, उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी जांच करायेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

स्थानीय पुलिस द्वारा जांच हो रही है। सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

*२८-२९—श्री गंगाप्रसाद—[१६ दिसम्बर, १९६३ के लिए प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

[१२ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खुर्जा में नये सिनेमा का स्थान

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या खुर्जा शहर (जिला बुलन्दशहर) में एक नया सिनेमा बनाये जाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी है या सरकार के विचाराधीन है ?

श्री शान्तिस्वरूप शर्मा—

जी हां, एक सिनेमा बनाने की स्वीकृति जिलाधीश, बुलन्दशहर द्वारा श्री रकमनदयाल नत्थी लाल खुर्जा को दी गई है।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस जगह नया सिनेमा बनाये जाने की तजवीज है उसके बिल्कुल निकट एक मस्जिद और एक गिरजा है, जिससे कि खुर्जा शहर की जनता में भारी असन्तोष है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, जिस जगह सिनेमा बनाने की स्वीकृति दी गई है उस स्थान के सामने एक गिरजा घर है और उससे २०० फीट दूर एक मस्जिद है। स्वीकृति देने के पूर्व सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, बुलन्दशहर से इसकी जांच कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट थी कि उस स्थान पर सिनेमा बनने से किसी भांति शान्ति भंग होने की आशंका नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस स्थान के निकट स्थित मुसलमानों तथा ईसाइयों को सिनेमा बनने पर कोई आपत्ति नहीं है, और इस विषय में उन्होंने सिनेमा बनाये जाने के लिये लिखित स्वीकृति भी दी है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मान कर बतायेंगे, कि खुर्जे में बहुत ही असंतोष है, हिन्दू-मुसलमान सभी सिनेमा बनाये जाने के खिलाफ हैं और जहां सिनेमा बन रहा है जहां मस्जिद और गिरजा है केवल एक सड़क ही है, तो मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी सूरत में इबादतगाहों, मस्जिद, मंदिर, गिरजा या स्कूल के करीब किसी सिनेमा का बनाया जाना मुनासिब है या नहीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आपकी सूचना मान कर मैं इस विषय में खुद देख लूंगी। अगर कोई असंतोष हुआ तो देख लूंगी।

श्री रामायणराय—

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे आदेश देने के लिये कोई नियम है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वह स्वतः कह रही हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं जांच करा लूंगी।

गन्ने की खेती

*३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६०–६१, १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में प्रदेश में कुल कितने एकड़ जमीन में गन्ने की काश्त की गई थी तथा सन् १९६३–६४ में सर्वेक्षण के अनुसार कितने एकड़ में खेती हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—

प्रदेश में कुल गन्ने की काश्त के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

वर्ष	एकड़
१९६०–६१	३२,८३,९८८
१९६१–६२	३३,६७,१५०
१९६२–६३	३१,४३,९१४
१९६३–६४	३१,७३,१३४ (अनुमानतः)

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की खेती बढ़ाने तथा उसमें चीनी की मात्रा अधिक हो इसके उत्थान हेतु किसी योजना पर वह विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डाक्टर सीताराम---

सरकार ने चीनी मिलों के ४,००० एकड़ गन्ना क्षेत्र में लगातार तीन वर्ष तक गन्ना विकास कार्यों को अधिकाधिक प्रगाढ़ करके गन्ने की पैदावार बढ़ाने की एक योजना वर्ष १९६३--६४ से लागू कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई साधनों की व्यवस्था, अच्छे किस्म के गन्ने के बीज तथा खाद व उर्वरक पर्याप्त मात्रा में फसल में देने, रोग तथा हानिकारक कीड़ों के नियंत्रण आदि पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने उन कारणों पर जांच करायी कि जिनके कारण १९६०-६१ में गन्ने का एक्रीएज ३२,८३,९८८ से १९६३-६४ में घट कर ३१,७३,१३४ हो गयी, इसका क्या कारण है? क्यों इस प्रकार से घटाव हो रहा है जबकि चीनी के उत्पादन को सरकार बढ़ाना चाहती है?

डाक्टर सीताराम---

माननीय सदस्य का प्रश्न सत्य है। १९६१-६२ में ३३,६७,१५० और १९६३-६४ में ३१,७३,१३४ एक्रीएज रहा है। इसका खास कारण यह है कि १९६१-६२ में मिलों में गन्ना बाकी रह गया और प्रदेश की बहुत सी मिलों ने जून तक गन्ना पेरा। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने काश्तकारों को केन कमिश्नर के थ्रू यह सुझाव दिया कि काश्तकार ऐसी वैरायटी, जो कन्डैम्ड है, का एक्रीएज १० फीसदी कम करें। इसलिए १९६३-६४ में गन्ने का अनुमानतः एक्रीएज कम आया लेकिन १९५१-५२ से लेकर अब तक अर्थात् १२ साल के अन्दर, सिर्फ दो सालों को छोड़कर १९६३-६४ के जो आंकड़े हैं प्रत्येक साल के मुकाबले में ऊंचा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह भी जानने की कृपा करेंगे कि इसका एक कारण यह भी है कि गन्ना किसान हमेशा यह मांग करता है कि उसके गन्ने की कीमत कम से कम २ रु० प्रति मन की जाय और सरकार ने कोई संस्तुति केन्द्रीय सरकार के पास २ रु० प्रति मन करने की नहीं भेजी है, इसलिए किसान ईल्ड को कम करता चला जा रहा है। सरकार यह भी बताने की कृपा करे कि क्या गन्ना की पैदावार गिरने की परिस्थिति का कोई और अन्य कारण भी है?

डाक्टर सीताराम---

उन कारणों में एक यह भी कारण हो सकता है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

गन्ने के विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसान जो गन्ना पैदा करता है उसका सारे का सारा गन्ना पेरा जाय, उसको उचित दाम दिलाया जाय। क्या इसके लिये सरकार की कोई व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष---

यह तो कल बहस है।

श्री रामायणराय---

सरकार ने यह बताया है कि चीनी मिलों के ४,००० एकड़ गन्ने के क्षेत्र में प्रगाढ़ खेती की योजना चलायी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस ४ हजार एकड़ पर कितना रुपया खर्चा किया जायगा?

डाक्टर सीताराम--

३ साल में ३ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा जिसमें प्रत्येक डेवलपमेन्ट कौंसिल में जो हर एक फैक्टरी एरिया में है १,४४,००० रुपया दिया जायगा। इस प्रकार प्रान्त की ७१ फैक्टरियों में से ६५ फैक्टरियों में यह स्कीम लागू है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह देखते हुये कि १९६२-६३ और १९६३-६४ में गन्ने की एकरेज कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी है और १९६२-६३ में साढ़े ८ लाख टन चीनी प्राप्त हुई और एकरेज बढ़ा नहीं और अब १५ लाख टन चीनी हमको प्राप्त करनी है और सरकार ने यह भी बतलाया है कि पिछले साल चूंकि जून तक गन्ना पेरा गया इसलिये काश्तकार गन्ना देना नहीं चाहता तो क्या सरकार ३० अप्रैल, १९६४ तक समस्त गन्ने को पेरने के आदेश जारी करेगी ?

डाक्टर सीताराम--

वेरायटीज जो हैं वही बोई जाती हैं। १९६३-६४ में ३० हजार के करीब गन्ने की पैदावार बढ़ी है यानी १ फीसदी एकरेज में वृद्धि हुई है।

मऊनाथ भंजन में भारत विरोधी नारे

*५-कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसे पता है कि २२ अप्रैल, १९६३ को आजमगढ़ जनपद के मऊनाथ भंजन स्थान पर साम्यवादी सदस्य, डाक्टर जेड० ए० अहमद की सार्वजनिक सभा में साम्यवादियों द्वारा भारत विरोधी नारे जैसे "चाऊ ने ललकारा है, हिन्दोस्तान हमारा है" आदि लगाये गये ? यदि हां, तो उक्त देशद्रोही नारा लगाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविंदसिंह--

सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

*६--कुंवर श्रीपालसिंह--

[१० दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न ९४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

उत्तरकाशी में बी० के० ओझा की गिरफ्तारी

*७--कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऋषिकेश में वहां की पुलिस ने जुलाई, १९६३ के अन्तिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में किसी बी० के० ओझा नामक व्यक्ति को जासूसी के अपराध में गिरफ्तार किया है ? यदि हां, तो क्या इस व्यक्ति का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध है ? यदि हां,तो किस दल से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

श्री बी० के० ओझा नामक एक व्यक्ति को उत्तरकाशी में २८ अगस्त, १९६३ को भारतीय दन्ड विधान की धारा १७०/४२० तथा क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९६१ की धारा ३ (६) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। श्री ओझा का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध होने का पता नहीं लगा है।

नोट:--तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अमरोहा उप-चुनाव में मारपीट की घटनायें

*८—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संसदीय उप-चुनाव अमरोहा, जिला मुरादाबाद के उप चुनाव में ता० १९ मई, सन् १९६३ को कुछ मारपीट की घटनायें हुयी हैं जिनसे उक्त क्षेत्र के सम्भल-अमरोहा आदि स्थानों पर लोगों को चोटें आयी हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कौन-कौन व्यक्ति मारे गये ? उनका सम्बन्ध किस-किस उम्मेदवार से था तथा कौन कौन लोग अभी तक गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

जी हां ।

मारपीट की आठ घटनाओं की सूचना मिली है जिनके बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०६ पर)

सुरक्षा फण्ड

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश दिया है कि सरकारी मशीनरी के द्वारा सुरक्षा फन्ड की वसूली न की जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

*१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि सुरक्षा समितियों से सभी सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा गया है ? यदि हां, तो सुरक्षा फन्ड की वसूली की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं

कुरावली थाने के विरुद्ध जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा आलोचना

*११—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

प्रथम सत्र १९६३ के ५वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८ व ९ के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस विषय में जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है, और मैजिस्ट्रेट के निर्णय के बाद जांच की जरूरत क्यों समझी गयी तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह —

जांच उप पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी (श्री ओ० पी० सक्सेना) के द्वारा की गई । पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन के अनुसार यह आवश्यक है कि जहां कोई न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी के आचरण की निन्दा करता है (censures the conduct of a police officer)

तो उन बातों के बारे में जांच की जाय जिनको न्यायालय न निन्दनीय समझा है। इसलिये सम्बन्धित व्यक्तियों को बिना जांच के दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास आयुक्त कार्यालय में सचिवालय के कर्मचारी

*१२—श्री रियासत हुसैन तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के कितने कर्मचारी (मिनिस्टीरियल) (इन्फीरियर) विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि इन लोगों को सचिवालय वापस करने के आदेश विकास आयुक्त ने सन् १९६२ में पास कर दिये थे ? यदि हां,तो ये लोग अभी तक क्यों नहीं वापस किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सचिवालय के निम्नलिखित कर्मचारी विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं :—

१—श्री ए० एन० कटियार ..	..	अवर वर्ग सहायक
२—श्री आर० एन० सक्सेना..	..	अवर वर्ग सहायक
३—श्री वाई० पी० सिंह ..	..	आशुलिपिक
४—श्री पी० एल० सक्सेना ..	..	अवर वर्ग सहायक
५—श्री सीताराम.. ..	..	(चपरासी)
६—श्री अमरपाल यादव ..	..	(चपरासी)

इन लोगों को सचिवालय वापस करने के लिये विकास आयुक्त ने कोई आदेश नहीं दिए थे ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*१३—श्री रियासत हुसैन तथा श्री बांकेलाल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इनको किस तिथि तक वापस कर दिया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह प्रश्न भी नहीं उठता ।

*१४–१५—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार—

[१६ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १२५–१२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१६–१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिये गये ।]

एम० एल० एज० के यहां कर्टसी विजिट

*१८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या कोई चिट्ठी सरकार की तरफ से तमाम अधिकारियों को भेजी गई है कि वे लोग एम० एल० एज० के यहां जाकर कर्टसी विजिट करें ? यदि हां, तो क्या उसका कोई रिकार्ड रखा जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

*१९—श्री रियासत हुसेन—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में किन-किन अधिकारियों ने वहां म० एल० एज० के यहां कब-कब कर्टसी विजिट की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

"कांग्रेस ने कर डाली बरबादी हिन्दुस्तान की" नामक पुस्तक की जब्ती

*२०—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी जिससे कि "कांग्रेस ने कर डाली बरबादी हिन्दुस्तान की" नामक पुस्तक को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

चूंकि इस पुस्तक में भारत रक्षा नियमों के नियम ३५ के उपनियम (७) के साथ पठित उपनियम (६) के खण्ड (ई) तथा (एच) में दी गई परिभाषा के अनुसार हानिकारक सूचनाएं (prejudicial reports) थीं इस कारण इसको जब्त किया गया है।

*२१—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुस्तक के प्रकाशन एवं प्रचार से शांति तथा व्यवस्था के लिये क्या-क्या खतरे पैदा हुए जिससे मजबूर होकर सरकार को उक्त कार्यवाही करनी पड़ी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

चूंकि इस प्रकार के प्रकाशन में प्रश्न संख्या २० के उत्तर में उल्लिखित हानिकारक सूचनाएं (prejudicial reports) थीं जिनसे शान्ति व्यवस्था में खतरा हो सकता था अतः पुस्तक को जब्त करना उचित समझा गया।

मधुवन थाने में गिरफ्तारियों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*२२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३ और ४ फरवरी, सन् १९६३ की रात में थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ के ग्राम चौहानपुर, रंगऊपुर, खरगीपुर और टमटा के कुछ आदमियों की गिरफ्तारियां भारतीय दन्ड विधान की धारा १०९ के अन्तर्गत हुई हैं और गिरफ्तारी के विरुद्ध आई० जी० पुलिस, जिलाधीश, पुलिस कप्तान और मंत्री के पास तार और प्रार्थना-पत्र, दिनांक ८ फरवरी, १९६३ के लिखित भेजे गये हैं, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उपरोक्त ग्रामों से गिरफ्तार करके दोहरी घाट और घोसी थाने के अन्तर्गत गावों से गिरफ्तारी दिखाई गयी है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक ३/४-२-६३ की रात में ग्राम टमटा के दो व रमऊपुर तथा चौहानपुर के एक-एक व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा १०९ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत हुई थी। इस संबंध में

दिनांक ८–२–६३ का एक सम्मिलित प्रार्थना-पत्र दो गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की ओर स इस आशय का प्राप्त हुआ था कि उनको उनके ग्राम से पकड़ कर घोसी थाने में बन्द कर दिया गया। चूंकि सम्बन्धित मुकदमों का चालान पहले ही अदालत में जा चुका था अतः प्रार्थना-पत्र की जांच नहीं की गई।

रबर फैक्टरी के लिए भूमि अधिग्रहण

*२३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

२८–२–६३ के प्रश्न ४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पी० ए० सी० के १०० से ऊपर जवान ग्राम निटोली भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*२४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

उपरोक्त क्रम के प्रश्न ५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतान की कृपा करगी कि कितनी चौड़ी सड़क डालने के लिये कितने काश्तकारों की कितनी भूमि बरेली रबर फैक्ट्री को अधिग्रहण करवा दी गई, उसका कितना मआविजा दिया गया या दिये जाने का विचार है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पाइप लाइन तथा ३० फुट चौड़ी सड़क डालन के लिये ग्राम चिटौली में ३.९० एकड़ व ग्राम सिरसा जागीर में १.०७ एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। ग्राम चिटौली की भूमि के २२ खाते हैं जिनमें ४२ काश्तकारों की जमीन है तथा ग्राम सिरसा जागीर की भूमि के ८ खाते हैं जिसमें २२ काश्तकारों की जमीन है। मुआवजे के विषय में नोटिस जारी किया गया है और उस पर काश्तकारों द्वारा की जाने वाली आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् मुआवजा तय होगा।

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

उपरोक्त क्रम के प्रश्न ५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि लगभग २ वर्ष पहले पाइप लाइन डालते समय काश्तकारों तथा रबर फैक्ट्री के बीच एक रजिस्टर्ड समझौता हुआ था, जिसके अनुसार फैक्ट्री को पाइप लाइन की मरम्मत करने का सर्वदा अधिकार था तथा पाइप लाइन के ऊपर की भूमि पर काश्तकारों का हमेशा मालिकाना हकूक कायम रखने की बात थी ? यदि हां, तो फिर सड़क डालने के लिये इतनी उपजाऊ भूमि अधिग्रहण करवाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। परन्तु उक्त कारनामों के अन्तर्गत फैक्ट्री के मालिक या नौकरों को सम्बन्धित भूमि पर प्रत्येक समय पाइप लाइन की देख-भाल मरम्मत के लिये आने जाने और काम करने हेतु कोई स्वामित्व अधिकार (proprietory right) नहीं प्राप्त था। अतः काश्तकारों द्वारा फैक्ट्री के उक्त कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट पैदा करने की दशा में फैक्ट्री के कार्य में बाधा पड़ सकती थी। प्रमाणस्वरूप ऐसी रिपोर्ट भी की गई कि कई बार जब फैक्ट्री के कर्मचारी पाइप लाइन की मरम्मत आदि के लिए वहां गये तो काश्तकार रुकावट डालते रहे और उन्हें परेशान करते रहे। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक समझा गया।

सम्भल में डाक्टर बृजभूषण द्वारा मतदान में बाधा

*२६—श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २४ अगस्त, १९६३ को जब कि मुरादाबाद जिले की सम्भल नगरपालिका के अध्यक्ष का उप-चुनाव होना था, तो पालिका के एक सदस्य, डा० बृजभूषण के घर पर दिन में एक बड़ी भीड़ ने हमला कर दिया तथा घर घेर लिया, जिससे वे मतदान करने के लिये न जा सके और पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने पर भी घर को उस समय तक घेरे रक्खा जब तक कि चुनाव समाप्त नहीं हो गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां पुलिस को इस आशय की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

*२७—श्री बिपिन बिहारी तिवारी —

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उस घटना की जांच की सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस सम्बन्ध में सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा श्री बृजभूषणशरण को भीड़ से निकाल कर मतदान के स्थान पर पहुंचाया। घटना के सम्बन्ध में धारा ३४१/४२७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा अंकित किया गया। पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा १०४ में उल्लिखित नियम के अनुसार पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं की किन्तु सरकार द्वारा जांच के विषय में विचार किया जा रहा है।

बाढ़ पीड़ितों को चर्खा सम्बन्धी शिक्षण

*२८—श्री ईश्वर शरण (अनुपस्थित)—

क्या लघु-उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को लघु-उद्योग विभाग द्वारा चर्खा सम्बन्धी शिक्षण को प्राथमिकता देकर उनकी बेकारी तथा कपड़े के सवाल को हल करने का विचार सरकार कर रही है ? यदि हां, तो इस बारे में आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को, चर्खा सम्बन्धी शिक्षण को प्राथमिकता देकर, उनकी बेकारी तथा कपड़े के सवाल को हल करने के प्रश्न पर, सरकार ने १९४८ में विचार कर के खादी विकास योजना कार्यान्वित की और तब से यह योजना बराबर चल रही है। वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से इसी उद्देश्य से एक अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वहन व्यय पर योजना और चलाई जा रही है।

*२९-३१—श्री कल्याण चन्द मोहिले—

[हटा दिये गये।]

फतेहपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह

*३२—श्री रघुबीर सहाय कैथवार—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९६३ को स्वतन्त्रता दिवस मनाने और उसके कार्यक्रमों में सामान्य रूप से भाग लेने का अधिकार अधिकारियों व कांग्रेस नेताओं के अलावा अन्य दलों के जनसेवकों के होते हुये भी सूचना अधिकारी और जिलाधीश,

फतेहपुर द्वारा केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही उसके मनाने का सर्वेसर्वा बनाने का मुख्य कारण क्या था और जो उत्सव ग्राम जलसा, जिला अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ, उसमें विचार व्यक्त करने के लिये प्रश्नकर्त्ता और श्री दीपनारायण सिंह, विधायक को मौका नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फतेहपुर में स्वतंत्रता-दिवस मनाने के लिये किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता गया। उक्त ग्राम जलसे का प्रबन्ध यद्यपि सरकारी तौर से हुआ था किन्तु जिलाधीश तथा जिला सूचना अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी ने उसके संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था। जलसे की अध्यक्षता तथा संचालन एक गैर-सरकारी व्यक्ति ने किया था जिसका अनुमोदन गैर-सरकारी व्यक्तियों ने ही किया था। उस जलसे में भाग लेने व बोलने में किसी प्रकार की रोकटोक नहीं लगाई गई थी।

*३३-३४—श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

[१० दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न ९५-९६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

लार थाने में श्री सहदेवसिंह की हत्या

*३५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री जी दिनांक २२ मई, १९६३ के देवसिया हत्याकांड, थाना लार, जिला देवरिया का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। ग्राम देवसिया, जिला देवरिया निवासी श्री सहदेव सिंह, जिनका कारोबार देवरिया, कलकत्ता तथा कटक में चल रहा था, २२ मई १९६३ को ग्राम देवसिया गये थे। शासन को प्राप्त सूचना के आधार पर वहां उन्हें कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचकर गोली से मार डाला। घटना से सम्बन्ध रखने वाले अभियुक्त गिरफतार हो चुके हैं। उनका भारतीय दंड विधान की धारा ३०२/२०१/३४/१२०बी/१०९ के अन्तर्गत चालान किया जा चुका है; मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*३६—श्री उग्रसेन—

क्या गृह मंत्री उक्त घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने का आदेश देंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

चूंकि मामला आवश्यक जांच के बाद न्यायालय भेजा जा चुका है, अतएव अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच का प्रश्न नहीं उठता।

*३७—श्री बालोजी अग्रवाल, श्री बनवारीलाल विप्र तथा श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)—

[१२ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न ९७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

चम्बल घाटी विकास योजना

*३८—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के योजना आयोग ने पुलिस के सहयोग से आगरा, इटावा व मैनपुरी के लिये चम्बल घाटी विकास योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी नहीं ।

मछली शहर तहसील में सुरक्षा कोष

*३९---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मछलीशहर, जिला जौनपुर में सुरक्षा कोष में अब तक कितना रुपया जमा हुआ है ? इस रकम में कितना राजकीय कर्मचारियों से और कितना जनता द्वारा जमा किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जौनपुर के मछली शहर तहसील में, मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में कुल ६२,९१९.८६ रु० जमा हुआ है, जिसमें ४,०४३.६२ रु० राजकीय कर्मचारियों द्वारा तथा ५८,८७६.२४ रु० जनता द्वारा जमा किया गया है ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में १८,२४४.८४ रु० जनता द्वारा सीधे भेजा गया ।

*४०---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उक्त सुरक्षा कोष के सिलसिले में अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं और उनका क्या निराकरण किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां । कानूनगो, मछली शहर के विरुद्ध सुरक्षा कोष का रुपया न जमा करने को व रसीद न देने की जांच के फलस्वरूप यह शिकायत निराधार पायी गयी ।

झांसी शहर पुलिस कोतवाली की इमारत

*४१---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी शहर पुलिस कोतवाली कितने लाख रुपये में किस माह और किस सन् में बन कर तैयार हुई और क्या यह भी सत्य है कि कोतवाली की दीवारें बनने के बाद ही जगह-जगह से फट गयी हैं और बरसात में बुरी तरह छतें चूती भी हैं ? यदि हां, तो किस-किस की देख-रेख में कोतवाली का निर्माण हुआ था और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश जांच समिति का दौरा

*४२---श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त जांच आयोग का दौरा किन-किन जिलों में हो चुका है और कौन-कौन जिले देखने को शेष हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

पूर्वी उत्तर प्रदेश की जांच समिति ने जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया जिलों का दौरा कर लिया है और कोई जिले देखने को शेष नहीं हैं ।

गोंडा-बहराइच सड़क पर ट्रक दुर्घटना

*४३—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा-बहराइच रोड पर कोई ट्रक दुर्घटना अभी हाल में हुई है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, ट्रक दुर्घटना १२ सितम्बर, १९६३ को गोंडा—बहराइच रोड पर हुई । ब्यौरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०७ पर)

कम्युनिस्टों की नजरबन्दी

*४४—श्री झारखंडे राय तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने कम्युनिस्ट नजरबन्द किये गये थे ? उनमें कितने अब तक रिहा किये जा चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत प्रदेश में १ दिसम्बर, १९६३ तक कुल ३५ कम्युनिस्ट नजरबन्द किये गये थे और उनमें से अब तक २३ रिहा किये जा चुके हैं ।

*४५—श्री झारखंडे राय तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उनके साथ राजनीतिक व्यक्तियों जैसा उच्च श्रेणी का व्यवहार होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नजरबन्द किये गये व्यक्तियों का वर्गीकरण जिलाधीश U. P, Security Prisoner's Rules, 1950 की धारा ५ के अनुसार करते हैं । साधारणतः उन्हें उच्च श्रेणी दी जाती है यदि वह गुन्डे या अपराधी (Criminal or goonda type) न हों ।

हथियार व कारतूस

*४६—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर), श्री विष्णुप्रताप सिंह (जिला गोंडा), श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर), श्री अखंडप्रतापसिंह तथा श्री शीतलप्रसाद (जिला फैजाबाद), (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जनहित में प्रदेश के सभी बन्दूक व कारतूस विक्रताओं को ऐसा आदेश देने का विचार रखते हैं जिसके अनुसार वे बन्दूक कारतूसों की मूल्य सूची अपनी-अपनी दूकान पर टांगें, ताकि लाइसेंसदारों से जो अधिक मूल्य लेते हैं न ले सकें ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं । हथियारों व कारतूसों की कीमतों को विनियमित करने का शासन का कोई विचार नहीं है ।

*४७—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री विक्रम शाह, श्री विष्णु प्रताप सिंह, श्री केशव सिंह, श्री अखण्ड प्रताप सिंह तथा श्री शीतलप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री विधायकों को इन्डियन आर्डिनेंस फैक्टरी (आई० ओ० एफ०) द्वारा निर्मित बन्दूक व रायफल व उनके कारतूस कन्ट्रोल प्राइस पर दिलवाने का विशेष प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं। सरकार हथियार व उनके कारतूस दिलाने का कोई प्रबन्ध नहीं करती है। इसके लिये सदस्यगण स्वयं इन्डियन आर्डिनेन्स फैक्टरी को लिख सकते हैं।

*४८—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री विक्रम शाह, श्री विष्णु प्रताप सिंह, श्री केशव सिंह, श्री अखन्ड प्रतापसिंह, तथा श्री शीतलप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री उन विधायकों को जो प्राहिबिटेड बोर के रिवाल्वर या पिस्तल अपनी सुरक्षा हेतु रखना चाहें, यह अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं। भारत सरकार के आदेशानुसार जनता को (जिनमें विधायक भी शामिल हैं) प्रोहिबिटेड बोर के हथियार का लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता।

बस्ती जिले में उद्योग ऋण

*४९—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या उद्योग मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि गत दो वर्षों से बस्ती जिले में कितने लोगों ने उद्योग विभाग से उद्योग चलाने के लिये ऋण लिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९६१–६२ में ५९ इकाइयों ने तथा १९६२–६३ में ९८ इकाइयों ने ऋण लिया है।

*५०—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार यह भी कृपा करके बतायेगी कि उक्त कितने लोगों ने नियमानुसार काम किया और कितने लोगों ने बस्ती जिले में इसका उल्लंघन किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९६१–६२ में जिन ५९ इकाइयों को ऋण दिया उनमें से ३६ इकाइयों ने नियमानुसार कार्य किया। २० इकाइयों ने नियमानुसार कार्य नहीं किया और ३ इकाइयों के उपयोग की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

१९६२–६३ में वितरित ऋण के बारे में उपयोग की एक वर्ष की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

*५१—श्री श्यामलाल—

जितने लोगों ने उल्लंघन किया, उनसे ऋण का रुपया वसूल करने के लिये सरकार ने कौन-सा कदम उठाया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसे व्यक्तियों से या तो रुपया वापस करा लिया गया है या उनसे रुपया वापस लेने के लिये उचित आदेश दिये जा चुके हैं।

सीतापुर जिले में मंत्रियों का दौरा

*५२—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जून सन् १९६३ से १९ सितम्बर, १९६३ तक कौन-कौन प्रदेश के मंत्री जिला सीतापुर गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उल्लिखित अवधि में भूतपूर्व सूचना मंत्री तथा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने सीतापुर जिले का दौरा किया ।

*५३—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मंत्रीगण जब जिले में जाते हैं, तो उनके जाने की सूचना व प्रोग्राम सदस्य विधान सभा को न देने के आदेश सरकार ने किस तारीख से दे दिये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिये हैं ।

*५४—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि जिस समय प्रान्त के अधिकारी जिले में जायें तो वहां के विधान सभा के सदस्यों को न सूचित किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी, लखनऊ

*५५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के अपराध अनुसंधान के वैज्ञानिक विभाग और रसायनिक परीक्षक, आगरा के कार्यकलापों का समन्वय करने के लिये लखनऊ में कोई भवन १९५८ में बन कर तैयार हुआ था ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना धन व्यय किया गया तथा क्या उस भवन का उपयोग जिस कार्य के लिये वह बना था उसी कार्य के लिये हो रहा है अथवा किसी दूसरे कार्य के लिये ? यदि दूसरे कार्य के लिये हो रहा है तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, एक भवन १९५८ में बना था । उस पर कुल ४,०४,९४३ रुपया ५२ नये पैसे व्यय हुआ था । किन्तु १९५८ में उस भवन में बिजली और पानी का उचित प्रबन्ध नहीं हुआ था । आवश्यक सहायक भवन (auxiliary buildings) भी तैयार नहीं हुये थे । इसलिये उसमें प्रयोगशालाएं स्थानान्तरित नहीं हो सकती थीं । १९६० में भीषण बाढ़ आने के कारण लखनऊ में पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग को कार्यालय भवन खाली करना पड़ा और स्थान न होने के कारण उसको इस Forensic Science Laboratory के भवन में रखना पड़ा । अपराध अनुसंधान विभाग के लिये किराये पर और भवन की खोज हो रही है । जैसे ही और भवन मिल जायेगा Forensic Science Laboratory का भवन खाली कर दिया जायेगा ।

*५६—श्री लखपतराम शर्मा—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

टांडा हैण्डलूम यूनिट्स पावर लूम

* ५७—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा, जिला फैजाबाद में Checking and sealing drive के कारण लगभग पन्द्रह हजार हैंडलूम यूनिट्स के बन्द हो जाने की सम्भावना है जिससे लगभग पन्द्रह हजार लोग बेकार हो जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

* ५८—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य में कुल कितने पावरलूम चलाने के लिये सरकार ने कुल कितना रुपया कर्ज या अनुदान के रूप में दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस वित्तीय वर्ष में कोई कर्ज व अनुदान पावरलूम के चलाने के लिये नहीं दिया गया । केवल एक सोसाइटी को जिसे १९६२–६३ में १५ हजार रुपया मंजूर हुआ था, वह इस वर्ष में दिया गया ।

*५९—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में अभी कुल कितने पावरलूम चलाने की योजना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शून्य ।

आगरा के शक्ति सुशील मन्दिर पर पुलिस द्वारा छापा

*६०—श्री बनवारी लाल विप्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा स्थित कलकेश्वर कालोनी का शक्ति सुशील मन्दिर एक तस्कर व्यापार व औरतें बेचने का प्रमुख केन्द्र है ? यदि यह सही है तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर चुकी है और क्या करना चाहती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस मंदिर के विरुद्ध कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है ।

* ६१—श्री बनवारी लाल विप्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मन्दिर के ट्रस्टियों में कौन-कौन हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मंदिर के ट्रस्टियों के नाम निम्नलिखित हैं :

१—श्रीमती सुशीला देवी,
२—भगत राधाकिशन,
३—पं० ज्योतीप्रसाद उपाध्याय, ऐडवोकेट, आगरा,

४—श्री बी० एल० कपूर, मैनेजर, महालक्ष्मी सिनेमा, आगरा,
५—श्री राजेन्द्र कुमार जैन, मालिक बर्तन फैक्ट्री, आगरा,
६—श्री एस० पी० जैन, संबंधी श्री राजेन्द्र कुमार जैन,
७—श्री बाल कृष्ण बालोजी अग्रवाल, एम० एल० ए० (त्याग पत्र दे दिया है)।

*६२—श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मन्दिर से आगरा के शहर कोतवाल श्री आर० सी० भल्ला ने अपने अन्य साथियों के साथ छापा मारकर दो युवतियों, दो युवकों एवं एक वृद्ध महिला को घटनास्थल (व्यभिचार केन्द्र) से गिरफ्तार किया था ? यदि यह सही है, तो सरकार ने उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक ३१ जुलाई, १९६३ को श्री आत्म प्रकाश पंजाबी, काला महल, थाना छत्ता ने अपनी पुत्री कुमारी इन्द्र मोहिनी के भगाये जाने के विषय में थाना छत्ता पर एक रिपोर्ट मंदिर की संचालिका श्रीमती सुशीला देवी, उसके भाई इन्द्रजीत, पिता दीन दयाल तथा पुरुषोत्तम कुमार के विरुद्ध दर्ज करायी थी जिसके आधार पर मुकदमा नं० १९८ धारा ३६३–३६६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम हुआ और पुलिस ने मन्दिर पर छापा मार कर कुमारी इन्द्र मोहिनी को बरामद किया और सुशीला देवी, इंद्रजीत, दीन दयाल तथा पुरुषोत्तम कुमार को गिरफ्तार किया, जो जमानत पर छूटे हैं। अपराध की विवेचना हो रही है।

वाराणसी पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*६३—श्री ऊदल—

क्या सरकार का ध्यान वाराणसी शहर में तथा उसके आसपास बढ़ते हुये जुल्म, गुन्डागर्दी, चोरियों, हत्याओं तथा लूट-पाट के सम्बन्ध में वाराणसी शहर की पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में १९ सितम्बर, १९६३ को वाराणसी के सभी व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधियों ने आम सभा में प्रस्ताव पास किया है तथा शहर कांग्रेस कमेटी वाराणसी ने भी १९ सितम्बर, १९६३ को प्रस्ताव पास किया जो "आज" अखबार में १९ सितम्बर, तथा २० सितम्बर, १९६३ को प्रकाशित हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा जुल्मों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित प्रस्तावों से संबंधित समाचार "आज" अखबार में प्रकाशित हुए थे। जांच के फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि कुछ साधारण चोरी, मारपीट आदि की घटनाएं अवश्य हुई थीं, किन्तु गम्भीर स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। प्रकाशित समाचारों के कारण जो असंतोष जनता में फैल गया था उसे दूर करने के लिए पुलिस ने नगर में सुरक्षा के लिए और अधिक प्रबन्ध किया।

*६४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[५वें शुक्रवार क लिए प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

भारी उद्योगों की स्थिति

*६५—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद) तथा श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्द शहर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा सन् १९५५ से सन् १९६३ तक निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में स्थापित जिन भारी उद्योगों (हैवी इंडस्ट्रीज) को ऋण दिये गये थे उन ऋणों की वसूली की स्थिति क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न है ।

[देखिये नत्थी ङ (१) का उत्तर आगे पृष्ठ ९०८—९११ पर]

*६६—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा तथा श्री जगवीर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित उद्योगों में किस-किस सरकारी अफसर को डाइरेक्टर नियुक्त किया गया है ? यदि किया गया है, तो क्या सरकार उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित उद्योगों की आर्थिक स्थिति का क्या हाल है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

संलग्न सूचना के क्रम संख्या (३), (४) तथा (५) के सामने उल्लिखित ऋणी कम्पनियों के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में सर्वश्री बी० एम० भिडे, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग तथा श्री श्रीपति, उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत डाइरेक्टर्स हैं जो राज्य सरकार के हितों को देखते हैं । अन्य किसी ऋणी कम्पनी के लिए किसी सरकारी अफसर को डाइरेक्टर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

संलग्न सूचना के स्तम्भ में प्रत्येक संबंधित उद्योग की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में एक नोट दिया गया है जिसके देखने से विदित होगा कि आर्थिक दृष्टि से इन सभी उद्योगों की हालत संतोषजनक है ।

वाराणसी जिले में गांव सभापति दांदूपुर सम्बन्धित फाइल

६७—श्री उदल तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के सी० ओ० पुलिस, श्री राजमोहन ने एक डी० ओ० नं० जी० आर० ४३१, जुलाई ९/१२, सन् १९६३ को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (ई), वाराणसी को एक फाइल जो परगना हाकिम उत्तरी वाराणसी के यहां गांव सभा दांदूपुर, ब्लाक बड़ागांव, के सभापति के खिलाफ जांच में थी, उसे मांगा ?

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एडिशनल मजिस्ट्रेट (ई) ने परगना हाकिम उत्तरी के डी० ओ० नं० १६८/एस० डी० ओ० (एन०) के साथ ओरिजिनल फाइल दफा ४२०/४०९, आई० पी० सी० में मुकदमा दर्ज करने के लिए सी० ओ० के पास १ अगस्त, १९६३ को भेज दिया और सी० ओ० ने बड़ा गांव पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और २ अगस्त, १९६३ को रिपोर्ट लिख कर सभापति को गिरफ्तार बड़ा गांव की पुलिस ने किया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी कि ऐसी कार्यवाही क्यों की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर में फर्टीलाइजर फैक्टरी के लिये अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*६९—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लगभग ३ मास पूर्व गोरखपुर में किसान सत्याग्रहियों और सरकार के प्रतिनिधि, श्री राम सहाय, सचिव, वन विभाग के बीच जो समझौता हुआ था कि किसानों को ३,२०० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा, जिनकी

भूमि प्रस्तावित खाद के कारखाने के लिए ली जायगी, तो क्या वह धन किसानों को दे दिया गया है अथवा नहीं ? यदि बिना मुआवजा दिये ही सरकार जमीन प्राप्त कर रही है, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना के लिए ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में किसान सत्याग्रहियों और वन विभाग के सचिव श्री राम सहाय के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था ? हां, २७ जून, १९६३ को जन प्रतिनिधियों की सभा में वन सचिव ने इतना अवश्य कहा था कि विस्थापितों को उनकी भूमि के बदले में वर्तमान बाजार भाव पर उचित मुआवजा दिया जायेगा। भूमि अधिग्रहण कार्यवाही एक अर्धयांत्रिक कार्य है और इस समय मुआवजे की दर निर्धारण का कार्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के वैधानिक प्राविधान के अनुसार चल रहा है। जैसे ही मुआवजे का अभिनिर्णय (अवार्ड) घोषित हो जायेगा, मुआवजे का भुगतान कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

यह शंका निर्मूल है कि सरकार द्वारा किसी की सम्पत्ति ले ली जाये और उसका मुआवजा न दिया जाय ।

पिसावां थाने में सुरेश प्रकाश की मृत्यु की जांच

*७०--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६ फरवरी, सन् १९६३ ई० को ६ वर्षीय सुरेश प्रकाश, आत्मज मूल चन्द्र तिवारी, वजीरनगर, थाना पिसावां, जिला सीतापुर की, निर्मम हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

अभी तक की जांच के अनुसार श्री सुरेश प्रकाश की मृत्यु हत्या के कारण नहीं हुई । उसके गायब हो जाने के दूसरे दिन एक रिपोर्ट श्री मूल चन्द ने दिनांक २७-२-६३ को थाना पिसावां पर दर्ज करायी थी । सर्किल आफीसर तत्काल ग्राम वजीरनगर गए । उनके पहुंचने के पूर्व ही ग्रामवासियों ने लड़के का शव एक समीप के तालाब से बरामद कर लिया था। पंचायतनामे के समय शव पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए।

मामले की जांच किये जाने तथा शव के डाक्टरी परीक्षण से मृत्यु का कारण पानी में डूबना पाया गया ।

*७१--श्री मन्नालाल--

क्या यह भी सत्य है कि उक्त बालक के कत्ल में किसी विशेष व्यक्ति का हाथ था ? यदि हां, तो उसका नाम क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा जिले के शस्त्रागार में स्टिक गन

*७२--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिल गोंडा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में स्टिक गन के लाइसेंस देने की कोई मुमानियत सरकार द्वारा की गयी है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--

जी हां। केवल गोंडा जिले में ही नहीं, वरन् समस्त प्रदेश में इसकी मुमानियत है।

*७३—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय गोंडा जिले में कितने स्टिक गन के लाइसेंसी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस समय गोंडा जिले में कोई भी लाइसेंस स्टिक गन का नहीं है ।

*७४—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के शस्त्रागार में कितनी स्टिक गन हैं और उनमें से कितने ऐसे गन हैं जो उनके उत्तराधिकारियों को स्टिक गन का लाइसेंस होने के बावजूद भी वापस नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हर गोविन्द सिंह—

इस समय गोंडा जिले के शास्त्रागार में चार स्टिक गन हैं जिनमें से तीन ऐसे हैं जो जब्त हो चुके हैं । केवल एक वाकिंग स्टिक गन ऐसा है जो श्री नानक बख्श सिंह मृतक का है परन्तु ऐसा नहीं है कि उनके उत्तराधिकारियों के पास स्टिक गन का लाइसेंस होने के उपरान्त भी वापस न दिया गया हो ।

अध्यक्ष, टाउन एरिया बहादुरगंज

*७५—श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद के अन्तर्गत पुलिस चौकी बहादुरगंज में तारीख ३ अगस्त, १९६३ ई० को टाउन एरिया, अध्यक्ष, पुलिस हेड मुहर्रिर द्वारा चौकी में बुलाये गये और पुलिस चौकी में कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस की साजिश से टाउन एरिया अध्यक्ष को बुरी तरह पीटा गया ? यदि हां, तो पुलिस चौकी के हेड मुहर्रिर के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं अध्यक्ष, टाउन एरिया बहादुरगंज को न तो हेड मुहर्रिर, चौकी बहादुर गंज ने चौकी पर बुलाया और न अध्यक्ष से मारपीट के संबंध में उसका कोई हाथ था । अतः इस संबंध में हेड मुहर्रिर के विरुद्ध किसी कार्यवाही का सवाल नहीं उठता ।

वाराणसी के व्यापारी मण्डल के सदस्यों की आई० जी० पी० से मुलाकात

*७६—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी का व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का कोई शिष्टमण्डल आई० जी० पुलिस से सितम्बर, सन् १९६३ की २५ तारीख को मिला ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगों के संबंध में सरकार बताने की कृपा करेगी तथा यह भी बतायेगी कि सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

वाराणसी के व्यापारी मंडल के सदस्य दिनांक २६ सितम्बर, १९६३ को आई० जी० पुलिस से मिले थे । व्यापारी मंडल ने वाराणसी में बढ़ती हुई गुन्डागर्दी को रोकने तथा व्यापारी एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु समुचित कार्यवाही करने पर जोर दिया । आई० जी० पी० द्वारा तुरन्त ही नगर में गुन्डागर्दी को रोकने तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन रात गश्त के आदेश दे दिए गए हैं जिसमें गजटेड अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से सक्रिय भाग लेने का

आदेश है। नगर पुलिस में वृद्धि के लिए पी० ए० सी० की एक कम्पनी भी निशस्त्र चौकसी तथा गश्त हेतु नियुक्त की गई है। नगर के कुख्यात बदमाश व गुन्डों के विरुद्ध अहस्तक्षेपीय रिपोर्टों पर मैजिस्ट्रेट से आदेश लेकर जांच करने तथा तुरन्त उचित कार्यवाही करने के लिए पुलिस को आदेश दे दिये गये है। यह भी आदेश दिये गये है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी किसी भी रूप में गुन्डों व बदमाशों का साथ न करें और यदि ऐसा कोई उदाहरण सामने आये तो उनके विरुद्ध तुरन्त कड़ी कार्यवाही की जायगी।

*७७—श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

खली के लिये सालवेंट प्लांट लगाने की योजना

*७८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि सालवेन्ट प्लान्ट से निकली खली में एक्सपेलर से निकली खली की अपेक्षा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में सालवेन्ट प्लान्ट लगाने की जो योजना बनी थी वह अब कार्यान्वित हो रही है या नहीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। वह योजना कार्यान्वित की जा रही है। हैवी इन्डस्ट्रीज प्लान कमेटी ने राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १५,००० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले तीन प्लान्ट लगाने की सिफारिश की थी। फलस्वरूप २ छोटे प्लान्ट आगरा तथा मैनपुरी में स्थापित हो चुके हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग २२,५०० टन प्रति वर्ष है। ३ छोटे प्लान्ट शाहजहांपुर, सीतापुर तथा अतर्रा (जिला बांदा) में स्थापित किये जा रहे है जिनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग १८,००० टन प्रतिवर्ष होगी।

अपराध अनुसंधान विभाग, लखनऊ में कुत्तों को ट्रेनिंग

*७९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार २६ सितम्बर, १९६३ ई० की नत्थी (घ), तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि अपराधों का पता लगाने वाले कुत्तों को कहां और कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग कौन देता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

पुलिस विभाग में कुत्ता दल के ४ माह की आयु के कुत्तों को ११ माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण अपराध अनुसंधान विभाग के मुख्यालय, लखनऊ में दिया जाता है। तदुपरान्त उनको पुलिस कार्य में प्रयोग में लाया जाता है और साथ ही साथ जिस जिले में वे तैनात होते है वहां Advanced ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो कि उनकी दो वर्ष की आयु तक चलती रहती है। जो कुत्ते प्रारम्भिक प्रशिक्षण में पिछड़े पायेजाते हैं उनका प्रशिक्षणकाल आवश्यकतानुसार बढ़ा दिया जाता है।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण, अपराध अनुसन्धान विभाग के एक पुलिस उप-अधीक्षक की देखरेख में एक इस्पेक्टर की सहायता से दिया जाता है और Advanced ट्रेनिंग जिले में सब-इन्स्पेक्टर, हैन्डलर के द्वारा, मुख्यालय से जारी किये गये प्रोग्राम के अनुसार दी जाती है।

*८०—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतायेगी कि इन कुत्तों ने सन् १९६२ ई० में और सितम्बर, सन् १९६३ ई० तक कितने फीसदी अपराधों का पता लगाया है? क्या सरकार द्वारा इन कुत्तों को उन जिलों में भी भेजने की व्यवस्था की जावेगी जिन जिलों में अपराधों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है?

श्री हरगोविन्द सिंह---

सन् १९६२ ई० में तथा सन् १९६३ ई० में सितम्बर तक इन कुत्तों ने क्रमशः ३५·६६ प्रतिशत तथा १०·४८ प्रतिशत केसों में लाभप्रद संकेत दिये।

जैसा कि सदन में दिनांक २६ सितम्बर, १९६३ को दिये गये उत्तर में बताया जा चुका है, आवश्यकतानुसार इन कुत्तों का पंच-महानगरों के समीपवर्तीय जिलों में भी प्रयोग में लाया जाता है।

पयागपुर थाने में बजरंगी ब्राह्मण के घर डकैती

*८१---श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बजरंगी ब्राह्मण, मौजा बसंटेपरा (सेमरा), थाना पयागपुर, जिला बहराइच के यहां दिनांक २६ अगस्त, १९६३ ई० को डकैती पड़ी थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्द सिंह---

दिनांक २६-८-६३ को बजरंगी ब्राह्मण, मौजा बसंटेपरा (सेमरा), थाना पयागपुर, जिला बहराइच ने, उसके यहां डकैती पड़ने की एक रिपोर्ट थाने पर लिखवाई थी। इस सम्बन्ध में विवेचना जारी है।

*८२---श्री मंगलप्रसाद आर्य---

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त डकैती में कौन-कौन व्यक्ति शामिल थे?

श्री हरगोविन्द सिंह---

श्री बजरंगी के अनुसार (१) मुन्नासिंह पुत्र सतीसिंह, (२) लरिकासिंह पुत्र जामिल सिंह, (३) त्रिभुवनसिंह, (४) गजाधर, (५) विन्ध्या पुत्र समैदीन (६) आकवाल बहादुर सिंह आदि उक्त मामले में शामिल थे।

*८३---श्री मंगलप्रसाद आर्य---

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त डकैती में थाना कौड़िया, जिला गोंडा के किसी कांस्टेबिल की साजिश थी और उसी की साजिश से डकैती हुई? यदि हां, तो उस कांस्टेबिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनः उक्त डकैती की इन्क्वायरी सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह---

श्री बजरंगी की रिपोर्ट के अनुसार एक कांस्टेबिल भी अभियोग में शामिल था, जिसका नाम नहीं लिखाया गया। मामले की विवेचना के पश्चात् ही इस कांस्टेबुल के विरुद्ध कार्यवाही पर, यदि आवश्यक हुआ, तो विचार किया जा सकेगा।

सभा---सचिवों का दौरा

*८४---श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले दो महीनों में (जुलाई, अगस्त) प्रत्येक सभा-सचिव ने किन-किन जिलों का दौरा किया, किन-किन तारीखों को और किस-किस कार्य के सम्बन्ध में?

*८५—क्या सरकार इन दौरों पर खर्च किये गये धन का ब्योरा भी सदन के समक्ष रखनी की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। सम्बन्धित सभी यात्रायें जनहित में की गईं थीं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९१२-९१५ पर)

पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की पदोन्नति

*८६—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६२ से सितम्बर, सन् १९६३ तक कितने सब-इंस्पेक्टरों की पदोन्नति की गई और किस आधार पर ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जनवरी, सन् १९६२ से सितम्बर, सन् १९६३ तक कुल १४८ सब-इंस्पेक्टरों की पदोन्नति की गई जिनमें ५५ नागरिक पुलिस के तथा ९३ सशस्त्र पुलिस के सब-इंस्पेक्टर सम्मिलित हैं। नागरिक पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों की पदोन्नति सरकार द्वारा बनाये गये एक चुनाव बोर्ड की सिफारिश पर की गई, सशस्त्र पुलिस के ४६ रिजर्व सब-इंस्पेक्टरों/सशस्त्र पुलिस के सब-इंस्पेक्टरों को पुलिस रेगूलेशन्स के परिच्छेद ४३५ के अनुसार पदोन्नति दी गई तथा शेष ४७ को पुलिस महा-निरीक्षक द्वारा नियुक्त एक चुनाव बोर्ड द्वारा चुने जाने पर अस्थायी रूप से पदोन्नति दी गई है।

*८७—श्री पूरनलाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो पदोन्नति सब-इंस्पेक्टरों को दी गई, उसमें कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हरगोविंदसिंह—

पदोन्नति प्राप्त उपरोक्त सब-इंस्पेक्टरों में से ८ पिछड़ी जाति के हैं तथा हरिजन कोई नहीं हैं।

आजमगढ़ जिले में ब्लाक प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्य की हत्या

*८८—श्री सुरजनराम विशारद, जिला (आजमगढ़) श्री चन्द्रजीत यादव, श्री झारखंडे राय तथा श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला में एक महीने के अन्दर ही एक ब्लाक प्रमुख तथा एक जिला परिषद् के सदस्य की हत्या कर दी गई है ? यदि हां, तो उन दोनों निर्मम हत्याओं का विवरण तथा उसमें अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविंद सिंह—

जी हां। माह सितम्बर, १९६३ में ये दो हत्यायें हुईं। हत्याओं तथा अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९१६ पर)

*८९—श्री सुरजनाथ चिशारद, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री झारखंडे राय तथा श्री ठांगुर—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त घटनाओं के कारण व्याप्त चिन्ता के सम्बन्ध में आजमगढ़ जिला के कुछ लोगों ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है तथा उनसे मिल कर जिला की शांति व्यवस्था में सुधार हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस सम्बन्ध में जिला आजमगढ़ के कुछ लोग मुख्य मंत्री जी से मिले थे तथा प्रश्न में वर्णित आशय के पत्र भी शासन को प्राप्त हुये थे। जिले में अपराध स्थिति को न बिगड़ने देने के लिये तथा अपराधियों को समुचित दंड दिलाने के लिए कड़ी कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

दिल्ली में कम्युनिस्ट प्रदर्शन संबंधी चल-चित्र

*९०—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन सिनेमाघरों में गत १० सितम्बर, १९६३ के दिल्ली के कम्युनिस्ट प्रदर्शन के चल-चित्र दिखाये जाने की सूचना खुफिया विभाग तथा डी० आई० एस० ने सरकार को दी है ——— ——— ——— निर्माता कौन है ?

*९१—उत्तर प्रदेश के सिनेमाघरों में उक्त चल-चित्र कब से कब तक दिखाये गये और उसे बन्द करने का आदेश क्यों दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी सूचना एकत्रित की जा रही है।

शुगर फैक्टरी रिजर्व एरिया व शुगर प्लांट के लिये बदायूं जिले में तकावी

*९२—श्री सूरजपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शुगर फैक्टरी का रिजर्व एरिया फैक्टरी से कितनी दूरी तक माना जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शुगर फैक्टरी का रिजर्व एरिया फैक्टरी से कितनी दूरी तक होगा इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्योंकि चीनी मिलों के लिये जो केन्द्र सुरक्षित किये जाते हैं उन केन्द्रों के इर्द गिर्द के ग्राम उन सम्बन्धित केन्द्रों से गन्ना पूर्ति के लिये सम्बद्ध कर दिये जाते हैं और इस प्रकार वे समस्त ग्राम जिनकी दूरी कम या अधिक हो सकती है, चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं।

*९३—श्री सूरजपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शुगर प्लान्ट के लिए जिला बदायूं में किस-किस को सन् १९५२ ई० से अब तक कितना रुपया तकावी के रूप में और कितना रुपया इमदाद के रूप में दिया जा चुका है और उक्त रुपया में से किस-किस से कितना वसूल हो चुका है, कितना किस-किस पर माफ हो चुका है और कितना किस-किस पर शेष है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना विभाग, जिला मुरादाबाद के कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*९४—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद के जिला सूचना अधिकारी ने कौन-कौन कर्मचारी मुलाजिमत से १९६२–६३ में बरखास्त कराये, उन पर क्या-क्या आरोप लगाये और उनके सम्बन्ध में डी० एम०, मुरादाबाद ने क्या कोई इन्क्वायरी की ? यदि हां, तो उसकी एक नकल सरकार मेज पर रखेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला मुरादाबाद से सन् १९६२–६३ में सूचना विभाग के अस्थायी रेडियो मिस्त्री, श्री एजाज अली खां की सेवायें समाप्त (Terminate) की गई तथा अस्थायी रेडियो निरीक्षक, श्री अली अकबर खां को सेवाओं से पृथक (Remove) किया गया। श्री एजाज अली खां पर कोई आरोप नहीं लगाये गये बल्कि उनकी सेवायें अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से सम्बन्धित सामान्य नियमों (Rules regarding termination of services of temporary Government servants) के अनुसार एक मास का नोटिस देने के बदले एक महीने का वेतन देकर समाप्त (terminate) कर दी गई। श्री अली अकबर खां का सेवाओं से पृथक्करण (Removal) विधिवत् डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (Disciplinary Procedings) के पश्चात् किया गया। उन पर लगाये गये आरोपों की जांच जिलाधीश ने करायी थी। उक्त जांच की प्रति प्रस्तुत करना जनहित में नहीं है। श्री खान पर लगाये गये आरोपों की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ ९१७ पर)

*९५—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त रिक्त जगहों पर जो नियुक्त किये गये हैं, उनके नाम और योग्यता क्या है ?

श्रीमती सूचेता कृपालानी—

श्री एजाज अली खां द्वारा रिक्त किये गये पद पर श्री विद्याभूषण की नियुक्ति की गई। वह हाई स्कूल पास हैं और उनके पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मेरठ का वायरलेस का एक डिप्लोमा भी है।

श्री अली अकबर खां द्वारा रिक्त किये गये पद पर जिला सूचना कार्यालय के रेडियो मिस्त्री, श्री फखरुल हसन फारूकी को पदोन्नति किया गया। श्री फारूकी जनवरी, १९६३ में सम्पन्न विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। वह हाई स्कूल पास हैं और पदोन्नति से पूर्व १ दिसम्बर, १९५६ से जोनल सर्विसिंग स्टेशन, मुरादाबाद में रेडियो मिस्त्री के पद पर कार्य कर रहे थे।

कानपुर में एम० सी० एस० फर्म पर पुलिस द्वारा छापा

*९६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर शहर स्थित एम० सी० एस० फर्म, जिसका गवर्नमेन्ट रजिस्ट्रेशन नं० ११२; और कार्यालय १०५/२१९, चमनगंज, कानपुर में था, पर २३ अगस्त, १९६३ को सीसामऊ, (कानपुर) पुलिस द्वारा छापा मारा गया और उसके प्रोप्राइटर, मि० मुजीब तथा मैनेजर शम्सुल हुदा गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये ? यदि हां, तो इस फर्म का कार्य क्या था तथा छापा व गिरफ्तारियां किन कारणों से हुयीं तथा छापे में क्या आपत्तिजनक वस्तुयें पुलिस के हाथ लगीं ?

श्री हरगोविंद सिंह—

जी हां। यह फर्म जनता को धोखा देकर धन प्राप्त करती थी। ऐसी ही एक लिखित शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक २२–८–६३ को एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा

४२० के अन्तर्गत जाप्रम किया गया और उसी दिन विवेचना के अनन्तर पुलिस ने छापा मारकर फर्म के प्रोप्राइटर, श्री मुजीब एवं मैनेजर श्री शम्शुल हुदा को गिरफ्तार कर लिया और साइकिलें, साइकिल पुर्जे, टाइपराइटर, छपे हुये फार्म, नकद रुपया, फर्नीचर, रजिस्टर, फाइलें आदि सामान जो मुकदमें के सबूत के लिए आवश्यक थे, कब्जे में ले लिया ।

*९७–श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या गृह मंत्री को पता है कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण अंचलों के बहुत सारे नागरिकों का रुपया इस फर्म पर साइकिलें प्राप्त करने का शेष है ? यदि हां, तो सरकार साइकिलें दिलाने या रुपया वापस कराने के लिये क्या प्रयत्न करेगी अथवा कर रही है ?

श्री हरगोविंद सिंह---

जी हां, यह सही है कि साइकिलें प्राप्त करने के निमित्त बहुत से नागरिकों का रुपया इस फर्म पर शेष है । इस सम्बन्ध में फर्म के विरुद्ध कायम हुये मुकदमें की विवेचना समाप्त होने पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायगा ।

ललितपुर में गाय कुचल कर मरने की घटना

*९८–श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ अथवा ६ अक्तूबर, १९६३ को झांसी जिले के ललितपुर नामक स्थान में मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस की एक लारी द्वारा एक गाय को कुचल कर उसकी हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो---

(क) मध्य प्रदेश की पुलिस लारी ललितपुर क्यों तथा किसकी अनुमति से आयी थी ?

(ख) लारी के चालक आदि के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ग) गाय के मालिक को क्या कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविंद सिंह--

ललितपुर कस्बे में ६–१०–६३ को एक गाय एक मोटर कार से टक्कर लग जाने के कारण गिर कर मर गई । ऐसी कोई सूचना नहीं है कि गाय मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस की किसी लारी द्वारा कुचल दी गई--

(क) प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) मोटरकार के चालक का पता न चलने के कारण कोई कार्यवाही न की जा सकी ।

(ग) गाय अपने मालिक की असावधानी के कारण दुर्घटना से मरी । क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

पावर क्रशर्स लाइसेन्स

*९९–श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय उद्योग मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि गत सितम्बर के बाद (१) गन्ना पेरने वाले पावर क्रशर या डीजल इंजन से चलने वाले कोल्हुओं के लाइसेंस अब तक क्यों नहीं दिये जा सके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्ष १९६३–६४ के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार प्रायः सभी ऐसे पावर क्रशर्स को जिनके पास गत वर्ष के लाइसेंस थे उनको वर्ष १९६३–६४ के लाइसेंस नवीकृत करके भेज दिये गए हैं ।

*१००—श्री गेंदासिंह—

कितने आवेदन-पत्र केन कमिश्नर के कार्यालय में अब तक विचाराधीन पड़े हुए हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गन्ना एवं चीनी आयुक्त के कार्यालय में ५–१२–६३ तक प्राप्त कुल पावर क्रशर्स के आवेदन पत्रों में से केवल २७ पावर क्रशर्स के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

*१०१—श्री गेंदासिंह—

कितने आवेदन-पत्र नवीनीकरण के लिये आये हैं और कितने नये लाइसेन्स के लिये, और उन्हें अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

दिनांक ५–१२–६३ तक कुल १,८८३ पावर क्रशर्स के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से १,७३७ नवीकरण के हेतु तथा १४६ नये पावर क्रशर्स के हेतु थे। जिनमें से अब केवल २७ विचाराधीन हैं।

सरकारी कर्मचारियों के विवाह नियम

*१०२—श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार यह विचार कर रही है कि सरकारी कर्मचारियों के शादी से सम्बन्धित नियम बदल दिया जाय जिससे महिला अफसरों को शादी के लिये इजाजत लेने की आवश्यकता न पड़े ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा विनियमक अधिकारों के अन्तर्गत कोई महिला सरकारी कर्मचारी बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किये, केवल उसी हालत में विवाह नहीं कर सकती है जब वह किसी ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहती हो, जिसकी एक पत्नी जीवित हो। अन्यथा वह विवाह करने के लिये स्वतन्त्र है और इसके लिये सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। वर्तमान नियम में परिवर्तन करने के लिये सरकार विचार नहीं कर रही है।

लखनऊ व्यापार मंडल मंत्री, श्री विश्वनाथ खत्री का पुलिस के विरुद्ध वक्तव्य

*१०३—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार का ध्यान, लखनऊ व्यापार मण्डल के मन्त्री के उस वक्तव्य की ओर गया है, जो कि 'स्वतन्त्र भारत' के दिनांक ११ अक्तूबर, १९६३ के अंक में प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने यह शिकायत की है कि छात्रों का जुलूस लखनऊ की बाजारों में निकल रहा था उस समय बाजार आदि की रक्षा के लिये पुलिस का प्रबन्ध बिल्कुल नहीं था, उपद्रव प्रारम्भ होने पर जो पुलिस से सम्बन्ध स्थापित किया गया तब कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फोन पर नहीं मिला ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

यह सही है कि लखनऊ व्यापार मण्डल के मन्त्री, श्री विश्वनाथ खत्री ने ९ अक्तूबर, १९६३ को छात्रों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य समाचार पत्रों में भेजा था। यह वक्तव्य १२ अक्तूबर को 'स्वतन्त्र भारत' में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने वक्तव्य में यह शिकायत की है कि मौके पर पुलिस उपस्थित नहीं थी। प्रकाशित वक्तव्य में यह नहीं कहा गया है कि फोन पर पुलिस के किसी जिम्मेदार अधिकारी से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका। वक्तव्य का यह अंश सही नहीं है कि पुलिस का प्रबन्ध नहीं था या बाजार की रक्षा के लिये समुचित व्यवस्था नहीं थी। पुलिस और मैजिस्ट्रेट मार्ग के उपयुक्त स्थानों पर तैनात कर दिये गये थे और जुलूस के निकलने के बाद तक वह ड्यूटी पर रहे।

*१०४---श्री रामेश्वरीप्रसाद---

यदि हां, तो सरकार ने जांच कराकर क्या कार्यवाही सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह---

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री के आगमन पर अमौसी हवाई अड्डे पर सोशलिस्टों की गिरफ्तारी

*१०५—श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत २९ सितम्बर को प्रधान मन्त्री पं० नेहरू के लखनऊ आगमन के अवसर पर अमौसी हवाई अड्डे पर सोशलिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को, जो पं० नेहरू के विरुद्ध काले झंडे का प्रदर्शन करना चाहते थे और कुछ पर्चे बांट रहे थे, गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह---

२९ सितम्बर को अमौसी हवाई अड्डे पर ९ बजे प्रातःकाल ६ व्यक्ति जो अपने को सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता बताते थे, गिरफ्तार किये गये। चूंकि ये लोग प्रधान मन्त्री के आगमन पर काले झंडे दिखलाना तथा पर्चे बांटना चाहते थे और जिसका कि अन्य उपस्थित लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए शांति बनाये रखने के लिये इन व्यक्तियों का १०७, १५७, १५१ जाब्ता फौजदारी में चालान किया गया है और मुकदमा अदालत के विचाराधीन है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में श्री सत्यदेव की मृत्यु

*१०६—श्री टण्डनेश्वरीप्रसाद---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय चूर्क सीमेन्ट फैक्टरी में काम करते हुये, किसी कर्मचारी की, अक्तूबर, १९६३ में द्वितीय सप्ताह में मशीन में फंस जाने से मृत्यु हो गयी यदि हां। तो सरकार द्वारा उसके परिवार को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

यह सत्य है कि ९ अक्तूबर, १९६३ ई० को दिन में ३ बजकर १५ मिनट पर इस कारखाने के एक श्रमिक, श्री सत्यदेव की काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। उक्त मेन्स कम्पेन्सेशन कमिश्नर, मिर्जापुर (जिलाधीश) के यहां क्षति पूर्ति के लिये २,४०० रुपये (चौबीस सौ रुपये) उक्त मेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट के आधार पर जमा किया जा रहा है।

*१०७—श्री जगन्नाथ राव—

[१३ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

रामगंगा के घड़ियाल से कथित क्षति

*१०८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को यह पता है कि जिला बरेली की फरीदपुर तहसील के कादरगंज नगरिया कलां तथा सैदपुर ग्रामों के पास रामगंगा नदी में एक घड़ियाल ३ मवेशी तथा २ आदमी मार चुका है ? यदि हां, तो उसको Man eater या Cattle lifter क्यों घोषित नहीं किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई अतः घड़ियाल को Man eater या Cattle lifter घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बढ़ती महंगाई

*१०९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में जरूरीयात जिन्दगी 'Cost of living' के सामान का भाव १ अक्तूबर, १९६२ के मुकाबले में कितना बढ़ा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

साधारण जनता के उपयोग में आने वाली चीजों के भावों में अक्तूबर, १९६२ से अक्तूबर, १९६३ तक लगभग १·५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । १९४८ को आधार मानकर बनाया गया सूचनांक (Index) अक्तूबर, १९६२ में ११०·१ था और अक्तूबर, १९६३ में बढ़कर १११·८ हो गया ।

*११०—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार को मालूम है कि छोटी तनख्वाहें पाने वाले कर्मचारियों और दरम्यानी आमदनी के लोगों का गुजर इस महंगाई के समय में मुश्किल से हो रही है ? अगर ऐसा है, तो क्या सरकार ने इसका कोई उपाय किया या करने का विचार रखती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अपने साधनों को देखते हुए सरकार ने समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में आवश्यकतानुसार वृद्धि की है ।

*१११—११२—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[४ थे बुधवार के लिये प्रश्न ९६—९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गोसाईंगंज थाने में फौजदारी

*११३—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ थाना गोसाईंगंज के अन्तर्गत ग्राम सरई में दिनांक ३० मार्च, सन १९६३ को कुछ व्यक्तियों में संगीन फौजदारी की घटना हुई, जिसमें बन्दूकें इस्तेमाल की गयीं ? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

[illegible] हुई । दिनांक ३०-३-६३ को कुछ व्यक्तियों के बीच फौजदारी हुई जिसमें बन्दूकें प्रयोग की गईं । इस संबंध में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट अंकित करायी जिसके आधार पर दो अभियोग धारा १४७/१४८/३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किए गए थे । परन्तु विवेचना करने पर समुचित साक्ष्य न मिलने के कारण, ये मामले चालान नहीं किए जा सके । दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा १०७/११७, जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई और मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

*११४---श्री मुहम्मद रफी खां---

[हटा दिया गया ।]

आई० जी० पी० के असिस्टेंट की क्वालीफिकेशन्स

*११५---श्री हसीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि मौजूदा असिस्टेन्ट टू दी आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश जो फौज से लिये गये हैं, उनका क्या सर्विस स्टेटस है, और इसके लिये कम से कम कितनी काबिलियत की आवश्यकता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मौजूदा असिस्टेन्ट टू आई० जी० पी०, सीनियर आई० पी० एस० टाइम स्केल में स्थायी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हैं और इस पर इसी श्रेणी के ही लोगों में से नियुक्ति की जाती है ।

*११६---श्री हसीमुद्दीन---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि देहली और लखनऊ के आफिशियल रिकार्ड्स में इन असिस्टेन्ट टू दी आई० जी० पुलिस की क्या काबिलियत लिखी है और कब से लिखी है और उन्होंने यह डिग्रियां कौन-कौन से कालिज या यूनिवर्सिटी से और किस-किस साल में हासिल की हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

देहली आफिशियल रिकार्ड्स में जो काबिलियत इन असिस्टेन्ट टू आई० जी० पी० की लिखी है, उसका विवरण सरकार के पास नहीं है ।

*११७---श्री हसीमुद्दीन---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या इन असिस्टेन्ट टू दी आई० जी० पुलिस को इस केडर पोस्ट के लिये नामजद किया गया है ? यदि हां, तो किसने, किस आधार पर और कब नामजद किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

लखनऊ के आफिशियल रिकार्ड्स में सन् १९५३ में इनके नाम के आगे बी० ए० एल-एल० बी० की डिग्रियां दर्ज हुई थी, जो अब गलत साबित होने पर काट दी गई हैं।

भाई, सन् १९६१ में आई० जी०पी० महोदय ने मौजूदा असिस्टेन्ट टू आई० जी० पी० की पोस्टिंग का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा, जिस पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने स्वीकृति दी और ४ जून, १९६१ से उनको इस केडर पोस्ट पर नियुक्त किया ।

*११८-११९---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर छठवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २०-२१ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

एटा जिले में लड़कों का अपहरण

*१२०—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में १ जनवरी, सन् १९६३ से १० अक्तूबर, १९६३ तक कितने लड़कों का बदमाशों द्वारा अपहरण हुआ और उनमें से कितने लड़कों को वापस किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिला एटा में १ जनवरी, सन् १९६३ से १० अक्तूबर, १९६३ तक बादमाशों द्वारा १६ लड़कों का अपहरण हुआ, उनमें से १५ लड़के वापिस आ गए।

श्री वी० पी० रस्तोगी, थानेदार, बिसंडा का रिवाल्वर छीना जाना

*१२१—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि तारीख १३ अक्तूबर, १९६३ को १२ बजे दिन में ग्राम कुरारी, थाना बिसंडा, जिला बांदा में श्री वी० पी० रस्तोगी, थानेदार, बिसंडा को तथा तीन सिपाहियों को गुन्डों ने काफी मारा है तथा उनके हथियार रिवाल्वर तथा बन्दूक भी ले गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

बिसंडा थाने पर १३-१०-६३ को शाम को थानेदार, श्री वी० पी० रस्तोगी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न में निर्दिष्ट मारपीट की घटना उसी दिन लगभग २ बजे दिन में हुई, जिसमें उनका रिवाल्वर तथा कुछ कारतूस भी छीन लिए गए।

*१२२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उपरोक्त घटनाओं को रोकने के लिये सरकार कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस प्रकार की घटनाएं आकस्मिक होती है अतः उन्हें रोकने के लिए व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता। वैसे इस प्रकार की घटनाओं के होने पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

सहारनपुर जिले में अधिकारी व जुडीशियल अफसर के विरुद्ध शिकायतें

*१२३—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले में इस समय कितने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तथा पी० सी० एस० या आई० ए० एस० अफसरान काम कर रहे हैं तथा कितने वहां पर तीन साल से अधिक समय से हैं और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

५ आई० ए० एस०, १० डिप्टी कलेक्टर तथा ५ जुडिशियल आफिसर हैं। इनमें से केवल १ डिप्टी कलेक्टर को तीन साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन वह अपने वर्तमान पद पर दिनांक २८-१०-६२ से कार्य कर रहे हैं।

*१२४– श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार के पास District Magistrate, सहारनपुर ने पिछले एक साल में या वहां की जनता ने पिछले डेढ़ साल में किसी Judicial Magistrate के विरुद्ध कोई शिकायत की है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाई की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

पिछले एक साल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से किसी जुडिशियल आफिसर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

जनता से पिछले डेढ़ साल में (अर्थात् १ मई, १९६२ से आगे) एक जुडिशियल आफिसर के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई ।

(१) किसी गुमनाम वकील ने ४ मई, १९६३ को एक शिकायत भेजी । इसमें किसी साम्यवादी विचार के वकील को गैर कानूनी तरीके पर मदद करने का इलजाम था । गुमनाम होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । शिकायत करने वाले ने एक नकल कमिश्नर को भी भेजी थी ।

(२) २ जुलाई, १९६२ को मास्टर हाजी नजीर अहमद ने एक शिकायत भेजी ।

इसमें उनके गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किये जाने का आरोप था । इस शिकायत को उचित कार्यवाही के लिये कमिश्नर, मेरठ डिवीजन के पास भेज दिया गया ।

छोटेलाल की मृत्यु के संबंध में महोबा से श्रीमती मुल्लाबाई का प्रार्थना-पत्र

*१२५–श्री मदनपाल सिंह (जिला हमीरपुर)---

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि एक प्रार्थना-पत्र हाल में श्रीमती मुल्लाबाई, बेवा छोटेलाल खरे, मुहल्ला बजरिया कस्बा महोबा, जिला हमीरपुर का उनकी सेवा में आया है जिसमें श्री छोटेलाल की मृत्यु पर सन्देह है तथा मृत्यु होने के कारणों पर जनता में तरह-तरह की शंकायें की जा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की और श्री छोटेलाल खरे की मृत्यु जो रेलगाड़ी से कट जाने के कारण हुई, उसका क्या रहस्य है, इसका पता लगाया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

जी हां ऐसा एक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि बस्ती में खुसखुसाहट है कि पुलिस ने मेरे पति को ऐसा मारा कि वह मर गया और फिर उसे रेल की पटरी पर डाल दिया जिससे मामला आत्म-हत्या का बन जाय ।

इस सम्बंध में पूर्ण रूप से की गई जांच से पता चला कि मृतक के मकान से लगे हुए एक मकान में चोरी की घटना हुई । पुलिस ने चोरी का पता लगाने के लिये नहर विभाग के, जिसमें मृतक बरकन्दाज था, अधिकारियों से अनुमति लेकर उससे नियमानुकूल पूछताछ की थी । जांच से यह भी निष्कर्ष निकला कि श्री छोटेलाल ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्म-हत्या की ।

मुजफ्फरनगर मालखाने से शस्त्रों की बिक्री

*१२६–श्री सुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर में निकासी सम्पत्ति से प्राप्त कितने शस्त्र-बन्दूकें, राइफलें और रिवाल्वर आदि मालखाने में कितने दिन से जमा थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

जी हां । निकासी सम्पत्ति से प्राप्त ३१ शस्त्र (बन्दूक, रायफल इत्यादि) सन् ४७ से सदर मालखाना, मुजफ्फरनगर में जमा थे ।

*१२७—श्री शुगनचन्द मजदूर —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे शस्त्र संख्या में कितने थे और कितनी धनराशि उनके बेचने से प्राप्त हुई तथा किन-किन कीमत के वह शस्त्र बिके ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

ये शस्त्र संख्या में ३१ थे और इनमें से निम्नलिखित ११ शस्त्र बेचे गये, जिनके बेचने से कुल ६१५ रु० की धनराशि प्राप्त हुई। इन शस्त्रों की अलग-अलग कीमत उनके सामने दी हैं—

		रु०
१—डी० बी० बी० एल० गन नं०	५७७५	२५०
२— ,, ,,	८६१०९	२५
३— ,, ,,	७३१५१	२०
४ ,, ,,	८०७४६	४५
५— ,, ,,	२७५९३	४५
६— ,, ,,	३	३५
७— ,, ,,	०००३३७	४०
८— ,, ,,	९३२४	३५
९— ,, ,,	९३३२९	५०
१०— ,, ,,	११३०७	५०
११—एस० बी० बी० एल० गन नं०	११३०७	२०
	योग ..	६१५

*१२८—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वह शस्त्र सार्वजनिक रूप में से नीलाम किये गये या वैसे ही कुछ अधिकारियों ने दाम देकर आपस में ही बांट लिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह ग़लत है कि अधिकारियों ने दाम देकर आपस में इन शस्त्रों को बांट लिया। इन ११ शस्त्रों की बिक्री यू० पी० आर्म्स रूल १८८ के अनुसार की गई है।

प्रमाण-पत्र देने का अधिकार

*१२९—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या कालिज के प्रिंसिपल व नौकरी देने वाले अन्य अधिकारी, जिला एटा के और Employment Exchange Office, district Etah के अधिकारी एम० एल० ए० के दिये हुये Charater Certificate और Attested Copies को नौकरी देने वाले अधिकारी (appointing authority) स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि एम० एल० ए० को करेक्टर सर्टिफिकेट देने व attest करने का अधिकार है या नहीं ? यदि है, तो वह क्यों स्वीकार नहीं करते ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सुपीरियर सर्विसों (राज्याधीन ऐसे सभी पद अथवा सेवायें) में नियुक्ति के लिए राजपत्रित (Gazetted) अधिकारियों द्वारा दिए गए चरित्र प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किए जाते

हैं। अवर (inferior) कर्मचारियों की नियुक्ति में नियुक्ति अधिकारी किन्हीं भी दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकते हैं, इनमें एम० एल० ए० भी सम्मिलित हैं।

प्रचलित प्रथा के अनुसार attestation केवल राजपत्रित अधिकारी ही कर सकते हैं। अवर कर्मचारियों की नियुक्ति में एम० एल० ए० तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गये प्रमाण-पत्रों का स्वीकार करना या न करना नियुक्ति अधिकारियों के ही विचार करने की बात है। यदि वे संतुष्ट हैं तो स्वीकार कर सकते हैं अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति की नियुक्ति में क्यों नहीं स्वीकार किया गया, यह तो उस नियुक्ति विशेष का विवरण मिलने पर ही जांच किया जा सकता है।

*१३०—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार जिला एटा के अधिकारियों को ऐसा आदेश जारी करेगी कि भविष्य में वह जनता को परेशान न करें?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

अधिकारियों को कोई आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१३१-१३२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा), कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री टम्बरेश्वरीप्रसाद—

[६वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गये।]

विधायक को सूचना विभाग से प्रेस विज्ञप्ति न मिलना

*१३३—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १६ सितम्बर, को सदन आहुत किये जाने से सम्बन्धित प्रेस नोट श्री टम्बरेश्वरप्रसाद, सदस्य, विधान सभा के मांगने पर सूचना विभाग के अधिकारी, श्री ध्रुव मालवीय ने क्यों नहीं दिया?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

सूचना विभाग की प्रेस विज्ञप्ति केवल समाचार-पत्रों के लिये होती है, वह अन्य किसी को नहीं भेजी जाती। इसलिये मांगी गयी विज्ञप्ति श्री टम्बरेश्वरप्रसाद को नहीं दी गई।

"स्वाधीनता संग्राम के सैनिक" पुस्तक के संबंध में सम्पादक 'मार्ग दर्शक', झांसी का पत्र

*१३४—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पादक "मार्ग दर्शक", झांसी ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक "स्वाधीनता संग्राम के सैनिक" भाग—१ "झांसी डिवीजन" के सम्बन्ध में उक्त पुस्तक के सम्पादक को यह लिखित शिकायत की है कि स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों के सम्बन्ध में उक्त पुस्तक में दिया गया विवरण अधिकांश में गलत, असत्य तथा सरकारी रिकार्ड के प्रतिकूल है? यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त शिकायत क्या है तथा शिकायत को दूर करने तथा गलतियों की दुरुस्ती के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

ऐसी कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संपादक, 'मार्ग दर्शक' की ओर से उनकी दंड अवधि का एक विवरण प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

*१३५—श्रीमती बेमीबाई—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित होने जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि उक्त संस्करण में उक्त गलतियों को दुरुस्त कर दिया जाय तथा जेल के रिकार्ड से मिलान कर लेने के बाद ही अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। यदि गलतियों का पता चला, तो उनकी दुरुस्ती की व्यवस्था की जायगी।

*१३६—श्री रघुनाथसिंह—

[हटा दिया गया।]

नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दुजई हरिजन की शिकायत की जांच

*१३७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जिलाधीश तथा मंत्री जी के पास कोयलब्लाक के अन्तर्गत गौरा नामक ग्राम के दुजई हरिजन ने लिखित शिकायत दी है कि अधिकारियों ने उनके मकान का मंजूर हुआ सहायता धन ले लिया ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, श्री दुजई हरिजन ने उक्त आशय की एक लिखित शिकायत दी थी।

*१३८—श्री उमाशंकर—

यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की ?

डाक्टर सीताराम—

शिकायत की जांच उप-जिला नियोजन अधिकारी ने की।

*१३९—श्री उमाशंकर—

क्या समाज कल्याण मंत्री उसकी दरख्वास्त में उल्लिखित आरोप की खास-खास बातों को मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९१८ पर)

जौनपुर जिले में हरिजन छात्रावास

*१४०—श्री केशरीप्रसाद पान्डेय—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला में सन् १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में हरिजन छात्रावास निर्माण हेतु दी गयी धनराशि से निर्मित भवनों में कितने हरिजन छात्र रहते हैं और उनको आवास की क्या-क्या सुविधा प्रदान की गयी है ?

डाक्टर सीताराम--

जौनपुर जिले में १९६०-६१ में कोई धन छात्रावास के निर्माण हेतु नहीं दिया गया। १९६१-६२ एवं १९६२-६३ में दिये गये धन में से अभी तक केवल एक छात्रावास का निर्माण पूर्ण हुआ है और उसमें ५ हरिजन छात्र रहते हैं। उन्हें फर्नीचर, रोशनी, रीडिंग-रूम, मेस तथा सफाई सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की गई हैं।

हरिजन छात्रावास

*१४१--श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और बांदा के अन्तर्गत विकास योजना काल में कितने और कहां-कहां हरिजन छात्रावास बनवाये गये और कितनों के निर्माण कार्य में कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१४२--श्री शिवनाथसिंह (अनुपस्थित)--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त छात्रावासों की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अल्मोड़ा का डीलक्स होटल

*१४३--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री मन्नालाल--

क्या यह सही है कि अल्मोड़ा के डीलक्स होटल में औरतों को रख कर उनसे वेश्यावृत्ति कराने की बातों का पिछले कुछ महीनों में पता लगा है ? क्या यह सही है कि वाराकेन्द्र अदालत में पुलिस अधिकारियों ने एक १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के मामले में अपने को इस बात का पूर्ण ज्ञान होने के बयान दिये ? क्या पुलिस ने इस अनैतिक अपराध के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं।

*१४४--श्री दयाराम शाक्य तथा श्री मन्नालाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस विषय पर भू० पू० विधायक, श्री गोविन्दसिंह विष्ट के एक पत्र की प्रतिलिपि अक्तूबर, १९६३ के आरम्भ में उसे मिली ? यदि हां, तो उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये बतायेगी कि सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं। ऐसा कोई पत्र शासन को नहीं मिला, इसलिए उसकी प्रतिलिप सदन की मेज पर रखने अथवा उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की नीति

*१४५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जातियों का आधार आर्थिक दशा को माना है? यदि हां, तो वह क्या है?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

*१४६—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिये पिछले ६० प्रतिशत तथा ५५ प्रतिशत मार्क्स छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित किये गये थे? यदि हां, तो आर्थिक दशा को आधार मानते हुये अब क्या योग्यता रखी गयी है और छात्रवृत्ति फन्ड में अब कितना रुपया रखा गया है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। दसवीं तथा उससे नीचे की कक्षाओं में छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कक्षा ७ से १० तक अन्य पिछड़ी जातियों की छात्रवृत्ति के लिये इस वित्तीय वर्ष में ९,१०,७६४ रु० का प्राविधान है।

दशमोत्तर कक्षाओं में अन्य पिछड़ी जातियों की छात्रवृत्ति के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ४,४३,२०० रु० का इस वर्ष प्राविधान है। इसका वितरण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर केवल उन्हीं विद्यार्थियों में किया जा रहा है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय १,५०० रु० तक है। उक्त कक्षाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इस वर्ष ७,५८,००० रु० का प्राविधान है जो जाति के आधार पर वितरित हो रहा है। किन्तु ये छात्रवृतियां भी उन्हीं विद्यार्थियों तक सीमित हैं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ३,००० रु० तक है और जो मेरिट के आधार पर स्वीकृत धन तक आ जाते हैं।

*१४७—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि मध्य श्रेणी के लिये जो छात्रवृत्ति निर्धारित की गयी है उसको देने का आधार तथा फन्ड क्या है?

डाक्टर सीताराम—

इस विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है।

*१४८—श्री जसराम सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[१३ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या १४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रायबरेली जिले में हरिजन छात्रावास

*१४९—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय रायबरेली जिले में कितने हरिजन छात्रावास हैं और उनमें प्रत्येक में कितने-कितने हरिजन छात्र रह रहे हैं? सरकार कितने रुपये वार्षिक इन छात्रावासों को सहायता के रूप में देती है?

डाक्टर सीताराम--

सूचना निम्न प्रकार है--

संस्था का नाम	छात्र संख्या	वार्षिक सहायता जो सामान्यतया दी जा सकती है
		रु०
१--मूल भारतीय छात्रावास सिविल लाइन ..	२५	१,४३४
२--भीमराव छात्रावास, रायबरेली	२८	१,४२८
३--गांधी छात्रावास, लालगंज	१०	५००

हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत आनरेरी सोशल वर्कर

*१५०--श्री हरिजन राम (जिला वाराणसी)---

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सन् १९६३-६४ के लिए हरिजन कल्याण विभाग में कितने आनरेरी सोशल वर्कर रखे गये तथा उसमें कितने परिगणित तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

डाक्टर सीताराम---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९१९-९२० पर)

राय बरेली जिले में हरिजन छात्रों की मांगें

*१५१--श्री रतीपाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में महात्मा गांधी कालेज तथा गवर्नमेंट हाई स्कूल के हरिजन छात्रों ने कोई प्रदर्शन सितम्बर, सन् १९६३ में जिलाधीश, हरिजन कल्याण अधिकारी और विद्यालय निरीक्षक के सम्मुख किया था ? यदि हां, तो उन विद्यार्थियों ने कौन-सी मांगें प्रस्तुत कीं ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां। मांगों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९२१ पर)

*१५२--श्री रतीपाल--

क्या सरकार विद्यार्थियों की मांगों पर कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। कार्यवाही का विवरण भी मांगों के साथ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९२१ पर)

देवरिया जिले में हरिजनों के सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*१५३—श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के विकास खन्डों के कार्यालय में हरिजनों द्वारा कुओं एवं गृह निर्माण तथा मुर्गीपालन के लिये सहायता देने के निमित्त प्रार्थना-पत्र अरसे से दिये गये हैं, और उन पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो विलम्ब होने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। केवल भटनी, सलेमपुर, हाटा और रामपुर कारखाना विकास खन्डों में ऐसे कुल १६ प्रार्थना-पत्र पड़े हैं जो वित्तीय वर्ष १९६२–६३ से संबंधित हैं। स्वीकृत धन से अधिक प्रार्थना-पत्र होने के कारण इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

*१५४—श्री कैलाश तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त जिलों के कुछ हरिजनों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत भी हो चुके हैं, परन्तु हरिजनों को स्वीकृत धन का भुगतान नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक धन दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। केवल भागलपुर, भाटपार, बेसई, देवरिया तथा हाटा विकास खन्डों में ऐसे कुल ३५ मामले पड़े हैं। धनाभाव के कारण समय से भुगतान नहीं हो सका था। इस वर्ष अब विकास क्षेत्रों को अनुदान दे दिया गया ह और शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा।

भिक्षा निषेध

*१५५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार ८ अगस्त, १९६२ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि २२ जिलों के अतिरिक्त दूसरे जिलों में भी बच्चों से भीख मंगवाना कानूनन कब तक रोक दिया जावेगा ?

डाक्टर सीताराम—

अगले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम, १९५१, जिसकी धारा ८ (१) के अन्तर्गत बच्चों से भीख मंगवाने वालों के लिये दंड की व्यवस्था है, को तीन अन्य जिलों में लागू करने का विचार है।

छात्रवृत्ति देने की नीति

*१५६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जो अब तक पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती थी उसके स्थान पर इस साल से अब हर जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां, गरीबी के आधार पर, दी जावेंगी ? यदि हां, तो क्या जो अन्य सुविधायें पिछड़ी हुई जातियों को ही दी जाती थीं उनको भी खत्म करके अब हर जाति को गरीबी के आधार पर दी जावेगी ?

डाक्टर सीताराम—

इस वर्ष से केवल दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को उन वर्गों के लिये भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि से आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाली अन्य सुविधायें पूर्ववत मिल रही हैं और इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का इस समय विचार नहीं है।

बलरामपुर राज में ट्रस्ट

*१५७—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित) तथा श्री शीतलप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व तथा पश्चात् गोंडा जिले के बलरामपुर राज में कितने ट्रस्ट बने और उक्त ट्रस्टों में अलग-अलग कुल कितनी संपत्ति निहित की गई है और प्रत्येक ट्रस्ट में निहित संपत्ति की वार्षिक आय क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१५८—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित) तथा श्री शीतलप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ट्रस्टों के प्रबन्ध पर नियमानुकूल व्यय हुआ है ? यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अप्लाइड आर्ट कोर्स स्कीम

*१५९—श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

क्या यह सत्य है कि मिनिस्ट्री आफ साइंटिफिक रिसर्च एन्ड कलचरल अफेयर्स, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के सेक्रेटरी ने कोई आदेश संख्या एफ० १-२-५९ टी० ५, दिनांक मार्च अप्रैल, १९६२, जोकि आल इंडिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन के अप्लाइड आर्ट बोर्ड ने अप्लाइड आर्ट कोर्स स्कीम बनाकर राज्य सरकार के पास, उसे कार्यान्वित करने के लिये भेजा है ? यदि हां, तो वह स्कीम अब तक कार्यान्वित न करने का क्या कारण है और कब तक कार्यान्वित होगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । एक ऐसी स्कीम राज्य की सरकार के विचार के लिये आई है और उस पर विचार हो रहा है ।

*१६०—श्री घासीराम जाटव—

क्या सरकार को पता है कि गवर्नमेन्ट आर्ट एन्ड क्राफ्ट कालेज, लखनऊ के अध्यापकगण अपने वर्तमान वेतन से असन्तुष्ट हैं और उपरोक्त स्कीम के लागू न करने के कारण ३० सितम्बर से कुछ कालेज छोड़ कर जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सहायता

*१६१—श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अतिरिक्त धन-राशि के जरिये और कौन-कौन योजनायें कार्यान्वित होंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

भारत सरकार ने हाल ही में अल्प सिंचाई योजनाओं के लिये १ करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष के लिये किया है। इसमें से ३३ लाख रुपया किसानों को निजी अल्प सिंचाई योजनाओं के लिये ऋण के रूप में दिया जायगा तथा ६७ लाख रुपया राज्य द्वारा नलकूपों पर व्यय किया जायगा ।

झांसी में गूंगे बहरों के स्कूल का कुप्रबंध

*१६२---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी में गूंगे बहरों का कोई स्कूल है ? यदि है, तो उसको सरकार से क्या-क्या सहायता किस वर्ष से दी जा रही है व उसका आडिट कब-कब हुआ और इस समय स्कूल के अध्यक्ष कौन हैं ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां, झांसी में गूंगे बहरों का एक स्कूल है । उसको समाज कल्याण विभाग से गत वर्षों में निम्नलिखित अनुदान दिया गया । १९५८-५९ में २,००० रु० प्रशिक्षण संबंधी सामानों के क्रय हेतु ।

१९५९-६० में २,००० रु० शिक्षा संबंधी सामानों के क्रय हेतु ।

१९६०-६१ में १,१५० रु० सामान्य व्यवस्था हेतु ।

१९६१-६२ में ३,५०० रु० २,५०० रु० सामान्य व्यवस्था हेतु । १,००० रु० आवश्यक सामान के क्रय हेतु ।

१९६२-६३ में ३,००० रु० सामान्य व्यवस्था हेतु ।

इस स्कूल का आडिट अभी तक नहीं किया गया है। इस समय स्कूल के अध्यक्ष श्री बाबूलाल उदैनिया हैं ।

*१६३---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त स्कूल के अध्यक्ष के विरुद्ध गबन इत्यादि के मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं और गुप्तचर अधिकारी द्वारा अध्यक्ष इत्यादि के विरुद्ध जांच बड़े पैमाने पर जारी है ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां ।

*१६४---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उपरोक्त गूंगे बहरों के स्कूल में कब से प्रिंसिपल व अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया ? क्या प्रिंसिपल द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र वेतन दिलाये जाने के संबंध में सरकार को मिले हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सीताराम---

प्रिंसिपल द्वारा वेतन दिलाये जाने के संबंध में सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला है । किन्तु जिला अधिकारियों तथा निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण की रिपोर्ट पर शासन ने इस संस्था के लिये गत वर्ष का स्वीकृत ३,००० रु० का अनुदान जिलाधीश द्वारा वितरित कराने का आदेश २ अक्तूबर १९६३ को दे दिया है, ताकि स्टाफ को वेतन मिल जाय ।

फेल हुये हरिजन विद्यार्थियों से फीस लेने का आदेश

*१६५—श्री श्यामलाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री को यह पता है कि ४ सितम्बर, १९६३ को हरिजन कल्याण विभाग लखनऊ से हर शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार का कोई आदेश आया है कि फेल होने वाले हरिजन विद्यार्थियों से इस वर्ष से पूरी फीस ली जाय ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशक द्वारा २६ अगस्त, १९६३ को एक आदेश इस आशय का प्रसारित किया गया था।

*१६६—श्री श्यामलाल—

यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि इस आदेश को फिलहाल वापस लिया जाय और अगले जुलाई मास से लागू किया जाय ?

डाक्टर सीताराम—

इस पर विचार कर लिया गया है और २९ सितम्बर, १९६३ के आदेश द्वारा यह सूचित कर दिया गया है कि पहली बार १० प्रतिशत अंकों से संपूर्ण योग में फेल होने वाले, अथवा इण्टरमीडिएट कक्षा में तीन विषयों, डिग्री कक्षा में दो विषयों और स्नातकोत्तर कक्षाओं में दो प्रश्न पत्रों में फेल होने वाले हरिजन छात्रों से गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी फीस न ली जाय।

अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र

*१६७—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने शासकीय आदेश संख्या ०२४३५/२६-८२-१९५५ दिनांक २४ अगस्त, १९५५ पर जिसके द्वारा आय एवं अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाता था उस पर संशोधन कर दिया है? यदि हां, तो वह संशोधन क्या हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*१६८—श्री खुशीराम—

क्या सरकार हरिजन छात्रों एवं छात्राओं की परेशानियों को देखते हुए उपरोक्त आदेश संख्या को यथावत् जारी रखने की कृपा करेगी जिससे इन छात्रों को प्रमाण-पत्र आसानी से उपलब्ध हो सकें ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में छात्रवृत्तियां

*१६९—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या यह सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में दशम कक्षा एवं पांचवीं कक्षा के नीचे वाले कितने हरिजन पिछड़ी जाति एवं मोमिन अन्सार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति १९५८ से १९६२ तक स्वीकृत हुई थी और कितनों को नहीं मिली ? उन्हें अब तक न मिलने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

सन् ५८ से ६२ तक गोंडा जिले में दशम कक्षा तक स्वीकृत एवं वितरित छात्रवृत्तियों की सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

जिन छात्रों को भुगतान नहीं हुआ वे जिला परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों के हैं। परिषद् कार्यालय में आवश्यक स्टाफ की उचित व्यवस्था न होने के कारण समय से भुगतान नहीं हो सका है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ९२२ पर)

*१७०—श्री रामकिशोर वर्मा—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में मेहतरों की गिरफ्तारी

*१७१—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३ के अक्तूबर महीने में बस्ती जिले के अन्तर्गत कुछ मेहतरों की गिरफ्तारियां हुयी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां।

*१७२—श्रीमती गेंदादेवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गिरफ्तारी में कुल कितने मेहतरों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कुल १० मेहतर गिरफ्तार किए गये थे।

*१७३—श्रीमती गेंदादेवी—

क्या यह सही है कि उपरोक्त गिरफ्तारी के अवसर पर पुलिस ने स्थानीय पत्रकारों द्वारा गिरफ्तार किये हुए व्यक्तियों का कैमरा से चित्र लेने से मना किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

कौन्सिल हाउस से बाहर सामान ले जाने का नियम

*१७४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौंसिल हाउस से बाहर ले जाने वाले सामानों का प्रति दिन कोई रिकार्ड रक्खा जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। कौंसिल हाउस से बाहर सामान ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामान ले जान की अधिकृत स्लिप कौंसिल हाउस गार्ड को गेट पर देनी पड़ती है। कौंसिल हाउस गार्ड इन स्लिपों को प्रतिदिन केयरटेकर, विधान भवन, के पास जमा करते हैं। इस प्रकार प्रति दिन कौंसिल हाउस से बाहर ले जाये गये सामान का रिकार्ड रहता है।

बाद का प्रश्न नहीं उठता।

*१७५—१७७—श्री सुरजनराम विशारद—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये]

बहराइच जिले में चौकीदार की हत्या

*१७८—श्री मुन्नूसिंह, श्री प्रेमसिंह तथा श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जनपद के ग्राम फुलटिकरा के चौकीदार की हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो हत्या किसने की थी और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। जांच से उक्त चौकीदार की हत्या में नेपाल राज्य के चार व्यक्तियों, बिराउसिंह स्वरूपसिंह, भीमा सिंह तथा बच्चू की साजिश पाई गई। इनमें से पहले दो नेपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं। शेष दो की गिरफ्तारी के लिये प्रयास किया जा रहा है।

राठ तहसील में उद्योग ऋण

*१७९—श्री मदनपालसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील राठ, जिला हमीरपुर में सन् १९६१-६२ व १९६२-६३ में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विभिन्न लघु उद्योगों हेतु पांच हजार या पांच हजार से अधिक धनराशि तकावी या ऋण के रूप में सरकार द्वारा दी गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत केवल दो व्यक्तियों को १९६१-६२ में, और तीन व्यक्तियों को १९६२-६३ में ऋण के रूप में दिया गया।

*१८०—श्री मदनपालसिंह—

क्या यह बात सत्य है कि जिन उद्योगों के लिये धन दिया गया है, उनमें उस धन को न लगा कर अधिकांश व्यक्तियों ने अपने निजी कार्यों में लगा लिया है ? क्या लघु उद्योग मंत्री उपरोक्त तथ्य की जांच कराने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने उल्लिखित लघु उद्योगों में कोई प्रगति नहीं की है और उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई ऐसा सही कदम उठायेंगे कि जिस से लघु उद्योगों की प्रगति में बाधक इस कुप्रथा का नाश हो ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

जी नहीं। केवल एक व्यक्ति ने ऋण का उचित उपयोग नहीं किया है और उन से रुपया वापस कराने के लिये उचित आदेश दिये जा रहे हैं।

*१८१—श्री बांकेलाल—

[१३ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न १४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर देना

*१८२—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश के कुछ जिलों में जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों को सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत स्टाक आफिसर पद पर रखा जा रहा है ? यदि हां, तो उनके स्थान पर किसी की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। ८ जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी सुरक्षा विभाग को प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर दे दिये गये हैं। उनके स्थानों पर नियुक्तियां करने का प्रश्न विचाराधीन है।

*१८३—श्री संतसिंह युसुफ—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५व गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

भदोही तहसील में हरिजन छात्रों को सहायता देने की प्रार्थना

*१८४—श्री हरिगैनराम—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्त्ता द्वारा वाराणसी जिल की भदोही तहसील के जूनियर व प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति व पुस्तकीय सहायता हेतु दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ को अन्तरिम जिला परिषद् वाराणसी द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा प्रदेशीय सरकार से मांग की गई है? यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१८५—श्री हरिगैनराम—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिल की भदोही तहसील में पढ़ने वाले जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के हरिजन छात्रों को १९६३-६४ में सरकार सहायता देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ट्रेनिंग एवं प्रोडक्शन सेंटर, उन्नाव में कथित गबन

*१८६—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार को मालूम है कि उन्नाव Training-*cum*-Production Centre में सन् १९६० में हजारों रुपयों का गबन किया गया? यदि हां, तो सम्बन्धित भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उद्योग मंत्री ने कौन-सी कार्यवाही की?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*१८७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति

*१८८—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार बतलायेगी कि हरिजन कल्याण विभाग से विद्यार्थियों को वजीफा किस आधार पर दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—

दसवीं कक्षा तक जाति के आधार पर दिया जाता है ।

दशमोत्तर कक्षाओं में हरिजन छात्रों को जाति के आधार पर दिया जाता है, किन्तु इन कक्षाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से छात्रवृत्ति का वितरण आर्थिक आधार पर होता है । राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से दशमोत्तर कक्षाओं में अन्य पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति का वितरण जाति के आधार पर होता है पर निर्धारित आय—सीमा के भीतर वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जाती है ।

*१८९—गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों को ८० लाख रुपये में से इस वर्ष और आगे कितना रुपया दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

८० लाख रुपये की धनराशि की कोई योजना तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में नहीं है ।

*१९०—श्री गिरवरप्रसाद—

[१३ दिसम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या १४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हरिजन कल्याण अधिकारियों के रिक्त स्थान

*१९१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में इस समय जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के स्थान रिक्त हैं और अलग-अलग जिलों में कब से रिक्त हैं और उनके रिक्त रहने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—

प्रदेश के निम्नलिखित १० जिलों में उनके सामने दी हुई तारीख से हरिजन कल्याण अधिकारियों के स्थान रिक्त हैं—

(१)	टेहरी-गढ़वाल	..	६ अप्रैल, १९६३ ।
(२)	एटा	..	२० अप्रैल, १९६३ ।
(३)	मिर्जापुर	..	२७ अप्रैल, १९६३ ।
(४)	फतेहपुर	..	३ मई, १९६३ ।
(५)	बिजनौर	..	११ मई, १९६३ ।
(६)	बस्ती	..	१२ जुलाई, १९६३ ।
(७)	वाराणसी	..	१८ जुलाई, १९६३ ।
(८)	अलमोड़ा		१२ जनवरी, १९६३ ।
(९)	जालौन	..	९ नवम्बर, १९६३ ।
(१०)	पीलीभीत	..	५ अक्तूबर, १९६३ ।

क्रम संख्या १ से ८ तक के स्थानों के रिक्त रहने का कारण यह है कि इन अधिकारियों की सेवायें सुरक्षा विभाग को डेपुटेशन पर दे दी गई हैं । क्रम संख्या ९–१०, पर सम्बन्धित अधिकारियों के अवकाश पर जाने के कारण रिक्त हैं ।

*१९२—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की ऐसी योजना है कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के पद को समाप्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो जिले में हरिजन कल्याण के कार्य को संचालन करने की क्या व्यवस्था की जावेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री अब्दुल वासे का डी० आई० जी० पुलिस, बरेली को तार

*१९३—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सच है कि थाना बछराओं, जिला मुरादाबाद के चार सिपाहियों श्री शौकतअली, किशन सिंह, बुनियादअली और श्री होरी सिंह के विरुद्ध २८ मई, १९६३ को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि इन चारों सिपाहियों ने थाने के करीब के ग्रामों के बागों में चन्द गुन्डों के साथ लूट मार की है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। थाना बछराओं में २८ मई, १९६३ को इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी गयी थी। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१९४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मालिक बाग मौलवी अब्दुल वासे को थाने में बुलाकर इन चारों सिपाहियों ने मारा और जबरदस्ती उनकी बन्दूक छीन ली और उसको अभी तक वापस नहीं दी ? यदि हां, तो पुलिस सिपाहियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, यह बात सच नहीं है। श्री अब्दुल बासे अपनी बन्दूक के साथ धारा १५१ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार करके थाने पर लाये गये थे जिसके कारण उनकी बन्दूक थाने में रख ली गयी थी और उन पर धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गयी जिसमें बन्दूक Exhibit है और जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

*१९५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि थाना बछराओं के खिलाफ मौलवी अब्दुल वासे का डी० आई० जी०, पुलिस, बरेली को २९ मई, १९६३ को तार मिला था कि पुलिस ने उनके बाग को लूट लिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। डी० आई० जी० को यह तार मिला था जिसको उन्होंने जांच हेतु पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को भेज दिया था। चूंकि धारा १०७/११७ जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत पुलिस घटना की जांच कर रही थी जिसका सम्बन्ध बाग की फसल के तोड़े जाने से था, अतः इस तार पर कोई पृथक कार्यवाही नहीं की गयी।

गाजियाबाद के रामलीला मैदान में गंगाबाबा की समाधि में मृत्यु

*१९६—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको सूचना है कि गाजियाबाद में जुलाई, १९६३ में एक १९ वर्षीय साधु को कुछ व्यक्तियों ने समाधि लगाने के बहाने जिन्दा जमीन में दफन कर दिया ? यदि हां, तो सरकार ने उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि यह सब कुछ थाने के सामने २०० गज की दूरी पर हुआ और रामलीला मैदान में म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों की इजाजत से हुआ ? यदि हां, तो क्या उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्री गंगा बाबा ने, जिनकी आयु लगभग २०-२२ वर्ष की थी, गाजियाबाद म्युनिसिपल बोर्ड से रामलीला मैदान में जमीन किराये पर लेकर तारीख ५ जून, १९६३ को ४० दिन की समाधि ली और अपने को जमीन में १५ फुट नीचे दबवा लिया। दिनांक १५ जुलाई, १९६३ को नियत समय पर जब मिट्टी हटायी गयी तो बाबा जी का शरीर सड़ी हुयी अवस्था में पाया गया जिसका दाह संस्कार हुआ। यह सही है कि उक्त रामलीला मैदान जहां बाबा ने समाधि ली थी थाने से लगभग २०० गज की दूरी पर है। चूंकि बाबा ने अपनी इच्छा से समाधि ली थी और इसमें किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

*१९७-१९८---श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किए गये।]

*१९९-२००---श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल---

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

सर्वश्री मुकुन्द सेन्ट्रल इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी, लि० गाजियाबाद

*२०१---श्री तेजसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद इन्डस्ट्रियल स्टेट के लिये कितनी जमीन एक्वायर की गयी है? उसमें कितने और किन-किन साइज के प्लाट बनाने की योजना है और इनको एलाट करने में क्या तरीका अपनाया जायेगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सरकार द्वारा गाजियाबाद में कोई इंडस्ट्रियल स्टेट स्थापित नहीं की जा रही है। सर्वश्री मुकुन्द सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त स्थान पर एक कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट स्थापित किये जाने की सम्भावना है। अस्तु इस सम्बन्ध में अन्य कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*२०२---श्री तेजसिंह---

[१६ दिसम्बर, १९६३ के लिए प्रश्न संख्या १२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२०३-२०५---चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच) तथा श्री रघुवीर सहाय, कैथवार---

[१३ दिसम्बर, १९६३ के लिए प्रश्न संख्या १४५-१४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बन्दूक का लाइसेन्स देने के लिये जिलाधीशों को आदेश

*२०६---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, फर्रुखाबाद के पास कोई ऐसा आदेश सरकार की तरफ से पहुंचा है कि बन्दूक के लाइसेंस के सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों ने सिर्फ जिले भर के लिये ही लाइसेंस मांगा है, उन प्रार्थना-पत्रों पर हाकिम परगना अपना निर्णय देकर लाइसेंस दे सकेंगे, वरना जिलाधीश को दो बन्दूक का लाइसेंस देने का अधिकार होगा और वही उसका आखिरी निर्णय करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां, इस आशय के आदेश न केवल जिलाधीश फर्रुखाबाद को दिये गये हैं बल्कि समस्त जिलाधीशों को दिये गये हैं।

पावर क्रशर्स के लाइसेन्स

*२०७—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में क्रशर्स चलाने के लिये मिल एरिया में तथा मिल एरिया के बाहर कितने लाइसेंन्स दिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

दिनांक ५–१२–६३ तक १९६३–६४ सीजन के लिए मिल के सुरक्षित क्षेत्रों में १४९७ पावर क्रशर्स तथा असुरक्षित क्षेत्रों में २२६ पावर क्रशर्स के लाइसेंस दिए गये।

राइफल क्लब, जिला जालौन

*२०८—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि जालौन जिले में राइफल क्लब के अधिकार में १२ बोर कारतूसों के वितरण के लिये व्यवस्था है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

राइफल शूटिंग के प्रशिक्षण के लिये केवल २२ बोर के कारतूस ही मंगाये जाते हैं।

*२०९—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या इस क्लब के द्वारा कारतूस बाजार भाव से कुछ कम कीमत पर प्राप्त होते हैं ? यदि हां, तो कितनी कीमत प्रति सैकड़ा ली जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

क्लब द्वारा कारतूस खुले बाजार से बाजार भाव पर ही खरीदे जाते हैं।

*२१०—श्री विजयसिंह—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में खाद की ट्रक पकड़ी जाना

*२११—श्री शिवनाथसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत थाना कलेक्टरगंज में चोरी से बाहर जाने वाली एक ट्रक खाद पकड़ी गई और वह खाद थाने में जमा है ? यदि हां, तो अब तक उस केस में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। मामले में जांच हो रही है।

फतेहपुर जिले में सीमेंट ट्रक पकड़ी जाना

*२१२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि २० फरवरी, सन् १९६३ को लगभग १२ बजे थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर की पुलिस ने एक ठेकेदार सहित सौ बोरी सीमेंट ट्रक नं० २२४८ में लदा हुआ पकड़ा ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां।

२०-६-६३ को सवा आठ बजे रात में सौ बोरी सीमेन्ट सहित ट्रक पकड़ी गई।

*२१३--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या यह सच है कि उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने अन्तर्गत धारा ७ एसेन्शियल सप्लाई ऐक्ट व डी० आई० आर० का मुकदमा कायम किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

धारा ७ एसेन्शियल सप्लाई ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया।

*२१४--श्री रघुवीर सहाय कैथवार--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त मुकदमे के सिलसिले में पकड़े गये ट्रक ड्राइवर व क्लीनर ने यह बयान दिया कि वह सीमेंट पी० डब्लू०, डी० फतेहपुर के दफ्तर के अधिकारियों की सलाह से लादी गई थी ? यदि हां, तो पी० डब्लू० डी० के अधिकारियों व ओवरसियर के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

ट्रक ड्राइवर व क्लीनर ने अपने बयान में उक्त सीमेंट को पी० डब्लू० डी० के अधिकारियों द्वारा उनके ही गोदाम से निकाला जाना बताया था। इस सम्बन्ध में जांच की गई और इसमें पी० डब्लू० डी० के किसी अधिकारी का न तो हाथ पाया गया और न यह सीमेंट ही इस विभाग की पाई गई। अतः इस विभाग के किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

थाना कोतवाली, फैजाबाद में तेजाब डालने की रिपोर्ट

*२१५--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद नगर में दिनांक ९ अक्तूबर, १९६३ को रात्रि में श्री गोपीनाथ पर श्री लक्ष्मणदास ने तेजाब डाला, परन्तु अभी तक किसी विशेष प्रभाव से पुलिस द्वारा जांच नहीं हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

तारीख ९/१० अक्तूबर, १९६३ की रात को १२-४५ पर थाना कोतवाली, फैजाबाद में रिपोर्ट श्री गोपीनाथ पर तेजाब डालने की प्राप्त हुई जिस पर अपराध भारतीय दंड विधान की धारा ३२४ के अन्तर्गत स्थिर हुआ। इस धारा के अन्तर्गत मामले में सामान्यतः जांच नहीं की जाती, अतः जांच नहीं की गई। यह कहना सत्य नहीं है कि किसी प्रभाव के कारण पुलिस द्वारा जांच नहीं हुई।

गोरखपुर जिले में होम गार्ड्स

*२१६--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में होमगार्ड्स की कितनी कम्पनियां संगठित की गई हैं और कितनी कम्पनी कमांडरों की नियुक्त हुईं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

गोरखपुर जिले में ३९ होमगार्ड्स कम्पनियां संगठित की जा चुकी हैं तथा ७ कम्पनी कमान्डर नियुक्त किये जा चुके हैं।

*२१७—श्री दौलतलाल तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के कम्पनी कमांडरों को आनरेरियम दिया जा रहा है ? इस मद में कितना धन व्यय हुआ और क्या बजट में व्यवस्था की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। इस मद में ११४६ रु० ७५ नये पैसे खर्च किया जा चुका है तथा बजट में इसकी व्यवस्था की गई है।

*२१८—श्री दौलतलाल तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि होम गार्ड के संगठन में तथा कम्पनी कमांडरों की नियुक्ति को लेकर गोरखपुर के जिलाधीश एवं जिला संगठनकर्त्ता पी० आर० डी० के बीच खींचा-तानी हो रही है, जिससे होम गार्ड का संगठन रुका पड़ा है ? यदि हां, तो पूरी रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिलाधीश गोरखपुर एवं जिला संगठनकर्ता। पी० आर० डी० के बीच किसी प्रकार की खींचातानी नहीं है और न होम गार्ड के संगठन का कार्य ही रुका है।

फर्रुखाबाद जिले में गंगासिंह डकैत के गिरोह की गिरफ्तारी

*२१९—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में गत शरद ऋतु में एक कुख्यात डाकू, गंगासिंह का गिरोह पकड़ा गया था ? यदि हां, तो कितने डाकू जिन्दा पकड़े गये और कितने मरे हुये तथा उनके पास कितनी कीमत का माल या रुपया एवं हथियार बरामद हुये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। इसमें ६ डकैत जीवित पकड़े गये तथा ७ डकैत मौके पर मारे गये थे।

इन डकैतों के पास कुल मिला कर १,६२० रुपया नगद, एक सोने की अंगूठी, १ राइफल, २ रिवाल्वर, ६ बन्दूकें तथा २७१ कारतूसें बरामद हुईं।

*२२०—श्री सहदेवसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो डकैत मरे हुये पकड़े गये थे, उनके शवों की परीक्षा कराई गई थी ? यदि हां, तो भिन्न-भिन्न डकैतों को कहां-कहां और किस प्रकार की चोटें थीं तथा वे किस स्थान पर मारे गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। मृतक डकैतों की चोटों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। ये डकैत पुरवा मितान की मडैया, ग्राम गंगापुर, जिला फर्रुखाबाद में मारे गये थे।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ९२३ पर)

*२२१—श्री सहदेवसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मृत डकैतों का पंचायतनामा भरा गया था ? यदि हां, तो कब और किस स्थान पर तथा उसमें कौन-कौन गवाह थे ? क्या यह सच है कि डकैत गंगासिंह कोतवाली फर्रुखाबाद में मरा था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां। मृत डकैतों का पंचायत नामा १२ बजे रात २६/२७ नवम्बर, १९६२ पुरवा मितान की मडैया में तैयार किया गया था। निम्नलिखित गवाहान जो वहीं के रहने वाले हैं उस समय उपस्थित थे। यह असत्य है कि गंगा सिंह डकैत कोतवाली फर्रुखाबाद में मरा था। वह मौके पर ही मर गया था।

नाम गवाहान—

१---भगवान वल्द राम चन्द्र .. .. .. किसान
२---राम लाल वल्द मुल्ला .. .. .. ,,
३---राम विलास वल्द भुवन .. .. .. ,,
४---दुलारे वल्द मोती .. .. .. ,,
५---कामता वल्द बद्री .. .. .. ,,

झांसी जिले में कत्ल व डकैतियां, कातिल सुनुआ चमार की फरारी

*२२२---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वि० ग्राम सफा, जिला झांसी में सुनुआ चमार कब से फरार है और उसके ऊपर कितने कत्ल के अभियोग हैं व फरारी की अवधि में किन-किन व्यक्तियों की हत्या किन-किन स्थानों पर व किन-किन हथियारों द्वारा की गयी? मृतक व्यक्तियों के परिवारों को सरकार द्वारा क्या कोई मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों व अपराधी के न पकड़े जाने के क्या कारण हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सुनुआ चमार दिनांक २६-१२-१९६२ से फरार है। उस पर कत्ल के ५ अभियोग हैं। सुनुआ चमार द्वारा फरारी की अवधि में किए गये कत्लों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। केवल एक मृतक व्यक्ति के परिवार को असाधारण पेंशन देने के मामले पर विचार हो रहा है। सुनुआ के न पकड़े जाने के सम्बन्ध में ऐसा अनुमान है कि उसे पुलिस की आमद की खबरें मिलती रहती थी अतः वह मध्य प्रदेश की ओर भाग गया है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ९२४ पर)

*२२३---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में १ जनवरी, १९६१ से २५ अगस्त, १९६३ तक कितने व्यक्तियों का कत्ल हुआ व डकैती की संख्या इस अवधि में क्या रही?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इस अवधि में जिला झांसी में १०८ व्यक्तियों का कत्ल हुआ तथा डकैती की १६९ घटनाएं हुईं।

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल जिले में अस्थायी सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट

१---श्री खुशीराम---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में कितने सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो अभी तक राज्य सरकार द्वारा कन्फर्म नहीं किये गये हैं? वे कौन-कौन से सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केवल एक। उनका नाम श्री घनश्याम पांडे है।

२—श्री खुशीराम—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान समय में नैनीताल जिले में कितने ऐसे अनकन्फर्म्ड सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट हैं जो कुछ समय बाद रिटायर होने को हैं अथवा एक्सटेन्शन पर हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केवल एक थे, किन्तु अब वे ५८ वर्ष की आयु पूरी करने पर अवकाश प्राप्त करेंगे।

३—श्री खुशीराम—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इतनी लम्बी अवधि तक इन मैजिस्ट्रेटों का कन्फर्म न हो सकने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनका कार्य इस कोटि का नहीं समझा गया कि उन्हें स्थायी कर दिया जाय।

बी० के० इण्डस्ट्रीज, राधानगर, फतेहपुर को कथित ऋण

४—श्री दीपनारायण सिंह—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विश्वनाथ प्रसाद कामता प्रसाद इन्डस्ट्रीज (बी० के० इन्डस्ट्रीज) राधानगर, फतेहपुर, के कार्य कर्त्ताओं ने बी० के० इन्डस्ट्रीज के लिए ऋण लेने के हेतु फतेहपुर जिले से दरख्वास्त (ऋण-पत्र) न दे कर जिला कानपुर से देकर श्री सम्पूर्णानन्द जी के मंत्रिमंडल के समय में कुछ लाख की रकम सरकार से प्राप्त की थी और उसे निर्धारित समय के अन्दर काम में न लाकर अभी हाल में उसे अपेक्षित काम में लगाया है और इस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विश्वनाथ प्रसाद कामता प्रसाद इन्डस्ट्रीज (बी० के० इन्डस्ट्रीज) राधानगर, फतेहपुर को कोई ऋण उधार ऋण योजना के अन्तर्गत अथवा वित्तीय निगम द्वारा नहीं दिया गया अतएव उसके दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर कलेक्टरी में दफा ११७ (३) की कार्यवाही

५—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर की कलक्टरी कचहरी के कौन-कौन एस० डी० एम० ऐसे हैं, जो १५१/१०७/११७ जा० फौ० में गिरफ्तार हो कर आये हुये व्यक्तियों को हस्ब दफा ११७ (३) जा० फौ० की शहादत लिये बिना ही जमानतनामा दाखिल होने की दशा में भी जमानतनामों को तहसील तस्दीक के लिये भेज कर और वकीलों की तस्दीक न मान कर अधिकांश में जेल भेजने की प्रणाली अपनाये हैं ? १ जनवरी, १९६३ से १५ सितम्बर, १९६३ तक उक्त दफा में और कितने को वकीलों की जमानत की तस्दीक पर तुरन्त रिहा किया गया और कितनों को वकीलों की जमानत की तस्दीक पर भी नहीं छोड़ा गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सर्वश्री बी० एल० जाटव व जी० एस० हाशमी, दो एस० डी० एम० ऐसे हैं जिन्होंने दफा १५१/१०७/११७ जा० फौ० में गिरफ्तार हो कर आये हुए व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों में हस्ब दफा ११७ (३) जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की।

फतेहपुर कलक्टरी में १-१-६३ से १५-९-६३ में मध्य दफा १५१/१०७/११७ जा० फौ० मुकदमों की कुल संख्या २१६ रही जिसमें ८७ मुकदमों में दफा ११७ (३) जा० फौ० की कार्यवाही की गई । इन मुकदमों में प्रतिवादियों की संख्या १५११ थी जिसमें से १२८१ की जमानत अल्पकालिक अवधि के लिये वकीलों की तस्दीक पर या अन्य जांच पर स्वीकृत की गई तथा २३० व्यक्तियों को उनकी जमानत तहसील से तस्दीक कराने के बाद रिहा किया गया

६--श्री दीनारायणसिंह--

क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिला फतेहपुर की कलेक्टरी कचहरी में जमानतनामों के साढ़े तीन बजे तक ही स्वीकार होने पर रिहाई के परवाने जेल भेजे जाने की परिपाटी कब से व किसके आदेश पर चली आ रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह परिपाटी किसी के आदेश से नहीं है। यह परिपाटी जैसा कि हैन्डबुक फार क्रिमिनल एन्ड रेवेन्यु कोर्ट्स के पैरा ७१ (२) व (३) में दिया है, के अनुसार होती है। जमानतनामे कचहरी के दिनों में हर समय स्वीकार किये जाते हैं और रिहाई के परवाने तीन बजे तक जारी होते हैं जो नजारत द्वारा जेल भेजे जाते हैं। इसके बाद भी यदि कोई जमानत स्वीकार हुई तो उस को भी जेल फाटक बन्द होने के पूर्व न्यायालय के चपरासी द्वारा जेल भेज दिया जाता है।

७--श्री दीनारायणसिंह--

[१३ दिसम्बर, १९६३ के लिए प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

होम गार्ड्स के शोल्डर बैजेज के लिये टेण्डर

८--श्री शिवेन्द्रप्रताप--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० होम गार्ड के लिये बैजेज खरीदने के लिये किन-किन दुकानदारों ने टेन्डर दिये, सबसे कम मूल्य उन बैजेज के क्या थे तथा सरकार ने अधिक मूल्य के बैजेज क्यों खरीदे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यू० पी० होम गार्ड्स के लिये शोल्डर बैजेज के खरीदने का टेन्डर निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा मांगा गया है और टेन्डर खोलने की तिथि १०-१२-६३ निर्धारित की गई है।

कैप बैजेज के खरीदने के लिये निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा मांगे नये टेन्डर पर कम मूल्य वाले का टेंडर स्वीकार किया गया। टेन्डर देने वालों की सूची तथा मूल्य विवरण सन्लग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ९२५ पर)

९--शिवेन्द्रप्रताप--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो बैजेज केन्द्रीय सरकार ने एप्रूव किये थे उनके न खरीदने के क्या कारण हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

केन्द्रीय सरकार ने कोई बैजेज निर्धारित (approve) नहीं किये हैं इसलिये प्रश्न नहीं उठता है।

१०—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जो सामान होम गार्ड के लिये खरीदा जा रहा है, वह बहुत ही निम्नकोटि का है तथा उसके दाम बाजार के भाव से बहुत अधिक हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं।

११-१२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[हटा दिये गये।]

खीरी जिले में बिलरायां गन्ना सेन्टर

१३—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में बेलरायां गन्ना सेंटर जो अब तक अस्थायी तौर पर चल रहा था, १९६३-६४ के सीजन से स्थायी किया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बेलरायां सेंटर के निकट कोई चीनी मिल नहीं है और इसकी दूरी गोला चीनी मिल से लगभग ६० मील है जिससे मिल को वहां से गन्ना लाने में बहुत कठिनाई होती है। इस मिल ने गत सीजन से पहिले ही २४-२-६३ को उक्त सेंटर से गन्ना खरीद बन्द करने का नोटिस क्षेत्रीय किसानों को दे दिया था ताकि उन्हें यथा समय सूचना मिल जावे और वे उतना ही गन्ना उत्पादन करें जिसकी खपत वे अपने कोल्हु आदि में कर सकें। अतएव १९६३-६४ के सीजन में इस सेंटर को स्थायी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

१४—श्री लखपतराम शर्मा—

[हटा दिये गये।]

ललितपुर सब डिवीजन में अपराध

१५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर जिला झांसी के सब-डिवीजन में १ जनवरी, १९६० से २० सितम्बर, १९६३ तक डाकुओं द्वारा कितनी हत्यायें, डकैती, राहजनी व अपहरण के काण्ड हुये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में सब-डिवीजन ललितपुर, जिला झांसी में डाकुओं द्वारा —

हत्याओं की	..	११
डकैती की	..	३४
राहजनी की	..	१४ तथा
अपहरण की	..	१७ घटनायें हुईं।

१६—श्री लखपतराम शर्मा—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

१७—श्री लखपतराम शर्मा—

[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न ९१ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत सेउरा में गन्ने का कांटा लगाने की प्रार्थना

१८—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको २० जून, १९६३ को या उसके आस-पास अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र सेउरा में गन्ने का कांटा लगाने के विषय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री विश्वनाथ सिंह, ग्राम हसेनपुर,तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद का दिनांक २०-६-६३ का आवेदन पत्र सेउरा (सुमेरगंज) में गन्ने का कांटा लगाने के विषय में प्राप्त हुआ था। शाहगंज चीनी मिल के सेंटर की दूरी ३५ मील है और आमतौर से क्षेत्रीय किसान गन्ने का गुड़ आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। उक्त स्थान पर कांटा लगाने के लिये मिल की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। फिर भी अनुमति प्राप्त न हो सकने पर मिल को इस लोगों reserved area के बाहर केन्द्र स्थापित करने के लिये कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता।

इलाहाबाद में लीडर रोड पर मुहर्रम के अवसर पर झगड़ा

१९—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के लीडर रोड पर स्टेशन के समीप मुहर्रम के अवसर पर दिनांक ३० मई, १९६३ की रात्रि को १२ बजे वहां के निवासियों पर कुछ ने प्रहार कर बहुत से आदमियों को घायल किया था ? यदि हां, तो वह घटना क्या थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ९२६ पर)

२०—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना की शिकायत लिखित गृह उपमंत्री को दूसरे दिन घटना के स्टेशन पर वहां के निवासियों ने दी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर कौनसी कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना के विरोध में मुहर्रम के अवसर पर वहां के दुकानदारों ने हड़ताल भी की थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गृह उपमंत्री को कथित लिखित शिकायत देने के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है। कुछ व्यक्तियों ने इस घटना के सम्बन्ध में बाजार में हड़ताल करवाने का प्रयास किया था परन्तु वे अपने प्रयास में असफल रहे और कुछ दुकानों को छोड़कर पूरा बाजार खुला रहा।

इलाहाबाद को लोहे का कोटा

२१—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतलायेंगे कि लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु इलाहाबाद में कितना लोहा तथा लोहे की चद्दर १९६१-६२ तथा जुलाई, १९६३ तक दी गयी थी, इसका वितरण किन-किन लोगों में कितना-कितना किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इलाहाबाद जिले में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु सन् १९६१-६२ में लोहा (तार) एवं लोहे की चद्दर तथा १९६१-६२, १९६२-६३ तथा प्रथम छमाही १९६३-६४ में लोहे की चद्दर का कोटा जिन इकाइयों को स्वीकृत किया गया उनकी सूची विवरण सहित संलग्न है। सन् १९६१-६२ के उपरान्त लोहा (तार) कोटा अनियंत्रित घोषित कर दिया गया।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ९२७–९२९ पर)

२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लोगों को कोटा दिया गया उसमें से कितने लोगों ने उस कोटे का उपयोग ठीक से किया और किन लोगों ने नहीं किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिन लोगों ने कोटे द्वारा पाये हुये माल का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग किया उनका विवरण भी उपर्युक्त सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ९२७–९२९ पर)

हरिजन तथा पिछड़ी जाति के कप्तान पुलिस

२३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के १ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर में सरकार ने कहा है कि इस प्रदेश में चार हरिजन, दो पिछड़ी हुई जाति के व एक अनुसूचित आदिम जाति के कप्तान पुलिस (एस० पी०) हैं, तो ये किस-किस जिले में हैं और इनके नाम क्या हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

चार हरिजन, दो पिछड़ी हुई जाति के व एक अनुसूचित आदिम जाति के कप्तान पुलिस (एस० पी०) के नाम तथा नियुक्ति स्थान निम्नलिखित हैं—

हरिजन—

(१) श्री डी० आर० नीम, आई० पी० एस०, पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।

(२) श्री श्याम लाल, आई० पी० एस०, (आबू कालेज में एडवान्स ट्रेनिंग पर)

(३) श्री पी० सी० प्रसाद, आई० पी० एस०, स्थानापन्न डिप्टी कमांडेंट २१वीं बटालियन, पी० ए० सी० नेफा।

(४) श्री आर० सी० बनौधा, (स्थानापन्न एस० पी०), डिप्टी कमान्डेन्ट २२वीं बटालियन पी० ए० सी०, मुरादाबाद।

पिछड़ी हुई जाति के—

(१) श्री महेन्द्र सिंह, आई० पी० एस०, पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद।

(२) श्री बी० एस० यादव, आई० पी० एस०, कमान्डेन्ट स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद।

अनुसूचित आदिम जाति के—

श्री आई० बी० नेगी, आई० पी० एस०, सेवायें भारत सरकार को अर्पित हैं।

२४—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिया गया ।]

वाराणसी के सुरक्षा कोष में धांधली की शिकायत

२५—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिलान्तर्गत अन्तरिम जिला परिषद् वाराणसी तथा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सुरक्षा कोष में अनियमित ढंग से की गयी वसूली तथा उसका सही-सही हिसाब न प्रस्तुत करने के विरोध में अन्तरिम जिला परिषद् के दो सदस्य सर्वश्री रामअधार सिंह और दुलारे ने अनशन किया ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

जी हां ।

२६—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त व्यक्तियों ने जिलाधीश एवं अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष के इस आश्वासन पर कि सारा हिसाब-किताब स्पष्ट रूप से बताया जायगा, अनशन तोड़ा ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

जी हां ।

२७—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सुरक्षा कोष से सम्बन्धित धांधली एवं गड़बड़ी के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधि मंडल, राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री से मिला और उन्होंने एक शिकायती-पत्र प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

जी हां । सुरक्षा कोष में धन की वसूली के लिये जिला परिषद् तथा कांग्रेस कमेटी ने सरकारी रसीद बहियां प्रयोग में न लाकर अलग-अलग रसीदें छपवाईं और धन वसूली के हिसाब में गड़बड़ी होने की शिकायत की ।

अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा धन वसूली व हिसाब रखने में अनियमितता तभी पता लग सकती है जब कि लेखा परीक्षक उन हिसाब की जांच कर लें, जिसके लिये सरकार द्वारा उन्हें आदेश भेज दिया गया है ।

श्री दाऊदयाल खन्ना व श्री बनारसीदास के लिये मिनिस्टीरियल स्टाफ

२८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास मंत्री श्री दाऊदयाल खन्ना व मुख्य सचेतक, कांग्रेस पार्टी, श्री बनारसीदास, के यहां किस-किस श्रेणी का कितना-कितना सरकारी स्टाफ कार्य कर रहा है और क्या यह सही है कि मुख्य सचेतक के यहां पी० ए० की जगह पर काम करने के लिये आशुलिपिकों के अधीक्षक को आदेश दे दिया गया है और वह अपने विभाग में न बैठकर मुख्य सचेतक के ही कार्यालय में अपना कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री दाऊदयाल खन्ना, जो अब चिकित्सा मंत्री हैं, तथा श्री बनारसी दास, सहकारिता मंत्री, जो मुख्य सचेतक कांग्रेस पार्टी भी हैं, के यहां निम्नलिखित श्रणी का मिनिस्टीरियल स्टाफ कार्य कर रहा है :

	श्री दाऊदयाल खन्ना	श्री बनारसीदास
वैयक्तिक सहायक	१	१
आशुलिपिक ..	२	२
टाइपिस्ट ..	१	१ (अवर वर्ग सहायक)

आशुलिपिकों के अधीक्षक को मुख्य सचेतक के पी० ए० का कार्य करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीनियर ग्रेड आशुलिपिकों की नियुक्तियां

२९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सीनियर आशुलिपिकों की ३००–५०० रु० के वेतन-क्रम में कितनी स्थायी नियुक्तियां हुईं और कब ? ये नियुक्तियां किस आधार पर की गयीं ? क्या मुख्य मंत्री ने अपने स्टाफ के किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतलायेगी कि ग्रेडेशन लिस्ट में उनका कौन-सा स्थान था ? इस नियुक्ति से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सुपरसीड हुये ? स्थायी सीनियर ग्रेड आशुलिपिकों में इनको कौन-सा स्थान दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस वर्ष सीनियर ग्रेड आशुलिपिकों की ३००–५०० रु० के वेतन-क्रम म निम्नलिखित स्थायी नियुक्तियां हुईं :

२० नियुक्तियां १ अगस्त, १९६३ से

१ नियुक्ति १ अक्तूबर, १९६३ से

प्रथम २० व्यक्ति १ अगस्त, १९६३ के पहले २० स्थायी सेलेक्शन ग्रेड आशुलिपिकों के पदों पर स्थायी थे । और चूंकि सीनियर ग्रेड आशुलिपिकों का काडर उनके पदों को समाप्त करके बना था, उन्हीं को इन २० नये पदों पर स्थायी कर दिया गया । पहली २० नियुक्तियां तो उन्हीं लोगों की हुईं जो पहले से सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर स्थायी थे । शेष एक नियुक्ति मुख्य मंत्री जी के स्टाफ पर की गई और जिस व्यक्ति को मुख्य मंत्री जी ने चुना उसी की नियुक्ति कर दी गई क्योंकि वह पद स्टेनोग्राफरों के पूल पर नहीं था ।

जी हां ।

आशुलिपिकों की ग्रेडेशन लिस्ट में उनका ४६वां स्थान था ।

इनकी नियुक्ति से कोई सुपरसीड नहीं हुआ ।

इस व्यक्ति को फिलहाल स्थायी सीनियर ग्रेड आशुलिपिकों में सबसे नीचे स्थान दिया गया है । लेकिन बाद में वे अपनी original seniority पर आ जायेंगे जो आशुलिपिकों के gradation list में उनका है ।

गोरखपुर जिले में सुरक्षा कोष की वसूली

३०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री जांच करा के एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की विभिन्न तहसीलों से सुरक्षा फंड के अन्तर्गत किन-किन संस्थाओं तथा विभागों से अलग-अलग कितना-कितना रुपया वसूल किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

गोरखपुर जिले के अधीनस्थ चारों तहसीलों में से मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में कुल १६,७५,२४८.०१ रुपया पैसा जमा हुआ है, जिसका विवरण संलग्न सूची में है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा कोष में रु० ८,३५,७५८.७३ न० पै० स्टेट बैंक गोरखपुर में जमा हुआ है जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ९३०—९३१ पर)

३१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री जांच कराकर सदन को यह भी सूचित करेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के १३३ लेखपालों से सुरक्षा कोष में १०० रुपये प्रति लेखपाल तनख्वाह रोक कर वसूल किया गया ? यदि नहीं, तो उन्हें जुलाई, अगस्त, १९६३ माह की तनख्वाह कब दी गई तथा आम तौर पर उन्हें तनख्वाह कब मिलती है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

नहीं। जुलाई, १९६३ माह का अगस्त, १९६३ में व अगस्त, १९६३ माह का वेतन सितम्बर, १९६३ में नियत तिथियों पर वितरित किया गया है।

३२-३३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[हटा दिये गये।]

३४-३६—श्री मतादीनसिंह—(जिला बांदा)—

[५वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ७३-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]।

हरिजन छात्रावास, आजमगढ़

३७—श्री मंगलदेव—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में गत वर्ष को हरिजन छात्रावास वहां के हरिजन सहायक अफसर की देख-रेख में चला था ? यदि हां, तो क्या वह जुलाई, १९६३ से भी चल रहा है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

३८—श्री मंगलदेव—

क्या यह नहीं है कि हरिजन छात्रावास चलाने के लिये जो आदेश जिलाधीश ने हरिजन सहायक अफसर को दिया था उसका पालन नहीं हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। यह आदेश जिलाधीश ने नहीं वरन निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, द्वारा दिया गया था जिसका पालन किया गया है।

फतेहपुर जिले में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

३९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब छात्रवृत्ति अनावर्तीय सहायता पिछड़े वर्गों के छात्रों की शिक्षा सुलभ बनाने की दृष्टि से दी जाती है, तो गत वर्ष जिला फतेहपुर में शिक्षा संस्थाओं एवं विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रवृत्ति की प्रथम किस्त चार माह बाद नवम्बर, १९६२ में देने और बहुतों को विशेषतया राजकीय कन्या इंटर कालेज, फतेहपुर की छात्राओं को पिछले वर्ष की कई महीनों की छात्रवृत्ति अब तक न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

गत वर्ष फतेहपुर की जिला हरिजन सहायक समिति की शिक्षा उप-समिति ने छात्रवृत्तियों का वितरण अपनी बैठक दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ द्वारा किया था और कुछ छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला परिषद् तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्णय लेने के लिये कहा था। सम्पूर्ण निर्णय जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा २४ अक्तूबर, १९६२ को प्रसारित हुये। अतः छात्रवृत्ति की पहली किस्त का भुगतान प्रायः नवम्बर, १९६२ में हो पाया।

राजकीय कन्या इंटर कालेज की ९ छात्राओं के मई-जून, १९६३ के बिल जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में विद्यालय से ही विलम्ब से अगस्त के अन्त में प्राप्त हुये थे। उनका भुगतान ५ नवम्बर, १९६३ को किया गया है। इस विलम्ब का मुख्य कारण यह था कि बिलों में कुछ संशोधन होने थे तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में भी कुछ देरी हो गई थी।

४०—४१—श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)—

[६ ठें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

सहारनपुर जिले में सुरक्षा कोष

४२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले में सुरक्षा कोष के लिये अब तक कितना धन प्राप्त हुआ और उसको किस-किस प्रकार से कहां-कहां भेजा गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सहारनपुर जिले से अब तक सुरक्षा कोष में कुल १९,८१ ६६२.७१ रु० प्राप्त हुये। इसमें मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में १७,६८,१२१.६१ रु० तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में २,१३,५४१.१० रु० प्राप्त हुये। यह कुल रुपया राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, दिल्ली भेजा गया।

४३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नगर सहारनपुर में जो धरती रक्षाकोष में मिली, उसका क्या बना, क्या इस जमीन को देने वाले सज्जनों की तरफ से कोई शिकायत सरकार को मिली है ? यदि हां, तो शिकायत किस प्रकार की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सहारनपुर नगर में कोई भूमि सुरक्षा कोष में सरकार को नहीं प्राप्त हुई, अतः उस पर क्या बना, इसका प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध मे एक शिकायत अवश्य सरकार को मिली कि श्री १०८ स्वामी तुरीयानन्द जी महाराज, संस्थापक 'सत्संग सेवा आश्रम' ने देश भक्ति की सद्भावनाओं से प्रेरित होकर देश रक्षा निधि में भूमि दान दी थी किन्तु आज तक वहां की जनता को उस भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में कोई सूचना व भूमिदान की प्राप्ति का कोई भी पत्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ ।

४४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में शराब के ठेकेदारों ने जो धन N. D. F. में दिया है उसका विवरण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला सहारनपुर में शराब के ठेकेदारों ने सुरक्षा कोष में जो धन दिया है उसका विवरण निम्न है—

(१) शराब के ठेकेदारों द्वारा जमा किया हुआ धन ३५,००० रु० ।

(२) सुपरिन्टेन्डेन्ट एक्साइज द्वारा एकत्रित धन २९,००० रु० ।

सांझक ग्राम की कथित डकैती

४५—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या यह गृह मंत्री को मालूम है कि ११ दिसम्बर, १९६२ को ग्राम सांझक, हलका कोतवाली, मुजफ्फरनगर में डकैती पड़ी थी और डकैतों ने गोली चलायी थी ? यदि हां तो कौन डकैत पकड़ा गया और किस थानेदार ने उसको पकड़ा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

११ दिसम्बर, १९६२ को ग्राम सांझक, हलका कोतवाली, मुजफ्फरनगर में कोई डकैती नहीं पड़ी । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

४६—श्री जयगोपाल—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी थानेदार को इस मौके पर गोली लगी थी और इस केस में किसी को सजा मिली या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रियों पर यात्रा-भत्ता सम्बन्धी व्यय

४७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ मार्च, १९६२ से ३० सितम्बर, १९६३ तक प्रान्तीय मंत्रिमंडल के सदस्यों (मंत्रियों तथा सभा सचिवों) ने कुल कितना-कितना धन प्रति व्यक्ति Travelling allowances के रूप में वसूल किया ?

४८—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मंत्रि-मंडल के सदस्यों के लिए ऊपर का समय में जुदा-जुदा Motor Cars की खरीद तथा देख-रेख पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

४९—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मंत्रियों इत्यादि के हवाई जहाजों द्वारा आने-जाने पर कितना व्यय १ मार्च, १९६२ से ३० सितम्बर, १९६३ तक हुआ तथा हवाई जहाजों के सफर का विवरण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार के सदस्यों (मंत्रियों तथा सभा सचिवों) को मार्ग व्यय, मंत्रियों के लिये मोटर कार्स की खरीद तथा देख-रेख पर व्यय तथा उनके द्वारा हवाई जहाजों द्वारा यात्रा करने एवं उन पर व्यय ठीक उन्हीं नियमों के अनुसार होता है जो क्रमशः उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में सदन द्वारा पारित किये गये अधिनियमों के प्राविधान के अनुसार बनाये गये हैं। उक्त व्यय के आडिट किये जाने का नियम है एवं आडिट रिपोर्ट नियमित रूप से सदन के सामने रखी जाती है।

उपर्युक्त व्यवस्था को देखते हुये सरकार के विचार में प्रश्नों में मांगी गई सूचना एकत्र करने में जितने समय तथा परिश्रम का व्यय होगा। उसकी अपेक्षा कदाचित प्रश्न के उत्तर की उपयोगिता उतनी न होगी।

विकास खंडों द्वारा हरिजनों को सहायता देने के लिए आदेश

५०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार विकास खंडों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सहायता हरिजनों एवं पिछड़ी जाति वालों को दी जाती है, उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जो सहायता मिलने वाली है उसकी एक सूची ब्लाक केन्द्र, तहसील केन्द्र, परगना हाकिम के कार्यालय, जिलाधीश कार्यालय तथा हरिजन सहायक कार्यालय के सूचना पट पर लगा दी जाया करे? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

इस सुझाव के आधार पर आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ९३२ पर)

५१—श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

कासगंज थाने में बलात्कार एवं कन्या अपहरण की घटना

५२—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कासगंज रेलवे स्टेशन, जिला एटा के एक पुलिस कांस्टेबिल के खिलाफ एक कोयला बीनने वाली नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार (जिना बिलजब्र) करने के सम्बन्ध में सितम्बर, सन् १९६३ के शुरू में रेलवे पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखाई गयी? यदि हां, तो कांस्टेबिल के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, ५ सितम्बर, १९६३ को ऐसी एक लिखित सूचना थाने में दाखिल की गई जिसके आधार पर धारा ३७६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा उक्त कांस्टेबिल के खिलाफ कायम किया गया और उसको तत्काल निलंबित (Suspend) कर दिया गया। अभियोग की विवेचना की गई और उक्त लड़की का डाक्टरी निरीक्षण भी कराया गया। जिससे उसकी आयु २०-२१ वर्ष पाई गई और कोई चिन्ह लड़की के शरीर तथा गुप्त अंग पर बलात्कार के सम्बन्ध में नहीं पाया गया। लड़की का बयान एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा १६४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत भी हुआ जिसमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया। लड़की के बयान। उसके डाक्टरी निरीक्षण व विवेचना से किसी अपराध का होना

नहीं प्रतीत हुआ। अतः अभियोग की विवेचना समाप्त करके अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई और कांस्टेबिल को बहाल कर दिया गया।

५३—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या कोई चार्ज शीट उसके खिलाफ भेजी गयी और जांच की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच की गई परन्तु अपराध का होना नहीं पाया गया और चार्जशीट न्यायालय में नहीं भेजी गई।

५४—श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मुहल्ला नाथूराम, कस्बा कासगंज में माह अगस्त, १९६३ में एक गरीब ब्राह्मण की कन्या जब कि वह अपने घर के और लोगों के साथ अपने घर के सामने सो रही थी जिसकी आयु लगभग ११–१२ वर्ष की बतायी गयी है उसको कुछ गुन्डे उठा कर ले गये और उसकी रिपोर्ट थाना कासगंज में लिखायी गयी ? यदि हां, तो उसमें पुलिस ने क्या कार्यवाही की और कोई मुजरिम पकड़ा गया या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। २१ अगस्त, १९६३ को एक ऐसी रिपोर्ट थाना कासगंज पर दर्ज कराई गई जिसके आधार पर धारा ३६३ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और पुलिस द्वारा तफतीश जारी है परन्तु अभी तक न तो लड़की का पता चल पाया है और न कोई मुजरिम पकड़ा जा सका।

५५—श्री गिरवरप्रसाद—

अगर पकड़ा गया, तो पुलिस ने कोई चार्जशीट दी या नहीं ? सरकार ने भविष्य में ऐसी कार्यवाहीयों को रोकने के लिये क्या इन्तजाम किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अभी चार्जशीट दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार का अपराध कई वर्षों बाद कासगंज में हुआ है और इसमें उचित कार्यवाही की जा रही है, इसलिये विशेष इंतजाम का प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले में हत्यायें

५६—श्री महदेवसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, १९६३ में कितने कत्ल व हत्याएं हुयीं हैं ? इन हत्याओं की मुख्य परिस्थितियां क्या रही हैं और प्रशासन ने उनको रोकने का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इटावा जिले में जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, १९६३ में क्रमशः ३, २ और ४ कत्ल व हत्यायें हुई हैं। इन हत्याओं की मुख्य परिस्थितियां पुरानी वैमनस्यता, किसी स्त्री से नाजायज सम्पर्क, छोटे घरेलू मामले पर हुये वाद-विवाद में उत्तेजित हो जाना, पति-पत्नी के आपसी सम्बन्ध, पैसे का लेन-देन आपसी रंजिश, निर्मम-हत्या धन आदि के लोभ में रही है। दो घटनाओं की परिस्थितियां व आधार अभी पता नहीं लग सकी। जहां तक प्रशासन द्वारा इन घटनाओं को रोकने के प्रबन्ध का सम्बन्ध है। ये घटनायें एकाएक ही घटित होती हैं जिनके बारे में आगे से ही जानकारी प्राप्त कर सकना संभव नहीं हो पाता जिससे कि उनको रोका जा सके। घटित हो जाने पर इनमें पूरे प्रकार से विवेचन किया जाता है।

५७-५८—श्री हरिगैनराम—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

५९-६०—श्री दीपनारायणसिंह—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जहानाबाद थाने में नसेनिया ग्राम का बलवा

६१—श्री दीपनारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला फतेहपुर के थाना जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम नसेनिया के दिसम्बर, १९६२ के बलवे के फलस्वरूप, दोनों पक्षों में एक-एक आदमी की मृत्यु चोटों के कारण हो गयी और कई व्यक्ति आहत हुये? यदि हां, तो दोनों पक्ष की ओर से की गई रपटों के समस्त मुलजिमान के खिलाफ पुलिस चार्जशीट क्यों नहीं दे रही है? यदि हां, तो किन-किन के खिलाफ व किन-किन तथ्यों के आधार पर चार्ज शीट दे रही है और किन-किन के खिलाफ १६९ जा० फौ० की फाइनल रिपोर्ट दी गयी है या दी जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला फतेहपुर में थाना जहानाबाद के अन्तर्गत ग्राम नसेनिया में दिसम्बर, १९६२ में दो पक्षों के बीच गम्भीर मारपीट की एक घटना घटी जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों के एक एक आदमी की मृत्यु चोटों के कारण हो गई और एक पक्ष के केवल एक व्यक्ति को कुछ चोटें आईं, जो कि अब स्वस्थ है। पुलिस ने दोनों पक्ष की ओर से की गई रपटों के समस्त मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट नहीं दी है। एक अपराध में इन्दर तथा सुन्दर के विरुद्ध तथा दूसरे अपराध में श्रीराम तथा दशरथ के विरुद्ध चार्जशीट दी गई है। चूंकि दोनों पक्षों के प्रथम सूचना के गवाहों ने अपने बयान में कहा है कि झगड़ा केवल गोरेलाल (मृतक), सुन्दर और इन्दर एक पक्ष तथा रामगोपाल (मृतक), श्रीराम और दशरथ दूसरे पक्ष के बीच ही हुआ और उप-पुलिस अधीक्षक (सर्किल आफीसर) महोदय की घटनास्थल की जांच से और बाद की तफतीश से भी यही निष्कर्ष निकला इसलिये एक अपराध में इन्दर तथा सुन्दर और दूसरे अपराध में दशरथ तथा श्रीराम के विरुद्ध क्रमशः धारा ३०२(३२४)३४ भा० द० वि० के तथा धारा ३०२/३४ भा० द० वि० के अन्तर्गत चालान करके चार्जशीट लगाई गई है। दोनों मामले अदालत सेशन के विचाराधीन हैं। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अपराध न सिद्ध होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई अतएव १६९ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बहादुरगंज में सूचना केन्द्र की आवश्यकता

६२—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया जिला गाजीपुर के अन्तर्गत बहादुरगंज कस्बा में सूचना केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

धनाभाव के कारण नये सूचना केन्द्र स्थापित करना अभी सम्भव नहीं है।

मित्तल रोलिंग फैक्ट्री, मुरादाबाद

६३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या इस साल स्टेनलेस स्टील के कोटे का वितरण हुआ है? यदि हां, तो मुरादाबाद के मित्तल रोलिंग फैक्टरी को उसमें से कितना टन कोटा दिया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

स्टैनलैस स्टील शीट का कोई नियमित कोटा नहीं है। हां, पहले के बार्टर इम्पोर्ट Barter Import द्वारा आये हुये माल में से कुछ का वितरण इस साल किया गया है परन्तु उसमें से मुरादाबाद के मित्तल रोलिंग फैक्टरी को कोई कोटा नहीं दिया गया।

६४---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इस वर्ष मित्तल रोलिंग फैक्टरी को कितने रुपए के एसेंसियलिटी सर्टिफिकेट दिये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस वर्ष प्रथम छःमाही (अप्रैल, सितम्बर, १९६३) में मित्तल रोलिंग फैक्टरी को स्टेनलेस स्टील शीट का १,०९,५०० रु० का एसेन्सियलिटी सर्टीफिकेट चिकित्सालयों में इस्तेमाल होने वाले सामानों के निर्माण हेतु दिया गया है।

६५---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मिस्टिर कपूर, डेवलपमेन्ट आफिसर, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग, कानपुर जिनके विरुद्ध यह साबित हो चुका है कि उन्होंने गत वर्ष पक्षपात करके पन्द्रह टन कोटे में से बैंतीस टन मित्तल रोलिंग फैक्टरी, मुरादाबाद को दिया था, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मिस्टर कपूर के द्वारा कोई पक्षपात नहीं हुआ अतः इस विषय में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

६६---श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

[४ थे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।

बेगमाबाद निवासी बुद्धसेन प्रधान की हत्या

६७---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि २० या २१ अक्तूबर, १९६३ को बुद्धसेन प्रधान, निवासी ग्राम बेगमाबाद, थाना बिलासपुर, जिला रामपुर का इलाके के कुछ व्यक्तियों ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कत्ल के मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

दिनांक २०-१०-६३ को प्रातः ७ बजे बुद्धसेन प्रधान, निवासी ग्राम बगमाबाद को उक्त ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा आहत किया गया था। चोटों के कारण दिनांक २१-१०-६३ को रामपुर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना में नामजद ४ अभियुक्तों का स्थानीय पुलिस द्वारा चालान किया गया। धारा ३०२ भा० द० वि० का मुकदमा अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव इस मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

पुलिस विभाग में हेड क्लर्क और एकाउंटेंट का वेतन

६८---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पुलिस के हेड क्लर्क और एकाउन्टेन्ट के सन् १९३० में मूल वेतन क्या थ और इस समय क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ९३३–९३४ पर)

६९—७०—श्री रियासत हुसैन—

[३१ अक्तूबर, १९६३ के प्र० संख्या २६–२७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

विपिनबिहारी इण्टर कालेज, झांसी में सुनार विद्यार्थी

७१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिलाधीश, झांसी को अगस्त, सन् १९६३ में इस आशय की शिकायत किसी स्वर्णकार व किसी विधायक तथा अधिकारी की मिली है कि झांसी के विपिनबिहारी इन्टर कालेज के प्रिंसिपल सुनारों को सरकार के आदेश के बाद भी पिछड़ी जाति में नहीं मानते और इसलिये सुनारों के बच्चों को पिछड़ी जाति की सुविधा देने से लिखित इनकार कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, यह सत्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

७२—श्री रामकिशोर वर्मा—

[६ ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय बसन्तसिंह की एक सूचना को स्वीकार किया है जो इस प्रकार है :—

"बिजनौर जिले में धान सट्ठी पर लेवी लगने के कारण किसानों ने बाजारों में धान लाना बन्द कर दिया है तथा बाहर से व्यापारी तेज भाव होने के कारण सट्ठी ला नहीं पा रहे हैं । जिला बिजनौर में सट्ठी का आटा बना कर रोटी बनाई जाती है । यह जिला खपत का जिला है । इसमें कभी भी धान पर लेवी नहीं लगाई गई । जिले में पैदा हुए धान के अतिरिक्त बाहर से धान मंगा कर उपभोक्ताओं की मांग पूरी की जाती है ।

जब से लेवी लगी है उपरोक्त कारणों से बाजारों से धान सट्ठी का मिलना बन्द हो गया है । गेहूं आदि खाद्यान्नों के मूल्यों में ५ रुपये प्रति मन तक वृद्धि हो गयी है । अकाल की सी स्थिति पैदा हो गयी है तथा लोग भूखों मरने लगे । जनता में सरकार के प्रति तीव्र असन्तोष एवं अविश्वास उत्पन्न हो गया है । भूखी जनता द्वारा चोरी, डकैती और अन्य अपराधों की स्थिति में वृद्धि हो रही है । सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण करने की दृष्टि से कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । सम्पूर्ण जिले में त्राहि-त्राहि मची हुई है । इस पर माननीय मंत्री कब बयान देंगे ।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

आज्ञा हो तो अभी कुछ कह दूं।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

नियम ५२ के बारे में मेरा भी एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आप नियमों को जानते होंगे कि एक में मंजूर कर चुका हूं तो दूसरा नहीं ले सकता । बसन्तसिंह जी हैं नहीं, इसलिये वह अस्वीकार हो गया ।

हरिशकुमार गंगवार जी का यह दूसरा नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न है । राज्य के सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर कानपुर में कुछ कम्युनिस्टों द्वारा सरकार की चीनी वितरण व्यवस्था को असफल करने के लिये सुनियोजित कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे कि कोटे की शक्कर बहुत से जाली मार्गों से खरीद कर गायब कर दी जाय जनता चीनी न मिलने के कारण बगावत कर दे . . . यह उनका आरोप है । इसे मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है लेकिन मैं इसे मंत्री जी के पास भेज रहा हूं । दूसरी जो नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें हैं वे स्वीकार नहीं की गयी हैं ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

आपसे यहां कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि कमरे में आइये और यहां आप कहते हैं कि कमरे की बात मैं यहां नहीं मानता ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के लिये क्या आवश्यक बातें हैं जिन्हें आपको सूचना में समाविष्ट करना चाहिये, उन्हीं को बतलाने के लिये मैं आपको कमरे में बुलाता हूं । मैं यह वायदा नहीं कर सकता कि आपका विषय जो आप प्रस्तुत करेंगे वह अन्य सूचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण होगा । हो सकता है कि नियम ५२ के अन्तर्गत कोई सूचना आप दें लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न आ जाय, तो उस ही मुझ लेना होगा । नियम ५२ के अन्तर्गत यह है कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्यक्ष की समझ में आये उसे ही प्रमुखता दी जायगी ।

तो मैं जब आपसे कहता हूं कि आप नियम ५२ की सूचना दें तो सिर्फ यह बतलाता हूं कि उसको आप किस तरह से दीजिये । अगर वह सब से अधिक महत्वपूर्ण होगा तो लिया जायगा ।

श्री उमाशंकर—

सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि आपने कहा था कि मैं कमरे की बात को नहीं मानता . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप न आइयेगा । आप बैठ जाइये । वह प्रश्न नहीं है इस वक्त ।

श्री उमाशंकर—

मैं बैठ रहा हूं लेकिन आप यह जो कहते हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

विधान परिषद् सदस्य, कुंवर ज्योतिप्रसाद का घर शाहजहांपुर में पुलिस द्वारा घेरे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

जिलाधीश, शाहजहांपुर ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने बताया है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कुंवर ज्योतिप्रसाद, एम० एल० सी० के हथियारों के लाइसेंस निलम्बित किये। उन्होंने सूचित किया है कि कुंवर ज्योतिप्रसाद के पास और सम्पत्ति के अतिरिक्त एक छोटा मकान है जो किरायेदारों को किराये पर उठता है। अतिरिक्त जिलाधीश (जुडिशियल), श्री अलोपी प्रसाद, जो कि इस मकान में किराये पर रहते थे, शाहजहांपुर से अपने स्थानान्तरण होने पर जून, सन् ६३ में मकान को खाली कर दिया। तदोपरान्त यह मकान श्री अलोपी प्रसाद के स्थान पर आने वाले अफसर के नाम एलाट कर दिया गया परन्तु उक्त आफिसर के आने में देरी हुई अतः उनके नाम किया गया एलाटमेंन्ट का आदेश रद्द कर दिया गया। इसके बाद मकान को एक अन्य आफिसर के नाम एलाट किया गया। तत्पश्चात २४ जून, १९६३ को कुंवर ज्योतिप्रसाद ने इस आशय का एक प्रार्थना–पत्र दिया कि उनका मकान उनके नाम मुक्त कर दिया जाय। इस प्रार्थना-पत्र का निस्तारण (disposal) रेन्ट कन्ट्रोलर तथा इविक्शन आफिसर द्वारा ८–७–६३ को किया गया और मकान एक जुडिशियल आफिसर के नाम एलाट कर दिया गया। इससे पहले कि उक्त जुडिशियल आफिसर उस मकान का कब्जा ले, कुंवर ज्योतिप्रसाद ने एलाटमेन्ट आर्डर के विरुद्ध एक रिवीजन, कमिश्नर के यहां दायर किया। उस पर कमिश्नर ने एलाटमेन्ट आर्डर को स्थगित किये जाने का आदेश दिया। उक्त रिवीजन प्रार्थना-पत्र का निस्तारण कमिश्नर द्वारा दिनांक २०–११–६३ को किया गया। कमिश्नर ने रेन्ट कन्ट्रोल तथा इविक्शन आफिसर को यह आदेश दिये कि वे मामले में और आगे जांच करें और प्रार्थना–पत्र का विधिवत निस्तारण करें। फलस्वरूप रेन्ट कन्ट्रोल तथा इविक्शन आफिसर ने मामले में आगे जांच पड़ताल की और कुंवर ज्योति प्रसाद की गवाही लेने तथा उनके वकील का बयान सुनने के पश्चात दिनांक ५–१२–६३ को उनका प्रार्थना –पत्र खारिज कर दिया। उसी दिन मकान एक डिप्टी कलेक्टर, श्री फतेह बहादुरसिंह के नाम एलाट कर दिया गया जो जुलाई, सन् ६३ से जिले में नियुक्त थे और एक मकान के एलाट किए जाने की प्रतीक्षा में थे। उक्त एलाटमेन्ट आर्डर उसी दिन (५–१२–६३) को कुंवर ज्योतिप्रसाद के एक पुत्र को दे दिया गया तथा उसकी एक प्रति श्री फतेहबहादुर ने भी प्राप्त की। रेन्ट कन्ट्रोल तथा इविक्शन आफिसर ने अपने सप्लाई इन्सपेक्टर को भी यह पता लगाने के लिये भेजा कि मकान खाली है, या नहीं। मकान को देखने के पश्चात सप्लाई इन्स्पेक्टर ने यह रिपोर्ट किया कि मकान बिलकुल खाली है अतएव श्री फतेहबहादुरसिंह ने उसी रात को उक्त मकान का कब्जा ले लिया।

यह रिपोर्ट किया गया है कि दूसरे दिन प्रातः काल श्री ज्योतिप्रसाद के पुत्रों ने अन्य आदमियों के साथ मकान में अवैध प्रवेश किया तथा जबरदस्ती श्री फतेहबहादुरसिंह के कुछ असबाब व सामान को फेंककर एक कमरे पर कब्जा कर लिया। श्री सिंह ने उस समय बड़े ही धैर्य से काम लिया तथा उन नवयुवकों को शांत रखा। यद्यपि उन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किये हुये कमरे को खाली नहीं किया तथापि वे दिन भर शान्त बने रहे। रात्रि के समय कुंवर ज्योतिप्रसाद के पुत्र अपने कुछ नौकरों तथा आदमियों को मकान में छोड़ कर चले गये। उन लोगों ने रात्रि में शोरगुल किया तथा श्री सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को डराया धमकाया। दूसरे दिन सुबह श्री सिंह ने इस मामले के बारे में एक रिपोर्ट की, जो जांच के लिये भेज दी गई। सीनियर इन्सपेक्टर जो मौके पर जांच के लिये गये उनके साथ भी कुंवर ज्योतिप्रसाद के आदमियों ने बुरा व्यवहार किया। जिलाधीश ने रेन्ट कन्ट्रोल तथा इविक्शन आफिसर तथा सीनियर

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

इन्सपेक्टर की रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक के पास आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेज दिया। शाम को जब श्री सिंह घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके परिवार वाले लोग बहुत डरे हुए हैं और कुंवर ज्योतिप्रसाद के पुत्र तथा उनके आदमी बहुत आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं तथा मारपीट की धमकी दे रहे हैं। उसके कुछ ही देर बाद अध्यक्ष, जिला परिषद, श्री एस० के० मिश्रा श्री सिंह के घर गये और उन्होंने श्री सिंह को कुंवर ज्योतिप्रसाद का (जो कि उस समय तक लखनऊ से वापस आ गये थे) यह संदेश दिया कि मकान अवश्य खाली हो जाय वरना उनको घर से जबरदस्ती निकालने के लिये हर मुमकिन तरीके अपनाए जायेंगे चाहे खून खराबी ही क्यों न हो जाय। डर के मारे श्री सिंह अपने मातहत असबाब को दो चपरासियों की निगरानी में छोड़ कर घर से चले गये और इस घटना की एक रिपोर्ट जिलाधीश को दी। यह रिपोर्ट पुलिस के पास भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी।

रात्रि में श्री सिंह के चपरासियों को डरा धमका कर घर से हटा दिया गया। दूसरे दिन (८-१२-६३) प्रातः चपरासियों ने श्री सिंह से इस घटना की रिपोर्ट की। श्री सिंह ने पुनः एक रिपोर्ट जिलाधीश को दी जो कि पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गयी। गम्भीर परिस्थिति के कारण उप-पुलिस अधीक्षक को कुछ पुलिस के सिपाहियों तथा एक सब-इन्सपेक्टर के साथ ८-१२-६३ को अपराह्न में श्री फतेहबहादुर सिंह के साथ उस मकान तक जाने के लिये तैनात किया गया ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे। जब यह पुलिस पार्टी उस मकान पर पहुंची तो उसने यह पाया कि कुंवर ज्योतिप्रसाद अपने दो पुत्रों, जिनमें एक के पास रायफल भी थी जो भरी हुई थी, और १०-१५ आदमियों के साथ वहां पर हैं। इन सब आदमियों ने मकान को खाली करने से या श्री सिंह को मकान में प्रवेश करने से इन्कार कर दिया। कुंवर ज्योतिप्रसाद ने एस० डी० एम० को गाली भी दी। इस पर श्री कुंवर ज्योतिप्रसाद अथवा अन्य किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया और न कोई व्यक्ति गिरफ्तार ही किया गया और न कोई वारन्ट गिरफ्तारी का था।

जिलाधीश ने उपर्युक्त परिस्थिति में कुंवर ज्योतिप्रसाद के हथियारों के लाइसेंसों को निलम्बित करना आवश्यक समझा तथा सम्बन्धित आदेश को पुलिस अधीक्षक के पास कार्यान्वित करने के लिये भेजा। पुलिस अधीक्षक ने एक सब-इन्स्पेक्टर को इस कार्य के लिये नियुक्त किया। कुंवर ज्योतिप्रसाद ने केवल ५ लाइसेंसों और हथियारों को जमा किया और शेष को जमा करने का उन्हें समय दिया गया। जिलाधीश ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने उक्त कार्यवाही शान्ति भंग न होने देने के उद्देश्य से की थी क्योंकि उनको इस बात का डर था कि लाइसेंसी झगड़े के निबटारे के लिये अपने हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं।

कुंवर ज्योतिप्रसाद ने यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा ७ के अन्तर्गत दिनांक ६-१२-६३ को मकान के एलाटमेंट के आदेश को रोकवाने के लिये एक शपथ-पत्र के साथ शासन को लिखा, जिसमें उन्होंने यह लिखा कि उनको उक्त ऐक्ट की धारा ७ (२) के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं मिली है। शासन ने तार द्वारा ६-१२-६३ को स्थगन आदेश जारी कर दिये। लेकिन बाद में चूंकि ७-१२-६३ को जब जिलाधीश ने यह सूचित किया कि श्री सिंह ने स्थगन के आदेश प्राप्त होने के पूर्व ही मकान पर कब्जा कर लिया है। तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किया गया उपर्युक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरर्थक हो गया। जिलाधीश ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर एक केस धारा १०७ जा० फौ० तथा दूसरा १४५ जा० फौ० के अन्तर्गत दर्ज कर दिया गया है।

१०-१२-६३ को विधान परिषद् में यह पहले ही बताया जा चुका है कि आयुक्त, रुहेलखंड डिवीजन को इस मामले से सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर जांच करने का कार्य सौंप दिया गया है। वे शीघ्र ही शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। तब तक के लिये अग्रिम कार्यवाही रोक दी गई है।

आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन इस बात पर विचार करेगा कि इस मामले में कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया, तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी ।

जिला अधिकारियों द्वारा ज्योतिप्रसाद जी की गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रश्न विधान परिषद् की प्रिविलेज कमेटी के विचाराधीन है। अतः यहां इस विषय पर विचार करना तथा टीका-टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है।

इस सम्बन्ध में मुझे सदन को कदाचित ही आश्वासन देने की आवश्यकता है कि शासन तथा मैं सदन के विधायकों के सम्मान को बनाये रखने के लिये अत्यन्त उत्सुक हूं और ज्योंही सही तथा पूर्ण तथ्य ज्ञात हो जायंगे त्योंही यदि किसी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी, तो वह सख्ती से की जायगी ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं प्रश्न करने के पहिले एक जानकारी चाहता हूं कि यह विषय क्या कोर्ट के विचारधीन है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रिविलेज कमेटी के विचाराधीन है और दूसरे कमिश्नर इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यदि किसी की राय मांगी जाय या निर्णय मांगा जाय। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह सबजूडिस है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने डिसएलाऊ नहीं किया है। इस पर बहस का क्या सवाल है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५ तारीख को जब श्री फतहबहादुरसिंह जी ने कब्जा ले लिया तो रात को ज्योतीप्रसाद जी के लड़कों ने चन्द गुण्डों के साथ मकान में घुस कर, पतलून खोलकर नंगे होकर डिप्टी कलेक्टर साहब की लड़की और पत्नी के सामने खड़े होकर, उनकी पत्नी को घसीट कर सड़क पर ले आये ? क्या इसकी सूचना सरकार को है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

इन सब बातों की जांच हो रही है। जांच के उपरान्त ही उत्तर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

क्या इस तरह की कोई इत्तला आप के पास आई है कि वे इस तरह से श्री फतहबहादुरसिंह जी के यहां पहुंचे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि दुर्व्यवहार किया गया, उसको मैंने प्रश्न द्वारा खोल दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपके पास इस प्रकार के दुर्व्यवहार की सूचना है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सूचना इतनी है कि रात को अशान्ति पैदा की। जितनी आप बता रहे हैं हमको ज्ञान नहीं है। इतना है कि उनकी स्त्री को धक्का वगैरह दिया गया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर इस वातावरण में प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं खत्म कर दूंगा। सत्य या असत्य है, इससे सम्बन्ध नहीं है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि यह सही है कि जब यह वाकयात घट रहे थे उस समय माननीय सुचेता कृपालानी जी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्त जी और दूसरे देश के और सूबे के गण्यमान नेता वहां शाहजहांपुर में मौजूद थे ? यदि हां, तो क्या माननीया मुख्य मंत्री स्वयं इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेंगी, पूरे वाकयात पर ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं ७ तारीख को कुछ घंटों के लिए वहां थी भारत सेवक समाज की मीटिंग के सिलसिले में तब मुझे बताया गया कि इस मकान में एस० डी० एम० का परिवार भी कब्जे में है और ज्योति-प्रसाद जी के लड़के और कुछ उनके लोग हैं, कुछ अशान्ति का अंदेशा है। तब मुझ से डी० एम० ने पूछा, क्या करना चाहिए ? मैंने यह इंस्ट्रक्शंस दिये कि कानूनी कार्यवाही करें, मगर कानून से बाहर न जायें, मगर जो सही बात है, वह करें।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक ६-१२-६३ के स्थगन आदेश के बाद भी और उसके पहले उनका कोई कब्जा (श्री फतेहबहादुरसिंह का) उस मकान पर नहीं हुआ था और माननीय कुंवर ज्योति प्रसाद का ही कब्जा था, ६ के स्थगन आदेश के बाद जिलाधीश ने उस पर उनको कब्जा दिलाने की कोशिश की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

हमारे पास जितनी इनफार्मेशन है वह यह है कि एस० डी० एम० का कब्जा उस मकान पर पहले ही हो गया था ?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह मालूम है कि जिस वक्त उनके सामने अभद्र व्यवहार की शिकायत की गयी, तो डिप्टी साहब के परिवार के सामने उन लोगों ने कुछ इस तरह की बात की तो उनके दिमाग पर किस प्रकार का असर पड़ा कि वह बात सही है या गलत ? हमने सुना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो अभद्र व्यवहार किया गया था, उसको काफी अंशों तक सही माना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिस ढंग की शिकायत बता रहे हैं इस ढंग की शिकायत मेरे सामने ७ तारीख को जब मैं थी, तब नहीं हुई। इसके बाद प्राइवेट सोर्सेज से आयी है इसलिए मैं चाहती हूं कि जांच करके सत्यासत्य का पता चले, तब कुछ निर्णय हो सकता है।

श्री झारखण्डे राय—

क्या सरकार बतायेगी कि यह सही है कि माननीय ज्योतिप्रसाद जी के पास आधा दर्जन के लगभग या उससे ज्यादा फायर आर्म्स हैं और उनका लाइसेंस जिलाधीश ने सस्पेंड कर दिया और सरकार ने उसको फिर रेस्टोर कर दिया है, क्या यह बात सही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जब बात बहुत बढ़ गयी तो वहां शान्ति का वातावरण करने के लिए यह सलाह दी गयी कि अगर शान्ति भंग न हो तो आर्म्स रेस्टोर कर दिया जाय। कलेक्टर और कमिश्नर ने इस बात पर सोच विचार करके आर्म्स रेस्टोर कर दिया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

५ तारीख को अलाटमेंट की दरख्वास्त खारिज कर दी गयी ज्योतिप्रसाद जी की, उसके बाद ६ तारीख को अलाटमेंट कर के, तुरन्त कब्जा दिला दिया गया तो, जिलाधीश को इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी ? (व्यवधान)

एक सदस्य—

५ को ही ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन सारे फैक्ट्स के ऊपर जांच करने के लिए कि जिलाधीश ने कितना गलत काम किया है या ज्योतिप्रसाद ने गलत काम किया है, कमिश्नर के पास भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट को अवेट कर रहे हैं ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री ज्योतिप्रसाद का लाइसेंस एक बार पहले भी सस्पेंड हो चुका था ? यदि हां, तो किस कारण ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसा कहा जाता है लेकिन जांच के बाद ही यह बताया जा सकता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस सारे झगड़े के दो-तीन पहलुओं पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ? पहली बात यह है कि जब आयुक्त ने यह आदेश लिखकर जिलाधीश के पास भेजा था कि कुंवर ज्योति प्रसाद की आवश्यकताओं का ध्यान रख कर आप फैसला करें, तो उन्होंने उस फैसले में आयुक्त की सलाह को क्यों नहीं माना ? दूसरा पहलू यह है कि ५ तारीख को रात में कब्जा दिलाने की क्या जरूरत थी जब ६ को सबेरा होना निश्चित था और तीसरा यह कि अगर उन्होंने कब्जा वहां उसका लिया भी था तो जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट की धारायें हैं, जिसमें लैंड लार्ड को सात दिन तक अपील करने की गुंजाइश है, उस अपील की गुंजाइश को इस हेस्टी ऐक्शन से क्यों खत्म किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यही प्रेसाइज बातें हैं जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए और इसलिए कमिश्नर को भेजा गया है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना है कि कुंवर ज्योति प्रसाद जी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और कानून-कायदे की वाकफियत उनको मानी जानी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतनी जल्दी कब्जा दिलाने और लाइसेंस कैंसिल करने तथा इस तरह से जनप्रतिनिधि की प्रैस्टिज को डाउन करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

कुंवर ज्योतिप्रसाद की प्रैस्टिज अगर डाउन हुई है तो उसमें हम सबको खेद है। मगर वहां की लोकल सिचुएशन कैसी थी और किस कारण क्या काम करना पड़ा, वह सारा विषय विचाराधीन है और जब तक पूरी तहकीकात न हो जाय और उसकी रिपोर्ट हमारे पास न आ जाय, तब तक कोई राय कायम करना कोई सही बात न होगी।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)---

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बात तो बहुगुणा जी ने ले ली। दूसरी बात यह है कि ८ तारीख को मैं वहां उपस्थित थी। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी या अन्य यहां के कोई मंत्री खुद वहां जाकर जांच करेंगे या कोई जूडिशियल एन्क्वायरी करायेंगे कि जिस दिन यह बताया गया है कि एस० डी० एम० की घर वाली और उनके बच्चों ने कब्जा ले लिया था, मैंने खुद जांच की है, वह सारे दिन किसी फंक्शन में थीं, वहां के अधिकारीगणों ने और दूसरे लोगों ने, स्त्रियों ने, यह कहा कि उनकी स्त्री और बच्चे बिलकुल यहां नहीं थे। मेरी इस सूचना को आधार मानकर वह इसकी जांच करें कि उनकी स्त्री और बच्चे हरगिज ज्योति प्रसाद जी के घर में नहीं गये, कोई चपरासी वहां नहीं था, कोई चीज उनकी वहां नहीं थी, तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं या उनके कोई अन्य मंत्री जाकर इस चीज की एन्क्वायरी करेंगे कि एस० डी० एम० या डी० एम० का स्टेटमेंट बिलकुल गलत है, वह उस दिन किसी फंक्शन में थे रात तक ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न उनका यह है कि वह चाहती हैं कि जांच मंत्री जी, जो वहां उपस्थित थे, वह करें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मंत्री के जांच करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी हमदर्दी से इस मामले को देखूंगी। ज्योति प्रसाद जी की किसी बात में बेइज्जती हुई हो, तो उसको भी देखूंगी। लेकिन ऐट दि सेम टाइम गवर्नमेंट की रेस्पांसिबिलिटी भी हमारे ऊपर है, डी० एम० चाहे कितना ही अदना क्यों न हो, उसकी भी रेस्पांसिबिलिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन की है और उसको भी देखना पड़ेगा। अगर डी० एम० ने गलती की है तो जरूर उसको सजा दी जायगी और अगर कोई नाजायज बात हुई है तो उसको भी देखा जायगा। लेकिन इश्यूज को प्री-जज करने के लिए हम तैयार नहीं हैं जब तक कि फैक्चुअल इन्फार्मेशन हमारे पास न आ जाय।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कि इसके अलावा और भी कुछ रेट कंट्रोल के मामले कुंवर ज्योतिप्रसाद के खिलाफ हैं ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ज्योतिप्रसाद जी के खिलाफ और भी कुछ मकदमे क्या रेट कंट्रोल के चल रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इसके बारे में कोई ठीक खबर नहीं है। मगर ऐसा सुना गया है गैर-सरकारी सोर्सेज से।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, २७ मुकदमें रेंट कंट्रोल के उनके विरुद्ध चल रहे हैं जिसमें कब्जा वह नहीं दे रहे हैं। वह मुकदमें वहां अदालत में दबे हुए हैं, इसलिए इस हैस्टी ऐक्शन की जरूरत पड़ी, यह हमको खबर है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सन् १९५० में, जब कि माननीय ज्योतिप्रसाद ने ज्यादती करने के लिये हरिजनों पर अटैक किया तो उनके लाइसेंस को जब्त किया गया था और सस्पेन्ड किया था और इस वक्त भी जब कि माननीय मुख्य मंत्री खुद मौके पर मौजूद थीं उन्होंने कानून को तोड़ा है तो ऐसी हालत में जब कि उनके लाइसेंस को सस्पेन्ड किया गया तो सरकार ने लखनऊ से जो रि स्टोर का आर्डर भेजा है उससे एडमिनिस्ट्रेशन पर बुरा प्रभाव पड़ा ह और यह सब सरकार के अन्दर गुटबन्दी के आधार पर किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह जो इन्सिन्युएशन किया गया है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। पहले उनके लाइसेंस को जब्त किया गया इसकी इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है। जब कमिश्नर की रिपोर्ट आयेगी तब सब इत्तिला आयेगी। यह जो कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के आर्डर से लाइसेंस को रिस्टोर किया गया तो यहां से कोई आर्डर नहीं गया। यह परमिशन लोकल अथारिटी देती है। उनको कहा गया कि देख लीजिये, रिस्टोर करना सही है या नहीं, तो उन्होंने यह मुनासिब समझा कि शायद रिस्टोर करने से शहर में शान्ति स्थापित होगी।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उस दिन जब डिप्टी साहब घर से बाहर थे तो उनकी पत्नी को बेइज्जत करने के लिये कुछ लोगों ने उनकी पत्नी की साड़ी खींची और अब क्या शाहजहांपुर शहर में लाउड स्पीकर से इस प्रकार का प्रचार हो रहा है कि शासन के विरुद्ध विजय हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुछ मेरे पास तार चिट्ठी प्राइवेट सोर्स से आये हैं। वहां की जनता की तरफ से, बार एसोसियेशन के मेम्बरों की तरफ से और जिला परिषद् के मेम्बरों की तरफ से आये हैं जिनमें कुछ ऐसी बातों की शिकायत है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

यह श्री फतेहबहादुर सिंह, जिनको अलाटेड बंगले से निकालकर बाहर किया गया उनके बच्चों के द्वारा, उन्होंने परिषद् के डाक बंगले में आश्रय लिया। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि उस डाक बंगले से भी श्री ज्योतिप्रसाद जी ने अपने प्रभाव द्वारा उनको निकाल कर बाहर कर दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसी रिपोर्ट मेरे पास आई है। मगर इसको कन्फर्म करना चाहती हूं। इसलिये रिपोर्ट मांगी है।

श्री रामायणराय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से या उनके पहले के माननीय मुख्य मंत्री से माननीय ज्योतिप्रसाद जी ने यह कहा था कि आपने हमको हरिजन कलेक्टर दिया है, चमार कलेक्टर दिया है और ५४–५५ में माननीय ज्योतिप्रसाद के ऊपर हरिजनों पर ज्यादती करने पर बहुत से मुकदमें चले और हरिजन कलेक्टर से कहा कि तुम चमार हो इसलिये तुमको देखेंगे कि तुम हमारा हुकुम कैसे टालते हो ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। मगर जितनी भी जानकारी है उसमें यह है कि उनके लिये चमार ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको चेक करना है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या सरकार को ऐसी सूचना है कि इस तरह के अलाटमेंट के २७ मुकदमें कुंवर ज्योतिप्रसाद के खिलाफ अदालत में पेंडिंग हैं जिनमें सरकार की तरफ से २७ दूसरे लोगों को अलाट किया गया लेकिन ज्योतिप्रसाद जी ने अपनी राय वाले २७ आदमियों को रख लिया और यह फाइल सरकार ने दबाई हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मेरे पास इतनी डिटेल में इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह हेस्टी ऐक्शन क्यों लेना पड़ा....

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको बुलाया नहीं है। आप बैठिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं मामले को हमदर्दी से देखूंगी, तो इस मामले में उनकी हमदर्दी किस मामले में इस्तेमाल होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

हमदर्दी का मतलब यह है कि लेजिस्लेटर्स की अपनी जगह इज्जत होती है। उस हाउस में मेम्बर्स के मन में यह ख्याल है कि उनके प्रति आफिसर्स को जो ड्यू रेस्पेक्ट देनी चाहिये थी वह नहीं दी गयी। दूसरी तरफ यह शिकायत है कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया, तो मैं देखूंगी कि कानून की सुरक्षा रहे। मेरे सामने सबसे बड़ी चीज कानून है। उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिये। (तालियां) इसके साथ ही साथ अगर बेजा ढंग से हमारे सदस्य का अपमान किया गया है तो वह भी मुझे देखना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं है तो कानून जैसा कहेगा वैसा होगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद---

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिला परिषद् के बंगले में श्री फतेहबहादुर-सिंह, डिप्टी कलेक्टर बिना जिला परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बैठ गये थे और इसलिये उनको कानूनन निकालना पड़ा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री राममूर्ति अंचल---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस तरह की कोई सूचना आयी है कि जब फतेबहादुरसिंह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां गये थे उनके वहां से लौटने के बाद उनकी पत्नी ने रोकर यह बतलाया कि उसकी साड़ी खींची गयी और इस पर जब वे नाराज हुये, तो उनको पीटा गया ? दूसरे फतेहबहादुरसिंह जी को अब उस जगह से भी निकाल दिया गया जहां वह जाकर रह रहे थे ? तो क्या उनके रहने की कोई व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

प्रश्न के पहले अंश के सम्बन्ध में तरह-तरह की रिपोर्टें आ रही हैं। मेरे पास इतने तार और चिट्ठियां आई हुई हैं और इसलिये इस बारे में कुछ कहना फेयर न होगा। यह रिपोर्ट कितनी सच है और कितनी झूठ, इसे मुझे देखना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं जहां तक इस आदरणीय सदन का रुख देख रहा हूं वह यह है कि इसका एक हिस्सा कहता है कि उन्होंने गलती की और दूसरा हिस्सा समझता है कि जो व्यवहार हुआ वह ठीक है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में अन्वेषण करना चाहती हैं। तो इस स्थिति में क्या यह उचित होगा कि इस पर और प्रश्न किये जायं ?

(व्यवधान)

तो अगर आप लोग प्रश्न करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं समय दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इस हाउस का सेंस श्री ज्योतिप्रसाद के खिलाफ है।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि श्री ज्योतिप्रसाद जी ने ५० हजार रुपये का कर्जा कोआपरेटिव से मकान बनाने के लिये लिया था और इस सम्बन्ध में भी इस मकान के एलाटमेंट से पहले जिलाधीश ने उनको बुलाया था और इस एलाटमेंट के बारे में भी उनसे बातचित की थी। इस पर वे जिलाधीश से नाराज हो गये थे। फिर जब आधा मकान उनको देकर आधे का एलाटमेंट हुआ इससे भी ज्योतिप्रसाद जी संतुष्ट नहीं हुये और उन्होंने एस० डी० एम० को निकालने की धमकी दी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जो भी बातें जांच के दायरे में आयेंगी उनकी जांच होगी। इस इन्सीडेन्ट से सम्बन्धित ही बातों की जांच होगी। पूरे इतिहास की जांच नहीं होगी।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

मेरी इत्तला को सही मान कर क्या माननीय मुख्य मंत्री इसकी जांच करायेंगे कि कांग्रेस के अन्दर कुछ ऐसी खराब दलबन्दी हो गयी है जिसके कारण उनको स्वयं मुख्य मंत्री पद से हटाने के लिये ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और ज्योतिप्रसाद जी पुराने जमींदार और अंग्रेजों के वक्त के दलाल शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, किन्तु ऐसे ही व्यक्ति रहे हैं जो आज एक गुट से संबन्धित होकर इस घटना का इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि यह शासन बदनाम हो जाय ?

श्री अध्यक्ष---

इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस घटना के संदर्भ में कमिश्नर द्वारा जो जांच करा रहे हैं इसके पूर्व वहां के जिलाधीश का कहीं और ट्रांसफर करेंगे या वे उस बीच वहीं रहेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं बार-बार कह चुकी हूं जब सारे फैक्ट्स मेरे सामने होंगे तभी मैं कुछ करूंगी। बिना सारे फैक्ट जाने हुये कुछ करना सही बात न होगी और वह इंसाफ नहीं होगा। हमें कलेक्टर को हटाना है, या उसे फांसी देना है, जो भी करना है वह फैक्ट्स जानने के बाद ही होगा।

श्री झारखण्डेराय---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस केस की गम्भीरता को देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि यह मामला दूसरे हाउस में भी उठाया गया तथा उनको आर्म्स के लाइसेन्स वापस मिल जाने के बाद शाहजहांपुर में उन्हें इस बात की भी धमकी दी है और हरिजन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि अब जिलाधीश वहां नहीं रहने पायेंगे, हाई कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच करायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैंने पहले कह दिया कि मैं कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई और कदम उठाऊंगी ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री जी को इसकी इत्तला है कि इस मामले को कानूनी चारागोयी छोड़कर कुछ मंत्री टेलीफोन से एस० पी० और डी० एम० से बात कर रहे हैं और इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसकी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि रुहेलखंड डिवीजन के जो कमिश्नर हैं वह कायदे से कलेक्टर ही हैं, केवल वहां आफिशियेट कर रहे हैं । तो ऐसा हो सकता है कि कलेक्टर की जांच एक दूसरे कलेक्टर के द्वारा हो तो कुछ असंतोष व्याप्त हो सकता है, इसलिये क्या सरकार किसी और कमिश्नर से जांच करायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही जो मुनासिब कार्यवाही होगी, वह की जायगी ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

मकान का एलाटमेंट आर्डर पास हो चुका था और उस बंगले में श्री फतेहबहादुर सिंह और उनकी फेमली रह रही थी । श्री ज्योति प्रसाद के लड़के १०-१५ गुंडों को ले कर घुस आये और उनकी फेमली के साथ अभद्र व्यवहार किया । उनके पास भरा हुआ रिवाल्वर भी था और उससे उनको धमकाया भी तथा वे फौजदारी करने पर उतारू थे । ऐसी हालत में क्या कोई गिरफ्तारी भी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस तरह की घटनायें एक लेजिस्लेटर के साथ अफसोसनाक हैं या नहीं? अगर इसी तरह की घटनायें होती रहीं तो डेमोक्रेसी के लिये वह एक मनहूस दिन होगा । तो क्या साफ-सुथरी इंक्वायरी कराने के लिये वहां से डी०एम० को हटाया जायगा ? और क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि डी०एम० के एजेंट्स लेजिस्लेटर्स में फिर रहे हैं और उनकी केनवेसिंग कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल हो चुका है और उसका जवाब भी हो चुका है ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--

श्रीमन् मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । माननीय सदन के सदस्यों को किसी का एजेंट कहना यह सदस्यों का अपमान है, कृपा करके इन शब्दों को वापस कराया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूं कि ज्योति प्रसाद के दलाल यहां फिर रहे हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मैं इस प्रश्न से घबरा रहा हूं। आये दिन ये [× ×] कांग्रेसी घटनायें घटाते हैं। इन्होंने गांधी जी के बाद कांग्रेस को सड़ा दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं।

श्री एस०जी०दत्त (जिला कानपुर)--

गुन्डा कांग्रेसी नहीं, सोशलिस्ट हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कलाम इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा है "कांग्रेसी गुन्डा", यह कहां तक सही है ? यह सदन का अपमान है।

श्री लखीसिंह--

यह मैंने नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे.....

श्री एस० जी० दत्त--

हम तो उनको सोशलिस्ट गुन्डा नहीं कहेंगे लेकिन उनसे वह शब्द वापस कराये जायं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने वह नहीं सुना, अगर कहा होगा तो वह शब्द निकाल दिये जायेंगे।

श्री एस० जी० दत्त--

निकाले ही न जायं बल्कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और वापस कराये जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शांति रखें, आप सब बैठ जायं।

श्री एस०जी०दत्त--

उन्होंने 'गुन्डा' शब्द इस्तेमाल किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

बिलकुल नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मैं अभी तय किये देता हूं। (माननीय लखीसिंह जी से) क्या आपने गुन्डे कांग्रेसी कहा था ?

श्री लखीसिंह--

मैंने गांधी जी के बाद जो अवसरवादी बने हैं, कहा था।

एक सदस्य--

यह शब्द भी काफी अपमानजनक है।

(व्यवधान)

[× ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

जिस किसी को शिकायत करना हो वह लिखित रूप में विशेषाधिकार का प्रश्न इस सम्बन्ध में उठा सकते हैं। अब यह प्रश्न समाप्त होता है क्योंकि अब हम इस पर शांतिपूर्ण वातावरण में विचार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर अधिक से अधिक २० मिनट या आधा घंटा दिया जाता है और इस पर अब ४० मिनट हो चुके हैं, अब यह विषय खत्म हुआ।

२१ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न ६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २१ मार्च, १९६३ को श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में श्री चन्द्रजीत यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि---

"क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनका ध्यान छोटेलाल की उस दरख्वास्त की ओर भी गया है जो उन्होंने २३ जनवरी, १९६३ को दी थी तथा जिसकी कापी माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे पुलिस अधिकारियों को भी भेजी थी? जिसमें उन्होंने विस्तार के साथ यह लिखा है कि उसके पति ने थाने में रिपोर्ट लिखाई, जो ठीक नहीं लिखी गई। फिर वह एस० पी०, इटावा के पास गया और वहां उसने विस्तार से रिपोर्ट लिखाई कि पुलिस ने सही रिपोर्ट नहीं लिखी, इसलिये इस घटना में साजिश मालूम होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह स्त्री ढाई तीन हजार का जेवर पहने थी। तो क्या सारी घटना की मंत्री जी फिर से जांच करायेंगे? इस चीज की सारी रिपोर्ट वहां के दैनिक और साप्ताहिक अखबारों तथा दिल्ली के पत्रों में प्रकाशित हुई है तथा उनकी कापी मेरे पास है।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि---

"दिनांक २३ जनवरी, १९६३ की शिकायत जिलाधीश के पास भेज दी गई है। उसकी अभी पूरी जांच नहीं हुई है। उसके बाद की शिकायतें भी भेज दी गयी हैं। यह शिकायत छोटेलाल की आयी थी। एक शिकायत बंसलाल की भी आयी थी जो डिप्टी-इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस को भेज दी गई है।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में लगा। सही उत्तर इस प्रकार है---

"दिनांक २३ जनवरी, १९६३ की श्री छोटेलाल की शिकायत जिलाधीश, इटावा के पास भेज दी गई है। उसकी अभी पूरी जांच नहीं हुई है। इसी प्रार्थना-पत्र की एक प्रतिलिपि मेरे कार्यालय से पुलिस अधीक्षक, इटावा को भेजी गई है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ९३५ पर)

२६ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ५ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---

अब आइटम नम्बर ९ के ऊपर गृह मंत्री शोधन वक्तव्य देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २६ सितम्बर, १९६३ को श्री रामसुन्दर पांडेय के दिनांक २० सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के संशोधित उत्तर के सम्बन्ध में श्री रामआसरे ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि:

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस थानेदार के खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दी थी, पुलिस अधीक्षक ने उसी थाना इंचार्ज के पास उसको इंक्वायरी के लिये भेज दिया ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि:

"यह बात सही नहीं है। इसकी जांच सर्किल इंस्पेक्टर और सी० ओ० ने भी की"।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में लगा। सही उत्तर इस प्रकार है :—

"यह बात सही नहीं है। इसकी जांच सर्किल आफिसर ने की।"

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ९३६ पर)

१९६३–६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब विवाद के बारे में दो तरीके हैं। एक तो यह कि सामान्य बहस हो। दूसरे संशोधन के भी प्रस्ताव उन पर हों, संशोधन पर अगर बहस होने लगेगी तो उसी में दिन भर लग जायगा। मैं समझता हूं सामान्य बहस हो जाय और संशोधन प्रस्तुत न हों।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

समय कुछ निश्चित कर दिया जाय, क्योंकि सभी लोग बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े चार बजे तक समाप्त कर दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

५ बजे तक बहस हो। आधा घंटा काफी समय है ग्रांट पेश करने के लिये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

१५ और १० मिनट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं कर रहा हूं। १५ मिनट प्रस्तावक के लिये और अन्य सदस्यों के लिये १० मिनट।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

काफी सदस्य बोलने वाले हैं। १५ मिनट आप मूवर को दे दें और बाकी को ७ मिनट।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है। माननीय माधोप्रसाद जी, आप प्रारम्भ करेंगे ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

जी हां ।

श्री अध्यक्ष---

तो १५ मिनट आप ले लें, बाकी सब को ७, ७ मिनट । मिनिस्टर्स तो प्रस्तावक की श्रेणी के रहेंगे ।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, जो बजट प्रस्तुत है इसके सब विषयों पर तो बोलने में असमर्थ हूं, समय बहुत कम है इसलिये जिनमें मेरी दिलचस्पी है उन्हीं २,३ विषयों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा । जितनी मदें पेश की गई हैं सभी को देखने से ऐसा मालूम हुआ कि अधिकांश टोकन ग्रान्ट्स के लिये हैं । ३५ मदों में से २०, २२ मदों में टोकन ग्रान्ट्स हैं । बहुतों में यह लिखा गया कि जो टोकन ग्रान्ट्स हैं यह उस मद से जो बचत होगी उसी से पूरा करेंगे । समय कम है इसलिये केवल कहता ही चलता हूं । इस बारे में केवल इतना ही कहना है कि जब ओरिजनल बजट पेश किया गया तो जो योजना सरकार ने रखी थी वह पूरी नहीं हुई इसलिये बचत हुई । इसलिये ऐसा लगता है कि काम करने में सरकार या तो बहुत ढीली है या अनुमान गलत था । सबसे आश्चर्य यह है कि ऐग्रीकल्चर विभाग में लगभग हर ग्रांट में यह कहा गया कि नई मांग नहीं मांगेंगे, इसी मद से जो बचत होगी उसी से पूरा करेंगे । ऐग्रीकल्चर, जिसको सरकार और हम सब प्रायरिटी देना चाहते हैं, देना भी चाहिये, उसकी स्थिति यह रही कि अपने शेड्यूल के अनुसार काम नहीं हुआ । अतः ऐसे आवश्यक आइटम्स पर सरकार ढिलाई दिखाती है तो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है ।

अब मैं थोड़ा सा समय कमी के कारण पुलिस पर आना चाहता हूं । पिछली बार आपने कहा था कि पुलिस की मद पर बोल लीजियेगा । पुलिस की मद में ८,७०० रु० वेहिकिल्स के लिये और १३,२०० रु० की रेकरिंग ग्रांट सरकार ने मांगी है । मैं समझता हूं कि यह बिलकुल व्यर्थ है । कहा गया है कि डी० आई० जी० गांवों में जायेंगे और इसका प्रभाव पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इस से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । झांसी और आगरा डिवीजन में अच्छा प्रभाव नहीं देखते हैं, हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है । पहली बात तो यह है कि पब्लिक कोआपरेशन पुलिस से बिलकुल नहीं है । पुलिस पोलिटिकल इनफ्लुएंस में काम करती है । तीसरी बात यह है कि पुलिस में से जनता का विश्वास उठ गया है । झांसी में ओवरसियर का अपहरण हुआ जब कि डी० आई० जी० वहां घूमते थे, इतना पुलिस फोर्स था । पब्लिक कान्फीडेंस इसलिए जरूरी है कि तभी अपराध कम होंगे और वह कान्फीडेंस तब तक नहीं होगा जब तक पुलिस गलत चालान करना बन्द नहीं करेगी ।

इसके अलावा जब तक पुलिस पर से पोलिटिकल इनफ्लुएंस नहीं हटेगा तब तक उसको जनता का विश्वास नहीं प्राप्त होगा । हमने देखा है कुछ स्थानीय नेता समझते हैं कि यह सरकार जनता की नहीं है, बल्कि कांग्रेस की है, इसलिये कांग्रेस का प्रभाव वह अपने ऊपर लेते हैं हमको दुख होता है यह कहते हुये कि हमारे जिले में, अन्य जिलों में भी, ऐसा लोगों में विश्वास है कि कांग्रेस के साथ पुलिस पक्ष करती है और दूसरे लोगों के साथ नहीं करती है, इसलिये उनका पुलिस में से विश्वास उठ गया है कि उनको इंसाफ मिलेगा । गलत लोगों का चालान करने से ऐसा होता है जिस से जनता का विश्वास पुलिस को प्राप्त नहीं है । तो जब तक पुलिस पब्लिक का कान्फीडेंस प्राप्त नहीं करेगी तब तक डी०आई० जी० के आने-जाने से कुछ नहीं होगा । मैंने अमरीका और इंगलैण्ड के पुलिस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, वहां एक लिये जो अफसर होता है यह सरकार को अवगत है । वहां की सरकार यह भी देखती है कि वहां की पुलिस पर पब्लिक अपना विश्वास क्यों खो रही है, पर हमारे प्रदेश की सरकार इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती इस कारण यह याद रहे कि जब तक पुलिस पब्लिक कोआपरेशन प्राप्त नहीं करती तब तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे प्रदेश की पुलिस बिलकुल असफल रहेगी और किसी भी तरह वह ला ऐंड आर्डर मेनटेन नहीं कर सकती। राजनीतिक हत्या कानपुर में हमने देखी, देहरादून में एक दूसरी पार्टी के होने के कारण उनको सताया गया और मेरठ में और झांसी में भी ऐसा ही हुआ। यह स्थिति है पब्लिक मान कोआपरेशन और पब्लिक इन्फ्लुएन्स होने के कारण। अगर पुलिस कोआपरेट करती तो वहां भी पुलिस पूरा काम करती और तभी उन्हें सफलता मिलती। जैसा मैं अभी कह रहा था कि पिछले एलेक्शन में मैं जौनपुर गया था। मैंने देखा कि गृह मंत्री जी का उनके ऊपर इन्फ्लुएन्स था। मैं उनके व्यक्तित्व पर कोई आक्षेप नहीं करता हूं, परन्तु मुझे पता चला कि उन्होंने एक इस आशय का आदेश दिया कि जिसको चाहो पीटो, हम देख लेंगे तो यह एक दूसरा पोलिटिकल इन्फ्लूएन्स है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि डी० आई० जी० आदि की तनख्वाहों पर खर्च करने से अपराध कम नहीं होंगे। अपराध तो उसी समय कम होंगे जब पुलिस पर पब्लिक का विश्वास होगा।

दूसरी बात ऐग्रीकल्चर के सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था कि यह सरकार ऐग्रीकल्चर में दूसरी विधि से काम करती है। हमारी सरकार मूल बात भूल गई है। हमारे जो ८५ प्रतिशत पीजेन्ट्स हैं उनकी दशा बहुत ही खराब है। उनके पास फर्टीलाइजर की कीमत नहीं है उनके पास सीड लेने की कीमत नहीं है, इर्रीगेशन के दाम देने को धन नहीं है। हमारी सरकार यह सब कुछ नहीं सोचती। हमारी सरकार तो केवल रूरलाइजेशन के स्थान पर अरबैनाइजेशन की ओर चलती है। इन योजनाओं से कुछ मसला हल नहीं होगा। आप रिसर्च करें और यह देखें कि किस स्वायल में किस प्रकार का फर्टीलाइजर प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप खेती को सुधारना चाहते हैं तो किसान को सीड आदि की सुविधायें देनी पड़ेंगी। आप जो किसानों को तकावी देते हैं उनसे उस पर सवा आठ परसेन्ट सूद लेते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज को देते हैं तो उन से केवल ३ प्रतिशत या ४ प्रतिशत सूद लिया जाता है। अगर ऐग्रीकल्चर में कोई कैलेमिटी हो जाती है तो थोड़ी मालगुजारी माफ कर दी जाती है तब इंडस्ट्रीज के बारे में क्या होता है, उनको घाटा पूरा करने के लिये इनकम टैक्स की माफी हो जाती है। तो यह जो हमारा स्टैप मदरली ट्रीटमेंट है उसको हटा कर किसानों को जो कि देश की रीढ़ की हड्डी हैं मजबूत किया जाय और उनको फर्टीलाइजर, इर्रीगेशन के लिये और बीज के लिये सरकार उनकी मदद करे। मुझे दुःख है कि यह सरकार आंकड़ों पर, जो अधिकारीगण बनाते हैं, स्टेटिस्टिक विभाग के ऊपर निर्भर रहती है। मैं समझता हूं कि वे आंकड़े जिन अधिकारियों द्वारा बनाये जाते हैं उनकी कैरेक्टर रोल बी० डी० ओ० लिखते हैं और वे जो रिपोर्ट बनाते हैं वे बी०डी०ओ० के ही कहने पर बनाते हैं। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खेती में कोई उन्नति हुई है।

प्लानिंग की जितनी चीजें हैं वे सब इसी आधार पर चल रही हैं। मेरा सुझाव यह है कि एक कमेटी बने दोनों सदनों की और उसका यह कर्त्तव्य हो कि हर वर्ष के अन्त में या पहले यह रिपोर्ट करे कि प्लानिंग और एग्रीकल्चर में क्या प्रगति हुई, ताकि सरकार उसके अनुसार कार्य कर सके।

दूसरी बात मैं मेडिकल के बारे में कहना चाहता हूं। जो साधारण व्यक्ति गरीब हैं उसके सम्बन्ध में मुझे कटु अनुभव है। मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां मलेरिया, कोढ़ और एलिफेन्टेटाइटिस वगैरह बीमारियां हुआ करती हैं और मैं वहां का मापदंड सारे प्रदेश के लिये रखता हूं। आज गांव में जाने के लिये डाक्टर तैयार नहीं हैं। गरीब वहां जा कर दवा नहीं पाता और अगर उसे चोट लग जाय या कीमती दवा की जरूरत हो तो आदेश यह होता है कि दवा खरीद लाओ। उसी दवा के लिये हमसे ग्रान्ट मांगी जाती है, लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न की यह सरकार अथवा महात्मा गांधी के पुराने शब्दों में कभी इस सरकार ने यह सोचा कि जितनी योजनाएं रखी जा रही हैं वे गरीब को कितना लाभ पहुंचा रही हैं। मेडिकल विभाग गरीब को क्या लाभ पहुंचा रहा है? मुझे मालूम है कि हाथ टूटा है और वह इसलिये वापस चला गया कि प्लास्टर नहीं है। दवायें अस्पताल की बाहर बिक रही हैं, लेकिन उनसे कह दिया जाता है कि खरीद लाओ। जिला अस्पताल में भरती के लिये कहा जाता है तो भरती नहीं की जाती।

[श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी]

फीस डाक्टर को दे दो, भरती हो जायगी। बस्ती जिले में खुद का तजुर्बा है कि ऐसा ही वहां होता है। योजनाएं आपने बनाई रुपये आप मांगते हैं, लेकिन उस गरीब को क्या लाभ ?

गांव में जो अस्पताल हैं वहां डाक्टर नहीं हैं। रेलवे में गड़बड़ी के कारण चिट दे दिया करते हैं तो उसी तरह से वहां भी चिट मिल जाया करे, डाक्टर के पास जाइये खाली नहीं हैं, तो लिख कर मिल जाय कि अभी खाली नहीं है। दो कमेटियां बैठीं थीं। एक कमेटी के चेयरमैन गुप्ता जी थे। दूसरे मुदालियर तथा भोर कमेटी बैठी थीं, लेकिन उनकी सिफारिशें ताक पर रख दी गयीं। मुदालियर कमेटी में खास चीज यह थी कि जो डाक्टर रजिस्टर्ड हो उसको रजिस्टर करने के पहले दो साल देहात में ट्रेनिंग लेनी होगी, लेकिन यह चीज आज तक कार्यान्वित नहीं हो सकी। मुझे जहां तक याद है ४५० अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं कम्पाउन्डर नहीं है और देहात में लोगों को दवा नहीं मिलती। मेरा यह सुझाव है कि एक मोबाइल हास्पिटल की व्यवस्था की जाय और उसे देहातों में भेजें ताकि उनको लाभ हो सके।

हमारे यहां एम० बी० बी० एस० और बी० एम० बी० एस० का भी झगड़ा चल रहा है। उनका कहना है कि दोनों के लिये कोर्स एक है। मदरास सरकार ने अभी एक निर्णय दिया है कि मदरास सरकार उनको हायर स्टडी का मौका देगी और एमर्जेंसी कमीशन में उनको भेजा जायगा ताकि उनकी ग्रीवांसेज दूर हो सकें। हमारी सरकार भी इस बात की व्यवस्था करे कि बी० एम० बी० एस० वाले एम० डी० की डिग्री ले सकें या कोई अन्य व्यवस्था कर दे जिससे वे उतने योग्य हो सकें और देहात में उनकी सेवाओं का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जा सकता है।

श्रीमन्, मैं एक शब्द ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। दुर्भाग्य से उस विभाग के मंत्री महोदय नहीं हैं। यह डिपार्टमेन्ट सबसे अधिक रुपया कमाता है, लेकिन जिसपर भी अपने यात्रियों का कोई ध्यान नहीं रखता। इसमें कंस्ट्रक्शन आफ बिल्डिंग्ज फार टूरिस्ट्स बिल्डिंग्ज फार लो ग्रुप्स इन हरिद्वार और टूरिस्ट्स के लिये मसूरी यहसब रखा गया है, लेकिन क्या कभी सरकार ने सोचा कि कितने ऐसे स्टेशन्स है जहां न मूत्रालय हैं, न शौचालय हैं और न यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान है। दैवात् इस विभाग के मंत्री महोदय इतने बड़े काबिल हैं कि मैं और बिपिन बिहारी जी उनके घर गये तो मैं दुख के साथ कहता हूं कि वहां उनकी बात कीमत पर बिक रही थी। जब चार-चार बार उनसे कुछ पूछा जाता था तो वे एक शब्द बोलते थे और बाकी अपने काम में लगे रहते थे। पता नहीं किस तरह से तिकड़मबाजी से या अपनी योग्यता के कारण मंत्री बने हुये हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, जिसमें हमने अपनी बेइज्जती महसूस की। मैंने गुप्ता जी से भी कहा कि यदि हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार उनका है तो अन्य लोगों के साथ कैसा होगा।

श्री अध्यक्ष ---

माधोप्रसाद जी "तिकड़मबाजी" शब्द शोभनीय नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी ---

हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है और अगर हम इस अवसर पर आपसे न कहें तो कब और किससे कहें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है लेकिन "तिकड़मबाजी" शब्द अशोभनीय है। आपने कहा कि वे तिकड़मबाजी की वजह से अपनी जगह पर हैं यह अच्छा नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी —

ठीक है, श्रीमन्, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन किस चालाकी से वे वहां पर हैं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत व्यक्तिगत आक्षेप के विरुद्ध हूं, लेकिन हमें दुख अवश्य हुआ है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां मूत्रालय नहीं हैं, शौचालय नहीं है और न ठहरने का स्थान है। मैं बांसी का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। इसी प्रकार और स्थानों पर भी होगा।

अब मैं इंडस्ट्रीज के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। पब्लिक सेक्टर में जो इंस्ट्रीज हैं उनके लिये एक कमेटी होनी चाहिये जो उसकी कार्यप्रणाली को देखती रहे और सरकार को अवगत करा सके कि कितनी प्रगति वह और कर सकती है, ताकि हमारी सरकार इसमें पीछे न रह जाय। मेरा अनुभव तो यह है कि इंस्ट्रीडज के लिये जो रुपया बंटता है उसमें गड़बड़ी होती है। मैं अपने जिले के बारे में कहता हूं। मैंने जिलाधीश से कहा कि मेरे जिले में ऐसे ७० फीसदी लोग हैं जो रुपया लेते हैं और इंडस्ट्रीज का काम नहीं करते हैं। मुझे क्षमा किया जाय जब हम कुछ कहते हैं तो यह होता है कि हम विरोधी पक्ष के लोग हैं हमारी बात सुननेवाला कोई नहीं होता, क्योंकि हमें समझा जाता है कि पालिटिकली अपोनेन्ट हैं। जब कोई प्लान होता है तो हमसे कहा जाता है कि हम सब लोग मिल कर करें और जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो कहा जाता है कि यह कांग्रेस का काम है। जायज और नाजायज दोनों तरह से सरकारी तरफ के सदस्यों के द्वारा जो रिकमेन्डेशन्स होते है उनसे रुपया लोग पा जाते हैं। रुपया लोग ले जाते हैं कोई शादी करते हैं, कोई बैल खरीदते हैं और इंडस्ट्रीज कोई नहीं चलाते। तो इस पर कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अब एक बात पूर्वी जिलों के बारे में जो योजना कमीशन है उस सम्बन्ध में मुझे कहना है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह सैम्पुल था, लेकिन हमने यह देखा कि उन्होंने बनारस ले लिया, जौनपुर ले लिया और बस्ती और गोरखपुर को छोड़ दिया और उस बस्ती जिले को छोड़ दिया जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार की एक समिति ने यहां तक कह दिया है कि ९८ फीसदी उस जिले के लोग बिलो पावर्टी लेविल रहते हैं। पता नहीं क्यों उन्होंने जो ४ जिले रखे उनमें बस्ती को क्यों स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चार जिलों के बारे में जो कमेटी की रिकमेंडेशन्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में कई लाख रुपये की जरूरत होगी। मैं चाहता हूं कि उन स्कीमों में हमारे बस्ती जिले का विशेष स्थान रखें, क्योंकि वह बहुत ही गरीब जिला है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले कि अनुपूरक अनुदानों पर कुछ कहूं, कुछ शक मुझे हो गया है जिसका स्पष्टीकरण माननीय वित्त मंत्री जी कर दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरी ऐसी धारणा रही है कि अनुपूरक अनुदान इसलिये रखे जाते हैं कि बजट के समय जिन अनुदानों पर व्यय का अनुमान हमारा था उनमें कुछ ज्यादा खर्च किसी विशेष कारण से होना है तो उसको ले आया जाय या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गयी है जिसके लिये कोई नया व्यय आया हो तो उसके लिये यह अनुपूरक अनुदान है, लेकिन जब मैं इन अनुपूरक अनुदानों को देख रहा था तो मैंने देखा कि इसमें कुछ ऐसी मदें डाल दी गयी हैं जिनके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि कोई इमरजेंसी के कारण हैं। यदि हमने इस प्रकार की परम्परा अनुपूरक अनुदानों की डाली तो वह ठीक नहीं पड़ेगी, क्योंकि बजट के समय इतना ज्यादा अवकाश रहता है कि हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन अनुपूरक अनुदान के समय इसपर ज्यादा विचार नहीं हो सकेगा।

यह ६ करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान हम लोगों के सामने प्रस्तुत है लेकिन, इसमें गाजीपुर और बलिया जिले के लिये कुछ नहीं है। बहुत खोजते-खोजते एक जगह गाजीपुर का नाम मिला कि पटेल कमीशन ने ४ जिलों के लिये जो सिफारिश की है उसमें यह जिला भी है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

उसमें सामान्य प्रशासन के मद में ६८ हजार रुपये का व्यय चाहिये । पटेल कमीशन ने यह एक सिफारिश की थी-४५ करोड़ योजना में मांग लिये जांय जिसमें पूर्वी जिलों का विकास हो सके । प्रत्येक जिले के लिये २-२ करोड़ रुपये प्रत्येक साल पड़ेंगे । अगर माननीय मंत्री जी ने हमारे जिले को भी उसमें रख दिया होता तो बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन शायद वह ६ करोड़ रुपये की मांग स्वीकृत नहीं हुई और बनारस नहीं आया तो हमारी ओर भी उनकी दृष्टि नहीं गयी ।

पुराने ढंग के अनुसार माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी ने पुलिस प्रशासन पर कुछ कह दिया । फायर सरविस को स्ट्रेंथेन करने के लिये उसमें रुपया रखा गया है और इसमें भी अगर उनको एतराज हो और इसमें भी वे पुलिस के भ्रष्टाचार आदि की बातें करने लगें तो यह क्या कहा जायगा । मुझे तो सिर्फ, पूर्वी जिलों को छोड़ दिया गया इस पर एतराज है, नहीं तो ६ करोड़ की जगह १० करोड़ भी मांग होती, उसके हम समर्थक होते, और हैं ।

सिंचाई के मद नम्बर ४९ में मांग है कि ४०० या कितने ट्यूबवेल्स लगाये जावें गन्ने के रिजर्व्ड एरिया में । ठीक है, गन्ने की पैदावार बढ़ायी जाय इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें एक भी ट्यूबवेल नहीं दे रहे हैं, पटेल कमीशन ने गाजीपुर जनपद में जब ट्यूबवेल देने के लिये कहा है तो मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे कृपया इस तरह की परम्परा को छोड़ दें ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ स्पष्ट कर दूं । माननीय कृष्णानन्द जी पटेल कमीशन की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पटेल कमीशन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है, प्लानिंग कमीशन के सामने अभी तक नहीं आयी है । अभी जब हम प्लानिंग कमीशन में गये थे तो हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि अभी तो उस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है । जब उस की रिपोर्ट आयेगी तब हम लोग उस पर विचार करेंगे और फिर यू० पी० गवर्नमेन्ट के लोगों को बुलायेंगे और उस पर विचार किया जायगा । वह शायद जनवरी में हो । तो मालूम नहीं है कि ४५ करोड़ होगा, क्या होगा और फिर उस पर यह कहना कि बनारस नहीं लिया गया, इसलिये कुछ रुपया कम हो गया, ऐसी भावना इनके दिमाग में कैसे आ गयी ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सिंचाई विभाग द्वारा जो ४०० या कितने ट्यूबवेल रखे गये हैं उनमें से ४ ट्यूबवेल भी हमारे जनपद के लिये रख दिये गये होते तो मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का अनुगृहीत होता । इस अनुपात से कि किस जिले में कितनी सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल का वितरण होता तो उससे हमें भी लाभ होता, लेकिन वह नहीं हो रहा है ।

श्रीमन्, इस एतराज के अतिरिक्त और जो अनुदान हैं वे सब बहुत अच्छे हैं । सब वेलफेयर स्टेट की सेवा के लिये है । चिकित्सा संबंधी है, सिंचाई संबंधी हैं और शिक्षा संबंधी है, इन सबका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, आज यह सप्लीमेंटरी बजट बहुत दिनों के बाद सामने आ गया । ऐसा मालूम हुआ कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट यह समझकर चलता है कि हाउस से कुछ मांग लो तो तनख्वाह मिलेगी वरना नहीं मिलेगी । पिछली दफा के बजट के बाद यह ६ करोड़ का बजट फिर आगया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इमर्जेन्सी अपनी जगह पर कायम है। कोई खास चीज मालूम नहीं हुई जिससे प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी होगी या किस लिये इतने रुपयों की मांग रखी गई है। जहां तक रुपयों के मांगने का सवाल है, बजट आ जाता है और संख्या ज्यादा होने के कारण मंजूर भी हो जाता है।

१९६१-६२ की आडिट रिपोर्ट जो २८२ पृष्ठ की है उसमें साफ लिखा है कि १५४ करोड़ रुपये का बजट था जिसमें से ३२ करोड़ का गड़बड़झाला है। अगर रुपया मांगने के बजाय इस रिपोर्ट को सामने रखकर जरूरियात के लिये कटौती कर के काम चला लिया जाता तो अच्छा होता और हम समझते कि इस रिपोर्ट से गवर्नमेन्ट ने सबक लिया और जनता के सामने एक चीज पेश की कि आगे फिजूल खर्ची नहीं होगी।

जहां तक टौप प्रायोरिटी का सवाल है हर दफा वह एग्रीकल्चर को मिलती है और मिलनी भी चाहिये। सरकार यह समझती है कि सुपर फासफेट, नाइट्रेट और डिबलिंग पर खर्च करके प्रोडक्शन बढ़ जायगा। मैं चैलेंज करता हूं कि इनसे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो दो चीजें कर दीजिये। आप किसान को खाद तथा बीज बगैरह कुछ मत दीजिये। वह अपने आप सब प्रबंध कर लेगा। आप तो केवल एक काम कर दीजिये कि एक-एक इंच जमीन को इर्रीगेट करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जितनी खाद आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे अंदाजा लगाते हैं कि इतना प्रोडक्शन बढ़ जायगा, लेकिन होता क्या है? किसान मजबूर हो कर खाद ले लेता है, क्योंकि उसके बिना आप उसको सीमेन्ट और रुपया नहीं देंगे, लेकिन पानी का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिये अगर खाद दे देगा तो पानी न मिला तो क्या होगा? इसलिये वह खाद इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसलिये अगर आप हर एक इंच जमीन के इर्रीगेट करने की जिम्मेदारी ले लें तो उत्पादन अवश्य बढ़ेगा। सब जानते हैं कि जिस खेत को पानी दे देते हैं तो उसकी औसत पैदावार ढाई, तीन मन फी एकड़ ज्यादा हो जाती है।

बीस मन एकड़ उसकी ज्यादा पैदावार होती है अगर खेत को पानी देते हैं। अगर पानी नहीं देते हैं तो उसकी पैदावार २,३,४ मन होती है। सब का एवरेज मिला कर ८ मन फी एकड़ प्रोडक्शन देती है। अगर आप कोशिश करें और अगर आप एवरी इंच आफ लैंड को सिटुरेट करें तो किसान खुद खाद और बीज का प्रबन्ध कर लेगा, क्योंकि उसको यकीन होगा कि अगर खेत को पानी मिलेगा तो मुझे अच्छा बीज भी लाना चाहिये और काफी खाद भी डालनी चाहिए। अगर आप इर्रीगेशन चार्जेज को लैन्ड रेवेन्यू में भी शामिल कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको यकीन होगा कि अगर उसके पास ४० बीघा जमीन है तो उसके एक-एक बीघा की सिंचाई की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर यह जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले ले तो ८ मन फी एकड़ से पैदावार बढ़ कर २० मन फी एकड़ हो सकती है।

दूसरी बात मैं इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। आज इंडस्ट्री के लिए सरकार लोन दे देती है। उसका नतीजा यह होता है कि ४४ प्रतिशत भूतपूर्व मंत्री जी की रिपोर्ट है, मिसयूटिलाइज्ड मनी हो जाता है और पूर्ति कहां से करते हैं? गरीब और मजदूर से। जैसे मुरादाबाद में सेल्स टैक्स का मामला चल रहा है। जब वह जाकर अपने बर्तन देता है और वजन के साथ जितना माल देता है उतना पैसा मिलता है, उसपर वह कोई प्राफिट या इंटररेस्ट नहीं लेता, सिर्फ लेबर का पैसा लेता है उस पर सेल्स टैक्स लगा कर की पूर्ति करेंगे। और लोग उन लोगों को देंगे जो फर्जी सोसायटी बना बैठे हैं। रुपया खर्च नहीं करते। बार-बार यहां शिकायत होती है और सबूत होता है कि जो रुपया दिया जाता है उसमें बहुत सी सोसायटी फर्जी होती हैं। ऐसी हालत में जब हम देखते हैं कि रुपये की जरूरत है और सप्लीमेन्टरी बजट लाना पड़ता है तो उससे पहले यह जरूर देख लें कि आडिट रिपोर्ट में जो हमने दी है उनमें क्या जिक्र किया गया है, कितना रुपया मिसयूज हुआ है? वह रुपया बचाया जा सकता है। उसको सामने रख कर सोचते कि इस रुपये को बजट में ला सकते हैं। उनसे कोई फायदा नहीं उठाया जाता इसलिये मेरा यह प्रोपोजल है कि उन आडिट रिपोर्टों पर इस सदन में बहस हो।

श्री अध्यक्ष --

आपका समय समाप्त। अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों पर बोलते समय सरकार की नीतियों और बजट के सिद्धान्तों के विवरण में जाने का अवसर प्रायः नहीं होता। इसलिये मैं विवरण में समय की कमी के कारण नहीं जाऊंगा। मैं यह जरूर मानता हूं कि इस अनुपूरक बजट में भी कुछ विशेषताएं हैं। इसको अगर एक विहंगम दृष्टि से आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मितव्ययता की ओर सरकार ने कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषताएं और भी देखने को मिलीं। कुछ ऐसी चीजें भी सामने आयीं जो वास्तव में सराहनीय है जैसे शिक्षा बजट में अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, शिक्षा के मूल्यांकन की इकाई बनाने की व्यवस्था है और परीक्षाओं के संचालन में सुधार की व्यवस्था है यह विशेषतायें इसमें निश्चित रूप से हैं। मान्यवर तिस पर भी मैं सरकार का और विशेषतया शिक्षा मंत्री का और विकास मंत्री का ध्यान एकाध तथ्यों की ओर आकर्षित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

गोरखपुर जिले में जिला परिषद् के अध्यापकों का सन् १९५६ से ५९ तक का महंगाई का बकाया ३ लाख ८३ हजार ७६६ रुपया है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक बार नहीं अनेक बार जिला परिषद की ओर से शिष्ट मंडल तत्कालीन शिक्षा मंत्रियों से मिलता रहा। उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल की ओर से भी इस दिशा में प्रयास जारी रहे लेकिन सरकार की ओर से अध्यापकों को कोई निश्चित उत्तर अब तक नहीं दिया जा सका। जिला परिषद् गोरखपुर अनुदान की कमी के कारण और कोष की कमी के कारण पूर्ण रूप से अपने को असमर्थ बताता है कि वह महंगाई की इतनी बड़ी रकम को दे सके। सरकार कभी-कभी यह कहती है कि यह दायित्व जिला परिषद् का है, लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार से जोरदार ढंग से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इससे काम नहीं चल सकता कि रेस्पांसिबिलिटी को शिफ्ट किया जाय। जिम्मेदारी सरकार कहे कि परिषद् की है और परिषद् कहे कि सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान के अभाव में हमारी असमर्थता है। इस तरह वह अध्यापक इस दुहरी चक्की के बीच पिसा जा रहा है और मैं उसकी शोचनीय दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक जो हमारे ग्रामीण अंचलों में निवास करते हैं, ये ग्रामीण अंचलों का नेतृत्व भी करते है और मैं यह समझता हूं और अनुभव भी करता हूं कि जितने भी माननीय जन-प्रतिनिधि यहां उपस्थित है उन सबका ट्रायल उन ग्रामीण अंचलों में होता है और आगे चलकर तीन साल बाद फिर होने वाला है। अगर उनके साथ इस प्रकार हृदयहीनता का व्यवहार किया गया तो इसके कुपरिणामों और कुफलों से हम वंचित नहीं रहेंगे।

इसके अलावा जिला परिषद् गोरखपुर का २ लाख ४० हजार ६०० रु० उस मद का बकाया सरकार के पास है जो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की फीस माफी के सम्बन्ध में सरकार जिला परिषदों को अनुदान देती है। १ से ६ तक जो बच्चों की फीस माफ होती है उसकी पूर्ति सरकारी अनुदान द्वारा की जाती है। उसका २ लाख ४० हजार ६०० रुपया जिला परिषद् गोरखपुर का सरकार के ऊपर बकाया है। एक तरफ तो यह इतनी रकम बकाया पड़ी है और दूसरी तरफ महंगाई बकाये की ओर से उदीसीनता है, ऐसी स्थिति में जिला परिषद् भी मजबूर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जिला परिषद् या सरकार

इसकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकती तो आम तौर पर सरकार जैसे यह व्यवस्था करती है माध्यमिक स्कूलों के सम्बन्ध में कि अगर किसी अध्यापक के वेतन के बकाया का प्रश्न होता है तो उसकी ग्रान्ट से काटकर उसे दे दिया जाता है, उसी प्रकार जिला परिषद् की ग्रान्ट से सरकार को करना चाहिये। यह मेरा अपना मत है और निश्चित मत है कि वह इतना ईयरमार्क कर दे कि निश्चित रूप से इससे वह रुपया उनको चुकता कर दिया जाय ।

अब एकाध शब्द में सिंचाई अधिष्ठान के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई अधिष्ठान वाला जो अनुदान है उसमें कुछ अधीक्षक अभियन्ता और सहायक अभियन्ता और ओवरसियर वगैरह के स्थायीकरण की बात कही गई है । यह भी उसमें लिखा हुआ है कि यदि उनको स्थायी नहीं रखते तो वे असन्तोष का अनुभव करते हैं और वे अन्यत्र जाने की बात करते हैं। उनको असन्तोष रहता है तो ऐसा किया जा रहा है कि उनको निश्चित रूप से स्थायी कर दिया जाय। जहां तक इस स्थायीकरण का सवाल है और उनकी भावना का सवाल है उसमें कोई असहमति प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन जहां उनके स्थायी करने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा दिमाग उनकी कार्यक्षमता की ओर जाता है। मैं बहुत साफ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से और जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले में भी सरकार की ओर से कुछ ट्यूबवेल लगे हुये हैं। उन ट्यूबवेल की इतनी खराब वर्किंग है कि उसके कारण विकास विभाग का सारा रबी अभियान और खरीफ अभियान निश्चितरूप से बरबाद हो जाता है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि कहीं पर रिप्लान्टेशन के लिये किसान अपना बीज उखाड़ कर खेत में लगाते हैं तो उसके दूसरे दिन ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं और उनकी मरम्मत करने में १४, १४ और १५, १५ दिन लग जाते हैं। ऐसे उदाहरण आये दिन मिला करते हैं। इसके लिये मेरा निश्चित सुझाव है कि सिंचाई मंत्री महोदय और सरकार इस ओर ध्यान दे। उनको दुरुस्त करने के लिये कोई एजेन्सी होनी आवश्यक है। कोई ऐसी एजेंसी निकाली जाय जो रबी और खरीफ के पहले उन ट्यूबवेलों को दुरुस्त करके अपना सर्टिफिकेट दे। जब कोई खराबी होती है तो उनको तत्काल दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दुरुस्त होने पर ही इस दिशा में कुछ काम हो सकता है। मैं निश्चित रूप से इस मत का हूं कि जितने अभियन्ता हैं वह इस दिशा में बहुत ढीले हैं और उनकी कार्यवाही बहुत उदासीनता-पूर्ण होती है। इस बात को मैं सरकार के नोटिस में लाना जन-प्रतिनिधि होने के नाते अपना कर्तव्य समझता हूं। इन २, ३ बातों के अतिरिक्त मुझे कुछ और विशेष इस सम्बन्ध में नहीं कहना था। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और हाउस से आपके माध्यम से यह अपील करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, जब मैंने इस अनुपूरक बजट की कापी पढ़ी, वैसे मैं बहुत पढ़ा-लिखा आदमी नहीं हूं, तो मुझे बड़ा खेद हुआ। मैंने यह कल भी कहा था कि कोई भी सरकार हो बिना पैसे के काम चलता नहीं। पैसा हमको पास करना पड़ता है और पैसा पास करना चाहिये, लेकिन हम पैसा पास करके पापी बन जाते हैं। पैसा हम पास कर देते हैं, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता। अब यह किताब है इसको आप देख लीजिये। इसमें लिखा है कि वर्तमान सड़कों का सुधार तथा पुनर्निर्माण। इसमें मथुरा जिले का निशान तक नहीं है। हम पैसा किसलिये पास करें। मथुरा जिले में एक सड़क ऐसी है जिसके लिये मैंने बारबार कहा कि वह सड़क निहायत जरूरी है। उसका बनाना बहुत जरूरी है। कोसी से शेरगढ़ और छाता से गोबरधन तक जरूरी बनना है, लेकिन न मालूम यह क्या मामला है। मैं तो यहां तक कहूं कि मथुरा ही नहीं बल्कि पश्चिमी जिलों में से सिर्फ सहारनपुर और आगरा का नाम है और इसमें है ही नहीं। अब हम इसको कैसे स्वीकृति दें, हम इसका घोर विरोध करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

अभी तो मैंने सड़कों की बात बतलायी। इसके बाद जो सब से ज्यादा भ्रष्ट विभाग है पुलिस का, उसकी थोड़ी चर्चा कर दूं। मैंने कल भी कहा था, उसके लिये हम से पैसा क्यों मांगते हो। उसे तो डाकू, चोर और तस्कर व्यापारी ही काफी पैसा दे देंगे। मैं अपने क्षेत्र की बात बतलाऊं। जो सरकार ने गुड़ और शक्कर पर पाबन्दी लगा दी है कि वह अपनी सीमा से बाहर राजस्थान और पंजाब नहीं जा सकता उसकी वजह से वहां का एक एक थानेदार पहली नवम्बर से अब तक लखपती हो गया है। अगर पुलिस मंत्री जी को मेरी बात पर विश्वास न हो तो वे जाकर स्वयं देख सकते हैं और अगर उनके पास कोई इलाज हो तो उनकी तलाशी करा सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका-कितना रुपया बैंक में जमा है, किसके पास कितना गहना है और उसको कितना वेतन मिलता है। जुल्म के लिये तो मैं क्या कहूं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस बहुत ठीक थी। सन् १९४०–४२ की क्रान्ति में भी पुलिस इतनी खूंखार नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही है। इस जनतंत्र में भी किसी सम्मेलन आदि पर १४४ लगा दी जाती है। सन् १९३९ से एक सम्मेलन आर्य समाज का कोसीकलां में हैदराबाद के सत्याग्रह से लेकर अब तक होता चला आता था हर साल, लेकिन इस बार शान्ति भंग होने का खतरा है, इसका बहाना लेकर उनको इजाजत नहीं दी गयी। पुलिस के बड़े बड़े अफसर बड़े-बड़े सेठों से मिल रहे थे और इस वजह से आर्य समाज के जलसे पर पाबन्दी लगा कर उसे रोक दिया गया।

इसके अलावा स्वास्थ्य को देखिये। वह निहायत जरूरी है, लेकिन मेरे जिले में वृन्दावन में एक टी० बी० का अस्पताल है जिसका मैनेजर एक मारवाड़ी सेठ है। सेठ से मेरा मतलब है पैसे वाला, पूंजीपति। मेरे पास बीमार लोग आते हैं कि दाखिला करा दीजिये, लेकिन उसमें गरीबों को कोई स्थान नहीं मिलता। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से काफी लिखा-पढ़ी की, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंगी।

खेती का, विकास का, सब का यही हाल है। मेरा क्षेत्र छाता है जिसमें तीन विकास समितियां हैं। उसमें ३ ब्लाक्स हैं—नन्दगांव, छाता और चौमा। वहां पर एक जीप दी गयी है। बी० डी० ओ० एक कदम भी बगैर जीप के नहीं चलते, वे क्यों चलें? जब वे देखते हैं कि मंत्रिगण अपनी कोठी से यहां तक पैदल नहीं आ सकते जो चार कदम पर ही है, तो वे बिना जीप के क्यों चलें। इस कारण वे काम की देखभाल नहीं कर पाते।

मेरे क्षेत्र में विकास का काम भी बहुत कम हुआ है और उसका कारण यह है कि जब हम बजट पास करते हैं तो पैसा यहीं लटका रह जाता है। पैसा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता और इस वजह से विकास का काम नहीं हो पाता। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय ने जो अभी एक मौलिक प्रश्न उठाया था इस बजट पर बोलते हुये, उसको बहुत अहम और आवश्यक समझता हूं। उनका कहना था कि ऐसी चीजें जो शनफोरसीन हैं उनको सप्लीमेंटरी बजट में आना चाहिये, किन्तु ऐसे खर्चों को जिनके बारे में हम पहले से जानते रहते हैं, जो रोजाना की जरूरत की चीजें हैं, उनको मेन बजट के समय लाना चाहिये। सरकार को ऐसी चीजें सप्लीमेंटरी बजट में नहीं लाना चाहिये जिनके बारे में सरकार ने पहले से डिसीशन ले लिया हो। हां, ऐसी चीजों के बारे में जस्टीफिकेशन हो सकता है जो केन्द्रीय सरकार की स्कीम्स हैं और जिनका सरकार को पहले से पता नहीं होता है। उन चीजों को जिनको हम मेन बजट में ला सकते हैं, सप्लीमेंटरी बजट में नहीं लाना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर की २९ ग्रान्ट्स हैं जिनके लिये रुपया मांगा गया है और उन २९ ग्रान्ट्स में से १२ ग्रान्ट्स ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध सिर्फ आफिसर्स की सैलरीज तथा भत्ते आदि से है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सरकार को पहले से पता हो सकता है कि रुपये की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि क्यों सरकार इस प्रकार के मामले जिनमें सिर्फ आनरेरिया, एलाउन्सज या सैलरीज की बात होती है, इस समय लाती है। बाकी १२ ग्रान्ट्स में भी बहुत कुछ इसी तरह की बातें हैं एग्रीकल्चर, मेडिकल और एजकशन की ग्रान्ट्स ऐसी हैं जिनमें योजनाओं का कुछ जिक्र है, लेकिन ये योजनायें भी मेन बजट में लाई जा सकती थीं। इस बात से जाहिर होता है कि गवर्नमेंट में कितनी फिकिलमाइन्डेडनैस है।

ग्रान्ट नम्बर ८ में गवर्नमेंट ने प्रावीजन किया कि सेक्रेटरी लैजिस्लेचर की जगह खत्म की जाय। यह जनरल बजट में नहीं रखी गई। अब उस इस डिमांड में फिर से रख दिया गया है और दलील यह दी गई है कि काम नहीं चलता है। मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा—

"It was, however, felt subsequently that it was difficult to manage the work of the Legislature Secretariat efficiently in the absence of the said post and hence it was allowed to continue. The post is still continuing."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें २ बातें हैं। यह बाद में महसूस किया गया कि इस जगह की जरूरत है, क्योंकि काम ठीक नहीं चलेगा। यह तजुर्बा तो पहले होता। बजट पास होते ही यह तजुर्बा कैसे हो गया? दूसरी बात वैधानिक है कि गवर्नमेंट कोई खर्चा तब तक नहीं कर सकती जब तक कि लेजिस्लेचर से सैंक्शन न ले ले। अप्रैल से अब तक ६, ७ महीने हो गये हैं, तो किस तरीक़े से और किस मद से इनकी सैलरी दी गयी?

दूसरी बात यह है कि अब १७,५०० रुपये रखे गये हैं। अगर पिछले बजटों को उठा कर देखा जाय तो उनमें २६,३०० रुपये हैं। तो क्या सेक्रेटरी लेजिस्लेचर का वेतन इस साल घट गया है? अगर नहीं, तो पूरा-पूरा रुपया २६,३०० और जो इन्क्रीमेंट वगैरह मिला कर हो, वह क्यों नहीं दिखाया गया? यह पोस्ट सेक्रेटरी असेम्बली और सेक्रेटरी काउन्सिल के ऊपर है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इनके अलग-अलग सेक्रेटरीज अपने अपने स्टाफ के डिसिप्लिन वगैरह को देखने का काम करते हैं। केवल २ आदमियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिये लगभग ३३ हजार रुपये सरकार खर्च करती है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि इस पोस्ट को अबालिश न कर दिया जाय। संविधान की आर्टीकिल १६७ में लिखा है कि असेम्बली और काउन्सिल के सेक्रेटरियेट इंडिपेंडेंट होंगे। तो संविधान पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? मैं समझता हूं कि यह प्रावीजन सिर्फ इसलिये रखा गया है कि असेम्बली का सेक्रेटरियेट गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के मातहत बना रहे। इसके रहने का कोई परपज नहीं है। यह पोस्ट इतनी अहम है और इस पर पार्लियामेंटरी प्रोसीज्योर का तजुर्बा होना चाहिये। ब्रिटेन में जो एक बार सेक्रेटरी हो जाता है वह सारी जिन्दगी सेक्रेटरी रहता है, लेकिन यहां ३ साल के लिये एक सेक्रेटरी साहब आते हैं जिन्हें पार्लियामेंटरी अफेयर्स का कोई तजुर्बा नहीं है। वह चले गये, दूसरे आ गये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि असेम्बली स्टाफ के और उसके सेक्रेटरियेट के बारे में यहां डिस्कशन नहीं हो सकता। वे इंडिपेंडेंट हैं।

श्री वीरसेन—

मैं जानकारी से कह रहा हूं कि लेजिस्लेचर का सेक्रेटरियेट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के मातहत रहता है। इस पोस्ट पर ऐसा आदमी रहना चाहिये जिसे पार्टीक्यूलर टाइप का एक्सपीरियंस हो, टैक्नीकल तजुर्बा हो। इस पोस्ट के रहने से कोई फायदा नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर इसे अबालिश कर दिया जाय तो कम से कम ३३,००० पये सालाना की बचत होगी।

[श्री वीरसेन]

मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूं। चार-पांच साल हुए अखबारों में छपा था कि इकानामी ड्राइव सरकार ने बाराबंकी या पड़ोस के किसी जिले में इंग्लिश रेकार्ड्स को रखने के लिये एक बिल्ली का एलाउन्स जो एक चपरासी को मिलता था ३ रुपये माहवार काट दिया। लेकिन इस एक रिडंडेंट पोस्ट पर सरकार ३३,००० रुपया खर्च करती रहेगी सिर्फ इस बहाने पर, इस दलील पर, कि इसकी जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और खयाल करे कि जो भी रिडंडेंट पोस्ट्स हैं, उन सब को खत्म करे और जिन चीजों में इकानामी हो सकती है, वह करे।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आज प्रथम अनुपूरक बजट के अवसर पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया।

महोदय, यह बात छिपी नहीं है और जैसा अभी वीरसेन जी ने बतलाया, अभी कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ था और हमारे बड़े-बड़े अधिकारी यह भूल जाते हैं कि किन चीजों की आवश्यकता है और किनकी नहीं है। बजट बिना किसी जानकारी के तैयार कर दिया जाता है और उसके थोड़े दिन पश्चात् ही नयी मांगें प्रस्तुत की जाती हैं और इस तरह से बड़ी गड़बड़ी का वातावरण बना रहता है। अगर आप ग़ौर से देखें तो बहुत-सी मांगें ऐसी देखने को मिलेंगी जिनमें केवल नये पदों का सृजन, अधिकारियों की नियुक्ति, आवास भत्ता, नयी कारें आदि लेने की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में टैक्सों का बहुत-सा रुपया अधिकारियों के आवास और वेतन व टी० ए०, डी० ए० के भत्ते में ही चला जाता है। हमारी तीसरी योजना चल रही है, मगर रुपया ठीक तरह से नहीं बांटा जाता है। जिलों में रुपया बांटा जाता है। जब ३१ मार्च का समय आता है तो बहुत से लोगों को बुला कर जबरिया तरीके से पैसा दिया जाता है जिसका प्रयोग निश्चित समय में नहीं होता है और उसका गलत उपयोग होता है। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिये कि जिस कार्य के लिये रुपया दिया जाय उसे सही तरीके से और सही समय में उसका उपयोग हो, ताकि टैक्स देने का जनता को समुचित लाभ मिल सके।

मैं आपका ध्यान जिला फतेहपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह जिला बहुत ही पिछड़ा है। हमारे भाग्य-विधाताओं ने उसे अग्रिम जिला मान कर उसके साथ न्याय नहीं किया है। हमारी दो योजनायें समाप्त हो गईं और तीसरी प्रचलित है, किन्तु फतेहपुर जिले में न केन्द्र और न प्रदेशीय सरकार की ओर से कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे उस जिले की जनता को राहत मिलती या कोई उद्योग मिलता या आगे बढ़ने के कोई साधन मिलते। न वहां किसी तरह के कारखाने हैं, न उद्योग धन्धे हैं, न फैक्टरी है और न किसी तरह की योजना ही बनायी है जिससे वहां का उत्थान हो सके। हमारा जिला एक कृषि प्रधान जिला है, उसके एक ओर जमुना है और दूसरी ओर गंगा है। अधिकतर किसानों की आबादी है जिनको अपने उत्पादन के लिये सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरे क्षेत्र में एक भी नलकूप या एक भी नहर का निर्माण नहीं किया गया है। फिर उत्पादन किस प्रकार से बढ़ सकता है।

सड़कों के विकास में भी हमारे क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई है, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के झगड़े में कुछ जो बीच के जिले हैं उनका कोई पुरसां हाल नहीं है। जिन चीजों की वहां के लोगों को आवश्यकता है, उनकी ओर शासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। फतेहपुर जिले में सड़कों का बहुत अभाव है, उस ओर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो अस्पताल हैं, एक चांदपुरमें तथा दूसरा जलगोईया में जिनमें कई सालों से कोई डाक्टर नहीं है। इनके बारे में मैंने प्रश्न भी किया था, लेकिन उत्तर में बताया गया कि जब डाक्टर उपलब्ध होंगे तब व्यवस्था की जायगी। इससे वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि वहां के अस्पतालों में डाक्टरों की व्यवस्था की जाय।

खजुहा ब्लाक में एक वेटेरिनरी अस्पताल जो शहबाजपुर में बनने को था, लेकिन वह आज तक नहीं बन पाया है। मैं चाहता हूं कि सरकार को उस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए। उसी ब्लाक में एक जन चिकित्सालय भी पूरेदान ग्राम में खुलने को था, गांव सभा न उसक लिय रुपया भी जमा कर लिया, लेकिन फिर भी शासन की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गयी ह और अब तक नहीं खुल सका। अपने हिस्से का रुपया जमा करने पर भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, ६ करोड़ से ज्यादा की सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स हमारे सामने हैं। मैं जानता हूं कि बजट का यह एक रूटीन है कि नार्मल बजट के पास होने के बाद सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आती हैं। यह भी सही है कि साल में जो खर्चा होगा उसका सही-सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। वह मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरी एक शिकायत भी है कि विभागों की यह एक आदत-सी पड़ गयी है और सप्लीमेंटरी ग्राण्ट का जो सही इस्तेमाल होना चाहिये वह नहीं हो पाता है इसमें बीसियों स्कीम्स ऐसी हैं जिनको किसी भी प्रकार से अनफोरसीन नहीं कहा जा सकता। इन स्कीम्स को नार्मल बजट में आ जाना चाहिये था, मिसाल के तौर पर दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की स्कीम्स हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की स्कीम्स को तीसरी योजना में अथवा दूसरी योजना के आखिर में पेश किया जाता ह और तीसरी योजना की स्कीम्स को उसके तीसरे साल में पेश किया जा रहा है। यह इस बात का सबूत है कि हमारा नियोजन का जो तरीका है, सही नहीं है।

एक टोकिन ग्राण्ट भी है। उससे मालूम तो पड़ता है कि वह केवल १०० रुपये की है। उसके लिये बताया जाता है कि विभाग में बचत हो जायगी। अब इस बचत शब्द का इस्तेमाल बड़ा कन्फ्यूजिंग है। सेविंग और अनस्पेन्ट मनी में जमीन आसमान का अन्तर है। जो सेविंग अनस्पेन्ट मनी के नाम से है उसके मानी हैं कि विभाग को जो काम दिया गया था वह नहीं हुआ और उसका पैसा बच गया। महज कह दिया जाता है कि बचत हो जायगी, यह नहीं बताया जाता कि कौन-सी स्कीम छोड़ कर बचत हो सकेगी और वह क्यों छोड़ी गई और उसके लिये पैसा लिया ही क्यों गया था। उनकी तरफ से सही पिक्चर हमारे सामने नहीं आती। मैं चाहूंगा कि जब यह सप्लीमेंटरी बजट किसी विभाग का पेश किया जाय तो यह भी साथ में बतलाया जाय कि किस स्कीम को छोड़ने से बचत हुई और क्यों हुई और क्यों उसका प्रयोग नहीं हुआ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय वीरसेन ने भी उसकी तरफ इशारा किया। ऐसा मालूम होता है जैसे कि बच्चों को समझाने की बात होती है वैसे ही यहां समझा दिया जाता है। इसमें लिखा है कि यह जो सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की पोस्ट है वह पहली अप्रैल से एकनामी में खत्म कर दी गई थी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। मजे की बात यह है कि पोस्ट हटी भी नहीं वह जारी रही और पता लग गया कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। कैसे मालूम हो गया कि काम उसके बिना नहीं चल सकता? हट गई होती और बाद में महसूस होता कि काम चलने में दिक्कत है तब तो बात समझ में आती, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि महसूस किया गया कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि जब इस पोस्ट पर श्री मिट्ठन लाल जी थे तो इस पोस्ट के सम्बन्ध में एक कांफिडेंशियल रिपोर्ट तैयार की गई थी और मुझे भी एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस वक्त बात बताई गई थी, मान्यवर वित्त मंत्री जी कहते हैं कि स्पीकर नहीं मान रहे हैं, मालूम होता है कि कुछ प्रेशर टेकटिक्स चल रहे थे। उस रिपोर्ट में सेक्रेटरी जनरल के एप्वाइंटमेंट के साथ ही बहुत-सी दूसरी कन्डीशन्स भी थीं, जिसमें दोनों सदनों का मिला-जुला स्टाफ होता, सबका पूलिंग होता। वह सब तो नहीं हुआ,

[श्री नवल किशोर]

लेकिन एकनामी हुई तो यह कि जो असेम्बली और कौंसिल के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे वह सेक्रेटरीज बन गये और उनका ग्रेड भी बढ़ा दिया गया और असिस्टेंट सेक्रेटरी की भी पोस्ट अपनी जगह पर कायम रही। यह एकनामी का एक अजीब कनसेप्शन है। मैं इस मामले के मेरिट पर नहीं जाता, लेकिन मैं माननीय स्पीकर से कहूंगा कि उस रिपोर्ट की जो मंशा थी और जिस पर्पज से वह तैयार की गई थी उसके पर्पज को तो कम से कम वह पूरा करने की कोशिश करें। समय कम है, मैं २-१ बातें कह कर समाप्त कर दूंगा।

आप देखें कि एजूकेशन के अन्दर एक आइटम है "एस्टैब्लिशमेंट आफ स्टेट एजूकेशन इवेल्यूएशन यूनिट"। आप देखें कि यह सेकेण्ड प्लान की चीज है और पेश यहां सप्लीमेंटरी बजट में की जा रही है। एक और आइटम है जो "स्ट्रेन्थनिंग आफ दि ब्यूरो आफ साइकालोजी" का है। इससे यह लाभ होगा कि बच्चों की साइकोलोजी को देख कर उनके लिये मजमून मालूम किये जायंगे, लेकिन सवाल यह है कि वहां अब तक भी तो यही होता था नई क्या बात है। इसको सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के द्वारा स्ट्रेन्थेन करने की कौन-सी जरूरत आ गई? विभाग केयरलेसली काम करते हैं और समझते हैं कि सब पास तो हो ही जायगा और समझते हैं कि कोई नहीं देखेगा।

इसी तरह से आप देखें कि पब्लिक हेल्थ विभाग में एक और आइटम है 'क्रियेशन आफ एन एडीशनल कांस्ट्रक्शन डिवीजन आफ एल० एस० जी० इ० डी०'। इसकी सप्लीमेंटरी में क्या जरूरत आ गई। जब प्लान में टारजेट है तो इस वक्त क्या जरूरत आ गई। एक और आइटम है कृषि विभाग का 'एक्सटेंशन आफ स्वायल टेस्टिंग सर्विस टू कल्टीवेटर्स'। इसकी पुरानी स्कीम थी और हम समझते थे कि उसके सब सूबे भर के नक्शे तैयार भी हो गये होंगे और सब जरूरी चीजें तैयार हो गई होंगी, लेकिन आज कहा जाता है कि सप्लीमेंटरी में कोई नई स्कीम और निकाली गई है स्वायल टेस्टिंग की। एक और एस्टैब्लिशमेंट आफ बी-नरसरीज'। हम सुना करते थे कि कोई शहद की मक्खियों के भी इन्स्पेक्टर होते हैं और अब कहा जाता है कि यह बी-नरसरीज भी सप्लीमेंटरी बजट लेकर बनाई जायंगी। पता नहीं वह पहले क्या करते थे और अब क्या करेंगे। और बताऊं, एक मद है ऐनिमल हस्बैन्ड्री डिपार्टमेन्ट की रिवीजन आफ पे स्केल्स आफ दी प्रिन्सिपल और प्रोफेसर्स, वेटेरिनरी कालेज मथुरा के। यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के मार्फत होगा। यह चीजें ऐसी थीं जो मेन बजट में आनी चाहिये थीं, वह सप्लीमेन्टरी के जरिये आ रही हैं। दूसरे हैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट में ऐक्सपेंशन आफ जिओलाजी और माइनिंग अन्डर दी थर्ड फाइव ईयर प्लान।

आखिर में है इन्फारमेशन डायरेक्टोरेट के लिये टूल्स वगैरह खरीदने की बात। वर्षों से यह काम चल रहा है, लेकिन अब टूल खरीदने की बात ध्यान में आयी। मुझे सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लापरवाही सरकारी विभागों में होती है और जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं उसको महसूस कराइये।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि बार-बार आलोचना के बाद भी वित्त विभाग के अधिकारी जिस बात की आवश्यकता नहीं होती उसको भी सप्लीमेन्टरी में पेश करते हैं। ठीक है, प्लानिंग का युग है, आकस्मिक चीजें हो सकती हैं जिनको सप्लीमेन्टरी से लिया जा सकता है, प्लान में कहीं कमी पड़ी उसकी पूर्ति सप्लीमेन्टरी से की जा सकती है। लेकिन ४,४ करोड़ रुपया एक मद में लिया जाना और जो दो महीने के अन्दर खर्च भी नहीं हो सकता, ऐसे आइटम्स को सप्लीमेन्टरी में लाना मेरी समझ में नहीं आता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या ५६ में मंत्री जी ने ४ करोड़ रुपये की मांग की है, लगभग ३ करोड़ रुपया ले रहे ह फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के लिये, ताकि गल्ले की पैदावार बढ़ सके। क्या वह मससूस करते हैं कि आने वाले २ महीनों में खर्च होगा? यह समस्या आज पिछले १२ साल से है कि यहां आवश्यकतानुसार गल्ले की पैदावार नहीं हो रही है, हम डेफिसिट में हैं जब कि विशेषज्ञों का कहना है कि यहां इतना गल्ला पैदा हो सकता है कि अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद हम दूसरों को भी दे सकते ह। अगर पहले से यह बात सोची गई होती तो इसको सप्लीमेन्टरी में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कहता हूं कि इससे गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ेगी, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि फरटीलाइजर की कीमत बहुत ज्यादा है और जो गल्ला पैदा होता है उससे किसान को परता नहीं पड़ता? मैंने ८,१० ब्लाक्स में पूछा तो लोगों ने बताया कि १६ रु० मन फर्टिलाइजर है और अगर उसका इस्तेमाल किया जाय तो २ मन धान अधिक पैदा होता है जिसके दाम १८ रु० होते हैं। तो इतने कम मार्जिन पर किसान कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है जब कि उसको समय से पानी नहीं मिलता, उसकी फसल बरबाद हो सकती है, उसका क्राप इन्श्योरेंस नहीं होता। कैसे किसान इसको जबरदस्ती ले सकता है? बाढ़ आ सकती है। इन्हीं वजहों से वह फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपको गल्ले की पैदावार बढ़ानी है तो क्राप इन्श्योरेंस होना चाहिये। अगर पंजाब सरकार कदम उठा सकती है तो यहां की सरकार क्यों नहीं उठाती? एक तरफ किसान को पानी नहीं मिलता और सरकार निरन्तर सिंचाई रेट बढ़ा रही है। दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी हैं। उसको बीज महंगा मिले, उसकी फसल की सुरक्षा न हो और ऊपर से कोआपरेटिव्स सोसायटी जबरदस्ती उस पर १ हिस्सा काट कर लाद दे, इस तरह से गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ सकती है।

आज मैं इस मौके पर मुख्य रूप से प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। यहां का प्रशासन पिछले १२–१३ साल के अन्दर ख्याति प्राप्त कर चुका है कि यहां का प्रशासन निकम्मा है। जो आज की आवश्यकताओं को देखते हुये अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है। अभी जिला परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन का न किया जाना और ओथ का ठीक ढंग से न दिलाया जाना इस बात का द्योतक है कि इस प्रदेश का शासन कितना लुंज-पुंज है। जिला अधिकारियों में भी गुटबाजी देखने को मिलती है।

इसके और प्रमाण में बताऊं कि ६ महीने हो गये हैं एक भी स्कालरशिप ग्रान्ट नहीं हुआ है। मैंने डायरेक्टर साहब से इस बात के बारे में पूछा तो उत्तर मिला कि मिनिस्टर साहब को फुरसत नहीं है। माननीय मंत्री जी को फुरसत नहीं है। सारी सेक्रेटेरियट बैठी है और ८ माह में हजारों लड़कों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी आजमगढ़ गये थे। वहां देखने में यह आया है कि वहां के जिला अधिकारी नेताओं का प्रचार करते हैं, वहां पर भी गुटबाजी है। इस प्रकार से जनता के अन्दर एक दूसरे की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ा रह जायगा। देश की ७ १/२ करोड़ जनता जिस प्रदेश में पिछड़ी रहे और वहां का प्रशासन आवश्यकता न पूरा करता हो तो स्पष्ट है कि कितना लुंज-पुंज है। आज हमारे कर्णधार गुटबाजी करते हुए भ्रमण करते हैं और इससे प्रशासन गिरता जा रहा है।

शाहजहांपुर में भी जो हुआ है वह भी गुटबाजी का ही नतीजा है। श्रीमन्, मुझे डर है कि अगर आज यह स्थिति हो जायगी पूरे प्रदेश के अन्दर तो हमारे देश का क्या हाल होगा? अभी माननीय लालबहादुर शास्त्री ने कानपुर में कहा कि गन्ने की पैदावार और उद्योग जो इस प्रदेश में हैं उससे और प्रदेशों में १०० गुना अच्छे हैं। यह हमारे लिए मामूली बात नहीं है कि हमारी इन्डस्ट्री आज दक्षिण में चली जा रही है। कभी कहा जाता है कि गन्ना ज्यादा पैदा करो, दूसरे साल कहा जाता है कि अधिक गन्ना पैदा न करो गेहूं करो। आपको इम्पीटस देना चाहिये,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आपको कर्ज देना चाहिये। आखिरी बात मैं यह कह कर खत्म करता हूं कि हमारे नेताओं के अन्दर पैरेलिसिस की व्यवस्था है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव ने जैसी गम्भीर बात कही है उसका जवाब माननीय वित्त मंत्री के मुख से अच्छा मिल जायगा। श्रीमन्, मुझे कुछ बातें आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करनी हैं कि जयपुर में कांग्रेस ने सोशलिज्म का लक्ष्य स्वीकार कर लिया है। प्रान्तीय सरकार ने उस लक्ष्य को स्वीकार किया कि नहीं, इसका जवाब माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं दे देंगे।

पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण में कहा था, कि समाजवादी बजट नहीं है मैं उनसे यह आशा करता हूं कि अब के बजट भाषण में वह यह नहीं कहेंगे कि हम समाजवादी बजट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दो वर्ष का समय मांगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कितना समय लेना चाहा है, इसका भी ऐलान वित्त मंत्री जी, मैं आशा करता हूं, करेंगे। हम इस मामले में बहुत चिन्तित हैं।

नियोजन गरीबी दूर करने के लिये है और नियोजन के बगैर इस प्रदेश का उद्धार नहीं हो सकता। प्लान को दूनी शक्ति से चलाने और कृषि को प्राथमिकता दी गयी है। ८७ प्रतिशत जो किसान हैं उनके लड़कों के लिये देहातों में कृषि के सम्बन्ध में तथा उनकी पढ़ाई के लिये कोई व्यवस्था की गयी है कि नहीं? फिर क्या ८७ फीसदी, ७५–७० अथवा ६० फीसदी तक नौकरियां प्लानिंग में काश्तकारों के लड़कों को मिलेंगी? जब ऐसा होगा तभी यह आर्थिक नियोजन कामयाब होगा और गरीबी दूर होगी तभी कृषि की उन्नति हो सकेगी। मुझे शक है कि कैसे लोग लेंगे वे लोग जो कृषि का अ ब स नहीं जानते।

एक बात मुझे और कहनी है। हम जितने विधायक बैठे हैं, एक पिटीशन ४४ लोगों ने दी थी कि दारुलशफा के लोगों की एक क्रेडिट सोसाइटी बना दी जाय, लेकिन आज तक पता नहीं क्या हुआ।

माननीय वित्त मंत्री यह भी बतायेंगे कि बी० एम० बी० एस० और आयुर्वेदाचार्य पास जो लड़के निकलते हैं हजारों की संख्या में, उनके बारे में क्या हो रहा है?

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस बजट से साढ़े ११ फीसदी पी० डब्लू० डी० का मायनस कर दिया जाय। भ्रष्टाचार इस विभाग का रिकनाइज्ड फैक्ट है। ३० जुलाई को चीफ मिनिस्टर साहब को टेलीग्राम भी दिया था, वर्तमान पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर के पास दो बार गया भी और बताया कि ५ परसेंट ओवरसियर, ३ परसेंट इंजीनियर्स, २ परसेन्ट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेढ़ परसेंट एस्टेब्लिशमेन्ट, इस तरह से साढ़े ११परसेंट बजट का जा रहा है उसे बजट से काट दिया जाय।

*श्री रामायणराय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुपूरक अनुदानों के बजट को देख कर हमको ऐसा लगा कि बजट बनाने के इतिहास में इस बार जितनी अनियमिततायें बरती गयी हैं, मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी नहीं बरती गयीं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक संविधान का प्रश्न है आपको वह ऐसा बजट सदन के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है किन्तु उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। वह प्रतिबन्ध यह हैं कि इस बजट के अन्दर आपको ऐसे ही अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत करने चाहिये जो अनुदान कि भरसक नये न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हों। अगर नयी हों तो वे ऐसी मांगे हों जिनके स्थगित करने से जनता का कोई बड़ा भारी हित होने वाला हो। ऐसी परिस्थिति में नयी सर्विस के लिये भी आप सदन से मांग कर सकते हैं।

श्रीमन्, ६ करोड़ से भी अधिक का जो यह पूरा बजट है इसमें से ४,१६,९७,९०० रुपया ऐसी मदों में खर्च किया गया है जिनके सम्बन्ध में पहले से अनुमान किया जा सकता था और कुछ मदें तो ऐसी हैं जिन्होंने एक नया प्रश्न हमारे सामने उपस्थित कर दिया। राज्य सरकार न जाने कैसे ऐसे अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगाती है। अभी तक केन्द्रीय सरकार की ओर से इस बात की घोषणा नहीं की गयी है कि इमरजेन्सी समाप्त हो गयी है, लेकिन कई मांगों के सम्बन्ध में उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिये यह कहा गया है कि इमरजेन्सी में एकोनामी कमेटी ने इस तरह की सिफारिश की, इसलिये हमने स्थगित कर दिया, अब पुनः हमने निश्चय किया है कि इसके ऊपर इतना खर्च करें। कुछ मांगे ऐसी हैं जिनमें से अगर एक मांग के ऊपर भी वित्त मंत्री जी और राज्य सरकार जरा गम्भीरता से सोचे तो इस प्रदेश का करोड़ों रुपया बच सकता है। वह मांगे ऐसी हैं जैसे रिग खरीदने के लिये पिछले बजट में १ लाख रुपये का प्राविधान किया गया था, लेकिन उस समय वह नहीं खरीदे गये। अब उसके लिये ३ लाख रुपये हमसे मांगे जा रहे हैं और औचित्य यह बतलाया जा रहा है कि मूल्य बढ़ गये। इस सदन का एक दायित्व निभाते हुये मैंने देखा कि सिंचाई विभाग ने ट्यूबवेल्स के लिये सदन से एक समय में रुपया लिया। उस समय उसके स्टेनर और दूसरे सहायक यन्त्रों के कुछ भाव और थे और जब योजना का कार्यान्वियन हुआ तो उनके भाव और हो गये। तो जिन विभागाध्यक्षों की लापरवाही के कारण १ लाख की जगह आज ३ लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है उनके ऊपर क्या कभी अंकुश लगा पायेंगे सरकार के लोग ? यह साधारण प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार की किसी भी योजना को ले लीजिये। उस योजना में आपको एक चीज मिलेगी। योजना के कार्यान्वियन में विलम्ब किया जाता है जिससे बहुत से आवश्यक यंन्त्रों की खरीद में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा ऐसी भी खरीदें की गयीं जैसे एक मोटर खरीदी जा रही और चीजें खरीदी जा रही हैं, ऐसी खरीदों के ऊपर जब वार्षिक आय-व्ययक का लेख पत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय विधिवत् उसका ब्योरा होना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें दायित्व केवल वित्त विभाग का नहीं है, विभागाध्यक्ष जो प्राक्कलन तैयार करते हैं उनका पूरा पूरा दायित्व है। यहां पर यह बात धपले में नहीं पड़नी चाहिये।

अधिक समय न ले कर एक प्रश्न जो कुछ माननीय सदस्यों ने यहां उठाया उसका एक संवैधानिक संकेत मैं करना चाहता हूं। जहां तक संविधान का प्रश्न है उसमें यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि विधान सभा और विधान परिषद् दोनों का सेक्रेटेरिएट इंडिपेंडेंट होना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि और नये पदों का सृजन किया जा सकता है लेकिन यह सब कुछ करने का, ये नये पदों के सृजन करने का और सेक्रेटेरियट निर्माण करने का तथा सेक्रेटेरियट में काम करनेवालों के सेवा नियमों के निर्माण करने का सारा उत्तरदायित्व इस सदन का है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जिसका अधिकार है, जिसके अधिकार और आदेश पर यह पद सृजित होते रहे हैं, क्या सदन से कभी भी इन पदों के सम्बन्ध में कोई आदेश लिये गये ? संविधान की वह आर्टिकिल १८७ मैं आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कुछ लेना देना नहीं, केवल एक इरेंगुलेरिटी के सम्बन्ध में एक लाइन आपकी सेवा में अर्ज कर देना चाहता हूं।

"187. (1) The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff.

Provided that nothing in this clause shall, in the case of the Legislature of a State having a Legislative Council be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of such Legislature.

[श्री रामायणराय]

(2) The Legislature of a State may by law regulate the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the secretariat staff of the House or Houses of the Legislature of the State."

आप, श्रीमन्, इस सदन के हितों के संरक्षक हैं। बड़ा भारी आग्रह है आपसे, यह सेक्रेटरी जनरल के पद का जो निर्माण किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप उस बात को न कहें। उसी बात को दोहराना आप चाहते हैं।

श्री रामायण राय----

एक जुडीशियल सर्विस का आदमी हमारे दोनों सदनों के सेक्रेटेरियट के ऊपर बैठा हुआ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं इस संवैधानिक प्रश्न के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के लिये कुछ मुझे नहीं कहना है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस पद के निर्माण के द्वारा संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा गया है। हम समझते हैं कि हमारा सेक्रेटेरियट स्वतंत्र है, लेकिन जुडीशियल सर्विस का आदमी हमारे ऊपर लाकर बैठाया गया है। मैं चाहता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष --

अब आपका समय समाप्त।

श्री रामायणराय--

मैं चाहता हूं कि विधिवत् वैधानिक सिद्धान्तों के ऊपर इस सेक्रेटेरियट का निर्माण होना चाहिये, इस के पदों का निर्माण होना चाहिये और इसकी सेवाओं का निर्माण होना चाहिये। इस सदन के द्वारा और शीघ्र ही बिना विलम्ब किये हुये संवैधानिक सिद्धान्तों का पालन करते हुये यहां के सेवा-नियमों का भी निर्माण होना चाहिये।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)-

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो यह अनुपूरक अनुदान सदन के समक्ष पेश किया है उसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिलती है जिसकी आलोचना की जाय, लेकिन एक शिकायत है। माननीय वित्त मंत्री जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनका रिगार्ड करता हूं, लेकिन सुल्तानपुर जिले पर उनकी कृपा नहीं होती। मैं सोच रहा था कि इस वर्ष उन्होंने सुल्तानपुर जिले का ख्याल किया होगा, लेकिन पूरा सप्लीमेंन्ट्री ग्रान्ट देखने के बाद पता चलता है कि सुल्तानपुर के लिये इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें उसका नाम भी नहीं है। सुल्तानपुर जिला ऐसा बीच में पड़ता है कि न पूरब वाले और न पश्चिम वाले इसको अपने साथ लेते हैं। पूरब वाले कहते हैं कि यह पश्चिम में है और पश्चिम वाले कहते हैं कि यह पूरब में है। उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तीसरी योजना समाप्त होने जा रही है, बड़े दुख की बात है कि सुल्तानपुर जिला जिस प्रकार अंग्रेजों के जमाने में था, थोड़ा-सा सिंचाई मंत्री जी ने कृपा कर दी थी कि १०-२० ट्यूबवेल कादीपुर तहसील में लग गये बाकी किसी मंत्री का ध्यान कभी सुल्तानपुर जिले की तरफ गया ही नहीं। सिंचाई मंत्री जी अवश्य बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कुछ ट्यूबवेल्स हमको दिये हैं, बाकी वही सड़कें, वही अस्पताल जो अंग्रेजों के जमाने में थे, आज भी सुल्तानपुर जिले में उतने ही, जैसे ही साबिक दस्तूर हैं। उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन आज तक नहीं हुआ है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, यह ठीक है कि हमारे जिले का कोई मिनिस्टर नहीं है, हमारे जिले का नेतृत्व जो मिनिस्टर साहब करते हैं वह नेतृत्व तो कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खेते हैं जरूर, लेकिन उनको ध्यान नहीं आता। हमारा जब कोई काम पड़ेगा तब वह नेतृत्व नहीं करेंगे, वोटों का बटवारा तो जरूर करेंगे, लेकिन कभी ध्यान नहीं देंगे कि सुल्तानपुर जिले के मामले को भी सरकार के सामने पेश कर दें, यही मेरी शिकायत है।

श्रीमन् ५५–५६ अनुदान हैं,उनको हमने गौर से देखा। स्वास्थ्य के अनुदान को देखने से एक विचित्र बात हमारे सामने आई। हमारे क्षेत्र में एक शारदहन नाम का स्थान है वहां पर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया था और उसको ४ हजार रुपये का अनुदान मिला था। वहां पर अमेठी कस्बे से पुरानी ईंटें लाकर ६ फीट ऊंची दीवाल उठा दी गई और इसी में सारा रुपया खर्च हो गया। सरकार से लोगों ने शिकायत की और अधिकारियों को भी दरख्वास्तें दीं कि औषधालय बेकार पड़ा हुआ है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब हम लोग वहां जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम लोग एम० एल० ए० हो, हमने तुमको वोट दिया है इस तरह से पुरानी ईंटों की दीवाल उठाकर लोग ४ हजार रुपये मार ले गये हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह से छोटी-छोटी बातें बड़ी बातों को उभार देती हैं और परेशानी में डाल देती है।

श्रीमन् एक बात मुझे और इसी अनुदान के संबंध में याद आ गई। आज से कुछ साल पहले लखनऊ में माननीय गुप्ता जी के जमाने में एक आयुर्वेदिक कालेज खोला गया था और ५ साल का कोर्स रखा गया था। इसमें ८० प्रतिशत वही कोर्स पढ़ाया जाता है जो एम० बी० बी० एस० के लड़कों को पढ़ाया जाता है। पता नहीं उसमें क्या हुआ एक ऐसा झगड़ा पड़ गया है कि वहां के लड़के डेढ़ महीने से लखनऊ की सड़कों पर घूम रहे हैं। पहले लड़के होस्टेल में रहते थे। अब वह कालेज और होस्टल दोनों बन्द कर दिये गये हैं। सरकार को चाहिये कि इस कालेज को बिलकुल बन्द कर दे और लड़कों से कह दे कि वे अपने घर जायं, लेकिन विद्यार्थी इधर-उधर मारे मारे फिर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो अनुदान रखे गये हैं वे बड़े सुन्दर हैं, लेकिन हमारी ओर उनका ध्यान नहीं गया है।

*श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जनरल डिबेट में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं। इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट की ओर से जो १५ लाख २२ हजार की मांग की गई है वह अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मुझे शक है कि इसका दुरुपयोग जरूर होगा। हमारी चेष्टा रही है कि हम इंडिस्ट्रियल फील्ड में आगे बढ़ें और मैं समझता हूं कि दोनों तरफ के माननीय सदस्य इस बात के लिये उत्सुक हैं कि किसी तरह से हमारे यहां उद्योग धंधे बढ़ें और हमारी परकैपिटा इन्कम बढ़े। हम इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट को देखते हैं तो अफसोस जरूर होता है कि एक अजीब किस्म का क्लिक बना हुआ है जिससे हम आगे बढ़ने में मजबूर हैं और बढ़ पाने की चेष्टा करते हुए भी पीछे हट रहे हैं। मैं सरकारी पक्ष की तरफ से निश्चय समझता हूं कि वह भी आगे बढ़ना चाहते हैं हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि जिनके हम प्रतिनिधि हैं उनकी तरक्की करना चाहिए,लेकिन हम क्लिक में इस तरह से फंस गये हैं कि आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि बहुत से एप्वाइंटमेंट्स का कोइंसीडेंस भी हो सकता है एक के बाद दीगर अप्वाइंटमेंट्स हो गये,पर जहां ऊपर से नीचे तक एक ही क्लिक के आदमियों को देखते हैं तो जरूर संदेह होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और यह गड़बड़ बनाये रखने के लिये यह अप्वाइंटमेंट्स हुए हैं। मसलन इस डिपार्टमेन्ट में जितने रिस्पांसिबिल अफसर हैं—इस आजाद मुल्क में मैं यह नहीं चाहता कि कोई बात जातिवाद के आधार पर कही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथ सिंह बंदा]

जाय—यह गैर मुनासिब है, पर जब ऊपर से नीचे तक एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के आदमी को डामिनेट करते हुये देखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कोइंसीडेंस नहीं है। मसलन डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज मिस्टर समीयुद्दीन हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, श्री रिजवी हैं, यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स के सेल्स ऐंड परचेज आफिसर वाई०एम० सिद्दीकी, असिस्टेन्ट फाइनेंशल डाइरेक्टर हैं मिस्टर बाजी अली, अलाटमेन्ट आफिसर मुजफ्फर जमाल रिजवी। इतनी यू० पी० सेक्रेटेरियेट की सर्विसेज हैं उनमें यह हैसी कोइंसीडेंस नहीं हो सकता। उनका तबादला, उनके प्रोमोशंस और जो विक्टिमाइजेशन इस डिपार्टमेन्ट में हुआ है मैं किसी का नाम ले कर कोई इंसटेंस नहीं देना चाहता, क्योंकि यह कोई हेल्दी एटिट्यूट इस हाउस का नहीं होगा। पर मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस डिपार्टमेन्ट की वर्किंग को प्रापरली स्क्रूटिनाइज करें और हम इन नीयत से देखें कि हमारा प्रदेश इस देश का बहुत बड़ा प्रदेश है और वह इंडस्ट्रियली बहुत बैकवर्ड है उसका ऐडवांसमेन्ट करना है इस नीयत से उस चीज को देखें और इसके स्क्रूटिनाइज करें कि हम क्यों रिटार्ड कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसा करेगी तो उसे मालूम होगा कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट का सेट अप रिनोवेशन चाहता है। हम को यह भी देखना है। जिस आदमी का इंडस्ट्री की तरफ रुझान नहीं है वह इंडस्ट्री की तरक्की नहीं कर सकता। जिन आदमियों की इंडस्ट्रियल टेंडेंसी है, जो तरक्की वह इस डिपार्टमेन्ट में ला सकते हैं वह एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर नहीं ला सकता। वन में बी गुड आफिसर बट नाट ए गुड इंडस्ट्रियलिस्ट (One may be a good officer but not a good industrialist) इस चीज को देखते हुए एक स्पेसिफिक इंस्टेंस भी दे सकता हूं।

मिर्जापुर में कोई सज्जन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर हैं, उनका एक लाख रुपये के करीब डिपाजिट है और गवर्नमेन्ट को यह भी मालूम है कि उनकी यह अनप्रपोर्शनेट इन्कम है, लेकिन बावजूद इसके कि चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में यह चीज लायी गयी, माननीय गुप्ता जी थे, माननीय फूलसिंह जी ने भी देखा आजतक फाइल पड़ी है और उसकी इन क्वायरी नहीं हुई। जब तक आप डिपार्टमेन्ट से करप्शन नहीं दूर करेंगे, तरक्की करने में बड़ी मुश्किल पड़ेगी।

एक मिस्टर हैं उनके पास कापर, सीमेन्ट, स्टील, जितने नान फेरस मेटिल्स हैं, सबका अलाटमेन्ट है, एक ही आदमी अलाटमेन्ट इनका करता है।

तो देखिये एल्योरमेंट बहुत बड़ी चीज है। आदमी बेसिकली बड़ा आनेस्ट हो सकता है और आनेस्ट है। पर जब उसको २४ घंटे एक चीज का एल्योरमेंट है तो उसको अपने ऊपर कितनी देर तक जब्त रहेगा, कितना काबू वह अपने ऊपर रख सकेगा। यह ह्यूमन वीकनेस है, इसके लिये किसी को दोष देना या आरोप लगाना ठीक नहीं होगा जितना कि हम इस चीज के लिये एन्डेवर करें कि उसको इस बात के लिये चांस न दें। chance plays a great part in man's life. इसलिये इस पूरे डिपार्टमेन्ट को अच्छी तरह देखकर रेनोवेट करें और जितने इसके अन्दर फ्लाज हैं जिनकी वजह से हमारा इन्डस्ट्रियलाइजेशन रिटार्ड हो रहा है, उन खामियों को दूर करें। अपने इंडस्ट्रियल फील्ड में हम एक अच्छी प्लानिंग करें। प्लानिंग हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, सारी दुनियां आज प्लानिंग चाहती है, लेकिन यह जो बिलकुल हैप्हेजर्ड प्लान है इससे बजाय फायदे के नुकसान होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो १५ लाख २२ हजार रुपया इस आदरणीय सदन से लिया जा रहा है वह बिलकुल गड्ढे में डाला जा रहा है। जब तक हम इस चीज को अच्छी तरह स्क्रूटिनाइज न कर लें कि हमारे फंड का प्रापर यूटिलाइजेशन होगा तब तक प्लान के ऊपर या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के ऊपर या किसी के ऊपर इतनी बड़ी रकम सर्फ कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष —

आपका समय समाप्त।

*श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैं एक वर्कर पहले था और थोड़ा-सा एम० एल० ए० का पद लेकर मैं यहां आया हूं और अपने नेताओं और साथियों के बीच यहां बैठा हुआ हूं। यह जो अनुपूरक बजट हमारे सामने पेश है जिसके ऊपर कुछ आलोचना भी विरोधी पक्ष से की गई है और अपनी तरफ के लोगों ने भी इसमें कुछ खामियां दिखायी हैं इसके सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यों तो उन बुद्धिजीवी व्यक्तियों का जिनकी तरफ से यह अनुदान पेश किया गया है उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से और विवेक के साथ इसे यहां रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते जो कि अगर सदियों से नहीं तो कम से कम अपने जीवन से एक विवेक को लेकर इस संस्था में आया है, डेढ़ पौने दो साल के अपने तजुर्बे से यह कहता हूं कि मुझे कुछ हैरत-सी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि यहां आकर के, कुछ अपने पुराने विचारों के अनुरूप हमें हमारे ये साथी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे उनमें कुछ कमी दिखाई पड़ रही है। जो पैसा बजट में हम रख रहे हैं दो तीन मर्तबा मैं देख चुका हूं, उस धन का दुरुपयोग ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। कहीं भी नेकनीयती के साथ अच्छी तरह से उस धन को खर्च नहीं किया जा रहा है। एक साधारण व्यक्ति होने के नाते मैं इस बात की आकांक्षा करता हूं कि यह धन जो उपलब्ध है, जहां से यह स्रोत बहकर आया है, उसकी तरफ ठीक ध्यान नहीं जा रहा है। कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, मेडिकल, पुलिस, जहां कहीं भी यह धन जा रहा है कहीं भी इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। अच्छे ढंग से उसका उपयोग नहीं हो रहा है और न उसमें किसी प्रकार से कोई अच्छी बात हो रही है। केवल आलोचना ही आलोचना सुनायी पड़ रही है। मैं हृदय की मार्मिक वेदना से आपसे आग्रह करूंगा कि जितने भी विभाग हमारे नेताओं के हाथ में हैं उनको सुचारु रूप से, बुद्धिमानी के साथ और अपने विवेक के साथ वह देखें और इसका ध्यान रखें कि हमारा धन ठीक रूप से खर्च हो।

सन् १९३७ में जब हमारी गवर्नमेन्ट बनी थी उस समय हमारे राज्य के अधिकारी हमारे नेताओं की एक-एक बात की कीमत करते थे और डरते थे, विवेक के साथ उनके सामने आते थे और बराबर इस बात का ध्यान रखते थे कि कहीं कोई अनुचित काम उनका न हो जाय। लेकिन आज सन् १९३७ के बाद १९६२-६३ में मैं जो देख रहा हूं वह इस रूप में सामने आ रहा है जैसे कि देहात में एक किस्सा कहा जाता है कि 'ऐका पाथर साग बरोबर'। कोई पत्थर उठाता है तो पहले उसको गोड़ तक ले आता है, फिर सीने तक ले आता है और फिर ऊपर उठाकर रख देता है। तो हमारे जो नीचे के अधिकारी हैं उन्होंने यह अच्छी तरह से समझ लिया है कि इनके अन्दर विवेक नहीं रह गया है। भले ही शासन चले, भले ही थोड़ा सा लाभ मिल जाय, लेकिन भविष्य में बहुत आशंका दिखाई देती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमको सामाजिक प्रजातन्त्र लाना है और तरीके से प्रजातन्त्र को सामाजिक ढांचा देना है तो हमारे धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

मैं अपने क्षेत्र से बहुत विशेषरूप से मत प्राप्त करके आया हूं। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं लेकिन जनता की हमारे अन्दर बहुत रुचि थी और बड़े नेताओं का हमारे ऊपर वरदहस्त था इसलिये मैं उस क्षेत्र से चुना गया। पन्द्रह हजार वोटों से मैं जीतकर आया हूं लेकिन आज जो जनता की पुकार हो रही है उसको भी हमको सुनना चाहिये। हमारे वित्त मंत्री जी के बगल में मुजफ्फर हसन साहब बैठे हुये हैं। वह भी हमारे जिले के हंडिया क्षेत्र से आते हैं। वे भी ४०–५० गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास जो विभाग हैं उन्होंने उसके द्वारा अपने क्षेत्र में मोटरों का परिचालन कराया है। मैं भी कम से कम बहुत बड़ी संख्या में गांवों का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां पर जनता की आवाज उठ रही है कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। मुजफ्फर हसन साहब के इलाके के जितने ३ महीने, २ महीने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथ पांडेय]

जेल जाने वाले पुराने कार्यकर्ता थे उन सबको पेन्शन बान्ध दी गई है। हमारे यहां १३० आदमी पुराने कार्यकर्ता मौजूद हैं जो ३,४ मर्तबा जेल गये हैं लेकिन उनको एलोकेशन आभी तक यहीं पर पड़ी हुई है। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं उनसे .....

श्री ब्रजीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य इस प्रकार की व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं क्या ऐसी बातें यहां पर कहना मुनासिब है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

भ्रष्ट मंत्री की आलोचना करना हर माननीय सदस्य का कर्तव्य है। यह आलोचना नहीं है। यह सत्य का प्रकाशन है।

श्री उपाध्यक्ष --

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री बैजनाथ पांडेय --

मैं विरोधीकरण की नीति के विरुद्ध हूं। मिश्र जी चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं उनकी पालिसी के विरुद्ध हूं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना पैसा जो इस अनुदान के अन्तर्गत मांगा जा रहा है उसको खर्च करने के लिये हर एक विभाग के ऊपर अंकुश रखना चाहिये। राज्य अधिकारी भी हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। हम उनके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं। हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे अधिकारी अपने को बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। मैं विवेक के साथ आपसे अपील करता हूं कि इस सम्बन्ध में अगर आप निगाह नहीं रखेंगे तो जो समाजवाद के ढांचे को आप लाना चाहते हैं उसके अनुरूप यह नहीं चलेगा और प्रजातंत्र के रास्ते पर चलना हमारे लिये मुश्किल है। आज रास्ते रास्ते में हमको चलना मुश्किल हो रहा है और हर जगह हमारी आलोचना हो रही है। हम कार्यकर्ता हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये यहां पर आये हैं लेकिन जब उनकी बातें सुनते हैं तो हमारे हृदय पर चोट लगती है और वही उद्गार प्रकट करने के लिये यहां पर हम स्वतंत्र हैं। मैं और अधिक न कह कर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक-एक विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश की जाय।

श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने खयालात पेश करने का मौका दिया। यह हर साल या बीच में जो बजट पेश होता है उसके बारे में जनता को सिर्फ इतना ही मालूम है और वह सिर्फ इतना ही महसूस करती है कि उसकी गाढ़ी कमाई के खर्च होने का यह कागजी ढांचा बना। उसके बाद क्या हुआ, कहीं पता नहीं लगता। किसी ने कहा है 'हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक'। आप बजट बनाते रहिये, आज जो पब्लिक की हालत है, उसका क्या आलम है इसका आपको पता नहीं है। जब तक पता होगा वह तब तक खाक हो जायगी। आप अपना इन्तजाम करते रहिये।

आप दूर न जाइये मुझे हैरत हुई यह सुनकर कि कुछ हमारे साथी ऐसी पोस्ट को खत्म करने की कोशिश है कि जिसके मुताल्लिक मैं समझता हूं कि अगर वह पोस्ट न रही तो माफ करें, हमारे स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब से बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाने का इमकान है जिनका इलाज मुश्किल हो जायगा। यहां बैठ कर हम यह मुसलसल देखते हैं कि एक ऐसा आदमी कानाफूसी करता है जिसके मुताल्लिक मैंने एक बार शिकायत भी की थी. . . स्पीकर महोदय से।

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं हाउस को बतलाऊं कि आज एक साल होने को आता है कि जब मैंने स्पीकर साहब से गुजारिश की थी कि आपके सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव असेम्बली, [****] फलां टी० ए० बिल जो उन्होंने वसूल कर लिया, उन्हें नहीं लेना चाहिये था। इन्क्वायरी हुई और उसकी तमाम तफसीलात को छोड़ कर आपको इतना बतला दूं कि स्पीकर साहब ने सिर्फ इतना हुक्म दे दिया कि जो आपने रुपया ज्यादा वसूल कर लिया है उसे रिफंड कर दिया जाय [****]। अगर मिसएप्रोप्रियेशन की यही सजा रही तो सोचना पड़ेगा कि इस हाउस में बैठ कर वाकई में हम अपनी जगह पर न्याय कर रहे हैं। या अन्याय कर रहे हैं। मैंने इसके बाद और भी मिसालें दीं कि मेरठ में यह वाक्या हुआ, मद्रास गये तब भी यही वाक्या हुआ। ऐसे आदमी के मुताल्लिक मैं तो यह गुजारिश करूंगा हाउस से, कि किसी भी ईमानदार आदमी का खून खौल जाना चाहिये यह देखकर कि स्पीकर साहब की बगल में वह इंसान बैठा है और मुसलसल कानाफूसी करता है, उनको हिदायतें देता है कि यह कहिये, यह कहिये, यह बात यूं होगी और यह बात यूं होगी। और इसके बरखिलाफ कोशिश की जा रही है कि एक जो हायर जुडिशियल सर्विस का आदमी है, उसकी पोस्ट को उड़ा दिया जाय। शायद अगर यह पोस्ट उड़ जाय तो यही आदमी कोशिश कर के उस जगह पर आ कर बैठ जायगा। [****] उस मामले में जब हुक्म हो गया तो उसने उसकी तामील अभी तक नहीं की। अभी तक रुपया रिफंड नहीं किया, लेकिन इस पर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय और इसके बरखिलाफ मैं हाउस में यह सुनूं कि सेक्रेटरी, लेजिस्लेचर की जगह फालतू है, उसको उड़ा दिया जाय तो मेरे लिये यह हैरत की बात है और मैं यह गुजारिश करूंगा कि अगर इस तरह की चीजें चलीं कि [****] ऐसे आदमी को रखा जाय और वह जो आदमी बहुत कुछ गाइडेंस दे सकता है, उसकी पोस्ट को उड़ा दिया जाय, तो यह सब के लिए हैरत की बात ही होगी, गलत बात होगी और तदब्बुर के खिलाफ होगा।

मुझे अफसोस है कि हमारी रूलिंग पार्टी आज जनता से इतनी दूर हो गयी है जितनी दूर शायद वह कभी नहीं थी। क्या उसको मालूम नहीं है कि पुलिसविभाग में क्या हो रहा है? ताना-शाही और बदनजमी अपनी हद को पहुंची हुई है। गरीब जनता आजिज व परेशान है। हमारे गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं उनको बतलाता कि यह कहा जाता है कि अगर आज किसी की जान लेनी हो तो दो बीघा ईख काफी है उसके एवज में। अगर यही पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है कि दो बीघे ईख की कीमत एक जान के बराबर है तो यह एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी है नाकामी है। आज आये दिन कत्ल होते हैं, डाके पड़ते हैं, दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं। हम यहां सवाल लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यह अल्पसूचित प्रश्न ले लिया जाय, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी उस बात को रद्द कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि यह अल्पसूचित का मसला नहीं है। खुलूबन्दी अली ढ में एक दारोगा रिश्वत ले रहा है, कत्ल की नामजद रिपोर्ट दर्ज होती है मगर वह अल्लाह का नेक बन्दा किसी को नहीं पकड़ता। उसने कातिलों को छूट दे रखी है। इसी तरह से तमाम महकमे हैं जिन पर हमें गौर करना है और यह साफ है कि इतना जो पैसा हम देते हैं वित्त मंत्री जी के हाथ में, यह उनका काम है कि वह देखें कि वह सही तौर पर सर्फ हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहीं कहूंगा कि बजट भी फेल है और बजट को चलाने वाले भी नाकामयाब हैं।

श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)–

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अनुपूरक अनुदानों की मांगों को देखा व पढ़ा। उसके विवरण के पृष्ठ ६ पर उत्तराखंड डिवीजन का भी उल्लेख है। उसमें वहां की अंतरिम जिला परिषद् का

[****] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

[श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी]

उल्लेख है और उसके लिये अनुदान अंकित है। मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि उत्तराखंड और चमोली उसके दरमियान में अभी तक निर्वाचित अंतरिम जिला परिषद् नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसके लिये भारत सरकार ने १० लाख रुपया स्वीकार किया है जिसमें से २ लाख इस वर्ष खर्च होना है। मैंने पिछले बजट के समय तथा इस सदन में प्रश्नों के द्वारा भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उत्तराखंड में अंतरिम जिला परिषद् का शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराया जाय, किन्तु मैं समझता हूं कि अभी तक सरकार का कोई ध्यान उस तरफ नहीं गया जब कि और जिलों में जिला परिषदों का नवनिर्माण भी हो चुका है। वहां पर जिला अंतरिम परिषद् सम्बन्धी सारी शक्ति वहां के जिलाधीश को हस्तान्तरित कर दी गयी है। उनके पास इतना अधिक कार्य रहता है कि वे बहुत चाहने पर भी इधर पूरा पूरा ध्यान नहीं दे सकते हैं और पूरा काम करवाने में समर्थ शायद ही हों और इन रुपये का ठीक प्रकार से काम पर व्यय नहीं करा सकते हैं। वहां (चमोली) जिले में केवल एक अंतरिम जिला परिषद् विभाग में एक इंजीनियर हैं और एक ओवरसियर हैं और चमोली जिले में सैकड़ों मील लम्बी सड़कें जिला अन्तरिम परिषद् विभाग में हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर चमोली जिले के उत्तराखंड में शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचित जिला परिषद् हो ताकि वहां पर जिला परिषद् का निर्माण-कार्य ठीक प्रकार से हो सके। मैं अब तक सरकार को पिछले उत्तरों व तर्कों से यह नहीं समझ पाया कि निर्वाचित जिला परिषद् के बन जाने से वहां पर कौन सा खतरा प्रजातन्त्र के लिये उत्पन्न हो जायेगा। मेरा खयाल है कि जिला परिषदों के बनने से वहां की जनता का उत्साह और मनोबल और बढ़ेगा। मुझे यह भी डर है कि निर्वाचित जिला परिषद् के अभाव में, भारत सरकार से जो रुपया हमें मिलता है वह भी कहीं लैप्स न हो जाय। अन्तरिम जिला परिषद् के विभाग में कार्यकर्त्ताओं की कमी से वह लैप्स हो सकता है। या तो सरकार को चाहिये कि वह पी० डब्लू० डी० द्वारा इन ग्रामीण सड़कों व पुलों का निर्माण-कार्य करवावे। नागालैन्ड में प्रजातांत्रिक तरीके से वहां की विधान सभा आदि की रचना हो चुकी है, और वहां पर प्रजातंत्रीय पद्धति से कार्य हो रहा है फिर उन लोगों पर, उस जनता पर जो कि बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के उपासक तथा गंगा-यमुना की राष्ट्रीयता के उपासक हैं, विश्वास क्यों नहीं किया जाता। मेरे विचार से वहां पर चमोली में अतिशीघ्र जिला परिषद् का निर्वाचन होना चाहिये।

श्रीमन्, चमोली जिले में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष कुछ व्यापित नदियों व नालों को पार करते हुये उसमें बह जाते हैं। इसलिये वहां पर सड़कों और पुलों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पुलों व सड़कों की मरम्मत, व निर्माण करना निहायत जरूरी है।

कुछ बातें मैं शिक्षा की मद में भी कहूंगा। सन् १९६० में उत्तराखंड बना। मैं उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और सरकारी कर्मचारियों की तरह चमोली में जिला अन्तरिम परिषद् के अध्यापकों को सीमान्त भत्ता नहीं मिलता है। उस समय से इनके लिये कई बार सरकार के पास में शिष्ट निवेदन कर चुका हूं। वहां के अध्यापक बहुत दुखी हैं। उनमें असन्तोष है। अतः मेरा निवेदन है कि और सरकारी विभागों की तरह वहां के अध्यापकों को भी सीमान्त भत्ता दिये जाने की कृपा की जाय। गत समय में कई बार विधायक चुने जाने के बाद सरकार के सामने अध्यापकों के सीमान्त भत्ते का प्रश्न रख चुका हूं।

इसके अतिरिक्त चमोली जिले की गरीबी को दूर करने के कार्य व प्रयत्न किये जायं। वहां पर सरकार ने बिजली की कुछ योजनायें स्वीकार की हैं। किन्तु वह प्रकाश का ही कार्य कुछ स्थानों में हो सकेगी।

मैं चाहता हूं कि वहां चमोली जिले में उद्योग धंधों के लिये, वहां की गरीबी को दूर करने के लिये पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाय। चमोली जिले में टरपेंटाइन फैक्ट्री अच्छी

तरह से चल सकती है। आजकल वहां जंगलों में टरपैन्टाइन बरेली फैक्ट्री को जाता रहता है। चमोली के जंगलों में लकड़ी भी विपुल मात्रा में है। कागज की फैक्ट्री भी वहां पर चल सकती है। सरकार ने जो पंचवर्षीय योजनायें चलाई हैं उनमें शहरी व राष्ट्रीय आवश्यकताओं की बड़ी वस्तुओं के उत्पादन में आप भले ही कुछ अंशों में सफल हुए हों लेकिन हमारे पर्वतीय दे ातों के दृष्टिकोण से आप अभी सफल नहीं कहे जा सकते हैं। ग्रामों में उद्योग धन्धे कायम होने चाहियें तथा गांवों में आय के साधन खोजे जाने चाहिये।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेन्टरी बजट पर बोलने के लिये इजाजत देने के लिये आपको धन्यावाद देता हूं। चाहे सालाना बजट हो या सप्लीमेन्टरी बजट हो, हमें जनता के हित को ध्यान में रख कर ही बजट में रुपया रखना चाहिये। इस खयाल से नहीं रखना चाहिये कि कहां का एम० एल० ए० कौन पार्टी का है या कौन आदमी कितना प्रभावशाली है। मिसाल के तौर पर आप पी० डब्लू० डी० विभाग को देखें। सहारनपुर जिले में एक सड़क केवल एक आदमी के लिये ही बनायी गयी है और उस पर १६५ हजार रुपया खर्च किया गया है। और माननीय कमलापति जी को बताऊंगा कि वह किस व्यक्ति के लिये बनायी गयी है। इसी तरह से और रुपया भी रखा जाता है।

सिंचाई विभाग में बहुत से इंजीनियर रखे जाते हैं। कालागढ़ में ही इतने इंजीनियर रखे हुए हैं कि उनको अपनी ड्यूटी तक का पता नहीं है। सारे दिन वह पलस खेलते हैं और ठेकेदारों से जो रुपया प्राप्त होता है उससे जुआ होता रहता है। रुपये की गड्डियां एक इंजीनियर दूसरे की ओर फेंकता है। ट्यूबवेल में ऐसा होता है अच्छे कुएं के लिये एक-एक आपरेट चार चार सौ रुपया देता है और अपने ट्रांसफर के लिये फिर वह वहां किसानों से जाकर रिश्वत लेता है। पहले तो एक ट्यूबवेल के पास आपने १,५०० एकड़ जमीन रखी थी, अब उसको ८०० एकड़ कर दिया लेकिन समय पर पानी नहीं मिलता है। जो लोग ट्यूबवेल लगा कर अपने खेतों की उन्नति चाहते है उनको अपना कुआं बनाने की इजाजत नहीं दी जाती है और कहा जाता है कि "नो आब्जेक्शन" सर्टिफिकेट लाओ। तब बिजली दी जावेगी। यह सर्टिफिकेट ट्यूबवेल एरिया में एक हजार रुपये में और बाहर १०० रुपया में मिलता हैं पश्चिमी जिलों में हजारों प्रार्थना पत्र एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पड़े हुए है। लेकिन एक को भी नो आब-जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। जब बिजली मिनिस्टर के पास जाते हैं तो वह कहते है "नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट" लाओ। यह नमूना कांग्रेस राज्य का है कि किस प्रकार से यह विभाग चल रहा है।

हमारे यहां का श्यामपुर–कांगड़ी का इलाका गंगा से कट रहा है। इससे इन गांवों की भूमि गंगा में चली जा रही है। सन् १९६२ में एक एस्टीमेट बनाया गया था। अबतक उसके लिये बजट मे रुपया नहीं रखा गया है यह ठीक नहीं है। अब मैं केवल हरिजनों के बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जब यह विभाग अलग था तो हरिजनों को रुपया आसानी से मिल जाता था लेकिन जब से इसको समाजकल्याण विभाग के साथ जोड़ दिया गया है तब से जितना रुपया उन का जाता है वह हर साल के अन्दर बाटा नहीं जाता और आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात होती है ब्लाकों में पैसा जाता है और वह बाटा नहीं जाता और इससे हरिजनों के सामने एक भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं सरकार को ध्यान दिलाऊंगा कि हरिजनों के लिये वही पुराना विभाग अलग से फिर कायम किया जाय और उन का रुपया को ब्लाकों को न दिया जाय।

*श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यहां के मेम्बरान से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे विभाग को ढूढ़ें जहां इमानदारी से काम होता हो, बेईमानी की शिकायतें तो मिलती ही हैं और ज्यादातर लोग इस से सहमत होंगे....।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ईमानदार विभाग तो इस राज्य में कोई नहीं रह गया है, हम ढूंढें क्या?

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से बीच में डिसटर्ब करना ठीक नहीं है ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

मैं कह रहा था कि मेम्बरान को ढूंढना चाहिये कि किस विभाग में ईमानदारी से काम होता है । मैं ३-४ मिनट में ही २-३ विभागों की बात कहूंगा । मैं पहले शिक्षा विभाग को लेता हूं और सरकार का भी मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा कि एक ओर तो सरकार कहती है कि हम प्राइमरी स्टेज तक निशुल्क शिक्षा देंगे लेकिन फिर भी दर्जा १ में ही २ आना फीस लड़कों से ली जाती है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और या तो वह अपनी निशुल्क शिक्षा की रियायत को वापस कर ले या वह देखे कि क्यों उन से यह फीस ली जाती है ।

एक बात यह है कि जितनी भी एडेड संस्थायें हैं उन के बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह सी० आई० डी० से इन्क्वायरी कराये हर जिले में कि किन संस्थाओं में वेतन कम देकर मास्टरों से दस्तखत अधिक रकम पर कराये जाते हैं, वह टीचर तो लिखने के लिये मजबूर होते हैं क्योंकि अगर वह ऐसा न करें तो अगले दिन ही वह बेरोजगार हो जायंगे । सवाल हो जायगा उसके खाने कमाने का । मैं कहता हूं कि सरकार ओपिन जांच न करा कर सी० आई० डी० से करायें तो सही बात पता चल सकती है और वह एड बन्द कर दे ।

उद्योग विभाग के बारे में मुझे यह कहना है कि जितना रुपया यहां से जिलों में जाता है, ईमानदारी से सुझाव देते देते मेम्बर तंग आ गये लेकिन कोई मानता नहीं है । अधिकारी जैसे चाहते हैं वही करते हैं, बेईमानी के साथ । जब तक इंडस्ट्रीज विभाग के अधिकारियों को १०,२० प्रतिशत दिया नहीं जाता क्या मजाल है किसी को ग्रान्ट मिल जाय । अगर रुपया स्वीकृत भी हो गया तो उसके निकालने में अड़चन होगी और परेशान हो कर उसको रुपया देना पड़ेगा । मेरा सुझाव है कि जो रिकमन्डेशन इंस्पेक्टर देता है उसको बाध्य किया जाय कि ६ महीने तक अगर इंडस्ट्री न चले तो इसका वह पर्सनली जिम्मेदार होगा । अगर वह अपनी सही रिपोर्ट दे तो कोई माने नहीं कि ६ महीने तक इंडस्ट्री न चले । अतः सरकार इधर ध्यान दे । अगर ऐसा किया जायगा तो जो वाकई में रोजी कमाना चाहते हैं उनको मदद मिल जायगी । इंडस्ट्रीज विभाग के हर जिले में ४,५ दलाल हैं जिनके जरिये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वाले कमाते हैं और गरीब आदमी मारा जाता है ।

अब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं । डेवलपमेंट कमिश्नर को पूरे प्रदेश को यहीं बैठे इंतजाम करना पड़ता है । दोनों जगहों की प्राबलम्स अलग-अलग हैं, ईस्टर्न यू० पी० में बाढ़ आती है, वेस्टर्न यू० पी० में सूखा पड़ता है । मेरा सुझाव है कि दो डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर्स कर दिये जायं, एक ईस्टर्न यू० पी० का और दूसरा वेस्टर्न यू० पी० का । अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो यह झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा । आये दिन पार्लियामेन्ट में कहा जाता है इस बारे में कि पूर्वी क्षेत्र की इकोनोमिक कंडीशन्स काफ़ी खराब हैं । ईस्टर्न यू०पी० में जितना पानी बरबाद होता है अगर उस को भाखरा की तरह डैम बनाकर काम में लाया जाय तो इंडस्ट्री और खेती के लिये बिजली और पानी मिल सकता है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है । इसलिये पार्टीबन्दी से ऊपर उठ कर पूरे प्रदेश को देखा जाय तभी विकास का काम हो सकता है, अन्यथा नहीं । हमारे यहां शुगर इंडस्ट्री को छोड़ कर और कोई इंडस्ट्री नहीं है । लेकिन हमारे यहां रा मैटीरियल काफ़ी है । कागज के लिये सवाई, बगाई भार और धान का पुवाल काफ़ी मात्र में मिलता है, लेबर भी काफ़ी है, लेकिन सरकार इस तरफ़ कोई प्रयास नहीं करेगी । वही अंग्रेजों वाली नीति चली आ रही है कि एक हिस्से को खाली रखो । इस भेद को दूर करना चाहिये ।

एक बात और कहना चाहता हूं बस्ती जिले में चावल ट्रांस राप्ती क्षेत्र से सिस राप्ती क्षेत्र में नहीं ला सकते। सिस राप्ती में चावल का भाव १ रु० का डेढ़ सेर है, जब कि ट्रांस में २ और ढाई सेर है। लेकिन बस्ती वालों को चावल खाने को नहीं मिलेगा। मछली का यह हाल है कि पहले १ रु० सेर मिल जाती थी लेकिन अब वहां से सब आसाम को ऐक्सपोर्ट कर दी जाती है। नतीजा उसका यह है कि हर आदमी १८ छटांक का दाल नहीं खरीद पाते। मछली भी १ रु० बिकती है, इसलिए वे मजबूर हैं सूखा खाने के लिये। हमको नेशनल हेल्थ बढ़ाने के लिए कहा जाता है। नेशनल हेल्थ लचर बातों से नहीं होगी जब तक कोई पोटैन्शियल चीज नहीं मिलेगी खाने की तब तक हेल्थ कैसे सुधर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो मछलियां यहां से एक्सपोर्ट करते हैं उस एक्सपोर्ट को बन्द कर दिया जाय।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस अनुपूरक बजट पर अपने विचार को रखने का मौका दिया। श्रीमन्, वैसे तो अनुपूरक बजट जब पेश किया जाता है तो उसके पीछे एक मन्तव्य होता है, कुछ वैधानिक मन्तव्य होता है उसके पीछे, कुछ अनौपचारिक मन्तव्य होता है उसके पीछे। माननीय मंत्री जी ने किस तरीके से आज इस अनौपचारिक बजट को पेश किया है। मैं ऐसा समझता था कि कुछ नयी मदें आई होंगी। इस सरकार ने या वित्त मंत्री ने ऐसा महसूस किया होगा कि उस को सदन की स्वीकृति प्राप्त होगी और इसलिए उन्होंने बजट पेश किया लेकिन जो बजेटिंग का तरीका है वह उचित प्रतीत नहीं होता। हमारे प्रदेश में जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है कोई अच्छा तरीका नहीं अपनाया जाता है। आप सुनियोजित बजट नहीं बनाते हैं और जब आप को जरूरत पड़ती है तो आप को यह भी पता नहीं कि अनस्पेन्ट एमाउन्ट कितना है, कितना खर्चा किया गया है और कितनी सेविंग्स हैं। यह उस समय भी आप को पता नहीं जब आडिट रिपोर्ट आती हैं, उस समय भी आप दृष्टिपात नहीं कर पाते हैं।

श्रीमन्, कहा जाता है कि तमाम विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं एक डिपार्टमेन्ट जो सही तरीके से हमारे प्रदेश में नहीं चल रहा है, के बारे में बताता हूं। यह डिपार्टमेन्ट है, श्रीमन्, एक्साइज डिपार्टमेन्ट। श्रीमन्, मैंने इसके बारे में पहले भी आप की सेवा में और इस आदरणीय सदन की सेवा में बहीखातों को पेश किया था। मैंने इस सदन में खुले आम एलान किया था कि इस सम्बन्ध में एक हाई पावर जुडिशियल कमेटी बैठायी जाय और मैं सबूत के साथ साबित कर सकता हूं कि आज मंत्री महोदय तक, अगर इजाजत दें, उनका नाम भी बता दूं और यह भी बता दूं कि आज उनके नाम से व्यवसाय करते हैं। उनके नाम के रोकड़ बही पर पैसा लिखा हुआ है।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य एक माननीय मन्त्री के प्रति एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अतः मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि उन मन्त्री महोदय का नाम भी बता दें ताकि कहीं सदन माननीय मन्त्रियों को एक साथ न समझें।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य अगर चाहें तो मैं माननीय सदस्यों की सेवा में माननीय मंत्री का नाम भी बता दूं और उनके नाम से सारी रकम का टोटल भी बतला दूं। मैं चाहता हूं कि इस पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पान्डेय]

जुडीशियल हाई पावर कमेटी बैठाई जाय जो इस की जांच करे और इस रैकेट को दूर किया जाय और इस मंत्री को पद से हटाया जाय। मेरे पास एक रोजनामचा है और एक बहीखाता है। श्रीमन्, समय कम है। मैं पढ़ देना चाहता हूं कि इसका टोटल हिसाब क्या है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एक पाइंट आफ आर्डर करना चाहता था कि सप्लीमेंटरी डिमांड पर इस तरह की बहस क्या हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

सप्लीमेंटरी बजट के प्राविजन्स पर ही बहस होती है। नीति के बारे में और इस तरह की बहस नहीं हुआ करती।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये बतला दूं कि हाउस आफ़ कामन्स में सप्लीमेंटरी बजट इस तरह से पेश भी नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पांडेय जी, आप लिख कर भेज दीजियेगा, यहां दूसरी बात कहिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने इस बही खाते को लेकर के परसों भी बड़े जोर से पटका दिखाया और आज भी वही स्थिति है। तो जब तक किताब वह सदन की प्रापर्टी न हो जाय तब तक उसका उल्लेख करते हुये कुछ कहते रहना कहां तक न्यायसंगत है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैंने सारा मामला गृह मंत्री को दे दिया है। मैंने इस सदन में कहा था कि मैंने सारा मामला गृह मंत्री को दे दिया और उसके लिखने वाले को भी पेश कर दिया और आज इस को भी पेश कर दूंगा। एक तरफ तो हमसे पैसे की मांग की जाती है और दूसरी तरफ एफ़िशेन्सी क्या है मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, बहीखाता उन लोगों के द्वारा नहीं लिखा जाता जिनके नाम उसमें होते हैं। इसलिये माननीय नरसिंहनारायण या मेरा या किसी मंत्री का नाम उसमें आ जाय तो उससे पाबन्दी नहीं हो सकती। इसलिए बहीखाता सबूत नहीं है। तो आप व्यवस्था दें कि क्या इन बहीखातों का उल्लेख इस सदन में किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह शिकायत न रखिये, दूसरी चीज कहिये। आप अपनी बात कह कर समाप्त कर दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

बहीखाते की बिना पर तो केन्द्रीय सरकार के मंत्री तक हटा दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष—

तो यह कौन कहता है कि शिकायत न करें ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जितना समय मेरा लिया गया उतना आप, श्रीमन्, कम्पेन्सेट करिये। मैं इस बहीखाते के व्यवसाइयों को भी रखे हुये हूं, विशिष्ट दीर्घा में बैठे हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई बही खाता लिखा। तो वह सबूत तो होता नहीं है। यह मामला तो अब गृह मंत्री को दे ही चुके हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं एक्साइज डिपार्टमेंट पर बोल रहा हूं, आप सुनिये तो। आज जो मामला मेरे पास है उसमें रु० १,२८,११५–१०–९ का टोटल एकाउन्ट है और इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं मिनिस्टर सहित, जो इस बहीखाते से ताल्लुक न रखता हो। मैं इसलिये कहता हूं कि आज यह डिपार्टमेन्ट किस तरह से कार्य कर रहा है, मंत्रीगण भी उसमें सम्मिलित हैं। क्या यह सदन उम्मीद करता है कि इस तरह से कार्य करने के बाद हम जनतांत्रिक पद्धति को...

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम यहां पर वित्त मंत्री के बहीखाते पर बहस करने बैठे हैं न कि किसी बाहर वाले के बहीखाते पर।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुपूरक मांगों के बारे में आप उन्हीं प्राविजन्स पर बोलें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

अगर यहां पर मंत्रियों के वेतन की बाबत या उनके भत्ते की बाबत बहस होती तब आप उन पर कोई आक्षेप कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा कि पांडेयजी, आप अब यह बात न कहें, दूसरी बात कहें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इसीलिये मैं आप से निवेदन करता था कि अगर मैं नाम अभी एलान करूं, मैंने अभी मंत्री तक कहा है लेकिन मेरी जबान पर यह आ रहा है कि मैं उन मंत्री महोदय का नाम भी ले लूं, लेकिन अगर ले लूं तो हमारे उधर के बैठने वाले लोग जिनके पास इतना धीरज नहीं है अगर आप के दिल में पाप है तो महात्मा ने कहा भी था कि उस पाप को दिल से निकालो। उस महात्मा की आत्मा की आप हत्या कर रहे हैं जिसके नाम पर आप गरीबों को लूट रहे हैं। यह बजट एक बहीखाता है जिस में हमारी गरीबी का कोई निराकरण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा कि इनके प्राविजन्स पर ही बहस हो सकती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कह रहा हूं, आप सुनिये तो। आज जिस महात्मा के नाम पर आप देश को धोखा देते हैं यह कह कर कि ईमानदार बनो, कर्मनिष्ठ बनो लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरों से कैसे कह सकते हैं। आप कहां ईमानदार हैं? अगर आप ईमानदार होते तो ऐसे अफसर को एक घंटा भी बरदाश्त नहीं करते। और उस मिनिस्टर को आप

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

नेता बनाते हैं प्रदेश का। आप कहते हैं कि उसको मिनिस्टर बना दिया जाय कैबिनेट रैंक का। और प्रोमोशन की बात करते हैं।

अनेक सदस्य—

नाम बताइये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जब वह नहीं बैठे हैं तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और अगर मैं नाम ले लूं तो उधर के लोग परेशान हो जायंगे। इसलिये आप इस स्थिति को रोकें। आप उन लोगों के ऊपर नियंत्रण करें। आप अपने गरीबां में हाथ डाल कर देखें कि आप ने क्या पाप और पुण्य किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, यह तो भ्रम पैदा हो गया है। उन्होंने एक्साइज मिनिस्टर कहा। एक्साइज मिनिस्टर बदल गये हैं। तो मौजूदा एक्साइज मिनिस्टर से मतलब है या जो पहले थे डाक्टर सीताराम उनसे ?

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं इस बहीखाते को आप की सेवा में जमा कर दूं या गृह मंत्री को दे दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी इच्छा हो तो आप मंत्री जी को दे दें और अगर यहां रखना चाहें तो यहां रख दें, जैसा चाहे करें।

मुकुन्दी लाल जी बैरिस्टर, आप बोलिये।

श्री दीपनारायण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नरसिंह नारायण जी ने आपके सामने प्रापर्टी रखी है वह अब सदन की प्रापर्टी है और इसको सील मोहर हो कर सुरक्षित रखना चाहिये। क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुसार जो उचित होगा वह किया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं आपसे यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने माननीय नरसिंह नारायण जी द्वारा दिये गये बहीखाते को अपनी कस्टडी में ले लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस हाउस की कमेटी वगैरह कोई बनाने की सोच रहे हैं कि वह जांच करें क्योंकि उन्होंने एक गम्भीर आरोप लगाया है और या तो स्वयं उसको गृहमंत्री जी को दे दें हाउस के सामने या अगर आप अपनी कस्टडी में ले रहे हैं तो फिर आप क्या प्रबन्ध उसके लिये करना चाहते हैं यह कृपा कर बताइये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने नरसिंह नारायण जी से कहा कि आपने मिनिस्टर को संकेत कर दिया है और अगर आप उनको देना चाहते हैं तो दे दें। लेकिन यह उनकी मंशा है और उनकी मर्जी है कि वह उसको यहां रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

तो क्या हम लोग अगर देखना चाहते हों तो उसको आपकी इजाजत से देख सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जो बहीखाता आपके संरक्षण में रखा गया है आपको नहीं मालूम है कि उसमें कितने सफे हैं। वह सील भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि जो कायदा होगा उसके मुताबिक काम होगा। आप बैठ जाइये।

श्री लखपतराम शर्मा—

एक निवेदन तो कर लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। हाउस का काम तो चलने दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो उन्होंने कागज रखे हैं वह यहीं रखे हुये हैं। उनकी सुरक्षा का भार तो आप लें क्योंकि मामला बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो कायदे की बात होगी वह सब हो जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आप इस प्रापर्टी को जो मैंने आपको दी है अगर आप इसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो आप गृह मंत्री के पास यहीं या तो खु : भिजवा दें या उनको बुलाकर उनके ताल्लुक कर दें और या श्रीमन्, फिर आप हमें इजाजत दें कि हम यहीं पर उनको दे दें। मैं चाहता हूं कि यह काम यहीं पर हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चाहें तो ले जा सकते हैं और आप खुद उनको दे सकते हैं। जैसा चाहे करिये लेकिन अगर यहां पर रहेगा तो हमारी हिफाजत में रहेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

तो फिर मेरी मजबूरी है, मैं इसको लौटा लेता हूं अगर आप इसकी सील मुहर करके कस्टडी में अपनी नहीं लेते हैं। तो मैं उठा लूं और गृह मंत्री को दे दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप ले जाना चाहते हैं तो ले जांय।

(श्री नरसिंह नारायण पांडेय ने बहीखाता उठा कर वित्त मंत्री को दे दिया।)

श्री दीपनारायण सिंह----

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है .....

श्री उपाध्यक्ष---

वह यहां से ले गये हैं। अब बात खत्म हो गयी।

श्री दीपनारायण सिंह---

आप मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लें आपने निर्णय पहले ही दे दिया। मैं कहता हूं कि जो बहीखाता उनको दिया गया है उसको सील मुहर करके दिया जाय क्योंकि कहीं बीच के पन्ने न फाड़ डाले जांय....

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय दीपनारायण जी, आप बैठ जाइये, वह ले जाना चाहते थे तो मेरी इजाजत से ले गये।

श्री लखपतराम शर्मा---

श्रीमन्, एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं यह कह रहा था कि यह बहीखाता.....

श्री उपाध्यक्ष---

बहीखाता उन्होंने यहां जमा नहीं किया है.....

श्री लखपतराम शर्मा---

जब आपकी सुरक्षा में उन्होंने दे दिया.....

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि हम ले जाना चाहते हैं और वे मेरी इजाजत से ले गये।

श्री लखपतराम शर्मा---

किस नियम से लौटाई जा रही है? यह तो सदन की प्रापरटी बन गई है।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने यहां रखना चाहा तो मैंने कहा कि आप जैसा चाहे करें। चाहे मिनिस्टर साहब को दें या मुझे दें। अब वह मिनिस्टर साहब को दे आये हैं, अब इसमें कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री लखपतराम शर्मा---

लेकिन श्रीमन्, यह नियम के खिलाफ है.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायण सिंह---

यह उनको नहीं दी जा सकती है। यह तो सदन की प्रापर्टी है कैसे चली गई?

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये माननीय नरसिंहनारायण जी ने अपनी इच्छा के मुताबिक किया है, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है इसके माने यह हैं कि हमें यह पावर मिली है कि हम इसकी नुकताचीनी करें कि यह ठीक है या नहीं, या यह कम है या ज्यादा है। इसको पेश करने की जरूरत न होती अगर हर डिपार्टमेंट ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया होता, क्योंकि जो बजट में पास हो चुकी थीं मदें वह अभी तक पूरी इस्तेमाल नहीं हो सकी। एक उदाहरण में देना चाहता हूं कि ललित कला के भवन के निर्माण के लिये ६० हजार रुपया मंजूर हुआ था। लेकिन वह रुपया इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिये इस बजट के द्वारा वह रुपया मांगा गया है। बिना ललित कला के भवन निर्माण हुये उसका काम नहीं हो सकता है इसी तरह से वूल इंडस्ट्रीज के सिलसिले में जो रकमें इस्तेमाल नहीं हो सकीं उनको फिर से इस्तेमाल किया जाय। इसमें कहा गया है कि श्रीनगर में एक ऊन साफ करने की मशीन लगाई जायगी। श्रीनगर (गढ़वाल) इसलिये छांटा गया है कि पर्वतीय इलाके में यह केन्द्रीय स्थान है। यह बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अभी हम पिथौरागढ़ गये थे। हमने देखा कि ऊनी वस्त्रों का एक ऐसा व्यवसाय है जिससे बहुत लोगों को आजीविका मिल सकती है। सरकार को ऊनीमाल (वस्त्र इत्यादि) पर रिबेट देना होगा तब उनका व्यवसाय बढ़ सकता है। सरकार ने उसमें कदम उठाया है।

एक बात और है। सरकार ने एक आइटम मछली की पैदावार बढ़ानें के लिये रखा है। इसके लिये कुछ आदमी बाहर मत्स्य उत्पादन के उन्नत तरीके सीखने के लिये भेजे जायेंगे। इसके साथ-साथ में गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूं कि हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो मछली उत्पादन करने के बदले नष्ट किये जाने में सहायता करते हैं। उनके कारण हमारी नदियों में कारतूसों द्वारा मछलियां नष्ट होती चली जाती हैं। हमारे जो पहाड़ी जिले हैं टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली, पिठौरागढ़ इनमें सड़कें नहीं बन पायी हैं उनको बनवाने के लिये एक खास रकम रखी गयी है। यह मद जो सरकार ने रखी है यह बहुत ही उपयुक्त बात है। लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह देखना होगा कि जो पहाड़ी जिले हैं जिनका मैंने जिक्र किया है इनमें पी० डब्लू० डी० की हरकत यह रही है कि ज्यादा काम अन्य पहाड़ी जिलों में करते हैं गढ़वाल में बहुत कम काम सड़कों पर किया है। सरकार का यह बजट उन रकमों के लिये है जो अब तक खर्च नहीं हुईं।

सरकार ने ३५ लाख रुपया सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिये रखा था उसकी बाबत सरकार ने कुछ नहीं कहा, कि यह रुपया फिर क्यों नहीं मांगा गया। मुझे याद है कि डिप्टी लीडर ठाकुर हुकुम सिंह ने इस सदन में कहा था कि सरकार के विचाराधीन है कि गढ़वाल में सैनिक स्कूल स्थापित करेंगे, ३५ लाख रुपया उसके लिये मौजूद है। वह अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। गढ़वाल में सैनिक स्कूल अवश्य बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

आपने माइनारिटी का व्यू नहीं लिया है, मैं इसके प्रोटेस्ट में इस हाउस से जा रहा हूं। आप मुझे बोलने देना नहीं चाहते हैं।

(इसके उपरान्त श्री एस० जी० दत्त सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसके पूर्व कि मैं बजट संबंधी बातों का कुछ जवाब दूं, एक प्रश्न माननीय नरसिंह नारायणजी ने पेश कर दिया मैं समझता हूं कि उसका कोई संबंध सप्लीमेंटरी डिमांड से नहीं था क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई आइटम भी नहीं है। (व्यवधान) जैसा है वह जनरल डिस्कशन का आइटम नहीं हो सकता। नियम और संविधान की बहुत दुहाई दी जाती है, नियमों के

[श्री कमल पति त्रिपाठी]

अनुसार सप्लीमेंटरी में जो आइटम्स आते हैं उस पर बहस होनी चाहिये। सामान्य चर्चा उसकी नहीं होती। सामान्य चर्चा केलिये समय मिलेगा। जो बजट आवेगा आगामी वर्ष का उस समय काफी समय मिलता है, काफी बात हो सकती है। नरसिंह नारायण जी ने इसी बात को जो अतिरिक्त व्यय की मांगों पर विवाद हुआ था, उसमें भी उठाया था। अब दूसरी बार अनुपूरक अनुदानों पर भी यही उठाया। आधी तिहा वही वह पहले दे आये और आधी वही यहां दिखाना आरम्भ किया। अब वह सदन की सम्पत्ति हो गई जब आपकी टेबिल पर वह पहुंच गई और वहां से आपकी आज्ञा से यात्रा करते हुए मेरी टेबिल पर पहुंची। मैं समझता यह हूं कि मुनासिब तो यह था कि जैसे उन्होंने गृह मंत्री जी के पास उसे भेजा उसकी कुछ छानबीन करने के विचार से तो इसे भी वह गृह मंत्री के पास भेज देते। पर यदि माननीय सदस्यों में से किसी का आग्रह .....

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

मैं आपके कहने के मुताबिक गृह मंत्री को भी दे सकता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वही बात मैं कह रहा हूं। थोड़ा सा धैर्य आप रखें तो मैं वही कहूंगा जो आप कहना चाहते हैं। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इसे भी उन्हीं के पास भेज देते, वह सारी तस्वीरों को देख लेते और यदि यहां माननीय सदस्यों की यह राय हो कि यह सदन की सम्पत्ति हो गई तो फिर उस सम्पत्ति के रक्षक और अधिकारी श्रीमन्, आप हैं और मैं समझता हूं कि कोई कागज अगर सदन में पेश किया जाय तो फिर वह आपके ही सचिवालय और आपके ही संरक्षण में सुरक्षित रहे और जिस विभाग को, जहां आप उसको भेजना चाहें, उसे आप भेजें। यह मेरे पास रख दिया गया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके पास इसे भेज दूं और वैसे भी उचित यही है.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय पांडेय जी के ऊपर छोड़ा था। वह यहां से ले गये आपको देने के लिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं तो श्रीमन्, इसलिये कह रहा था कि दीपनारायण जी ने एक प्रश्न यह उठाया कि यह सदन की सम्पत्ति हो गई और मैं समझता हूं उनका वह प्रश्न उचित है कि वह सदन की सम्पत्ति हो गई। तो सदन के रक्षक और उसकी सम्पत्ति के रक्षक आप हैं। आपके पास वह जानी चाहियें और आप स्वयं वहां से जहां मुनासिब समझें, जिसके पास जांच पड़ताल के लिये भेजना मुनासिब समझें, या नरसिंह नारायण जी से पूछ कर कि कहां यह जानी चाहिये, कहां इसकी जांच पड़ताल होगी, वहां उसे भेज दें। मैं ऐसा ही उचित समझता हूं और यह भी समझता हूं कि एक बार आपने उठाया, दूसरी बार फिर उठाया, तो अच्छा है अगर कोई बात है, तो सामने आनी चाहिये। कोई मंत्री हों या कोई सदस्य हों, यदि सार्वजनिक जीवन में उसके द्वारा कोई अनुचित बात होती हो और मालूम होता हो कि अनुचित बात है तो उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। वह चीज सामने आनी चाहिये। लेकिन किसी के ऊपर एक लांछन लगा देने से उसके ऊपर लांछन लग जाता है और सदन में उसको प्रस्तुत कर देने या कोई बही खाता दिखा देने से अखबारों में वह आ जाता है, फिर जांच पड़ताल होती रहे, लेकिन वह चीज उसके ऊपर लग जाती है। तो आपके द्वारा गृह मंत्री जी को यह भेज दिया जाय जहां वह इसकी छानबीन करें और फिर जैसा सदन मुनासिब समझेगा, देखेगा या जैसा गृह मंत्री जी उचित समझेंगे, देखेंगे और करेंगे और वही उचित होगा।

सप्लीमेंटरी के ऊपर जो बहस हुई वह मान्यवर, सामान्य चर्चा हो गई और तब तो अच्छा यह हुआ होता कि एक-एक विभाग की डिमांड पेश की गई होती क्योंकि जो विवाद किया गया

वह एक-एक विभाग के ऊपर हो गया और जब विभागों के ऊपर विवाद हो गया तो उनका उत्तर भी विभागों से ही आना चाहिये । यह आशा कदाचित् आप नहीं कर सकते कि सारी तफसीलों का, सारे विभागों का उत्तर बेचारा अकेला वित्त मंत्री दे दे । तो सामान्य चर्चा न हुई होती ..... (व्यवधान) वह तो एक-एक विभाग का मंत्री अनुदान पेश करता है, लेकिन आप ने उसके लिये समय पांच बजे का रख दिया । तो उस समय तो गिलोटीन होगा । लेकिन अगर एक एक मद पर अलग अलग कुछ बहस हुई होती तो थोड़ी बहुत बात उस विभाग की आ गई होती और उसका उत्तर मिल गया होता । अब सामान्य चर्चा में थोड़ी बहुत जानकारी हर विभाग की अगर मुझे हो भी तो भी तीन चार घंटे की बातों का उत्तर पन्द्रह मिनट में दे देना सम्भव नहीं है और न ही हर विभाग की तफसील की बातों की जानकारी भी मुझे हो सकती है । कुछ थोड़े से उन्हीं आइटम्स पर बहस हुई होती जिनका मुझसे संबंध है तो मैं उत्तर दे लेता क्योंकि मैं उनको देखता हूं ।

अब अनुपूरक बजट के संबंध में जो रामायणराय जी ने चर्चा किया और नरसिंह नारायण जी ने भी कहा कि हमने अनियमिततायें बरती हैं और एक नहीं अनेक अनियमिततायें बरती हैं तो हमको कुछ ऐसा लगा कि कुछ माने में यह सही है । सप्लीमेंटरी बजट में २,३ चीजें आनी चाहियें । वह आनी चाहिये जिनकी कल्पना बजट के समय नहीं हो सकी । जो खर्चा होने वाला होता है वह उसमें आना चाहिये । जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या दैवी आपित्त आगई उस वक्त इसकी कल्पना नहीं की गई कि बाढ़ आनेवाली है । जितनी रकम उसके लिये रखी जाती है वह बराबर रखते चलते हैं । कभी उससे भी बढ़ जाती है । तो आपके सामने वे चीजें आ जाती हैं । दूसरी बात यह होती है कि कभी कभी नई स्कीम बीच में आ जाती हैं । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोई स्कीम चलाई हो । हमसे वह कहें और हम उसको मन्जूर कर लें । उसमें उनकी सहायता भी मिलने वाली होती है चाहे अनुदान के रूप में और चाहे ऋण के रूप में वह मिलती है । वह बाद में उसको देंगे लेकिन इस बीच में वह स्कीम चालू करना है तो आपकी कन्टिन्जेन्सी फंड से वह रुपया निकाल कर चालू कर देतेहैं । फिर वहां से मिलता है तो कन्टिन्जेन्सी फंड को वापस कर देते हैं ।

तीसरी बात यह है कि कभी ऐसा होता है कि विभिन्न विभागों के जो अनुदान होते हैं उनमें बहुत से नये आइटम्स होते हैं । किन्हीं आइटम में विभागों का काम बड़ी तेजी से हो रहा है और किन्हीं आइटम में कम खर्च हो रहा है तो दूसरे आइटम में जहां पर अधिक खर्च हो सकता है वहां पर उसको दे देते हैं । इसमें कुछ इधर उधर करना पड़ता है । मान लीजिये किसी प्रोजेक्ट के लिये सीमेन्ट नहीं मिल रहा है । कोई ऐसी कठिनाई आ जाती है जिसकी वजह से काम धीरे चल रहा है । उसका पैसा बचता दिखाई देता है और दूसरे आइटम में काम तेजी से हो रहा है तो वह रुपया निकालकर उसमें रख देते हैं लेकिन उसकी स्वीकृति आपसे लेनी होती है इस तरह की चीजें इसमें आनी चाहिये । जिनकी कल्पना की जा सकती है, जो बजट में आ सकती हैं उनको हमेशा अनुपूरक बजट से दूर रखना चाहिये । मैं यह मानता हूं कि इसमें कहीं कहीं ऐसे आइटम हैं जिनको हम शुरू में ले सकते थे ।

श्रीमन्, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माने में वित्त विभाग असहाय होता है । कभी-कभी मैं दौरे पर जब जाता हूं तो एक विचित्र वाणी सुनता हूं । कई लोग मेरी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के कुबेर आये हैं । मैं समझता हूं कि सारे देवताओं में बेचारा कुबेर सब से ज्यादा बेवकूफ है । इसकी कथा पुराणों में आई है । वह कई जगह इसी कारण पीटा भी गया है । जिसको गुस्सा आया उसने कुबेर को ठोकना शुरू कर दिया । मुझे भी कुबेर कहते हैं । वह समझते हैं कि २०० करोड़ का जो आप बजट देते हैं वह सारा मेरी मुट्ठी में रहता है । कई लोग मांग करते हैं कि यहां बनवा दो । फलां स्कूल को अनुदान दे दो । बाहर के लोग तो कहते ही हैं सदन में भी कभी कभी इस प्रकार की मांग हुई है । उससे मुझे ऐसा लगा कि लोग यह नहीं समझते कि फाइनेन्स विभाग का जो मंत्री होता है वह केवल एक उसका मुनीम होता है । वह न एक पैसा कहीं खर्च कर सकता है और न किसी को दे सकता है और न

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

एक पैसा देने या लेने के लिये कोई प्रपोजल भेजता है। कोई इस तरह का काम उसका नहीं है। काम यह है कि विभिन्न विभागों से प्रपोजल आते हैं। उनको आपके सामने रखा जाता है कि साहब इसकी स्वीकृति दीजिये। हम अपनी ओर से छानबीन जरूर करते हैं कि देना चाहिये या नहीं। देर से लाते हैं तो कहते हैं कि तुम आज क्यों मांग करते हो, बजट के समय मांग करना चाहिये। यह भी पूछते हैं कि जो रुपया तुमको दिया गया था उसमें से कितना खर्च किया। कैसा काम चल रहा है। इस तरह से हम छानबीन करते रहते हैं। सारी मांगें जो आती है वह विभिन्न विभागों से आती है।

श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ी देर के लिये सामने से यदि हमारे सदस्य हट जांय और सारी इन बेन्चों पर गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं बैठा दिये जांय और इस तरफ वित्त मंत्री बैठा दिये जांय तो उस समय जो शुद्ध संघर्ष आपको दिखाई देगा वह इसी तरह का होगा जैसे आजकल विरोधी दल और सरकारी दल के बीच होता है। विभागों से तो हम लड़ते ही रहते हैं कि यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ और उनकी ओर से भी बड़ी शिकायत होती है कि फाइनेंस विभाग तो हमारे हर काम में अड़ंगा डालता है, कुछ काम नहीं करने देता। तो यह दशा है। अब अगर कोई ऐसी मांग आती है कि जिसके बिना काम रुक रहा है, तो बावजूद इसके कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह हमारे नियमों में किसी तरह नहीं आती, हमें उसे स्वीकार कर सप्लीमेंटरी में लाना पड़ता है इसलिये कि कहीं ऐसा न हो कि काम रुक जाय और नुकसान हो जाय। कहीं कोई पोस्ट क्रिएट करनी है तो यह सही है कि बजट में वह होनी चाहिये, लेकिन अगर ऐसा दीखता है कि ऐसा न करने से काम रुक जायगा, रुपया वेस्ट हो जायगा तो इसलिये उसे मंजूर किया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें कभी कभी आ जाती हैं और इसी के लिये शायद संविधान में व्यवस्था है धारा २०५ के अन्तर्गत। यह सप्लीमेंटरी कोई नयी बात नहीं है और देश के सारे सूबों में यह आता है। हां, यह ठीक है कि इसे उसी रूप में आना चाहिये कि जिस प्रकार इसके लिये नियम हैं। यह ठीक है। आपके जो सुझाव हैं वह मुनासिब हैं और अपनी लाचारी की वजह से जो बात हो, अन्यथा हम चेष्टा यही करते हैं।

कुछ बातें गाजीपुर और सुल्तानपुर की हमारे मित्रों ने पेश कर दीं। कृष्णानन्द राय जी तो बहुत कुछ जानते हैं और अध्ययन भी करते रहते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि इसमें वे गाजीपुर को कैसे घुसेड़ लाये। कोई विभाग चाहे एजूकेशन का हो या पब्लिक हेल्थ का या सिंचाई का, अगर गाजीपुर के लिये हम से मांग नहीं करेगा तो हम क्या अपनी ओर से उसके लिये रुपया उसमें घुसेड़ देंगे। और इसके बाद आपने यह कह दिया साहब कि पटेल कमीशन का रुपया भी इसमें नहीं है। बनारस का नाम नहीं है शायद पटेल कमीशन के अंदर। इसका नाम छोड़ दिया गया। उसकी तरफ से तो अगर कोई सिफारिश होगी तो यह कि इस क्षेत्र के विकास के लिये यह इतनी सड़कें, इतने पुल और यह यह बनवा दिया जाय। अब अगर उनके लिये विभागों से मांग हो और हम न दें तो आपका लांछन ठीक है। हम तो लड़ते रहे यहां भी और प्लानिंग कमीशन के सामने भी, कि इन चार जिलों के अलावा दो, तीन जिले इसमें और जोड़िये। इसमें कम से कम गोरखपुर, बस्ती और बलिया भी जोड़िये। और उन से यह भी लड़े कि सिर्फ यही चार या ६ जिले नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले हैं जो पाकेट्स में बहुत गरीब हैं। पहाड़ के जिले हैं, बुन्देलखंड के जिले हैं, इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो तल्लुकेदारी के इलाके कहे जाते हैं वह भी बहुत गरीब हैं। ये मध्य उत्तर प्रदेश के इलाके हैं।

हमारे भाई बैजनाथ जी को सुनकर खुशी होगी कि हमने प्रेस किया कि इसमें रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर को भी जोड़ना चाहिये। लेकिन उन्होंने कह दिया कि वहां कुछ नहीं हुआ। १५ ट्यूबवेल कादीपुर में बने। सुल्तानपुर की धरती को चीर कर पचास, सौ, मील की जो नहर बन गयी उसका उन्होंने नाम भी नहीं लिया। और इसके अलावा जो जर्मन कंपनी ने उनके यहां ट्यूब वेल बनाने की कोशिश में ६०० फीट तक खुदायी की उसका जिक्र भी नहीं किया। यह ठीक है कि वहां एक ऊसर का बेल्ट है जो सुल्तानपुर से होता हुआ

गोमती के उत्तर दक्षिण से आजमगढ़ तक चला गया है और इस वजह से वह सफल नहीं हुए, लेकिन कोशिश हुई और अंत में यह हुआ कि गोमती के दक्षिण में ट्यूबवेल रहें और उधर शारदा नहर बढ़ी और वह सुल्तानपुर, शाहगंज से आजमगढ़ तक चली गयी है जो टोंस के उत्तर दक्षिण तक चली गयी है, उसके बाद भी उनकी समझ से हमने सुल्तानपुर का कोई खयाल नहीं किया। तो इन बातों की चर्चा इसमें नहीं होनी चाहिये थी लेकिन फिर भी सप्लीमेंटरी में चर्चा हुई।

हमारे चन्द्रजीत यादव जी ने फर्टीलाइजर के बारे में चर्चा की, फूड प्रोडक्शन का भी जिक्र हुआ। प्लानिंग का भी जिक्र हुआ। कितना रुपया कहां बच गया यह भी प्रश्न हुआ। मैं समझता हूं यह सब प्रश्न जायज हैं और इनके बारे में जानने और सुनने का अधिकार सदन को है और मैं समझता हूं प्लानिंग कमीशन ने जिस तरह एक मिड टर्म इंक्वायरी की है उस तरह की एक जांच पड़ताल हमारे उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिये। आखिर दो प्लान बीत चुकी हैं, तीसरी के भी तीसरा वर्ष पूरा हो रहा है। इस बात का मूल्यांकन होना चाहिये कि आखिर कितना हमने काम किया है, कितना इससे फायदा हुआ है। अभी इस वर्ष १२२ करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन ने देना स्वीकार किया है, आगे वर्ष में १३७ करोड़ मिलेगा और अधिकतर रुपये की मांग हम करेंगे, तो वह सब खर्च कैसे होगा? हमने कितनी तेजी अपने काम में की? कितनी क्षमता हममें अपने काम को करने की है? इन सब बातों का एक सही मूल्यांकन होना चाहिये। तभी हम सही प्रकार से उस रुपये को खर्च कर पायेंगे।

आडिट रिपोर्ट की चर्चा हुई। कहीं-कहीं कुछ रुपया खर्च नहीं हो पाया। यह बात जरूर देखने की है कि वह क्यों खर्च नहीं हो पाया। घाटे का बजट हम बनायें, उसे पूरा करने के लिये साधन एकत्र करें, और फिर भी काम पूरा न हो, तो यह सोचने की बात है। वास्तव में जब तक हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा, हमारी सारी प्लान अधूरी रह जायेगी। अगर हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता है तो जरूर कहीं हमारी सारी प्लान में गड़बड़ी है। यह आज प्रत्येक मान रहा है कि कृषि उत्पादन पर ही हमारी एकोनामी निर्भर करती है और फिर उत्तर प्रदेश में जहां कि खेती ही एक मुख्य साधन हो। कृषि उत्पादन पर ही हमारा जीवन स्तर निर्भर है। इसी से हमारे प्रान्त की गरीबी दूर हो सकती है। जब तक यह नहीं होगा, हमारे यहां कैपिटल फार्मेशन नहीं होगा, अन्य सुधार के कार्य नहीं हो पायेंगे, सड़कें नहीं बन पायेंगी, और न टैक्सेशन ही हो पायेगा। टैक्सेशन होगा कैसे, जब देने की क्षमता ही नहीं होगी? इसलिए जरूरी है कि कृषि उत्पादन बढ़े। इसमें शक नहीं कि अधिक प्रोडक्शन नहीं हुआ। कहीं-कहीं की तो ऐसी रिपोर्ट है कि बाढ़ आदि के कारण प्रोडक्शन घटा है। इस बात को देखना है कि अगर प्रोडक्शन घटा है तो क्यों घटा है। कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। यह सब देखने की बात है। यह भी देखना होगा कि जहां पर खर्चा नहीं हो पाया, वह क्यों नहीं हुआ।

आज इस सब के मूल्यांकन की आवश्यकता है। मैं ऐसा जरूर सोच रहा हूं कि इस सब का मूल्यांकन हो, वह चाहे बजट के पहले हो या बाद म हो मगर होना चाहिये ताकि हमें पता हो कि हम कितना आगे बढ़े हैं। उसकी रिपोर्ट सदन में भी आये और यहां उसी प्रकार बहस हो जिस प्रकार पार्लियामेंट में हुई है। वित्त विभाग को इस बात की भी सूचना मिलना चाहिये कि किस विभाग ने कितना खर्च किया है और कहां सेविंग हुई है, क्यों हुई है, और आगामी महीनों में वे कितना खर्च कर लेंगे, प्लान का टारगेट पूरा होगा या नहीं। इन सब चीजों का पता लगाने में कुछ समय लगता है, जल्दी रिपोर्ट नहीं मिलती हैं कि काम कैसा और कैसे होना चाहिये।

फर्टीलाइजर की बात तो यह है कि हमारी कैबिनेट की एक सब कमेटी है एग्रीकल्चर और कोआपरेटिव की, इसलिये कि खाद्यान्न कैसे बढ़े। उन्होंने कहा कि ६२ तक हमारे प्रदेश में खादों का प्रयोग बहुत कम हुआ है और उसके साथ और चीजों की भी व्यवस्था होनी चाहिये। खाद बांटने के लिये एग्रीकल्चर विभाग की ओर से तकावी बांटने का इंतजाम किया गया। ४ करोड़ रुपया मान–प्लान्ड जो इसमें रखा है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की तकावी का है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इसे हम तकावी के रूप में देना चाहते हैं और क्रैडिट की फैसिलीटी कोआपरेटिव की ओर से मिलेगी। अगर कोआपरेटिव से रुपया लेने कोई आता है तो हम उसे खाद देते हैं। ये सब बातें देखने की हैं और जरूर हम इस पर विचार करेंगे कि यह कैसे ठीक से हो और हम आशा करेंगे कि इसमें आपका हमें सहयोग मिलेगा। आपके सामने जिम्मेदारी तो वित्त विभाग की ही हो जाती है।

हमारे भाई हरदोई के मिश्रा जी चले गये शायद, जे० पी० मिश्रा जी। उन्होंने हमसे जवाब तलब किया कि गृह मंत्री ने २ वर्ष का समय मांगा है तो आप कितना समय देते हैं। गृह मंत्री से नहीं पूछा उन्होंने। बेचारे वित्त मंत्री से, मुनीम से, बनिया आदमी से, पूछ रहे हैं। लेकिन उनका प्रश्न सही है और प्लान को पूरा करने के बारे में उन्होंने सवाल किया। वह ठीक है। जिम्मेदारी वित्त की भी है, क्योंकि सारे विभागों के खर्चे की नदी जो बहती है वह बहते-बहते वित्त विभाग के समुद्र में आ जाती है। जब मैं आपके सामने मांग पेश करता हूं तो निस्संदेह उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है और जवाब भी मांगना सही है। लेकिन थोड़ी सी हमारी लाचारी यह है कि विभिन्न विभागों से रिपोर्ट आती हैं और उनको देखते हैं और विभागों से प्रार्थना भी करते हैं कि इस विषय में हमारे साथ सहयोग करें।

रामायण राय जी ने एमर्जेन्सी का सवाल उठाया। एमर्जेन्सी है और वह तब तक रहेगी जब तक कि भारतवर्ष की भुजाओं में इतना बल न आ जावे कि वह अपनी गोद में सोई हुई जनता को कह दे कि तुम अब आनन्द से सो सकते हो, न बाहरी आक्रमण का और न भीतरी उपद्रव का डर है। सैनिक क्षेत्र में हमारी कुछ दुर्बलतायें हैं। उन्हें जब तक दूर नहीं कर लिया जाता है, जब तक उन्हें पूरा नहीं कर लिया जाता, एमर्जेन्सी बनी रहेगी। पर एमर्जेन्सी रहते हुए भी साधारण काम करेंगे। बीच में अवश्य ही उनको हमने रोकने की कोशिश की। इस कारण आप देखेंगे कि गत वर्ष सप्लीमेंटरी पेश करते हुये हमने कहा था कि बहुत से आइटम्स इसमें से हम काट देंगे। आपको स्मरण होगा कि प्रथम अनुपूरक अनुदानों में से बहुत सी मदें हमने काट दीं। अब धीरे-धीरे इकानामी का माहौल भी खत्म हो रहा है और चीजें रेस्टोर हो रही हैं। विभाग कहते हैं कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। हमारे प्लान को पूरा करने के २,३ तरीके ही दिखाई देते हैं। एक तो यह कि भारत सरकार से सहायता मांगते हैं। दूसरा यह है कि अपने खर्चे में जहां तक हो सके कुछ बचावें। तीसरा तरीका यह है कि जो भी कर लगाये जाते हों वहां से टैक्स लेने की कोशिश करें जो देने की क्षमता रखते हों उनसे। उसमें इकानामी की बात जरूर है।

हमारे भाई नवलकिशोर जी इकानामी की बहुत बात करते हैं। वह इकानामी के सुझाव दें। आपके सामने इसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इकानामी के मामले में मैं पूरी तरह से असफल रहा। यह मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। जहां कहीं करता भी हूं तो थोड़े दिन बाद यह होता है कि फिर पूरा करो वरना यह नुकसान होगा वह होगा। मेरी राय में कैपिटल में इकानामी करने से कोई फायदा नहीं है। इकानामी होनी चाहिये शासन के चक्र में जो राजस्व से व्यय करते हैं। उसमें इकानामी की बहुत कुछ गुंजायश हमको मिलेगी। अगर कोई अचानक चोटी चाटे चन्द्रमा, मौका मिल जाय तो दूसरी बात है नहीं तो अभी तक सफलता नहीं मिली है। प्लानिंग कमीशन ने भी यही कहा कि तुम यह कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे सारे प्लान के लिये दूसरी जगहों से लाकर पैसा हम दें और तुम्हारे यहां से कुछ न निकले। १०९ करोड़ देना है और उसमें ४०-४५ करोड़ तुम पूरा नहीं कर सके और उसके लिये कहो कि दो, प्लान भी मत काटो यह कैसे होगा? हम प्लान भी नहीं काटना चाहते हैं और साथ ही ऐसे लोगों पर कोई बहुत भारी बोझा भी नहीं डालना चाहते हैं कि वे टूट जावें। साथ ही साथ साधन भी जुटाना चाहते हैं। चन्द्रजीत जी पूछ रहे थे कि क्या तुम प्लान काट रहे हो। गवर्नमेन्ट का ऐसा कोई इरादा नहीं है क्योंकि प्लान को पूरा करने की इस प्रदेश की जनता के साथ एक प्रतिज्ञा है। वही

एकमात्र मार्ग है कि हम अपने प्रदेश की जनता का जीवन–स्तर ऊंचा कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग उसमें मिलेगा ।

जहां तक अनुपूरक अनुदानों की बात है, उसके आइटम आपके सामने हैं। ४ करोड़ के ऊपर नान–प्लान्ड में है। उसमें ३३६ लाख केवल लोन्स हैं, ३३० एक और ६ एक उन्नाव के जिला परिषद् का है। वह एक प्रकार से लोन सा है। बाकी छोटी-छोटी रकमें हैं। एक बड़ी रकम सिंचाई विभाग की है और कुछ शिक्षा विभाग में है। ऐसे विद्यार्थियों के लिये, जिनके माता-पिता गरीब हैं और वे अच्छी श्रेणी में पास होते हैं, ६० परसेंट नम्बर लाते हैं या इससे ऊपर, उनके लिये कुछ गवर्नमेन्ट आफ इंडिया देगी और कुछ हम देंगे ताकि वे गरीब लोग पढ़ सकें एंट्रेंस के पास करने के बाद। दो करोड़ रुपया उसमें यह बढ़ाया जा रहा है जो इस साल हमको मिला है, १ करोड़ माइनर इर्रीगेशन वर्क्स के लिये और १ करोड़ एजूकेशन के लिये खास तौर से लड़कियों के सम्बन्ध में। उसमें ५० फीसदी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया देगी। इसी तरह की और भी चीजें उसमें हैं। मेरी सदन से प्रार्थना है कि वह उनको स्वीकार करे। तमाम विभागों के सम्बन्ध में आगामी माह डेढ़ माह में बजट आयेगा, उस पर विचार करने का आपको मौका मिलेगा। आप उस पर कठोरता के साथ विचार करें। और देखें कि जो पैसा आप देते हैं उसका दुरुपयोग तो नहीं होता और उससे इस प्रदेश की उन्नति होती है या नहीं। मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं फिर एक बार माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करता हूं इसलिये कि उन्होंने हमारी अनुपूरक मांगों पर विचार किया और अब आशा करता हूं कि वे इनको स्वीकार करके इसकी गाड़ी को आगे आगे बढ़ायेंगे ।

१९६३–६४ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर मतदान
अनुदान संख्या ७—निबन्धन

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—७—निबंधन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—निबंधन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, इनको सब को एक बार ले लिया जाय और फिर एप्रोप्रियेशन बिल ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा नहीं हो सकता ।

अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८–राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ३,९१,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८---राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत ३,९१,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९---सामान्य प्रशासन

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ६८,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ६८,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०---आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०---आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४---पुलिस

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४---पुलिस के अन्तर्गत १,९३,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---पुलिस के अन्तर्गत १,९३,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप

स्वायत शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १७—शिक्षा

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत २२,४३,४०० रुपये की अनुपूरक मांग; १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत २२,४३,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८—चिकित्सा

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत १,४६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत १,४६,८०० रुपये अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १९--जन स्वास्थ्य

श्री हरीदत्त कांडपाल --

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४,२४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत ४,२४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०--कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ३०,००,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ३०,००,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२--पशुपालन और मत्स्य पालन

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२--पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत १५,९१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत १५,९१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३--सहकारिता

श्री बनारसीदास--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--सहकारिता के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--सहकारिता के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत १५,२२,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत १५,२२,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदानसंख्या २६—श्रम और सेवायोजन

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३-६४ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत २०० रु० की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय—)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ७८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ७८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत २,६७,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत २,६७,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४—विद्युत योजनायें अधिष्ठान

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—विद्युत योजनायें अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—विद्युत् योजनायें अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ४,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ४,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार

श्री जगनप्रसाद रावत—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

श्री जगन प्रसाद रावत—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९—परिवहन

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन के अन्तर्गत २,८२,००० रुपये की अनुपूरक मांग । १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन के अन्तर्गत २,८२,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३ —६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४—वन

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय ,मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत २३,३४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत २३,३४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३ —६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग । १९६३—६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास परपूंजीगत लागत के अन्तर्गत ६३,२०० रुपये की अनुपूरक मांग। १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ६३,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ६१,५०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग। १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ६१,५०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग। १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग। १९६३–६४ के लिये लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग। १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री जगनप्रसाद रावत—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग। १९६३–६४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग । १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग । १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग । १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ४,४०,३८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग । १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अतर्गत ४,४०,३८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६३-६४ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ ठहर कर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं इसका विरोध करता हूं। मैं खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैं पहले बोल नहीं पाया था और अपनी बातों को नहीं रख पाया था। मैं सचाई के साथ कहना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट जिस तरह से पेश करने की प्रथा इस आदरणीय सदन में चली आ रही है वैसी संसार में स्थापित जनतांत्रिक मान्याताओं के विपरीत है। हाउस आफ कामन्स के अनुपूरक बजट को अगर आप देखेंगे तो इस तरह की बातें उसमें देखने को नहीं मिलेंगी। यहां एक होड़ सी लगी रहती है विभागों के बीच में जिस वक्त कि सप्लीमेन्टरी बजट आने का वक्त होता है। वैसे तो साधारण तौर से सभी विभाग भ्रष्ट हैं लेकिन अधिकांश शिकायत उन विभागों की होती है जिनके माननीय मंत्रीगण अपने अधिकारियों की भ्रष्टता से ओतप्रोत रहते हैं। मेरा निवेदन है कि जितने विभाग हैं वे प्लानिंग की योजनाओं को पूरा करें जो कि उत्तर प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता के साथ उनका व्रत है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो योजनायें आप कार्यान्वित करते हैं और जिनके चलते मुख्तलिफ विभाग काम करते हैं क्या उन योजनाओं से उत्तर प्रदेश की जनता का कोई भला होने वाला है और कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं? हमारा सिंचाई विभाग राममूर्ति जी के पास था और अब उनके जिम्मे सारे विकास का काम आ गया है लेकिन यह विकास का मुहकमा किस तरह से काम कर रहा है। देहातों में आपके ब्लाक प्रमुख हैं, बी० डी० ओ० हैं उनका काम ब्लाक प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कराना या सीमेन्ट की ब्लैक मार्केटिंग करना रह गया है। सीमेन्ट के वितरण का काम जब से उनके हाथ में आ गया है तब से उनका काम ब्लाक कमेटियां की मीटिंग बुलाना नियोजन की योजनाओं को चलाना नहीं रह गया है बस केवल एक काम रह गया है कि वह अपने फायदे का काम करें चोरबाजारी से मुनाफा कमायें, सिर्फ यह काम रह गया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं और माननीय मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हर काल में एक चीज की भूख हुआ करती है, जिस तरह से अंग्रेजी राज्य में हर आदमी जो देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रप्रेमी था, उसकी एक ही विचारधारा थी, उसके दिमाग में केवल एक ही भूख थी कि कैसे देश आजाद हो और कैसे देश अंग्रेजों के चंगुल से छूटे, उसी तरह से आज की एक आवश्यकता है, हर एक नागरिक उत्तर प्रदेश का चाहता है कि भारत में रहने वाले ४२ करोड़ लोग जो गरीबी में मुब्तिला हैं उनकी गरीबी कैसे दूर हो, उसके लिये कोई योजना बनाई जाय। लेकिन आज हमारे मंत्री गण इस भूख से प्रभावित नहीं हैं और उनके दिमाग में यह भूख न होकर केवल एक ही भूख रह गयी है कि उनके सगे सम्बन्धी, उनके रिश्तेदार और उनके परिवार के लोग किस तरह से मुख्तलिफ ओहद पर हावी होकर अपना गुजारा करें।

परिवहन विभाग के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन विभाग के मंत्री ने अपनी सास, हुरमू जी बेगम जो नूरुल्लाह रोड इलाहाबाद में रहती हैं, उनको प्राइवेट बस चलाने का लाइसेंस दे दिया जब कि उस रोड पर सरकारी बस चलने की योजना थी। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग का केवल एक ही काम रह गया है कि जहां तीर्थस्थान हों वहां पर्यटक केन्द्र खोले जायं। मैं तो चाहता था कि जहां तीर्थस्थान हैं वहां अच्छे ढंग की धर्मशाला होतीं और दूसरी सुविधायें प्रदान करते लेकिन वह नहीं हो रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विधानमंडल के सवाल को यद्यपि पेश नहीं होना चाहिये था लेकिन मित्थल साहब जो विधान सभा के सेक्रेटरी हैं वह जिस तरह से स्पीकर के कान में बैठ कर फुसफुसाया करते हैं और सारी विधान सभा की व्यवस्था को गड़बड़ करते हैं और ठीक से नहीं चलने देते हैं वह आज व्यक्तिगत लाभ के लिये पुरी साहब के पद को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। मित्थल साहब ने किस तरह से गलत भत्ता लिया है यह भी स्पीकर साहब के ज्ञान में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप खत्म कीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सवाल सदन की प्रतिष्ठा का है कि किस तरह से उसका सेक्रेटरी गलत रास्ता लेता है और मैं उस पर सही तरीके से प्रकाश डालना चाहता हूं और यही सही बात है कि जब तक मित्थल साहब इस विधान सभा के सचिव रहेंगे तो इसी तरह का काम होता रहेगा। अगर सही माने में सही व्यवस्था इस सदन में बनाना है तो उनको हटाना होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में विधान सभा का प्रोसीडिंग्स विभाग बहुत ही सफाई और तेजी से काम कर रहा है। अगर उसका काम ठीक से चलाना है तो मित्थल साहब को कुर्सी पर न रखा जाय। आज जिस तरह से सरकारी पक्ष और सरकारी विभागों में गुटबन्दी चल रही है ठीक उसी तरह से उनके रहते प्रोसीडिंग्स विभाग और विधान सभा सचिवालय में गुटबन्दी चलेगी और कोई काम सफाई से नहीं हो पायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस एप्रोप्रियेशन बिल का विरोध करता हूं। मैं सरकार से कहता हूं कि यह जो सड़े गले दकियानूसी किस्म के आई० ए० एस० आफिसर्स हैं जो आज सेक्रेटेरियट में बैठे हुये हैं और जो अंग्रेजी राज्य के जमाने से उनके द्वारा बनाये हुये हैं, उनके रहते जो आपका बजट है उस बजट पर हमसे विचार कराने और इस सदन से उस बजट को पास कराने से उत्तर प्रदेश का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप खत्म कीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

बस, मुझे इतना ही कहना था ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मुझे आज बोलने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी परन्तु दुर्भाग्य से मैंने देखा कि सम्मुख बैठे हुये जो कांग्रेसी सदस्य हैं और जो मजदूर क्षेत्र से आये हैं उन्हें समय न मिलने के कारण सदन का त्याग करना पड़ा। मजदूर क्षेत्र से मेरा भी सम्बन्ध है। इस क्षेत्र के सम्बन्ध में सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। उसके सम्बन्ध में दो बातें कह कर मैं समाप्त करूंगा। जहां चर्चा वाली बात विभाग की आती हो उसको छोड़ दिया जाय लेकिन जिन बातों को करने के लिये आपका लेबर डिपार्टमेन्ट है, आपके लेबर कमिश्नर हैं, ६, ६ दफतर हैं, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमान् जो सरकारी विभाग आज तक सम्पूर्णानन्द एवार्ड के लागू करने में भी असमर्थ रहा है। ४६ हजार मजदूरों में आज भी असंतोष व्याप्त है और उनको जो लाभ तथा संरक्षण मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। सरकार ने मजदूरों के लिये एक बिल पास किया था दुकान और वाणिज्य अधिनियम। दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार उसको भी लागू नहीं करा पा रही है। थोड़ी सी नगरपालिकाओं में ही लागू हुआ है। हमारी यह मांग है कि दस हजार की संख्या के जितने कस्बे हैं वहां तुरंत इसको लागू कराया जाय जिससे दुकान-मजदूरों को राहत मिल सके।

इसके बाद यह है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के रोडवेज कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। कई साल नौकरी करने के पश्चात्, भी वे अभी तक अस्थायी ही बने हुये हैं। उनके स्थायीकरण के बारे में कोई नियम नहीं है। इसी तरह से ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन

की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। किसी का रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाता है और किसी का बहुत दिनों तक नहीं हो पाता है। इसके बाद आप देखें कि विधायक निवास के कर्मचारियों की एक यूनियन है। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार संविधान में प्राप्त है। लेकिन उनके इस अधिकार का भी हनन किया गया है और उनको यह अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त कीजिये।

श्री जयराम वर्मा —

श्रीमन्, विनियोग विधेयक पर विचार करते समय गुंजायश नहीं रह गई थी कि कोई जनरल आपत्ति की जाती। माननीय सदन ने जो-जो धनराशियां जिन-जिन सेवाओं के लिये स्वीकृति की हैं उन धनराशियों को उन सेवाओं के लिये संचित निधि से निकालकर विनियोग की आज्ञा मांगी गई है, उन धनराशियों को उन सेवाओं के लिये आज्ञा देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि सदन इस पर इस दृष्टि से विचार करेगा और आज्ञा प्रदान करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (१९६३-६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ तथा अनुसूची

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ६,३९,२८,३०० रु० (छः करोड़ उन्तालिस लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६३-६४ के लिये ६,३९,२८,३०० रु० का दिया जाना

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च ,१९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

विनियोग

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३	राज्य आबकारी ..	..	१००	१००
७	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)	१००	..	१००
८	राज्य विधान मंडल	३,९१,१००	..	३,९१,१००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
९	सामान्य प्रशासन ..	६८,०००	१,००,०००	१,६८,०००
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन ..	३००	..	३००
१४	पुलिस ..	१,९३,०००	..	१,९३,०००
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	१,६०,०००	..	१,६०,०००
१६	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप	१००	..	१००
१७	शिक्षा ..	२२,४३,४००	१८,४००	२२,६१,८००
१८	चिकित्सा ..	१,४६,८००	..	१,४६,८००
१९	जन-स्वास्थ्य ..	४,२४,५००	१,०००	४,२५,५००
२०	कृषि संबंधी विकास	३०,००,९००	..	३०,००,९००
२२	पशुपालन और मत्स्य-पालन ..	१५,९१,३००	..	१५,९१,३००
२३	सहकारिता ..	२००		२००
२४	उद्योग ..	१५,२२,०००	..	१५,२२,०००
२५	नियोजन और एकीकरण	१००	३००	४००
२६	श्रम और सेवायोजन	१००	..	१००
२७	सूचना निदेशालय	१००	..	१००
२९	समाज कल्याण ..	२००	..	२००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	७८,४००	..	७८,४००
३१	सिंचाई अधिष्ठान ..	२,६७,४००	..	२,६७,४००
३४	विद्युत योजनायें अधिष्ठान ..	१००	..	१००
३५	सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	४,००,३००	२,०७,०००	६,०७,३००
३६	संचार साधन का सुधार	१००	..	१००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३७	सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान	२००	..	२००
३९	परिवहन ..	२,८२,०००	..	२,८२,०००
४४	वन ..	२३,३४,०००	..	२३,३४,०००
४५	प्रकीर्ण ..	१००	..	१००
४६	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय ..	२००	..	२००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत ..	६३,२००	..	६३,२००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत	६१,५०,४००	४,८००	६१,५५,२००
५०	विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत ..	१००	..	१००
५१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत	६,८००	२,३२,९००	२,३९,७००
५५	राज्य व्यापार की योजनायें ..	१००	..	१००
५६	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	४,४०,३८,२००	..	४,४०,३८,२००
	योग ..	६,३३,६३,८००	५,६४,५००	६,३९,२८,३००

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३

३१ मार्च, ११६४ ई० को समाप्त होनेवाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव को निर्धारित करने के संबंध में सूचना

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव ९ रुपये मन कर दिया है।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, गुड़ और खंडसारी के बारे में वहां से कुछ आया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सब बाद में धीरे-धीरे होता रहेगा। आप इम्पेशेंट क्यों होते हैं ?

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ रिक्वेस्ट। कुछ इसमें समय बढ़ा लीजिये। पांच मिनट चाहता हूं। सब की मान लेते हैं हमारी भी मान लीजिये।

श्री उपाध्यय—

अब आध घंटे का यह काम चलेगा।

सिकन्दराबाद विकास क्षेत्र को अन्य विकास क्षेत्रों से ऊंचा स्तर प्राप्त होने के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जिला बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विकास खंड जिसको डयोढ़ा विकासखंड बना दिया गया था उसके सम्बन्ध में विवाद करने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौका दिया। मान्यवर अगर विकास विभाग की नीति यह है कि इस प्रकार से गलतियां होती रहें जिससे जनता को असंतोष हो तो मुझे यकीन है कि विकास का कार्य चल नहीं सकता। यह हिमालिया जैसी गलती थी। अगर मैं यह सवालात नहीं करता तो मैं समझता हूं कि शायद इस विभाग की आखें कभी नहीं खुलतीं। लेकिन इन सवालात से इस विभाग की आखें खुलीं और जब आखें खुलीं तब मालूम हुआ कि वह कहां थे और कितना बड़ा अन्याय किया है। जिला बुलन्द शहर में १४ विकास खंड इससे बड़े हैं, १५ वां यह है। १४ विकास खंडों को काट कर १५ वें को ड्योढ़ा विकास खंड बनादिया गया। शुक्र है गलती तसलीम करली और केन्द्रीय सरकार को लिख दिया कि गलती हुई है। इस विकासखंड को एक साइज का ब्लाक कर दिया जाय, लेकिन मुझको एक दुख इसके साथ साथ और भी है। जिस विकासखंड की हकतलफी हुई जो कि जिला बुलन्दशहर में ही सबसे बड़ा विकास खंड नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में बड़े विकास खंडों में है उसके लिए साथ साथ केन्द्रीय सरकार को नहीं लिखा गया कि वह ड्योढा विकास खंड बना दिया जाय, जब कि माननीय बंशीधर पांडेय ने इस सदन में यह विश्वास भी दिलाया था कि जो नुकसान पहुंचा है उस विकास खंड को उसकी पूर्ति की जायगी। मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उसको ड्योढा विकास खंड बना दिया जाता। इस तरह से उसके नुकसान की तलाफी हो सकती थी। एक बात मैं और अर्ज कर दूं। यह कसूर विकास विभाग के अधिकारियों का है, शासन का है। जिन्होंने इस बड़ी गलती को देखने की परवाह नहीं की। इसी तरीके से विकास क्षेत्र ऊंचा गांव के मुताल्लिक प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट ने जो एक लिस्ट भेजी थी शायद उसे गौर से मंत्री जी ने पढ़ा हो या नहीं। उससे...

श्री काशीनाथ मिश्र —

कोरम नहीं है। सरकारी पक्ष के लोग हैं ही नहीं।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां —

मान्यवर, ऊंचा गांव विकास खंड का क्या हश्र होता? यह विकास खंड दो हिस्सों में तकसीम होने से बीच में जहांगीराबाद विकास खंड आजाता जिससे इसको नुक्सान होता। प्लानिंग ऐंड रिसर्च इंसटीटयूट का प्रपोजल था जिसको इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने भेजा था लेकिन जिले के अधिकारियों ने उसको नहीं माना। मैं उन डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज की तारीफ करता हूं लेकिन आपके शासन के जो अधिकारी हैं वह नालायक हैं। वह इतनी बड़ी गलत बात को नहीं देख सके। मैं इसके साथ ही मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पूरी हालत का अन्दाजा करें और सही तरीके से देखें कि जिस विकास खंड का हक है कि उसको ड्योढ़ा बनाया जाय परन्तु उसको नहीं बनाया गया। जो आधी यूनिट बच गयी है उसको विकास खंड ऊचा गाँव को दी जाय।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, इस पर मुमताज मुहम्मद साहब ने प्रश्न भी किया था और इस पर विवाद हो चुका है। आपको यह सन्देह है कि इससे बड़ा भारी नुक्सान हो गया और भारी रुपये का नुक्सान हो गया। ऐसी बात नहीं है। यहां पर शासन ने इस बात को देखा और मैंने भी इस बात को मंजूर किया है। जो ब्लाक पी० आर० ए० आई० और सरकार के बीच निश्चित हो चुका है और स्वीकार किया जा चुका है वह भूल से जहांगीराबाद ब्लाक के साथ मिला दिया गया जिसमें ३ न्याय पंचायतें थीं। इस वजह से वह कुछ सन्देह की हालत पैदा हो गई। इस तरह से ऊंचा गांव ब्लाक के पास ११ न्याय पंचायतें हुई और जहांगीराबाद ब्लाक के पास केवल ३ पंचायतें रहीं। उसमें खडौना नवीनगर और ककराई वाली थीं। एक और न्याय पंचायत

[श्री बंशीधर पांडेय]

खालोर की भी जहांगीराबाद के साथ मिल गई थी वह भी इस ब्लाक को नहीं दी गई और वह अनूपशहर ब्लाक के साथ ही रही। इस सारी दशा को एग्जामिन किया गया और बाद में ३ न्याय पंचायतों को परवाना महमूदपुर गनौरानागली और मोहेरसा को ऊंचागांव ब्लाक से निकालने की बात तय हुई और खालोर पंचायत को अनूपशहर से निकालने की बात तय हुई। पंचायत मोहेरसा को ऊंचागांव से निकाल कर अनूपशहर में मिला दिया गया। तीन न्याय पंचायत परवाना महमूदपुर, गनौरा नागली और खालोर को जहांगीराबाद में मिला दिया गया। इस तरह से जडौन को भी जहांगीराबाद में मिला दिया गया। अब ऊंचागांव ब्लाक में ७, अनूपशहर में ९ और जहांगीराबाद में भी ७ पंचायत हो गईं। अब इस तरह से यह अनुपात हो गया जिससे इन सब को आबादी के हिसाब से पंचायत मिल गई और शिकायत की कोई बात नहीं रह गई।

यह जहांगीराबाद का एक नया ब्लाक सन् १९६२ से ही स्थित हुआ है।

अब जहांगीराबाद ब्लाक में नये सिरे से सारा बजट का लाभ इन पंचायतों को मिलेगा और यह पंचायती राज की विज्ञप्ति तथा आर्डर इत्यादि भी ५ दिसम्बर को निकल गए। बुलन्दशहर के तीनों ब्लाकों की रचना ठीक कर दी गई। उसमें संशोधन कर दिया गया और अब ११ और ३ के स्थान पर ऊंचागांव ब्लाक केवल ७ न्याय पंचायतों का रहगया। जहांगीराबाद भी सात न्याय पंचायतों का कर दिया गया। तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उनका फायदा ही है। और आबादी भी आप सुन लें। ऊंचागांव डेढ़ साइज ब्लाक नहीं हो सकता। सिकन्दराबाद को भी मैं बता दूं कि सिकन्दराबाद को पहले म्युनिसिपैलिटी की आबादी उसमें जोड़कर के रख दिया गया था। लेकिन बाद को म्युनिसिपैलिटी की आबादी को काट दिया गया और शासन ने स्वयं उसको दुरुस्त करने के लिए उसे डेढ साइज से एक साइज कर दिया और आधा साइज वापस ले लिया। ऊंचागांव ब्लाक की आबादी ६९८७८ रह गई है अनूपशहर की ७३८५० और जहांगीराबाद की ६५३९९ आबादी है। तो इस तरह करीब करीब सारे ब्लाकों की आबादी भी बराबर हो गई और न्याय पंचायतों की संख्या भी बात और ९ हो गई। अब जहांगीराबाद ब्लाक में जो पंचायतें गयी हैं उनको नये सिरे से लाभ होगा। इसलिये अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गई। शासन ने नये सिरे से संशोधन कर दिया है। अपने-अपने ब्लाकों में उन सबको लाभ मिलेगा और वहां की जनता उससे लाभान्वित होगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि यह उन्होंने नये संगठन किये हैं विकास खंडों के इस सिलसिले में? क्या उन्होंने वहां की विकास क्षेत्र समितियों की राय भी मालूम करने की कोशिश की है या अपनी गलतियों को छिपाने के लिये ऐसा उन्होंने किया है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

इसमें ब्लाक समितियों से पूछने का इसलिये सवाल नहीं पैदा होता कि जब एक से ज्यादा ब्लाक समितियां होती हैं तो यह कुदरती बात है कि आपस में इख्तलाफ भी होता है। यह तो एक नया संगठन बनाना था और इस खयाल से बनाना था कि जिससे एक नयी चीज हो जाय। उसको खयाल में रखते हुए आबादी का भी खयाल कर लिया गया और पंचायतों की संख्या का भी खयाल कर लिया और अब किसी को इसमें कोई एतराज की बात भी नहीं रह गई।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मैं मंत्री जी से यह मालूम कर सकता हूं कि इस तरीके से पहले ही इसका संगठन क्यों नहीं कर दिया गया जो अब किया गया?

श्री राममूर्ति—

इस बात को तो यहां मान लिया गया, पिछले सवालों के मौकेपर भी और आज भी, गलती तो इन्सानों से हो ही जाती है। जो गलती हुई उसकी दुरुस्ती कर दी गई।

श्री मुमताज मुहम्मद खां —

मान्यवर, वह जो प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट ने आपको राय दी थी और जिसको कि मंत्री जी ने यहां से अप्रूव करके भेजा था लेकिन जिले की उन अथारिटीज ने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसे भी आपने स्टडी किया ?

श्री बंशीधर पांडेय —

उस सारे को देखा और जैसा कि आप कहते हैं कि जिसकी गलती से यह हुआ उसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की बात तो उसकी भी जांच की गई है और उसमें एक तो क्लर्क था जो इस्तीफा देकर भाग गया है उस पर कार्यवाही हो रही है और फिर सारे प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट तथा क्षेत्र समितियों की राय के बाद फाइनल रेस्पांसिबिलिटी तो जिले के शासन के ऊपर होती है, तो हमने सारे जिले के नक्शे के हिसाब से तीनों ब्लाकों को बराबर-बराबर बांट दिया ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां —

मेरा मतलब यह था कि मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को दोषी करार दे रहे हैं लेकिन शासन के अधिकारियों को दोषी क्यों नहीं करार देते? यह मंत्री जी ने स्टडी किया या नहीं किया कि वह जो उन्होंने प्रोपोजल भेजा था शासन को वह गलत था और जो शासन ने उसे अप्रूव किया वह भी गलती की थी कि तीन न्याय पंचायतों नरसेना कनौन और जाडौल को ऊंचागांव में से निकाल दिया जाय। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने उसे अप्रूव करके भेजा था, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय —

जी नहीं। माननीय सदस्य की यह सूचना तथ्य से परे है। पी० आर० ए० आई० ने जिसकी रचना करके भेजा था वही तो नहीं माना गया उसी लिये तो गड़बड़ हो गया। वह अगर मान लिया गया होता तो क्यों गड़बड़ी होती ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ऊंचा गांव ब्लाक से जो तीन न्याय पंचायतें निकाल दी गयीं इससे वहां के लोगों को दुख होगा क्योंकि वे एक अरसेदराज से एक साथ काम करते रहे थे ?

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, अजीब मुश्किल है। अगर एक ब्लाक बड़ा बन गया तो शिकायत की जाती है और कहा जाता है कि इसमें से पंचायतें निकाल दी जायं, इसे छोटा किया जाय और जब छोटा कर दिया गया तो यह कहा जाता है। अगर किसी चीज को छोटा करना है तो कुछ निकालना तो पड़ेगा ही।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने बताया कि बड़े ब्लाक को कुछ निकाल कर गलती मालूम होने पर छोटा कर के संशोधन कर लिया, तो क्या अगर इसी प्रकार की शिकायत दूसरे जिलों से आयें तो सरकार जांच करायेगी ?

श्री राममूर्ति—

अव्वल तो यह विषय इस समय यहां नहीं है, लेकिन मैं सदस्य महोदय के संतोष के लिये बता दूं कि अगर ऐसी गलती सरकार की नजर में आयेगी तो उसका फर्ज है कि वह उसे दुरुस्त करे और सदस्यों की मेहरबानी होगी अगर उसकी तरफ हमारा ध्यान दिला दें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैंने मंत्री जी से उसके बड़े होने की शिकायत नहीं की थी। मैंने कहा था कि यह विकास खंड बड़ा है इसको डयोढ़ा विकास खंड होना चाहिये था जबकि छोटा-सा सिकन्दराबाद विकास खंड डयोढ़ा है, तो ऊंचागांव के मुकाबले में इसे जरूर होना चाहिये। ऐसा न होने से इसकी हकतल्फी होती है। इसके बजाय उन्होंने इसको छोटा क्यों कर दिया

श्री बंशीधर पांडेय—

शायद मुमताज साहब को यह भ्रम है कि उनके लिखने से हमने इसको छोटा कर दिया। यह तो जब स्क्रुटनी की गयी थी तो अपने आप हो गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां —

मान्यवर, माननीय बंशीधर पांडेय जी ने कहा कि मुझे भ्रम है कि यह बात मेरे कहने से हुई। यह गलत है। मैं ऐसा नहीं समझता। यह उनका भी फर्ज था कि वे इस गलती को ठीक करते।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, बार-बार कहा गया कि गलती हुई। अब जब गलती हुई, तभी तो उसका सुधार किया गया। गलती न होती तो सुधार कैसे होता।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
१२ दिसम्बर, १९६३।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५३ पर]

उद्योगों का नाम		इकाइयों की संख्या
१९६०—६१		
१—ग्रामीण तेल	.. ..	१
२—गुड़ बनाना	.. ..	१
३—हब ब्रुश	.. ..	१
४—सीप बटन	.. ..	१
५—सुधार यंत्र	.. ..	१८
६—हथ कर्घा बिक्री केन्द्र	.. ..	२
	योग	२४
१९६१—६२		
१—कपड़ा सिलाई व कढ़ाई	.. ..	२
२—दरी व निवाड़ बनाना	.. ..	१
३—ग्रामीण तेल	.. ..	३
४—हब ब्रुश	.. ..	१
५—बेत बांस	.. ..	१
६—बढ़ईगीरी	.. ..	१
७—सुधार यंत्र	.. ..	३
	योग	१२

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (क) के तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५५ पर)

(१) पुलिस कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों के वेतन-क्रम निम्नलिखित हैं :

(पुलिस मुख्यालय)

प्रधान लिपिक .. ८०–६–१०४ ई० बी० ६–१३४ ई० बी० ६–१४०–१०–१८० ई० बी० १०–२००–२०–२४० रु० तथा ४० रु० विशेष वेतन, ज्येष्ठतम प्रधान लिपिक को तथा अन्य को २५ रु० विशेष वेतन।

मोटर एवं ड्राफ्टर .. ८०–६–१०४ ई० बी० ६–१३४ ई० बी० ६–१४०–१०–१८० ई० बी० १०–२००–२०–२४० रु०।

रिकार्ड कीपर .. ८०–६–१०४ ई० बी० ६–१२८ ई० बी० ६–१४० रु०।

कन्टीन क्लर्क .. ६०–४०–७६ ई० बी० ४–१०० रु०।

(अपराध अनुसन्धान विभाग)

प्रधान लिपिक .. ७५–५–९५ ई० बी० ५–१२० ई० बी० ८–१६० ई० बी० ८–२०० रु० तथा ३० रु० का विशेष वेतन।

मोटर एवं ड्राफ्टर .. ७५–५–९५ ई० बी० ५–१२० ई० बी० ८–१६० ई० बी० ८–२०० रु०।

जूनियर असिस्टेन्ट क्लर्क .. ६०–४–७६ ई० बी० ४–९६ ई० बी० ४–१००–५–१२० ई० बी० ५–१५० रु०।

असिस्टेन्ट क्लर्क (जोन आफिस) ६०–३–७२ ई० बी० ३–८७ ई० बी० ३–९०–४–११० रु०।

.. (जिला पुलिस कार्यालय)

प्रधान लिपिक .. १००–८–१३२ ई० बी० ८–१४०–१०–१७०–तथा कैवाल जिले में प्रधान लिपिक को ३० रु० और गोरखपुर, नैनीताल, मुरादाबाद, झांसी, फैजाबाद और बरेली के प्रधान लिपिक को १५ रु० प्रतिमास विशेष वेतन।

असिस्टेन्ट क्लर्क .. ६०–३–७२ ई० बी० ३–८७ ई० बी० ३–९०–४–११० रु०।

(रेलवे पुलिस कार्यालय)

प्रधान लिपिक .. ७५–५–९५ ई० बी० ५–१२० ई० बी० ८–१६० ई० बी० ८–२०० रु० तथा ४० रु० विशेष वेतन।

असिस्टेन्ट क्लर्क .. ६०–४–७६ ई० बी० ४–९६ ई० बी० ४–१००–५–१२० ई० बी० ५–१५० रु०।

(रेलवे पुलिस सेक्शन कार्यालय)

प्रधान लिपिक .. १००–८–१३२ ई० बी० ८–१४०–१०–१७० रु०।

असिस्टेन्ट क्लर्क .. ६०–३–७२ ई० बी० ३–८७ ई० बी० ३–९०–४–११० रु०।

(२) कलेक्टरों के कार्यालयों में लिपिकों के वेतन-क्रम

ज्येष्ठ क्लर्क .. १५०–१०–२०० रु० (बड़े नगरों में) ।
१००–१०–१५० रु० (छोटे नगरों में) ।

जूनियर नोटर एवं ड्राफ्टर .. ८५–६–१०९ ई० बी० ६–१४५ रु० ।

स्टीन क्लर्क .. ६०–४–७६ ई० बी० ४–८०–५–१०० ई० बी० ५–१२० रु० ।

असिस्टेन्ट रिकार्ड कीपर .. ६०–४–८०–५–१२० रु० ।

(३) प्लानिंग विभाग के कार्यालयों में लिपिकों के वेतन-क्रम

प्रधान लिपिक .. १००–८–१४०–१०–१७० रु० ।

ज्येष्ठ लिपिक .. ८०–५–१००–६–१३० रु० ।

कनिष्ठ लिपिक .. ६०–३–९०–४–११० रु० ।

(४) सप्लाई विभाग के कार्यालयों में लिपिकों के वेतन-क्रम

प्रधान लिपिक .. १००–८–१४०–१०–१६० रु० (कैंवाल नगरों के लिये) ।
८०–५–१०० रु० (अन्य नगरों के लिये) ।

लिपिक .. ६०–३–९० रु० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६३ पर]

आतिशजनी घटनाओं की सूचना

तालिका

वर्ष	अतिग्रस्त व्यक्ति (किन लोगों का जला)	क्षति का ब्योरा	घटना के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४
थाना बड़ौआ के अन्तर्गत—			
१९६१-६२	श्री कौरा, ग्राम घरचित।	४ बकरी २१—मुर्गा-मुर्गी, २४ मन भूसा, २ खटिया दान बडेरा पल्ला हल जुवाठ, रजाई, मड़ई का बड़ेरा आदि।	जांच से विदित हुआ कि आग इत्तफाकिया लग गई थी। अपराध नहीं पाया गया। अतः फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।
,,	(२) श्री बिहारी, ग्राम लक्ष्मणगढ़।	एक मड़ई	जांच से अपराध सिद्ध हुआ, मुकदमा न्यायालय भेजा गया जहां से अपराधी को दो वर्ष की सजा हुई।
१९६२-६३	(१) श्री दलीप, ग्राम फुल्ली।	गल्ला	जांच से मामला झूठा पाया गया। श्री दलीप ने चेतुए को फंसाने के लिये आग स्वयं लगाई थी। वादी के विरुद्ध धारा १८२ भा० द० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट की गई।
,,	(२) श्री होरीलाल, ग्राम बड़वारी।	१० बोझ मटर	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया जहां वह विचाराधीन है।
,,	(३) श्री पहाड़राम, ग्राम फूंस, बांस परचित।		जांच से मामला झूठा सिद्ध हुआ। अतः मामले में फाइनल रिपोर्ट तथा वादी के विरुद्ध धारा १८२ के अन्तर्गत रिपोर्ट लगाई गई।
,,	(४) श्री नाथाराम, ग्राम इटवा।	गल्ला	जांच से अपराधी का पता नहीं चला। अतः फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।
	योग ६		
थाना धानापुर के अन्तर्गत—			
१९६१-६२	(१) श्री राजाराम, ग्राम पांडेपुर।	पुआल	जांच से अपराध सिद्ध नहीं हुआ। अतः फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

वर्ष	क्षतिग्रस्त व्यक्ति (किन लोगों का जला)	क्षति का ब्योरा	घटना के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४
१९६२–६३	(२) श्रीमती समीरा, खलिहान ग्राम अमादपुर ।		जांच से अपराध चश्मदीद गवाहों की शहादत के आधार पर कायम हुआ, लेकिन न्यायालय से अपराधी छूट गया ।
,,	(३) श्री सिद्धू, ग्राम इनायतपुर ।	मढ़ई	जांच से अपराध सिद्ध हुआ । मामला सेशन न्यायालय में विचाराधीन है ।
योग	३		
कुल योग	९		

विधान सभा सचिवालय मध्य प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६८ पर)

स्थान	व्यक्तियों के नाम जिन्हें चोटें आई हैं	उम्मीदवार का नाम जिससे घायल व्यक्ति का संबंध था।	गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम
१	२	३	४
१—जे० एस० हिन्दू कालेज, अमरोहा	श्री ज्ञान प्रकाश महेश्वरी	आचार्य जे०बी० कृपालानी	कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया।
२—इस्लामिया इन्टर कालेज मौ० बगला	श्री अमोलक चन्द जैन	आचार्य जे०बी० कृपालानी	कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया।
३—मौ० लकड़ा, अमरोहा	श्री किशन स्वरूप	आचार्य जे०बी० कृपालानी	श्री जब्बार अहमद
४—अमरोहा	श्री अलाउद्दीन	श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम	कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया
५—रुकुनुद्दीन सराय सम्भल	श्री विक्रम सिंह तथा श्री लालसिंह	आचार्य जे०बी० कृपालानी	सर्वश्री:— १—बिट्टू उर्फ अब्दुल वहीद २—अब्दुल रहमान ३—अन्सार इलाही ४—अहमद हुसेन ५—अतीकुलरहमान ६—अजहर हुसेन ७—किफायत उल्ला ८—जमील अहमद
६—मो०समन शहीद, सम्भल	श्री महेश कुमार श्री ओम प्रकाश श्री प्यारा सिंह	आचार्य जे० बी० कृपालानी	सर्वश्री: १—अतीक २—मुहम्मद स्वाब ३—मुहम्मद शमी ४—मजहर ५—सादिक
७—तुरकोपुरा, सम्भल	श्री सुल्तानहुसेन (तथा अन्य ८ व्यक्ति जो थाने पर नहीं गये)।	आचार्य जे० बी० कृपालानी	कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया।
८—बाजार मालासा, संभल	श्री परमात्माशरण रस्तोगी श्री रवींद्र कुमार श्री राजेंद्र कुमार	श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम	कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७५ पर)

घटना का ब्योरा

जिला लखनऊ के कुछ पुलिस कर्मचारी एक सर्किल अफसर तथा एक मैजिस्ट्रेट सहित बंगाली विस्थापितों को ले जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन के साथ १२-९-६३ को पयागपुर गये थे। उसी दिन वापस आने के लिए कोई अन्य सवारी का साधन न होने के कारण उनके लिए प्राइवेट ट्रकों का किराये पर प्रबन्ध किया गया। वे लोग चार ट्रकों से गोंडा की ओर आ रहे थे। यह ट्रकें आगे पीछे चल रही थीं। खिरौरी मोहने के पास जो बहराइच-गोंडा रोड पर स्थित है? एक अन्य प्राइवेट ट्रक गोंडा से बहराइच की ओर बहुत तेजी से जाती हुई रेलवे गुमटी पर एक मोड़ पर मिली। मोड़ जरा कठिन है। पुलिस पार्टी की आगे वाली दो ट्रकें तो किसी प्रकार ठीक निकल गईं लेकिन पीछे वाली दो ट्रकों में से एक ट्रक का ड्राइवर गाड़ी को भलीभांति संभाल नहीं सका। वह गोन्डा से जानें वाली ट्रक को पास ही कर पाया था कि उसकी गाड़ी का दाहिना भाग गुमटी के एक किनारें से टकरा गया। २७ पुलिस कर्मचारी मय दो सब इंस्पेक्टरों के घायल हो गए थे, जो ठीक हो गए हैं।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ' (१)

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८० पर)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् १९५५ से सन् १९६३ तक निजी क्षेत्र में स्थापित जिन भारी उद्योगों को ऋण दिये गये थे उन ऋणों की वसूली की स्थिति।

क्रम-संख्या	मिल मालिकों के नाम जिन्हें भारी उद्योग के लिए ऋण दिया गया	ऋण की रकम (रुपया)	रकम जो वसूल हुई (रुपया)	देय रकम जो बकया है (रुपया)	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१	सर्वश्री विभूति ग्लास वर्क्स लिमिटेड, रामनगर, वाराणसी।	११ लाख	१,९९,९८६.५५ अब तक	सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।	राज्य सरकार द्वारा ११ लाख रुपय का ऋण मिलने पर भी ग्लास फैक्ट्री सुचारु रूप से न चल पाई और घाटा होने के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा। लगभग ३ वर्ष बन्द पड़ी रहने के बाद फैक्ट्री को चलाने हेतु सरकार ने २२-८-६० से २० वर्ष के लिये कम्पनी से पट्टे पर ले लिया है तथा कम्पनी द्वारा २० लाख रुपये का ऋण इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली से लिया गया है और इसी ऋण की रकम से राज्य सरकार फैक्ट्री चला रही है। पट्टे के निबन्धक में ऐसा प्राविधान है कि फैक्ट्री के मुनाफे में से आई० एफ० सी० का ऋण देने के बाद तथा सरकार के प्रबन्ध करने का १० प्रतिशत के हिसाब से शुल्क काटने के बाद बचे मुनाफे की रकम से पहले राज्य सरकार के उक्त ऋण एवं उस पर ब्याज की देय रकम का भुगतान किया जायगा। अन्त में जो मुनाफा बचा रहेगा उसे ५०:५० के अनुपात में सरकार तथा कम्पनी में बांटा जायगा। अतः सरकार का उक्त ऋण एवं ब्याज सरकार द्वारा फैक्ट्री के मुनाफे में से समय-समय पर वसूल किया जायगा।

२—सर्वश्री मास प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, लखनऊ।	१,५०,०००	१,२५,००० (१७–७–६३ तक)	२३,५२२.२३ (१७–७–६३ को)

जब से उक्त ग्लास फैक्टरी को राज्य सरकार के प्रबन्ध में चलाया जा रहा है फैक्टरी मुनाफा दे रही है। १९६१–६२ में ८४,१७० रु० का लाभ हुआ है। १९६२-६३ में भी मुनाफा हुआ है कितना हुआ है उसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

कम्पनी ने मूल ऋण की अब तक की समस्त देय किस्तों का भुगतान कर दिया है परन्तु कुछ समय तक ब्याज की देय धनराशि नहीं जमा किया। अब तक २०,००० रुपया ब्याज का जमा किया गया है। स्तम्भ ५ में उल्लिखित धनराशि ब्याज के कम जमा किए जाने के कारण देय है। कम्पनी को देय रकम जमा करने के लिये एक नोटिस दिया गया जिसके फलस्वरूप कम्पनी ने ऋण के बकाये तथा सम्पूर्ण ब्याज को २६,००० रुपये तीन सालाना किस्तों में निश्चित समय के अन्दर अदा करने की इच्छा प्रकट की है जिस पर विचार हो रहा है। अतः वसूली की स्थिति संतोषजनक है। कम्पनी की आर्थिक स्थिति ठीक है।

३—सर्वश्री जे० के० कॉटन, स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	९० लाख	३६,२९,६६८.६२ (२७–११–६३ तक)	४०,११,१००.५४ (११–४–६३ को)

११–४–६३ के बाद कम्पनी ने ७,५०,००० रु० और जमा किये जाने की सूचना दी है जिसको वसूल की गई कुल धनराशि में सम्मिलित करके स्तम्भ ४ में बताया गया है। परन्तु ७,५०,००० रु० को महालेखाकार ने देय रकम में से घटाने की सूचना अभी नहीं दी है। अतः ७,५०,००० रु० घटाने पर देय बकाया धनराशि कम हो जायगी।

प्रारम्भ में जैसा कि बड़ी फैक्ट्रियों में होता है, उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता है इसलिये अधिक लाभ नहीं हो पाता। अब इसकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
४—सर्वश्री न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।	१४५ लाख	४३,५४,१४७.९२ (२८-३-६३ तक)	७१,९२,६४७.७१ (१-९-६३ को)		बकाया धनराशि की वसूली के लिये इस कम्पनी को कानूनी कार्यवाही करने के लिये नोटिस दिया गया है। इस कम्पनी के ऊपर बकाया वसूल करने के लिये कानूनी कार्यवाही करने का नोटिस दिया गया है और कम्पनी के अधिकारी सरकार के साथ वार्तालाप करने के बाद इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि पूरा देय धन जमा हो जाय। इस कम्पनी ने हाल में २४,२७,५१०.४५ रु० मूल्य की खाद कृषि विभाग को बेची है जिसका पूरा पैसा ऋण के खाते में जमा होगा। इस प्रकार देय धन में से २४,२७,५१०.४५ रु० कम रह जायगा इस रकम को अभी स्तम्भ ४ में उल्लिखित धनराशि में नहीं सम्मिलित किया गया है यह खाद सप्लाई हो चुकी है और इसका दाम देय हो गया है। इसके अतिरिक्त यह कम्पनी यह भी प्रबन्ध कर रही है कि अलग से बैंक से ऋण लेकर सरकार के धन को वापस कर दे। इसके विषय में बातचीत चल रही है। कम्पनी द्वारा सरकारी ऋण से लगाई गई फैक्ट्री नई चालू की गई है जो अपने ढंग की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जैसा कि आमतौर से इतने बड़े कारखाने में होता है। प्रारम्भ में कुछ दिक्कतें हुईं और उसका उत्पादन निश्चित सीमा तक नहीं पहुंच सका। अतएव शुरू के वर्षों में कम्पनी को कुछ घाटा उठाना पड़ा। अब यह दिक्कतें दूर हो रही हैं और कम्पनी ने पिछली कई किस्तों का भुगतान भी किया है। दिक्कतों के समय का जो बकाया ऋण है उसको देने का इन्तजाम कम्पनी कर रही है। इसकी आर्थिक स्थिति संतोजनक है और इसकी कलकत्ता की जूट मिल तथा वाराणसी की खाद कारखाने की जो सम्पति सरकार के पास बंधक है उसकी कीमत सरकार के कुल ऋण तथा ब्याज से अधिक है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५—सर्वश्री लक्ष्मीरतन इन्जीनियरिंग वर्कस लिमिटेड, बम्बई, कानपुर ।	५० लाख	२६,१३,४९० (९–१०–६३ तक)	१६,१०,१२०.३८ (५–४–६३ को)	५–४–६३ के बाद कम्पनी ने ३,५०,००० रु० और जमा किये जाने की सूचना दी है जिसको वसूल की गई धनराशि में शामिल करके स्तम्भ ४ में बताया गया है । अतः ३,५०,००० रु० देय धनराशि में से कम हो जायगा । कम्पनी की फैक्टरी की स्थापना में भूमि अर्जन में कुछ देरी होने से कुछ विलम्ब हुआ । परन्तु अब फैक्टरी ठीक चल रही है और इसकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक है । कम्पनी की देय धनराशि जमा करने के लिये एक नोटिस दिया गया है । जिसमें ऋण अदा न करने की दशा में कानूनी कार्यवाही करने की सूचना भी दी गई है ।
६—सर्वश्री विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, नैनीताल ।	४० लाख	..	पूरा ऋण तथा ब्याज बकाया है ।	कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण कम्पनी की किच्छा फैक्टरी उत्पादन न कर सकी । अतः ऋण की वसूली अभी नहीं हो पाई है । फैक्टरी चलाने का प्रबन्ध कम्पनी कर रही है और आशा है १९६४–६५ में उत्पादन होने लगेगा और सरकारी ऋण की वसूली १९६६ से प्रारम्भ हो जायगी । कम्पनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही है और फैक्टरी चलाने के लिये इसे इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन से भी ऋण लेना पड़ गया है ।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४–८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८५ पर)

सभा सचिवों द्वारा जुलाई तथा अगस्त, १९६३ में की गई यात्राओं का विवरण

क्रम संख्या	नाम	स्थान जहां दौरा किया	दौरे की तिथि	यात्रा व्यय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
				रु० न० पै०	
१	श्री अजय कुमार बसु	.. इलाहाबाद, सिरसा, हंडिया, प्रतापगढ़	२६–६–६३ से ७–७–६३ १२–७–६३ से २१–७–६३, २७–७–६३ से २–८–६३	४२६.६४	२६–६–६३ से ३०–६–६३ तक का व्यय शामिल नहीं है ।
		इलाहाबाद	८–८–६३ से १९–८–६३ २४–८–६३ से २७-८–६३	२१२.४३	
२	श्री हरीदत्त काण्डपाल	.. नैनीताल, बरेली	२१–६–६३ से ८–७–६३	८५.६४	२१–६–६३ से ३०–६–६३ तक का व्यय शामिल नहीं है ।
		हल्द्वानी, द्वारा हाट, बरेली, ओखेला, मथुरा	३–८–६३ से ७–८–६३, ८–८–६३ से १४–८–६३	२६०.९४	
३	श्री चन्द्रसिंह रावत	.. चौड़ी, दवारीखाल, सिकूखाल, कोटद्वार, नजीबाबाद	१०–८–६३ से ८–७–६३	७७.०७	[illegible] से ३०–६–६३ तक का व्यय शामिल नहीं है ।

४	श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ	कानपुर, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, मथुरा, फतेहगढ़।	५–७–६३ से ८–७–६३ ३०–७–६३ से ५–८–६३	२१६.६६	,,	,,
		देहली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, अछनेरा	७–८–६३ से १४–८–६३ २८–८–६३ से ३१–८–६३	१७७.४७	,,	,,
५	श्री अजीज इमाम	पटना, वाराणसी, गाजियाबाद, मिर्जापुर, शेरपुर, चुनार	१–७–६३ से १०–७–६३ १४–७–६३ से १७–७–६३ २०–७–६३ से २३–७–६३ २९–७–६३ से ४–८–६३	४२८.६९	,,	,,
		मुरादाबाद, अमरोहा,	२५–८–६३ से २७–८–६३	८६.५२	,,	,,
६	श्री गनेशीलाल ..	सीतापुर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहली, गाजियाबाद, सीतापुर	११–७–६३ से ३०–७–६३	२६७.७२	,,	,,
			२–८–६३ से ६–८–६३ १३–८–६३ से १७–८–६३ २२–८–६३ से २५–८–६३	१३३.७५	,,	,,
७	श्रीमती तारा अग्रवाल ..	कानपुर, देहरादून, सहारनपुर, देहली	९–७–६३ से १०–७–६३ १४–७–६३ से १६–७–६३ २०–७–६३ से २३–७–६३ २५–७–६३ २८–७–६३ से २९–७–६३ ३–८–६३ ५–८–६३ से ६–८–६३ १३–८–६३ से १६–८–६३ २८–८–६३ से ३१–८–६३	२६४.१२	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
				रु० न० पै०	
८	श्री वीरसेन ..	सहारनपुर, मेरठ, मिर्जापुर, हापुड़, गाजियाबाद	५–७–६३ से ८–७–६३ २१–७–६३ से २५–७–६३ ३०–७–६३ से ४–८–६३	३४६.७८	,, ,,
		फिरोजाबाद, आगरा	७–८–६३ से ११–८–६३	९५.५७	,,
९	श्री देवेन्द्रप्रताप सिंह ..	मनकापुर	२५–६–६३ से २–७–६३	२६.५९	
		गोंडा, मनकापुर	५–७–६३ से १२–७–६३ २३–७–६३ से २९–७–६३	२०१.२७	२५–६–६३ से ३०–६–६३ तक का व्यय शामिल नहीं है ।
		मनकापुर	१५–८–६३ से २२–८–६३	१०३.१८	
१०	श्री धर्मदत्त वैद्य ..	शरीफनगर, बरेली, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, फैजाबाद	२७–६–६३ से ७–७–६३	१४२.५५	२७–६–६३ से ३०–६–६३ तक का व्यय शामिल नहीं है ।
			२६–७–६३ से २८–७–६३	८७.६४	
११	श्री बृजबिहारी ..	बलिया, कठतरांव आजमगढ़, गाजियाबाद	१९–६–६३ से १०–७–६३	१३१.०४	१९–६–६३ स ३०–६–६३ तक का व्यय शामिल नहीं है ।
		शाहगंज, आजमगढ़, इलाहाबाद	१३–७–६३ से २०–७–६३ २३–७–६३ से २९–७–६३	२३३.५९	
		फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, देहली, बरेली	३१–७–६३ से ६–८–६३ ८–८–६३ से १२–८–६३	२८८.५६	,, ,,
		शाहगंज	१४–८–६३ से १९–८–६३		
१२	श्री बंशीधर पांडेय ..	इलाहाबाद, भदोही	२०–६–६३ से ३–७–६३	२६२.५५	.. ,,
		वाराणसी	१०–७–६३ से १८–७–६३ १८–७–६३ से २०–७–६३ २२–७–६३		

		देहली, इलाहाबाद, हरदोई, मिरजापुर	३१–७–६३ स ३–८–६३ ५–८–६३ से ११–८–६३ १२–८–६३ से १६–८–६३ १८–८–६३ से २३–८–६३	३५४.९६	,,	,,
१३	श्री शाहिद फाखरी	.. इलाहाबाद, देहली, वाराणसी	१–७–६३ से १८–७–६३ २२–७–६३ से १८–८–६३ २३–८–६३ से २९–८–६३	६६९.८५	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८५ पर)

हत्याओं तथा की गयी कार्यवाही का विवरण

दिनांक ४-९-६३ को प्रातःकाल थाना अतरौलिया में श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह सदस्य, जिला परिषद की एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ३/४-९-६३ को रात में जब वे ग्राम बसहिया में स्थित अपने मकान के बरामदे में सो रहे थे करीब ११ बजे रात को राम प्रसाद सिंह, नागेन्द्र बहादुर सिंह व राम बहादुर सिंह उनकी चारपाई के पास आये और राम बहादुर सिंह ने उनके पेट में चाकू मार दिया। श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह ने राम बहादुर सिंह को वहीं पकड़ लिया परन्तु उनके साथ के अन्य दो व्यक्तियों ने उनको छुड़ा लिया और तीनों अभियुक्त भाग गये। ४-९-६३ की शाम को श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह की मृत्यु हो गई। विवेचना के पश्चात् तीनों अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है और मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है।

दिनांक २४-९-६३ को रात साढ़े दस बजे निजामाबाद थाने पर एक व्यक्ति श्री सुभागा ने आजमगढ़ जिले के निर्जापुर ब्लाक के ब्लाक प्रमुख श्री गंगा पान्डे की हत्या की रिपोर्ट की कि उसी शाम को जब श्री गंगा पांडे श्री सुभागा के साथ सरायमोर से ग्राम निर्जापुर जा रहे थे कि ६ व्यक्तियों ने लगभग ८ बजे रात में मुहम्मदपुर ग्राम के पास एक अरहर के खेत से निकलकर श्री गंगा पान्डे की हत्या कर डाली। श्री सुभागा ने सर्वश्री गनीमियां, मंजूर, मखन, काशिर, रामप्रसाद तथा नूरू को रिपोर्ट में नामजद किया। विवेचना के पश्चात् उक्त ६ अभियुक्तों का चालान किया गया और मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है।

संसद सदस्य सदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८७ पर)

The following charges were framed against Sri Ali Akbar Khan by the District Magistrate, Moradabad.

1. That you in your monthly inspection report of radio sets installed under the Community Listening Scheme of Uttar Pradesh, Government have submitted incorrect, misleading and false reports with fictitious and forged signatures of the caretakers.

2. That you have not visited the places shown in your diary and have charged Travelling Allowance for the same.

3. That you have not obeyed the orders of the District Information Officer, regarding submission of Radio Licences reports, of the sets in your charge.

4. That you have not followed your tour programme approved by the District Information Officer.

5. That you have also been found guilty of indiscipline and insubordination.

संसद सदस्य विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९७ पर)

श्री दुजई राम, हरिजन, ग्राम गौरा, ब्लाक कोयलसा के जिलाधीश, आजमगढ़ को सम्बोधित शिकायती, पत्र/दिनांक १२-८-६३ की प्रतिलिपि

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी को मकान बनाने के लिये ७५० रुपया सरकार द्वारा हरिजन फण्ड से अनुदान-स्वरूप स्वीकार हुआ। श्री ब्लाक अधिकारी, कोयलसा द्वारा मुझे २०० रुपया नकद मिला और २५० रुपया पर मेरी दस्तखत कराई गई। २०० के अलावा ५० रुपया में से ३० रुपया ब्लाक अधिकारी महोदय ने सुरक्षा कोष के नाम से ले लिया जिसकी रसीद हमें नहीं मिली। १० रुपया सेक्रेटरी साहब और १० रुपया प्रधान जी ने जबरदस्ती ले लिया और प्रधान जी १० रुपया और मांगते हैं। २०० रुपया मुझे जो नकद मिला उसका मैंने भट्ठे से ईंट खरीद कर रख लिया हूं। शेष रुपया न पाने से मेरा मकान न बन सका। रुपया हमारा प्रधान जी के पास ब्लाक अधिकारी द्वारा रक्खा है। मांगने पर टाल-मटोल करते हैं।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का बाकी रुपया दिलाया जाय ताकि मकान बन सके और ५० रुपया जो मेरा अनुचित ढंग से ले लिया गया है उस पर उचित कार्यवाही की जाय।

प्रार्थी,
नि० अं० दुजई राम,
व लौट राम सु०
१२-८-६३

प्रमाणित प्रतिलिपि

ह०
जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी
आजमगढ़।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०० पर)

क्रम संख्या	जिले का नाम	सा० का० की संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति	अन्य जाति	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
१-देहरादून	..	१	—	—	१	
२—सहारनपुर	..	३	३	—	—	
३—मुजफ्फ़रनगर	..	१	१	—	—	
४—मेरठ ..	..	३	३	—	—	
५—बुलन्दशहर	..	१	—	—	—	जाति संबंधी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।
६—अलीगढ़	..	२	२	—	—	
७—रामपुर ..	..	१	१	—	—	
८—देवरिया	..	१	१	—	—	
९—मथुरा ..	..	१	१	—	—	
१०—आगरा ..	..	२	२	—	—	
११—मैनपुरी	..	१	१	—	—	
१२—एटा ..	..	१	१	—	—	
१३—बरेली ..	..	१	—	—	१	
१४—बिजनौर	..	२	२	—	—	
१५—बदायूं ..	..	१	१	—	—	
१६—मुरादाबाद	..	२	२	—	—	
१७—शाहजहांपुर	..	१	१	—	—	
१८—पीलीभीत	..	१	१	—	—	
१९—फर्रुखाबाद	..	१	१	—	—	
२०—इटावा	..	१	१	—	—	
२१—कानपुर	..	२	१	१	—	
२२—फतेहपुर	..	१	१	—	—	
२३—इलाहाबाद	..	२	२	—	—	
२४—झांसी	..	१	१	—	—	
२५—जालौन	..	१	१	—	—	
२६—बांदा	..	१	१	—	—	
२७—हमीरपुर	..	२	१	१	—	
२८—वाराणसी	..	२	—	—	२	
२९—मिर्जापुर	..	२	१	१	—	
३०—जौनपुर	..	२	२	—	—	
३१—गाजीपुर	..	१	१	—	—	
३२—बलिया	..	१	—	१	—	
३३—गोरखपुर	..	३	३	—	—	
३४—बस्ती ..	..	३	१	१	१	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सा० का० की संख्या	परिगणित जाति	पिछड़ी जाति	अन्य जाति	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
३५—आजमगढ़	..	२	१	—	१	
३६—नैनीताल	..	२	—	—	—	जाति संबंधी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।
३७—अल्मोड़ा	..	१	१	—	—	
३८—गढ़वाल	..	२	२	—	—	
३९—उन्नाव	..	२	२	—	—	
४०—रायबरेली	..	१	—	—	१	
४१—सीतापुर	..	१	१	—	—	
४२—हरदोई	..	२	२	—	—	
४३—लखीमपुर-खीरी	..	१	१	—	—	
४४—फैजाबाद	..	१	१	—	—	
४५—गोंडा	..	१	१	—	—	
४६—बहराइच	..	१	१	—	—	
४७—सुल्तानपुर	..	२	—	—	२	
४८—प्रतापगढ़	..	२	२	—	—	
४९—बाराबंकी	..	१	१	—	—	
५०—लखनऊ	..	१	१	—	—	
	योग	.. ७४				

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०० पर)

१—अनुत्तीर्ण छात्रों से शुल्क लेने का आदेश वापस किया जाय। पहले की भांति उनकी शिक्षा निःशुल्क रहे।	१—अनुत्तीर्ण छात्रों को शुल्क सम्बन्धी जो सुविधा पहले मिलती थी, उसे इस साल भी जारी रखने का निर्णय हो चुका है।
२—हर अनुत्तीर्ण छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न किया जाय। तथा ३—हर अनुत्तीर्ण छात्र पर्याप्त पुस्तकीय सहायता का अधिकारी रहे।	२ व ३—७ से १० तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुत्तीर्ण हरिजन विद्यार्थियों को यह सुविधा देना सम्भव नहीं है। दशमोत्तर कक्षाओं में, प्राविधिक मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले केवल उन हरिजन विद्यार्थियों को जो ५ प्रतिशत अंकों से अनुत्तीर्ण होते हैं, छात्र-वृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता देने का प्राविधान है। प्रत्येक अनुत्तीर्ण छात्र के लिये यह सुविधा देना सम्भव नहीं है।
४—हर छात्र को अविलम्ब छात्रवृत्ति मिले। विलम्ब होना ही अनुत्तीर्ण होने का एक मात्र कारण है।	४—शासन निरंतर प्रयत्नशील है कि छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अनावर्तीय सहायता बिना किसी विलम्ब के प्राप्त होती रहे।
५—निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति अनिवार्य हो जाय।	५—समस्त कक्षाओं में हरिजन छात्रों को निः-शुल्क शिक्षा देने का प्राविधान शासन द्वारा स्वीकृत है। धनाभाव के कारण प्रत्येक प्री-मैट्रिक छात्र को छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं है। दशमोत्तर कक्षाओं में प्रत्येक हरिजन छात्र को अनिवार्य रूप से छात्र-वृत्ति दी जाती है और उसी के साथ फीस की धनराशि भी उन्हें दी जाती है।
६—दीन विद्यार्थियों को विशेष शैक्षिक सहायता प्रदान की जाय।	६—छात्रवृत्ति वितरण के समय छात्रों की आर्थिक दशा पर भी विचार किया जाता है और दीन छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
७—छात्रों के भोजन, वस्त्र तथा निवास स्थान की सरकार स्वयं अपनी देख-रेख में व्यवस्था करे।	७—हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों का एक यह भी कर्त्तव्य है कि वह हरिजन छात्रावासों के छात्रों की स्थिति की देख-रेख रक्खे। इसके अतिरिक्त छात्रों के भोजन, वस्त्र और आवास के सम्बन्ध में शासन द्वारा सीधे व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०५ पर)

इशम एवं पांचवीं कक्षा तक के हरिजन, पिछड़ी जाति एवं मोमिन अन्सार विद्यार्थियों के स्वीकृत छात्रवृत्ति वितरण का विवरण

वर्ष	संख्या छात्रवृत्ति जो स्वीकृत हुई						संख्या छात्रवृत्ति जो नहीं दी गई						अन्य विवरण
	कक्षा ६ से १० तक			कक्षा १ से ५ तक			कक्षा ६ से १० तक			कक्षा १ से ५ तक			
	हरि०	पि०	मो० अ०	हरि०	पि०	मो० अ०	हरि०	पि०	मो० अ०	हरि०	पि०	मो० अ०	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१९५८	..	२०८	५८	२१	३३८	५५	४	—	—	—	—	—	—
१९५९	..	१५७	४७	२१	३४९	४८	४	—	—	—	—	—	—
१९६०	..	१४०	४६	२१	३४१	५६	४	—	—	—	—	—	—
१९६१	..	२०७	८१	२१	३४६	७१	४	८१	२१	६	३१०	३६	४
१९६२	..	२८२	८१	२१	३८०	७५	४	८१	२१	६	३१०	३६	४

अनुवाद विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१३ पर)

तालिका

७ मृतक डकैतों की चोटों का विस्तृत विवरण

क्रम सं०	नाम डकैत	चोट का विवरण
१	२	३
१	गंगा सिंह ..	१—सर के सीधे तरफ गोली की चोट का घाव। २—छाती के सीधी तरफ गोली के चोट का घाव। ३—छाती के बायें तरफ सामने तरफ गोली की चोट का घाव।
२	नव्बू ..	१—छाती पर गोली का घाव। २—छाती के सीधी तरफ गोली का घाव। ३—छाती के सीधी तरफ निपिल के नीचे गोली की चोट का घाव। ४—बाईं जांघ पर गोली की चोट का घाव।
३	रामलाल ..	सीधी तरफ गरदन व सर और सीधे तरफ चेहरे पर जलने का निशान। चोट के निशानात सर, बाजू, डेडी हथेली, कलाई, डेडा घुटना, और टांग सीधी जांघ, सीधी टांग, दोनों चूतड़ों पर चोट का घाव एपीगास्टिक रीजन पर।
४	राम चन्द्र ..	जलने के निशानात छाती के सीधी तरफ, सीधाबाजू, सर और बाईं टखने के सामने। सर के सीधी तरफ गोली की चोट का घाव, बाईं तरफ कान के ऊपर हिस्से की तरफ गोली की चोट का घाव, वांई बाजू के दाहिनी तरफ गोली की चोट का घाव, वांई बाजू पर अन्दर तरफ गोली की चोट का घाव।
५	कोमिल ..	छाती के बाईं तरफ गोली की चोट का घाव, सीधी तरफ भी गोली की चोट का घाव। पीठ के सीधे तरफ निचले हिस्से पर गोली के चोट का घाव।
६	सीताराम ..	चेहरे के सीधी तरफ चलने का निशान, बांये कन्धे पर गोली की चोट का घाव, छाती के बांई तरफ गोली की चोट का घाव, सर के पिछले हिस्से पर गोली की चोट का घाव।
७	भग्गू ..	खोपड़ी के सीधी तरफ गोली की चोट का घाव।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१४ पर)

सुनुआ चमार, निवासी ग्राम सफा, थाना बबीना, जिला झांसी द्वारा फरारी की अवधि में किये गये कत्लों का विवरण

क्रम सं०	घटना की तारीख	घटनास्थल का नाम	हथियार का नाम जिससे हत्या की गई	व्यक्तियों के नाम व पते जिनकी हत्या हुई
१	५-३-६३	ग्राम चमरौआ, थाना बबीना, हल्कुआ चमार के कुंआ पर।	टोपी दार बंदूक	श्यामलाल पुत्र महाराज सिंह ठाकुर, ग्राम सफा, थाना बबीना।
२	१२-४-६३	ग्राम सफा, थाना बबीना मृतक के खलियान पर।	बन्दूक १२ बोर	घसीटे पुत्र सुक्खे चमार, ग्राम सफा, थाना बबीना।
३	८-५-६३	ग्राम चमरौआ, गांव के बाहर कुआं पर नहाते समय। थाना बबीना।	बन्दूक १२ बोर	नाथू राम पुत्र राम सिंह, ग्राम खैलार, थाना बबीना।
४	२९-५-६३	मौजा डोंगरी, थाना रक्सा।	बन्दूक १२ बोर	लखन सिंह ठाकुर, ग्राम डोंगरी, थाना रक्सा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१६ पर)

Name of article—Brass cap badges

Tender/Enquiry no. 269(PO), dated August 16, 1963

Serial number	Name of firm	Price	F.O.R.	Delivery	Remarks
		Rs. nP.			
1	M/s Verma Agencies, Khai Dora, Aligarh.	0.22	Lucknow	1500 Nos per day.	S.T. extra
2	Messrs Bharat Electrical Corporation, Kanungoyan, Aligarh.	0.25	Do. ..	1000 Nos. per day.	Ditto
3	Messrs. Verma Brothers, Kanungoyan Street, Aligarh.	0.20	Do. ..	3 months	Ditto

The tender of the party at serial (3) was accepted as it was the lowest and fulfilled other necessary requirements .

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१८ पर।)

प्रश्न १९ से संबंधित घटना का विवरण

ता० ३०-५-६३ को करीब १२ बजे रात लीडर रोड पर पुष्पराज सिनेमा की तरफ से १०,१२ आदमी लाठियां, स्टिक व कांत लिए हुये आये और सर्वश्री पन्ना लाल, ननकू लाल, बंशी लाल, पंडित गजाधर लाल, बेनी प्रसाद, विपत वंशी व जुम्मन खां को लाठी स्टिक और कांते से मजरूब किया। मारने वाले में से इज्जत अली उर्फ पहाड़ी, साकिन सब्जी मंडी को बिजली की रोशनी में श्री पन्ना लाल ने पहचान लिया। इस घटना की सूचना श्री पन्ना लाल पुत्र अशरफी लाल, वैश्य सा० ३८, लीडर रोड, कोतवाली ने दी जिस पर मु० ई० न० ४८८ धारा १४७/३२३ व ३२४ भा० दं० वि० कायम हो कर फौरन तफतीश आरम्भ की गई। एस० एस० पी० सी० ओ० सिटी व इंस्पेक्टर इंचार्ज कोतवाली घटना स्थल पर तुरन्त आये और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मजरुवान से एम० एल० एम० अस्पताल में एस० एस० पी० मिले।

ता० १-६-६३ को रज्जब अली उर्फ पहाड़ी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। उसने इकबाल जुर्म करते हुए इस घटना में अपने साथी गुलाम मुस्तफा, सब्जी मंडी, बच्चे व इद्दू निवासी पुराना शाहगंज कल्लू व अहमद सा० नखास कोना व सगीर अहमद उर्फ लाला साकिन गढ़ी सराय व ४--५ लड़के नखास कोना के होना बतलाया।

उपरोक्त ७ मुलजिमान गिरफ्तार कर के बापर्दा जेल रवाना किए गए और उनकी कार्यवाही शिनाख्त जेल नैनी में मजरूब गवाहान से कराई गई किन्तु किसी गवाह ने किसी मुलजिम को नहीं पहचाना जिसके फलस्वरूप किसी भी अभियुक्त का चालान नहीं किया जा सका।

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २१–२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१९ पर)

इलाहाबाद जिले में लघु उद्योग हेतु लोहे तथा लोहे की चद्दर का उपयोग, एलाटमेंट की दशा सन् १९६१–६२, १९६२–६३ और प्रथम छमाही सन् १९६३–६४ की सूची

क्रम-सं०	पार्टी का नाम	एलाटमेंट १९६१–६२ लोहा तार	(टन) चद्दर	१९६२–६३ चद्दर	प्रथम छमाही १९६३–६४ जुलाई, १९६३ तक चद्दर	सदुपयोग तथा दुरुपयोग की दशा ।
१	२	३	४	५	६	७
१	सर्वश्री भारत स्टील एन्ड वायर प्रोडक्ट्स, इलाहाबाद ..	..	२०.००	२.००	१०.००	सदुपयोग किया गया ।
२	लक्ष्मी स्टील वर्क्स, इलाहाबाद ..	..	४०.००	१२.००	६.००	" "
३	इस्पात वस्तु उद्योग सहकारी समिति, इलाहाबाद ..	..	६४.००	..	..	दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया ।
४	पाइनियर इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद	..	१६.००	..	..	पार्टी ने माल नहीं लिया अतः कोटा रोक दिया गया ।
५	कृष्णा इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद	..	१००.००	५०.००	२५.००	सदुपयोग ।
६	जयसवाल वायर तेल इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद ..	४८.००	..	..	..	दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया ।
७	ओमप्रकाश विश्वामित्र, इलाहाबाद. . ..	८०.००	८०,०००	..	..	आंशिक दुरुपयोग, कोटा रोक दिया गया ।
८	मेटल बिन्डी कारपोरेशन, इलाहाबाद ..	..	१२४.००	४८.००	२४.००	सदुपयोग ।
९	सरस्वती इंजीनियरिंग वर्क्स, इलाहाबाद ..	४०.००	१२०.००	६०.००	३०.००	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	पार्टी का नाम	एलाटमेन्ट १९६१–६२ लोहा (तार)	टन चद्दर	१९६२–६३ चद्दर	प्रथम छमाही १९६३–६४ जुलाई १९६३ तक चद्दर	सदुपयोग तथा दुरुपयोग की दशा
१	२	३	४	५	६	७
१०	कमला कान्त वर्मा, इलाहाबाद ..	..	..	२४.००	..	..	दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया ।
११	इलाहाबाद स्पन पाइप, इलाहाबाद	..	८०.००	..	..	..	आंशिक दुरुपयोग, कोटा रोक दिया गया ।
१२	प्रताप इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद ..	..	..	२.००	१.००	०.५०	सदुपयोग ।
१३	अशोक एलेक्ट्रिकल वर्क्स, इलाहाबाद	..	..	२.००	..	..	आंशिक उपयोग तथा कारखाना बन्द हो गया ।
१४	पंचशील साइकिल इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद	..	..	१२.००	६.००	३.००	सदुपयोग ।
१५	नवीन सेवाश्रम, इलाहाबाद	..	..	८.००	..	..	आंशिक सदुपयोग तथा कारखाना बन्द हो गया ।
१६	साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कं०, इलाहाबाद	..	..	८.००	..	..	आंशिक सदुपयोग, कोटा रोक दिया गया ।
१७	पंजाब ट्रंक स्टोर्स, इलाहाबाद ..	..	..	१४.००	..	..	दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया ।
१८	यू० पी० स्टील मैन्युफैक्चर्स, इलाहाबाद	..	..	३२.००	..	..	" "
१९	शिव दत्त अयोध्या प्रसाद पांडेय, इलाहाबाद	..	..	१८.००	१२.००	६.००	सदुपयोग ।
२०	जनरल आइरन वर्क्स, इलाहाबाद ..	..	..	७६.००	४०.००	२०.००	..
२१	बलबीरसिंह एन्ड संस, इलाहाबाद	..	..	१२.००	..	..	आंशिक सदुपयोग, कारखाना बन्द हो गया ।
२२	कृषक व्यापार संघ, इलाहाबाद ..	..	..	१२.००	६.००	३.००	सदुपयोग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२३	चैम्पियन साइकिल इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद ..	..	१२.००	..	..	दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया ।
२४	कैलाश चन्द्र जैन, इलाहाबाद ..	..	६.००	..	..	" "
२५	सतीश काटेज इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद ..	..	४.००	..	..	दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया ।
२६	इलाहाबाद स्टील फर्नीचर, इलाहाबाद ..	..	४.००	..	..	" "
२७	राम सरन दास एन्ड कम्पनी, इलाहाबाद ..	५६.००	..	..	..	आंशिक दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया।
२८	शुक्ला एन्ड कं०, इलाहाबाद	..	३६.००	..	..	आंशिक दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया ।
२९	रामा स्टील वर्क्स, इलाहाबाद	..	१२.००	..	..	फेब्रीकेटर होने के नाते कोटा समाप्त कर दिया गया।
३०	ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कं०, इलाहाबाद ..	४.००	३६.००	३०.००	१०.००	सदुपयोग ।
३१	श्री ज्ञान सिंह ट्रेडिंग कम्पनी; इलाहाबाद ..		४.००	..	..	दुरुपयोग, कोटा समाप्त कर दिया गया । कारखाना बन्द हो गया
३२	श्री गंगा रोलिंग मिल्स, इलाहाबाद ..	..	४०.००	२०.००	१०.००	सदुपयोग ।
३३	काटेज प्रोडेक्ट्स, इलाहाबाद	..	८.००	६.००	३.००	" "
३४	गोपाल मेटल वर्क्स, इलाहाबाद	..	४.००	२.००	१.००	" "
३५	श्री बी० सहाय, इलाहाबाद	..	३६.००	१०.००	५.००	" "
३६	श्री नवीन इंजीनियरिंग, इलाहाबाद ..	..	२०.००	..	..	सदुपयोग किया । आगे पार्टी ने कोटा लेने से मना कर दिया, फलस्वरूप कोटा रोक दिया गया ।
	योग	२२८.००	९९६.००	३१३.००	१५६.००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२२ पर)

विभाग	मुख्यालय स्तर पर	तहसील स्तर पर				योग
		महाराजगंज	फरेंदा	बांसगांव	सदर	
१	२		३			४
राजस्व विभाग ..	७६२०३९–४५	६७७१४–८१	१११८१५–६८	५१३५८–९८	..	

(२) सूची "क"

विभाग	मुख्यालय स्तर पर	तहसील स्तर पर				योग
		महराजगंज	फरेंदा	बांसगांव	सदर	
१	२			३		४
राजस्व विभाग ..	७६२०३९–४५	६७७१४–८१	१११८१५–६८	५१३५८–९८	४५५६०–४३	१०३८४८९–३५
नियोजन विभाग ..	३७४२३–३९	८९१४३–५८	५६२११–८९	१८३९५–७२	३१७५३–९९	२३२९२८–५७
स्कूल कालेज तथा अन्तरिम जिला परिषद् ..	४९९५९–२६	४०६–७५	२६७७–४५	..	..	५३०४३–४६
रीजनल ट्रांसपोर्ट ..	७८२३२–६३	..	..	..	..	७८२३२–६३
जंगल विभाग ..	५९५५६–८९	..	..	..	..	५९५५६–८९
आर० एफ० सी० ..	४८५३–००	..	..	..	..	४८५३–००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इंजीनियरिंग तथा कैनाल विभाग ..	२१३२–४२	..	..	..	..	२१३२–४२
बैंक ..	५८२४०–६५	२५१–००	..	..	..	५८४९१–६५
आर०सी०ओ० तथा केन यूनियन	७५५२९–४३	४३७५–२६	..	..	..	७९९०४–६९
मैडिकल	१०५८–५८	..	..	..	..	१०५८–५८
म्युनिस्पिल बोर्ड ..	११७३८–००	..	..	..	..	११७३८-००
पुलिस ..	५६९–१२	..	..	..	..	५६९–१२
सिनमा	३४७८–५७	..	..	..	..	३४७८–५७
मित्सु	९९९५–४३	८७४६–२०	१३९८७.०४	..	..	३२७२८–६७
जिला सूचना कार्यालय ..	४२१–५०	..	..	..	..	४२१–५०
डिस्ट्रिक इंडस्ट्रीज ..	२३२८–६२	..	..	..	..	२३२८–६२
एंटी मलेरिया आफिस ..	१८६१–९०	..	..	..	..	१८६१–९०
इम्पलायमेंट आफिस ..	१४६–५०	..	..	..	..	१४६–५०
लाइव स्टाक आफिसर ..	१०७७–५०	..	..	..	..	१०७७–५०
व्यक्तिगत	९१२७–३९	..	३०७३.००	..	..	१२२००–३९
योग ..	११६९७७०.२३	१७०६३७.६०	१८७७६५.०६	६९७५४.७०	७७३१४.४२	१६७५२४२.०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२५ पर)

प्रेषक,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश ।

अति आवश्यक

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के सभी—
(१) जिला परिषदों के अध्यक्ष,
(२) जिलाधीश,
(३) अतिरिक्त जिलाधीश (नि०)/जिला नियोजन अधिकारी,
(४) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ।

पत्र संख्या १४२(अ)/४--११६/६२(जी०वी०)/सामान्य-ब

दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर ९, १९६३ ।

विषय—हरिजन एवं अन्य पिछड़े वर्गों को दी जाने वाली सहायता का विज्ञापन ।

महोदय,

इस विभाग द्वारा हरिजनों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को भांति-भांति प्रकार की सहायता देने के लिये जो धन उपलब्ध किया जाता है उसका यथासमय उपभोग नहीं हो पा रहा है जिसके कतिपय कारणों में से एक मुख्य कारण यह भी है कि इन योजनाओं का ठीक एवं पूरी तरह से विज्ञापन नहीं होता और ग्रामों में रहने वाले हरिजन या पिछड़े वर्गों को अभी तक इन योजनाओं के बारे में पूरी-पूरी जानकारी नहीं हुई है । इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि विकास खंडों के माध्यम से जिन-जिन योजनाओं के लिये सहायता दी जाती है उनकी सूची एवं अन्य विवरण ग्राम पंचायत, विकास क्षेत्र, तहसील, परगना हाकिम, जिलाधीश, जिला परिषद् एवं जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में प्रदर्शित करा दिये जायं जिससे कि लोगों को इन योजनाओं के विषय में ज्ञान हो जाय और वे इनसे लाभ उठा सकें ।

अतएव आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त कार्यवाही तुरन्त करवाने की कृपा करें ।

भवदीय,
राम गोपाल निगम,
सहायक निदेशक ।

नत्थी 'न'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२९ पर)

पुलिस कार्यालय के हेड क्लर्क व एकाउंटेन्ट के १९३० के और वर्तमान मूल वेतनों की सूची

पद	१९३० के वेतन	वर्तमान वेतन-क्रम
	रु०	रु०
हेड क्लर्क	२७५.००	८०–२४० तथा ४०
पुलिस मुख्यालय ..	२२५.००	प्रतिमास ज्येष्ठतम
	२१०.००	हेड क्लर्क को तथा २५रु० अन्य
	२००.००	हेड क्लर्कों को विशेष वेतन।
	१७५.००	
	१५०.००	
	१४०.००	
हेड क्लर्क	३ पद १५०रु०	१००–१७० रु०
सेक्शन आफ़िस	प्रतिमास तथा ४०	
सरकारी रेलवे पुलिस ..	रु० प्रतिमास का	
..	विशेष वेतन दो के	
	लिये और १ के लिये	
	३० रु० प्रतिमास	
	विशेष वेतन।	
हेड क्लर्क	१५०–१७५ तथा	७५–२०० तथा ४०रु० प्रतिमास
सरकारी रेलवे पुलिस ..	४० रु० प्रतिमास	का विशेष वेतन।
के सुपरिंटेंडेंट का कार्यालय। ..	का विशेष वेतन	
हेड क्लर्क	१५०.००तथा	७५–२०० तथा ३०रु०
अपराध अनुसंधान ..	५०.००प्रतिमास	प्रतिमास का विशेष वेतन।
विभाग	का विशेष वेतन।	
हेड क्लर्क	१५०.००	१००–१७० तथा कबाल जिलों
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय ..	१२५.००	के हेड क्लर्कों को ३० रु० और
	१००.००	गोरखपुर, नैनीताल, मुरादाबाद
		झांसी, फैजाबाद और बरेली
		के हेड क्लर्कों को १५ रु०
		प्रतिमास विशेष वेतन।
एकाउन्टेंट पुलिस मुख्यालय		८०–२४० तथा ४० रु० प्रतिमास ज्येष्ठतम एकाउन्टेन्ट को तथा २५ रु० अन्य एकाउन्टेंट को विशेष वेतन।

१	२	३
एकाउन्टेन्ट .. सेक्शन आफिस .. सरकारी रेलवे पुलिस	..	३ पद १२० रु० प्रतिमास ८०–१३० रु० ४० रु० प्रतिमास का विशेष वेतन दो के लिये और १ के लिये २० रु० प्रतिमास का विशेष वेतन।
एकाउन्टट सुपरिंटेंडेन्ट सरकारी रेलवे पुलिस का कार्यालय	..	१२०.०० तथा ७५–२०० रु० ४०.०० प्रतिमास का विशेष वेतन।
एकाउन्टेन्ट .. अपराध अनुसंधान विभाग	..	१२०.०० तथा ७५–२०० रु० ४०.०० प्रतिमास का विशेष वेतन।
एकाउन्टट .. सुपरिंटेंडेंन्ट आफ पुलिस का कार्यालय	..	१२०.०० ८०–१३० रु० १००.०० तथा कबाल जिलों के एकाउन्टेट ८०.०० को ३० रु० और गोरखपुर, नैनीताल, मुरादाबाद, झांसी, फैजाबाद और बरेली जिलों के एकाउन्टेंटों को १५ रु० प्रतिमास का विशेष वेतन।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'प'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८४२ पर)

(विधान सभा के प्रथम सत्र १९६३ के ७ वें गुरुवार के लिये श्री चन्द्रबली सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर)

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
६—क्या पुलिस मंत्री बतायेंगे कि इटावा और जालौन जिला के बीच शेरगढ़ घाट पर जमुना पर एक कच्चा पुल है ? यदि हां, तो लगभग एक माह पूर्व वंश लाल नामी व्यक्ति की पत्नी को बैलगाड़ी के धक्के से नदी में गिराकर गायब कर दिया गया और शरीर पर के लगभग ३ हजार के जेवरों को उतार कर लाश का किसी को पता भी न पाने दिया ? यदि हां, तो क्या इस मामले की रपट सदन को दी जायेगी ? और एक निष्पक्ष जांच कमीशन द्वारा जांच कराकर दोषी को सजा दिलायेगी ?	६—जी हां । शेरगढ़ घाट पर जमुना नदी पर नावों पर बना कच्चा पुल है । यह सत्य नहीं है कि वंशलाल की पत्नी को बैलगाड़ी के धक्के से नदी में गिराकर गायब कर दिया गया और शरीर पर के जेवरों को उतार कर लाश का किसी को पता भी न पाने दिया गया । इस सम्बन्ध में थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार जब श्री वंशलाल की पत्नी अपने बच्चे के साथ पुल पर से शेरगढ़ की तरफ जा रही थी तो नाव हिलने के कारण पैर फिसलने से वे बच्चे सहित नदी में गिर गईं, बच्चे को बचा लिया गया परन्तु स्त्री का पता नहीं चला और न उसकी लाश बरामद की जा सकी । जांच से उक्त वाकयात सही पाये गये और आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु का होना पाया गया । दोषी को सजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'फ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८४३ पर)

मूल प्रश्न

५—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत थाना घोसी के ग्राम मलेरी कोट के कुछ व्यक्तियों की १५ मार्च, १९६२ को लिखी हुई दरख्वास्त उनके पास आयी है जिसमें स्थानीय पुलिस के विरुद्ध नकद रुपया तथा अन्य सामान उठा ले जाने की शिकायत लिखी गई है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और परिणाम क्या हुआ ?

मूल उत्तर

५—जी नहीं । ऐसी किसी दरख्वास्त का प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

संशोधित उत्तर

५—कुछ व्यक्तियों की तो नहीं किन्तु केवल श्री शिवप्रसाद चौहान की ऐसी एक दरख्वास्त प्राप्त हुई थी जिसे पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को निस्तारण हेतु भेज दिया गया था, परन्तु सरकार को वह पत्र तथा वह दरख्वास्त पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त नहीं हुई ।

हरगोविन्द सिंह,
गृह मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१६७ एल० ए०—१९६४—८६०